



ALIMCO



ISO 9001: 2015

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का 'मिनीरत्न-॥' उपक्रम
जी.टी. रोड, नारामऊ, कानपुर-२०६२१७
आई.एस.ओ. ६००१:२०१५

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA

A Govt. of India, "Miniratna-II" CPSU under Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) Ministry of Social Justice & Empowerment

G.T. Road, Naramau, Kanpur-209217
An ISO 9001:2015 Company



वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

Annual Report 2024-25



Board of Directors



Shri Praveen Kumar
Chairman and Managing Director
w.e.f. 08.02.2023
DIN: 10078364



Ms. Debolina Thakur
Joint Secretary & Financial Advisor (DEPwD),
Ministry of Social Justice and Empowerment
w.e.f. 15.06.2024
DIN: 10781506



Shri Sanjay Pandey
Ex-Joint Secretary & Financial Advisor (DEPwD),
Ministry of Social Justice
and Empowerment
From 15.05.2019 to 15.06.2024
DIN: 08453230



Ms. Manmeet Kaur Nanda
Additional Secretary (DEPwD),
Ministry of Social Justice
and Empowerment
w.e.f. 29.11.2024
DIN: 10086623



Shri Rajeev Sharma
Joint Secretary (DEPwD),
Ministry of Social Justice
and Empowerment
From 11.09.2024 to 29.11.2024
DIN: 10803581



Shri Rajesh Kr. Yadav
Ex-Joint Secretary (DEPwD),
Ministry of Social Justice
and Empowerment
From 21.04.2022 to 11.09.2024
DIN: 05196223



आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ALIMCO)

कॉर्पोरेट अवलोकन

भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) की स्थापना 30 नवंबर 1972 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (पूर्व में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) के अंतर्गत एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी। इस पर कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):U85110UP1972NPL003646 अंकित है। कंपनी अधिनियम की धारा 8 वाणिज्य, कला, विज्ञान, धर्म और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने जैसे धर्मार्थ उद्देश्यों के साथ कंपनियों की स्थापना की अनुमति देती है, जिसमें उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिशेष को लाभ के रूप में वितरित किए जाने के बजाय अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में पुनर्निवेश किया जाता है।

शासन और स्वामित्व

उत्तर प्रदेश के कानपुर में मुख्यालय वाला एलिम्को अनुसूची-सी में शामिल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है, जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। यह भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यम है, जिसकी स्थापना दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और वरिष्ठ नागरिकों की सेवा करने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई है।

मिशन और जनादेश

निगम पूरे भारत में दिव्यांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लक्ष्य के साथ कृत्रिम अंगों और सहायक उपकरणों सहित उच्च गुणवत्ता वाले पुनर्वास एड्स के निर्माण और प्रचार के लिए समर्पित है। 1976 में उत्पादन शुरू करने के बाद से, ALIMCO ने लगातार नवाचार, समावेश और समर्पित सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करके अपने मिशन को आगे बढ़ाया है।

रणनीतिक दृष्टि

ALIMCO की दृष्टि सस्ती, सुलभ और प्रभावी सहायक समाधान प्रदान करके दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। संगठन लगातार अपने आउटरीच का विस्तार करने, बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने और अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता को बढ़ाने का प्रयास करता है, यह सुनिश्चित करता है कि इसकी पेशकश प्रासंगिक और प्रभावशाली बनी रहे।

राष्ट्रीय आउटरीच और अवसंरचना

अपने राष्ट्रव्यापी सेवा वितरण मॉडल के हिस्से के रूप में, ALIMCO ने लाभार्थियों के साथ कुशल संचालन और गहन जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई सुविधाओं का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया है। 11 अगस्त, 2025 तक निगम निम्नलिखित कार्य करता है:

- कानपुर में मुख्य उत्पादन केंद्र सहित 7 सहायक उत्पादन/असेंबली केंद्र (एएपीसी)
- 8 क्षेत्रीय विपणन केंद्र (आरएमसी)
- 80 प्रधानमंत्री दिव्याश केंद्र (पीएमडीके)
- 56 एएसआरए केंद्र

इन केंद्रों को देश भर में सामरिक रूप से वितरित किया जाता है ताकि समावेशी, कुशल और लाभार्थी-केंद्रित सेवा वितरण को बढ़ावा दिया जा सके।

भविष्य की संभावनाएं

ALIMCO राष्ट्रीय विकास एजेंडा के साथ संरेखित रहता है, तकनीकी नवाचार, डिजिटल परिवर्तन और स्थायी प्रथाओं पर जोर देता है। निगम समुदाय की बेहतर सेवा करने और सहायक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नए मील के पथर हासिल करने के लिए अपनी क्षमताओं को लगातार



ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA (ALIMCO)

Corporate Overview

The Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) was incorporated on 30th November 1972 as a not-for-profit organization under Section 8 of the Companies Act, 2013 (formerly Section 25 of the Companies Act, 1956). It bears the Corporate Identification Number (CIN): U85110UP1972NPL003646. Section 8 of the Companies Act permits the establishment of companies with charitable objectives, such as the promotion of commerce, art, science, religion, and social welfare, wherein any surplus generated is reinvested toward the attainment of its objectives rather than being distributed as profit.

Governance and Ownership

Headquartered in Kanpur, Uttar Pradesh, ALIMCO is a Schedule 'C' Central Public Sector Enterprise (CPSE) operating under the administrative control of the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. It is a wholly-owned Government of India enterprise, established with the primary objective of serving persons with disabilities (PwDs) and senior citizens.

Mission and Mandate

The Corporation is dedicated to the manufacture and promotion of high-quality rehabilitation aids, including artificial limbs and assistive devices, with the goal of enhancing the quality of life for persons with disabilities and the elderly across India. Since commencing production in 1976, ALIMCO has consistently advanced its mission through a focus on innovation, inclusion, and dedicated service delivery.

Strategic Vision

ALIMCO's vision is centered on the empowerment of persons with disabilities by providing affordable, accessible, and effective assistive solutions. The organization continually endeavors to expand its outreach, upgrade infrastructure, and enhance the quality and availability of its products and services, ensuring that its offerings remain relevant and impactful.

National Outreach and Infrastructure

As part of its nationwide service delivery model, ALIMCO has developed a comprehensive network of facilities designed to ensure efficient operations and deeper engagement with beneficiaries. As of 11th August 2025, the Corporation operates:

- 7 Auxiliary Production/Assembly Centers (AAPCs), including Main production Centre at Kanpur
- 8 Regional Marketing Centers (RMCs)
- 80 Pradhan Mantri Divyasha Kendras (PMDKs)
- 56 AASRA Centers

These centers are strategically distributed across the country to foster inclusive, efficient, and beneficiary-centric service delivery.

Forward Outlook

ALIMCO remains aligned with the national development agenda, placing a strong emphasis on technological innovation, digital transformation, and sustainable practices. The Corporation is committed to continually enhancing its capabilities to better serve the community and achieve new milestones in the assistive technology sector.



वरिष्ठ अधिकारीगण

श्री अतुल रूस्तगी

जनरल मैनेजर (वित्त एवं प्रशासन)

श्री अजय चौधरी

प्रभारी महाप्रबंधक (प्रचालन)

श्री विवेक द्विवेदी

इंचार्ज जनरल मैनेजर (मार्केटिंग)

श्री आलोक कुमार ठाकुर

उप महाप्रबंधक (एमएम और परियोजनाएं)

श्री रितेश श्रीवास्तव

उप महाप्रबंधक

(डिजाइन एवं विकास, आईटी एवं रखरखाव)

श्री एस.के. त्रिपाठी

डिप्टी जनरल मैनेजर (मार्केटिंग)

श्री मनोज कुमार त्रिपाठी

डिप्टी जनरल मैनेजर (फाइनेंस)

श्री संजय सिंह

डिप्टी जनरल मैनेजर और इंचार्ज आरएमसी

हैदराबाद

श्री अनुपम प्रकाश

उप महाप्रबंधक

(विपणन पूर्वोत्तर और सेवा)

सिद्धार्थ कुमार

डिप्टी मैनेजर (कंपनी सचिव)

SENIOR EXECUTIVES

Shri Atul Rustagi

General Manager (Finance and Administration)

Shri Ajay Chaudhary

Incharge, General Manager (Operations)

Shri Vivek Dwivedi

Incharge, General Manager (Marketing)

Shri Alok Kumar Thakur

Deputy General Manager (MM & Projects)

Shri Ritesh Srivastava

Deputy General Manager

(Design & Development, IT & Maintenance)

Shri S.K. Tripathi

Deputy General Manager (Marketing)

Shri Manoj Kumar Tripathi

Deputy General Manager (Finance)

Shri Sanjay Singh

Deputy General Manager & Incharge RMC

Hyderabad

Shri Anupam Prakash

Deputy General Manager

(Marketing North East and Service)

Siddharth Kumar

Dy. Manager (Company Secretary)



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
एचडीएफसी बैंक

BANKERS :

State Bank of India
Union Bank of India
HDFC Bank

लेखा सम्परीक्षक

मेसर्स गुप्ता और शाह, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
कानपुर

AUDITORS :

M/s Gupta and Shah, Chartered Accountants,
Kanpur

एलिम्को का कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय

आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ
इंडिया, जी. टी. रोड, नारामऊ
कानपुर – 209217
फोन : 0512-2770041, 2770892
ई-मेल: alimco@alimco.in
वेबसाइट: www.alimco.in

OFFICE OF ALIMCO

REGISTERED OFFICE

Artificial Limbs Manufacturing Corporation of
India, G.T. Road, Naramau,
Kanpur, U.P.-209217
Phone : 0512-2770041, 2770892
Email: alimco@alimco.in
Website: www.alimco.in

एलिम्को के सहायक उत्पादन केन्द्र

1. बेंगलूरु

सर्वे सं. एम.वाई.एस. 357
प्लॉट सं. 8, पीन्या प्लान्ट स्टेशन,
नियर जलासौधा, जालाहल्ली, पो ऑ.
बेंगलूरु – 560013
दूरभाष – 080-29723037, 29723071
ई-मेल: aapc_bangalore@alimco.in

1. BENGALURU

Survey No. MYS 357,
Plot No.8, Peenya Plant Station,
Near Jalasaudha, Jalahalli P.O.,
Bengaluru-560013
Phone No. : 080-29723037, 29723071
E-mail : aapc_bangalore@alimco.in

2. भुवनेश्वर

प्लॉट सं. एस-3/66, एवं सी-14
मानचेश्वर इण्डस्ट्रियल एरिया,
भुवनेश्वर – 751010, ओडिशा
दूरभाष :- 0674-2581210, 0674-2580210
ई-मेल: aapc_bhubaneshwar@alimco.in

2. BHUBANESHWAR

Plot No. S-3/66 & C-14,
Mancheshwar Industrial Area,
Bhubaneshwar-751010, Odisha
Phone No. : 0674-2581210, 0674-2580210
E-mail : aapc_bhubaneshwar@alimco.in

3. जबलपुर

प्लॉट नंबर 40 एवं 106
रिच्छाई इण्डस्ट्रियल एरिया, महाराजपुर
जबलपुर- 482010 म.प्र.
दूरभाष :- 0761-2334717
ई-मेल : aapc_jabalpur@alimco.in

3. JABALPUR

Plot No. 40 & 106
Richhai Industrial Area, Maharajpur,
Jabalpur-482010, M.P.
Phone : 0761-2334717,
E-mail : aapc_jabalpur@alimco.in



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



4. मोहाली

प्लॉट नंबर ए-1, ए-2, ए-3,
औद्योगिक फोकल प्वाइंट, चनालोन
जनपद: मोहाली – 140103 पंजाब
फोन : 0160-2642219
ई-मेल : aapc_chanalon@alimco.in

5. उज्जैन

प्लॉट नंबर 16/2, मानपुरा देवस रोड
उज्जैन – 456010 म.प्र.
मोबाइल : 9424817405
ई-मेल : aapc_ujjain@alimco.in

6. फरीदाबाद

नवादा तिगांव के पास आईएमटी
फरीदाबाद, बल्लभगढ़
फरीदाबाद, हरियाणा-122004
फोन: 0129-3502100
ई-मेल : aapc_faridabad@alimco.in

4. MOHALI

Plot No. A-1, A-2, A-3,
Industrial Focal Point, Chanalon,
Distt. Mohali-140103, Punjab
Phone : 0160-2642219
E-mail : aapc_chanalon@alimco.in

5. UJJAIN

Plot No.-16/2, Manpura Dewas Road,
Ujjain - 456010, M.P.
Phone : 9424817405
E-mail : aapc_ujjain@alimco.in

6. FARIDABAD

Nawada Tigaon, Near IMT
Faridabad, Ballabhgarh,
Faridabad, Haryana-122004
Phone: 0129-3502100
E-mail : aapc_faridabad@alimco.in

क्षेत्रीय विपणन केन्द्र

1. नई दिल्ली

ALIMCO क्षेत्रीय मार्केटिंग सेन्टर
डी-002, टॉवर डी, भूतल
डब्ल्यूटीसी, नौरोजी नगर
नई दिल्ली – 110029
फोन: 011-43628081
ई-मेल : rmc_newdelhi@alimco.in

2. मुम्बई

एलिम्को क्षेत्रीय मार्केटिंग सेन्टर
ऑफिस नंबर 403-ए, विंग विष्णु कामर्शियल
कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर 36, सेक्टर 15,
सीबीडी बेलापुर, नवी मुम्बई – 400 614
फोन : 022-49749638
ई-मेल : rmc_mumbai@alimco.in

3. कोलकाता

ALIMCO क्षेत्रीय विपणन केंद्र
सी/ओ राष्ट्रीय लोकोमोटर विकलांगता संस्थान
(दिव्यांगजन) बी.टी रोड, बोन-हूगली,
कोलकाता-700090
फोन : 81002 68153
ईमेल : rmc_kolkata@alimco.in

REGIONAL MARKETING CENTRES

1. NEW DELHI

ALIMCO Regional Marketing Centre
D-002, Tower-D, Ground Floor,
WTC, Nauroji Nagar,
New Delhi-110029
Phone: 011-43628081
E-mail: rmc_newdelhi@alimco.in

2. MUMBAI

ALIMCO Regional Marketing Centre
Office No. 403, A - Wing, Vishnu Commercial
Complex, Plot No. 36, Sector 15,
CBD Belapur, Navi Mumbai - 400 614,
Phone : 022-49749638
e-mail : rmc_mumbai@alimco.in

3. KOLKATA

ALIMCO Regional Marketing Centre
C/o National Institute for Locomotor Disabilities
(Divyangjans) B.T Road, Bon-Hoogly,
Kolkata-700090
Phone : 81002 68153
e-mail : rmc_kolkata@alimco.in



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



4. हैदराबाद

ALIMCO क्षेत्रीय विपणन केंद्र
पंडित दीनदयाल उपाध्याय
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन्स विद फिजिकल
डिसएबिलिटी (PDUNIPPD)
मनोविकासनगर, सिकंदराबाद,
तेलंगाना-500009
फोन : 040-27891463
ईमेल : rmc_hyderabad@alimco.in

5. गुवाहाटी

ALIMCO क्षेत्रीय विपणन केंद्र
मयूर गार्डन जी एस रोड, राजीव
भवन के सामने एबीसी, भांगागढ़
गुवाहाटी-781005, असम
फोन : 9540986108
ईमेल : aoc_guwahati@alimco.in

6. रांची

ALIMCO क्षेत्रीय विपणन केंद्र
सीआरसी रांची, बिसाइड ब्लॉक ऑफिस,
खिजरी, नामकुम, रांची-834010
झारखंड
फोन : 8828252181
ईमेल : sanjoy.mandal@alimco.in

7. चेन्नई

ALIMCO क्षेत्रीय विपणन केंद्र
ब्लॉक-बी, भूतल, कमरा नंबर 101,
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल,
केके नगर, चेन्नई-600078
तमिलनाडु
फोन : 9910477376
ईमेल : rmc.chennai@alimco.in

8. जयपुर

ALIMCO क्षेत्रीय विपणन केंद्र
सीआरसी कैम्पस, हॉस्टल भवन-आरआरआरआई
सामाजिक न्याय संकुल,
आगरा रोड, जमदोली,
जयपुर, राजस्थान-302031
फोन : 8545905821
ईमेल : rmc.jaipur@alimco.in

4. HYDERABAD

ALIMCO Regional Marketing Center
C/o Pandit Deendayal Updhyay,
National Institute of Persons with Physical
Disabilities (PDUNIPPD)
Manovikasnagar, Secunderabad,
Telangana-500009
Phone: 040-27891463,
e-mail: rmc_hyderabad@alimco.in

5. GUWAHATI

ALIMCO Regional Marketing Center
Mayur Garden G S Road, Opposite Rajiv
Bhawan ABC, Bhangagarh
Guwahati-781005, Assam
Phone : 9540986108
E-mail : aoc_guwahati@alimco.in

6. RANCHI

ALIMCO Regional Marketing Center
CRC Ranchi, Beside Block Office,
Khijari, Namkum, Ranchi-834010
Jharkhand
Phone : 8828252181
E-mail : sanjoy.mandal@alimco.in

7. CHENNAI

ALIMCO Regional Marketing Center
Block-B, Ground Floor, Room No.-101,
ESIC Medical College & Hospital,
KK Nagar, Chennai-600078
Tamilnadu
Phone: 9910477376
Email: rmc.chennai@alimco.in

8. JAIPUR

ALIMCO Regional Marketing Center
CRC Campus, Hostel Building-RRRI
Samajik Nyay Sankul,
Agra Road, Jamdoli,
Jaipur, Rajasthan-302031
Phone : 8545905821
Email : rmc.jaipur@alimco.in



अध्यक्ष का भाषण



प्रिय शेयरधारकों,

यह अत्यंत गर्व और गहरी जिम्मेदारी की भावना के साथ है कि मैं आपको भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (ALIMCO) की वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 52वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ।

इस वर्ष एक अधिक समावेशी और सशक्त समाज बनाने के लिए ALIMCO की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता में एक और अध्याय चिह्नित किया गया। 1972 में अपनी स्थापना के बाद से, ALIMCO दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरणों के निर्माण में सबसे आगे रहा है, जो देश भर में लाखों लोगों के लिए गरिमा, गतिशीलता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, ALIMCO अपने मिशन के प्रति लचीलापन और समर्पण का प्रदर्शन करना जारी रखता है। इस वर्ष के दौरान हमने अपने आउटरीच और उत्पादन क्षमता में लगातार वृद्धि देखी है। विभिन्न एडीआईपी शिविरों और राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग के माध्यम से, हम सहायक उपकरणों के साथ 4.21 लाख से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचे हैं।

कानपुर में आधुनिक एकीकृत सुविधा सहित हमारी विनिर्माण इकाइयां, हमारे कुशल कार्यबल और निरंतर तकनीकी उन्नयन द्वारा समर्थित, बढ़ी हुई दक्षता के साथ संचालित हुईं। हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने सबसे अधिक शुद्ध कारोबार और लाभ के रूप में रु. 710.28 करोड़ रुपये और रु. 107.16 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। यह पहला वर्ष है जब निगम के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को एकीकृत करने वाले एसएपी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए खातों का अनुपालन किया गया है और इस एकीकरण ने निगम में लीन मैनुफैक्चरिंग की शुरुआत करने में भी सक्षम बनाया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निगम के वित्तीय प्रदर्शन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	उपलब्धि 2023-24	उपलब्धि 2024-25	सुधार का %
1.	कुल कारोबार	करोड़ रु	634.71	744.20	17.25%
2.	शुद्ध कारोबार	करोड़ रु	604.44	710.28	17.51%
3.	अधिशेष	करोड़ रु	70.90	107.16	51.14%
4.	परिचालन अधिशेष	करोड़ रु	48.98	91.11	86.01%
	कारोबार के लिए परिचालन अधिशेष	प्रतिशत	8.10	12.82	58.27%



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



देश भर में लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हमने अपने सेवा वितरण केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार किया है। वर्तमान में निगम का मुख्यालय कानपुर में मुख्य संयंत्र सहित 7 सहायक उत्पादन केंद्र (एपीसी), 8 क्षेत्रीय विपणन केंद्र (आरएमसी), 80 प्रधानमंत्री दिव्याश केंद्र (पीएमडीके) और देश भर में 56 आसरा केंद्र हैं। इन केंद्रों ने पहुंच बढ़ाने और दिव्यांग व्यक्तियों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भविष्य की ओर देखते हुए और संचालन की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निगम ने कई अग्रिम परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें अतिरिक्त भंडारण स्थान और उत्पादन सुविधाएं जैसे टीकमगढ़ में यार्न आधारित उत्पादन संयंत्र की स्थापना, कैमूर में क्षेत्रीय विपणन केंद्र की स्थापना और उन्नाव में गोदाम की स्थापना शामिल हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थियों की भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जाए और निगम यथासंभव नए बाजारों में प्रवेश करे।

निगम ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला 2025 में सहायक उपकरणों के बड़े पैमाने पर वितरण की सुविधा प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पहल ने हजारों पीडब्ल्यूडी और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को निःशुल्क गतिशीलता सहायता और सहायता सेवाएं प्रदान कीं, जिससे आध्यात्मिक कार्यक्रम में उनकी पूर्ण और सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित हुई।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

सीएसआर ALIMCO की आउटरीच रणनीति का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। ALIMCO समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने और उन समुदायों के लिए योगदान देकर जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके आसपास यह संचालित होता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुपालन में कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों को कंपनी की सीएसआर नीति में प्रदान किया है और जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अनुसूची टप्प के तहत पहचाना गया है। इस संबंध में, कंपनी ने रु. वर्ष 2024-25 में सीएसआर की विभिन्न गतिविधियों पर 139.20 लाख रुपये का आवंटन किया जाएगा।

कॉर्पोरेट प्रशासन

ALIMCO में, हमारा मानना है कि सतत मूल्य प्रदान करने और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए ध्वनि कॉर्पोरेट शासन मौलिक है। एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) के रूप में, हम अपने कामकाज के सभी पहलुओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध हैं। निदेशक मंडल ने वैधानिक आवश्यकताओं और सर्वोत्तम शासन प्रथाओं, निर्देशित नैतिक आचरण और रणनीतिक योजना के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

समय पर खुलासे और बोर्ड की निगरानी ने हमें मजबूत आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन ढांचे को बनाए रखने में मदद की है। हम व्यावसायिक उत्कृष्टता, नैतिक नेतृत्व और निगम के प्रत्येक स्तर पर हितधारकों की भागीदारी को बढ़ावा देकर अपनी शासन संस्कृति को मजबूत करना जारी रखेंगे।

आभार

मैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का उनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं निदेशक मंडल, हमारे कर्मचारियों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से, हमारे लाभार्थियों को भी धन्यवाद देता हूं, जो हमारे हर कदम के पीछे सच्ची प्रेरणा हैं।

आपका धन्यवाद,

ह0 /—
(प्रवीण कुमार)
चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर



CHAIRMAN'S SPEECH



Dear Shareholders

It is with immense pride and a deep sense of responsibility that I present to you the 52nd Annual Report of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) for the financial year 2024-25.

This year marked another chapter in ALIMCO's longstanding commitment to creating a more inclusive and empowered society. Since our inception in 1972, ALIMCO has been at the forefront of manufacturing high-quality assistive devices for persons with disabilities (PwDs), ensuring dignity, mobility, and independence for millions across the nation.

Despite facing challenges, ALIMCO continues to showcase resilience and dedication to its mission. During the year under review, we witnessed a steady increase in our outreach and production capacity. Through various ADIP camps and collaborations with state and central agencies, we have reached over 4.21 lakh beneficiaries with assistive appliances.

Our manufacturing units, including the modern integrated facility at Kanpur, operated with enhanced efficiency, supported by our skilled workforce and continuous technological upgrades. We are proud to report highest net turnover & profit of Rs. 710.28 crore & Rs. 107.16 crore respectively for the year in the history of corporation. This year is the first year when accounts have been complied using the SAP software integrating all the vital functions of the Corporation and this integration has also enabled the Corporation in commencement of Lean Manufacturing in the Corporation.

Salient Features of financial performance of the Corporation for the financial year 2024-25 are as under:

Sl. No.	Particulars	Units	Achievement 2023-24	Achievement 2024-25	% age of Improvement
1.	Gross Turnover	Rs. Cr	634.71	744.20	17.25%
2.	Net Turnover	Rs. Cr	604.44	710.28	17.51%
3.	Surplus	Rs. Cr	70.90	107.16	51.14%
4.	Operating surplus	Rs. Cr	48.98	91.11	86.01%
5.	Operating Surplus to Turnover	%	8.10	12.82	58.27%



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



To ensure near-doorstep service delivery and broader outreach to beneficiaries across the country, we expanded our network of service delivery outlets. As of now, the Corporation operates- 7 Auxiliary Production Centres (APCs) including main plant at HQ Kanpur, 8 Regional Marketing Centres (RMCs), 80 Pradhan Mantri Divyasha Kendra (PMDKs) and 56 AASRA Centres across the country. These centres have played a pivotal role in enhancing accessibility and ensuring timely support to persons with disabilities.

Looking ahead, and to ensure the long-term sustainability of operations, the Corporation has initiated several forward-looking projects. These include the creation of additional storage space and production facilities like establishment of yarn-based production plant at Tikamgarh, establishment of Regional Marketing center at Kaimur and establishment of warehouse in Unnao. These efforts are geared towards ensuring that the future needs of beneficiaries are met and the corporation forays into newer markets to the maximum extent possible.

The Corporation played a vital role in the Maha Kumbh Mela 2025 held in Prayagraj by facilitating large-scale distribution of assistive devices. This initiative provided free mobility aids and support services to thousands of PwDs and elderly pilgrims, ensuring their full and dignified participation in the spiritual event.

Corporate Social Responsibility

CSR continues to be a strong pillar of ALIMCO's outreach strategy. ALIMCO is committed to focus on inclusive growth and improving lives by contributing towards communities around which it operates. In compliance with section 135 of Companies Act 2013, the company has undertaken CSR activities, projects and programmes as provided in the CSR policy of the Company and as identified under Schedule VII under Companies Act 2013. In this connection, the company has spent Rs. 139.20 lakh on various activities of CSR in 2024-25.

Corporate Governance

At ALIMCO, we believe that sound corporate governance is fundamental to delivering sustainable value and maintaining public trust. As a Central Public Sector Enterprise (CPSE), we remain committed to transparency, accountability, and integrity in all the aspects of our functioning. The Board of Directors has ensured compliance with statutory requirements and best governance practices, guided ethical conduct and strategic planning.

Timely disclosures and board oversight have helped us maintain robust internal controls and risk management frameworks. We continue to strengthen our governance culture by fostering professional excellence, ethical leadership, and stakeholder engagement at every level of the Corporation.

Acknowledgments

I extend my heartfelt gratitude to the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, for their constant guidance and support. I also thank the Board of Directors, our employees, and most importantly, our beneficiaries, who are the true inspiration behind every step we take.

Thanking You

Sd/-
(PRAVEEN KUMAR)
Chairman & Managing Director,



५२वाँ वार्षिक प्रतिवेदन २०२४-२५
52th Annual Report 2024-25

विषय सूची	CONTENTS	पृष्ठ संख्या PAGE No. से-तक
सूचना	NOTICE	2-5
निदेशकों का प्रतिवेदन	DIRECTORS' REPORT & ITS ANNEXURE	6-38
• ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय	• Conservation of Energy, Technology Absorption & Foreign Exchange Earning and outgo	39-41
• संक्षिप्त वार्षिक विवरण	• Extract of Annual Return	42-55
• सी.एस.आर. (CSR) गतिविधियों पर रिपोर्ट	• Report on CSR Activities	56-59
• सी.ए.जी. (CAG) की टिप्पणियाँ	• Comments of CAG	60-61
• प्रबंध चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	• Management Discussion and Analysis Report	62-65
• कार्पोरेट शासन पर रिपोर्ट	• Report on Corporate Governance	66-69
• निगमित शासन के प्रमाणपत्र	• Certificate on Corporate Governance	70
10 वर्ष एक दृष्टि में	10 YEARS AT A GLANCE	71-72
ऑडिटर्स की रिपोर्ट और उसके अनुलग्नक	AUDITOR'S REPORT ALONG WITH ITS ANNEXURES	73-91
तुलन पत्र	BALANCE SHEET	92-95
आय एवं व्यय खाता	INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT	96-99
नगदी प्रवाह विवरण	CASH FLOW STATEMENT	100-103
समता अंशों में परिवर्तन का विवरण	STATEMENT OF CHANGE IN EQUITY	104-108
लेखों पर टिप्पणी	NOTES ON ACCOUNTS	109-214
प्रॉक्सी फार्म	PROXY FORM	215-216



52वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम)की सूचना

नोटिस दिया जाता है कि कंपनी आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों की 52वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 26.09.2025 को सुबह 10:30 बजे एलिम्को रीजनल मार्केटिंग सेंटर, डी-002, टॉवर-डी, ग्राउंड फ्लोर, डब्ल्यूटीसी, नैरोजी नगर, नई दिल्ली-110029 में आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित व्यवसाय का लेन-देन किया जाएगा:

सामान्य व्यवसाय: —

1. 31 मार्च, 2025 को पूरे हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट और उस पर ऑडिटर्स की रिपोर्ट प्राप्त की गई, उस पर विचार किया गया तथा अपनाया गया; और

“संकल्प लिया गया कि धारा 102 (2), धारा 129 (2) और कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी अन्य लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या अधिनियमन सहित) के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की ऑडिटेड बैलेंस शीट, वर्ष 2024-25 के लिए आय और व्यय का विवरण, वर्ष 2024-25 के लिए नकदी प्रवाह विवरण, वर्ष 2024-25 के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, अकाउंट्स का हिस्सा बनने वाले नोट्स, साथ में डायरेक्टर की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ और प्रबंधन का उत्तर एतद्वारा अनुमोदित और अपनाया जाता है।”

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए:

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5), 142 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों (तत्समय लागू किसी वैधानिक संशोधन या अधिनियमन सहित) के किसी अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की सहमति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पक्ष में दी जाती है, ताकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के अकाउंट की ऑडिट करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सांविधिक आडिटर्स का पारिश्रमिक तय किया जा सके।”

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश से,
आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के लिए,

ह0 / —
(सिद्धार्थ कुमार)
डिप्टी जनरल मैनेजर (कम्पनी सचिव)
सदस्यता संख्या: ए-21257

दिनांक : 01.09.2025
स्थान : कानपुर



नोट:

1. एक सदस्य को मीटिंग में भाग लेने तथा मतदान करने का हकदार सदस्य, स्वयं के स्थान पर भाग लेने तथा मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है। प्रॉक्सी को कंपनी का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।
2. प्रॉक्सी का फॉर्म यहां संलग्न है।

सेवा में:

1. सुश्री मनमीत कौर नंदा, एलिम्को के शेयरधारक और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अतिरिक्त सचिव, नई दिल्ली।
2. सुश्री देबोलिना ठाकुर, एलिम्को (ALIMCO) की शेयरधारक और संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. श्री अनिल कुमार पांडे, एलिम्को (ALIMCO) के शेयरधारक और उप सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. श्री अनिल कुमार पांडे, उप सचिव और भारत के माननीय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि।
5. मेसर्स गुप्ता और शाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट (सांविधिक ऑडिटर), कानपुर।



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



NOTICE OF 52th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

NOTICE is hereby given that the 52nd Annual General Meeting (AGM) of the members of the company Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India will be held on 26.09.2025 at 10:30 a.m. at ALIMCO Regional Marketing Centre, D-002, Tower-D, Ground Floor, WTC, Nairoji Nagar, New Delhi-110029 to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS: -

1. To receive, consider and adopt the audited Financial Statement of the Company for the financial year ended March 31, 2025, the reports of the Board of Directors' and Auditors' Report thereon; and
"RESOLVED THAT pursuant to section 102 (2), section 129 (2) and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed there under (including any statutory modifications or enactment thereof for the time being in force), the Audited Balance Sheet of the Company as at 31st March, 2025, Statement of Income and Expenditure for the year 2024-25, Cash Flow statement for the year 2024-25, Statement of Change in Equity for the year 2024-25, Notes forming part of Accounts, together with Directors' Report, Auditor's Report, Comments of Comptroller & Auditors General of India along with reply of Management be and are hereby approved and adopted."
2. **To fix the remuneration of auditors for financial year 2025-26:**
"RESOLVED THAT pursuant to section 139(5), 142 and any other applicable provisions of Companies Act 2013, Rules/ regulations made there-under (including any statutory modifications or enactment thereof for the time being in force), the consent of the company be and is hereby accorded in favour of Board of Directors to fix the remuneration of Statutory Auditors to be appointed by Comptroller and Auditor General of India (C&AG) to audit the accounts of the company for the financial year 2025-26."

**By Order of the Board of Directors
For Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India**

Sd/-
(SIDDHARTH KUMAR)
Dy. Manager (Company Secretary)
Membership No.: A - 21257

Date : 01.09.2025
Place : Kanpur



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



NOTES:

1. A Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint proxy to attend & vote instead of himself. A proxy need not be a shareholder of the company.
2. Form of Proxy is attached herewith.

To:

1. Ms. Manmeet Kaur Nanda, Shareholder of ALIMCO and Additional Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment, New Delhi.
2. Ms. Debolina Thakur, Shareholder of ALIMCO and JS&FA, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment, New Delhi.
3. Shri Anil Kumar Pandey, Shareholder of ALIMCO and Dy. Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment, New Delhi.
4. Shri Anil Kumar Pandey, Deputy Secretary, Representative of Hon'ble President of India.
5. M/s Gupta and Shah, Chartered Accountants (Statutory Auditor), Kanpur.



वर्ष 2024-25 के लिये निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यों
आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
आपके डायरेक्टर्स को 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कॉरपोरेशन के ऑडिटेड स्टेटमेंट के साथ 52वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रदर्शन की प्रमुख झलकियां इस प्रकार हैं:

1. भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन

- निगम ने देश भर में 420962 लाभार्थियों की सेवा की है।
- पहली बार, निगम ने एसएपी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने वित्तीय खातों को सफलतापूर्वक संकलित किया, जिसमें वित्त, उत्पादन, इन्वेंट्री और आपूर्ति श्रृंखला सहित सभी मुख्य कार्यों को एकीकृत किया गया।
- सुलभता और समावेशिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, निगम ने इस वर्ष के दौरान 36 से अधिक प्रधानमंत्री दिव्याश केंद्रों (पीएमडीके) की स्थापना की। ये केंद्र सहायक उपकरण, पुनर्वास समर्थन और वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगव्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए परामर्श प्रदान करने वाले एकीकृत सेवा बिंदुओं के रूप में कार्य करते हैं।
- निगम ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला 2025 में सहायक उपकरणों के बड़े पैमाने पर वितरण की सुविधा प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पहल ने हजारों पीडब्ल्यूडी और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को निःशुल्क गतिशीलता सहायता और सहायता सेवाएं प्रदान कीं, जिससे आध्यात्मिक कार्यक्रम में उनकी पूर्ण और सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित हुई।
- निगम ने अब तक का सबसे अधिक शुद्ध कारोबार और लाभ हासिल किया है। 710.28 करोड़ रुपये और रु. 107.16 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निगम के वित्तीय प्रदर्शन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

विवरण	इकाई	उपलब्धियाँ 2023-24	उपलब्धियाँ 2024-25	सुधार का प्रतिशत
सकल (ग्रास) टर्नओवर	रु0 करोड़	634.71	744.20	17.25%
शुद्ध टर्नओवर	रु0 करोड़	604.44	710.28	17.51%
अधिशेष	रु0 करोड़	70.90	107.16	51.14%
परिचालन अधिशेष	रु0 करोड़	48.98	91.11	86.01%

DIRECTOR'S REPORT FOR THE YEAR 2024-25

To,
The Members of,
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING
CORPORATION OF INDIA,

Your Directors have pleasure in presenting herewith the 52nd Annual Report along with Audited Statement of Accounts of the Corporation for the financial year ended on 31st March 2025.

1. FINANCIAL HIGHLIGHT

- The Corporation has served 420962 Beneficiaries across the country.
- For the first time, the Corporation successfully compiled its financial accounts using SAP software, integrating all core functions including finance, production, inventory, and supply chain.
- As part of its commitment to accessibility and inclusivity, the Corporation established over 36 Pradhan Mantri Divyasha Kendra (PMDK) during this year. These centres serve as integrated service points providing assistive devices, rehabilitation support and counselling for senior citizens and persons with disabilities (PwDs).
- The Corporation played a vital role in the Maha Kumbh Mela 2025 held in Prayagraj by facilitating large-scale distribution of assistive devices. This initiative provided free mobility aids, and support services to thousands of PwDs and elderly pilgrims, ensuring their full and dignified participation in the spiritual event.
- The Corporation has achieved the highest-ever net turnover & profit of Rs. 710.28 crore & Rs. 107.16 crore respectively for the year in the history of corporation. Salient Features of financial performance of the Corporation for the financial year 2024-25 are as under:

Particulars	Unit	Achievements 2023-24	Achievements 2024-25	% age Improvement
Gross Turnover	Rs. Cr	634.71	744.20	17.25%
Net Turnover	Rs. Cr	604.44	710.28	17.51%
Surplus	Rs. Cr	70.90	107.16	51.14%
Operating Surplus	Rs. Cr	48.98	91.11	86.01%



2. पूंजी संरचना

31 मार्च 2025 तक कॉर्पोरेशन की अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी(पेड-अप कैपिटल) क्रमशः 60.00 करोड़ रुपये और 54.0997 करोड़ रुपये है। आपके कॉर्पोरेशन की पूरी चुकता शेयर पूंजी भारत सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति और सरकारी नामित व्यक्ति के नाम पर रखी गई है।

2. CAPITAL STRUCTURE

The Authorized Capital and Paid-up Capital of the Corporation as on 31st March 2025 are Rs.60.00 crore and Rs. 54.0997 crore respectively. The entire paid-up share capital of your corporation is held by Government of India in the name of the President of India and Government Nominee.

3. वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेशन के भौतिक प्रदर्शन को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं: -

3. THE QUANTITATIVE FIGURES SHOWING PHYSICAL PERFORMANCE OF THE CORPORATION FOR THE YEAR 2024-25 ARE GIVEN BELOW

क्र. सं. S No.	भौतिक प्रदर्शन	PHYSICAL PERFORMANCE	उत्पादन (संख्या में) Production (In Number)		% Increase over 2023-24	बिक्री (संख्या में) Sales (In Number)		% Increase over 2023-24
			2023-24	2024-25		2023-24	2024-25	
1	ट्राई साइकिल	Tricycle	130577	113218	-13.29	127448	113494	-10.95
2	व्हील चेयर	Wheel Chairs	190777	218694	14.63	156231	223886	43.30
3	बैसाखी	Crutches	102870	95148	-7.51	100318	90051	-10.23
4	प्रोस्थेटिक अपर एवं लोअर किट्स एवं कम्पोनेन्ट	Prosthetic Upper & Lower Kit & Components	57150	59480	4.08	48236	52552	8.95
5	आर्थोटिक लोअर (किट्स एवं कम्पोनेन्ट)	Orthotic Lower Kits & Components	184244	269079	46.05	130396	292947	124.66
6	श्रवण यंत्र	Hearing Aids	193503	237022	22.49	163072	175171	7.42

क्र. सं.	महात्वपूर्ण उत्पादों का क्लोजिंग स्टॉक (आंकड़ा संख्या में)	Closing Stock of Important Products (Figures in Number)	2024-25	2023-24
1	ट्राई साइकिल	Tricycle	8858	8436
2	व्हील चेयर	Wheel Chairs	49842	53963
3	बैसाखी	Crutches	21551	14092
4	प्रोस्थेटिक अपर एवं लोअर किट्स एवं कम्पोनेन्ट	Prosthetic Upper & Lower Kit & Components	51213	43063
5	आर्थोटिक लोअर (किट्स एवं कम्पोनेन्ट)	Orthotic Lower Kits & Components	154823	172130
6	श्रवण यंत्र	Hearing Aids	127116	65982

4. बिक्री पैटर्न

वर्ष 2024-25 के दौरान बिक्री पैटर्न निम्नानुसार था-

4. SALES PATTERN

The sales pattern during the year 2024-25 was as under :

रु करोड़ में (Rupees in crores)

खरीदार श्रेणी	Buyer Category	Sales of 2024-25	% age share 2024-25	Sales of 2023-24	% age share 2023-24
राष्ट्रीय संस्थान	National Institutes	1.39	0.19	6.16	0.97
एडिप एवं कोक्लेयर	ADIP & Cochlear	279.53	37.56	326.08	51.37
एस.एस.ए. (60%)	S S A (60%)	48.91	6.57	44.59	7.03
एस.एस.ए. (40%)	S S A (40%)	31.30	4.21	28.31	4.46
राज्य सरकार की प्रत्यक्ष खरीदारी	State Govt. Direct Purchases	8.63	1.16	7.69	1.21
डीलर, फेब्रीकेशन	Dealers, Fabrication	111.87	15.03	102.36	16.13
सीएसआर, निर्यात, द्विपक्षीय, अवशेष एवं अन्य	CSR Export, Bilateral, Scrap & others	118.76	15.96	69.53	10.95
राष्ट्रीय वायोश्री योजना	Rashtriya Vayoshri Yojana	143.81	19.32	49.99	7.88
कुल योग	TOTAL	744.20	100	634.71	100



नोट : (Note) :

रु करोड़ में (Rupees in crores)

विवरण	Particular	Sales of 2024-25	Sales of 2023-24
जीआईए (GIA) से एकत्रित किये गये संसाधन	Resource Mobilized from GIA	472.25	420.66
जीआईए (GIA) के अलावा जुटाए गये संसाधन	Resource Mobilized other than GIA	271.96	214.05
कुल	TOTAL	744.21	634.71

5. भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

समझौता ज्ञापन (MOU) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSEs) के प्रबंधन और प्रशासनिक मंत्रालय के बीच एक आपसी समझौता है, जिसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। इस समझौते का उद्देश्य वित्तीय और गैर-वित्तीय मानदंड के अंतर्गत सीपीएसई (CPSEs) लक्ष्यों को हासिल किया जाना है। इसके अतिरिक्त, कुछ अनुपालन मानदंड भी हैं जैसे कि GeMs से, MSMEs से खरीद, जिनका अनुपालन CPSE को करना अनिवार्य है।

वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद, सीपीएसईस (CPSEs) अपनी उपलब्धियों को प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से डीपीई (DPE) को प्रस्तुत करते हैं, जो कॉरपोरेशन को अंतिम रेटिंग देता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आपके संगठन की अपेक्षित रेटिंग "बहुत अच्छी" है।

6. दिव्यांगजन सहायता (एडीआईपी) शिविर

चालू वित्त वर्ष 2024-25 में निगम ने 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 151992 लाभार्थियों को 244134 उपकरण वितरित किए हैं। इसकी तुलना में, निगम ने 2023-24 में 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 213510 लाभार्थियों को 347242 उपकरण वितरित किए थे।

6. MOU WITH GOVERNMENT OF INDIA

MoU is a mutual agreement between the management of the Central Public Sector Enterprises (CPSEs) and Administrative Ministry finalized by Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Finance, Government of India. Under this agreement, the CPSE targets under financial and non-financial parameter is set to be achieved. Apart from this, there are certain compliance parameters like procurement from GeMs, from MSMEs which the CPSE is required to comply with.

After the close of the financial year, the CPSEs submit their achievements through the Administrative Ministry to DPE who gives the final rating to the corporation. Your company's expected rating is "Very Good" for financial year 2024-25.

6. ASSISTANCE TO DISABLE PERSON (ADIP) CAMPS

In the current financial year 2024-25, the corporation has distributed 244134 appliances to 151992 beneficiaries in 35 States/ UT. Compared to this, the corporation had distributed 347242 appliances to 213510 beneficiaries of 32 States/ UT in 2023-24.



एडिप कैंप की तस्वीरों की झलक

GLIMPSES OF ADIP CAMP PHOTOGRAPHS



Hon'ble Union Minister of Social Justice & Empowerment, Dr. Virendra Kumar, inaugurating the nationwide series of 75 'Samajik Adhikarita Shivirs' by distributing assistive devices to Divyangjan under ADIP Scheme in Bulandshahr (U.P) on 17th September 2024 covering aspirational blocks of the country



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



Shri B. L. Verma, Hon'ble Union Minister of State for Consumer Affairs, Food & Public Distribution and Social Justice & Empowerment, distributing aids and assistive devices to Divyangjan under the ADIP Scheme at Etah, Uttar Pradesh on 17th September 2024



Shri Ramdas Athawale, Hon'ble Union Minister of State for Social Justice & Empowerment, distributing aids and assistive devices to Divyangjan under the ADIP Scheme at Palghar, Maharashtra on 17th September 2024.



7. एडीआईपी (ADIP)-एसएसए (SSA) कैंप

वित्त वर्ष 2024-25 में निगम ने 23 राज्यों के 80020 लाभार्थियों को 125155 उपकरण वितरित किए हैं। इसकी तुलना में 2023-24 में 21 राज्यों को कवर करते हुए 98705 लाभार्थियों को 156316 उपकरण वितरित किए गए।

7. ADIP SSA CAMPS

In the financial year 2024-25, the corporation has distributed 125155 appliances to 80020 beneficiaries of 23 States. Compared to this, 156316 appliances were distributed to 98705 beneficiaries covering 21 States in 2023-24.



Distribution of aids and assistive devices to school-going Children with Special Needs (CwSN) under ADIP-Samagra Shiksha Abhiyan (SSA) in Basti districts of Uttar Pradesh by ALIMCO in association with SPD office and district administration.



Distribution of aids and assistive devices to school-going Children with Special Needs (CwSN) under ADIP-Samagra Shiksha Abhiyan (SSA) in Badohi districts of Uttar Pradesh by ALIMCO in association with SPD office and district administration.



8. राष्ट्रीय वयोश्री योजना

देश भर के विभिन्न जिलों/स्थानों पर राष्ट्रीय वयोश्री योजना के क्रियान्वयन के लिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एलिम्को (ALIMCO) को एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में निगम ने 35 राज्यों को कवर करने वाले 154178 लाभार्थियों को 750978 उपकरण वितरित किए हैं। इसकी तुलना में 2023-24 में 30 राज्यों को कवर करते हुए 63087 लाभार्थियों को 315735 उपकरण वितरित किए गए।

8. RASHTRIYA VAYOSHRI YOJNA

ALIMCO has been nominated as sole implementing agency by the Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. of India, for the execution of the Rashtriya Vayoshri Yojana at various districts/ locations across the country.

In the financial year 2024-25, the corporation has distributed 750978 appliances to 154178 beneficiaries covering 35 States. Compared to this, 315735 appliances were distributed to 63087 beneficiaries covering 30 states in 2023-24.





On the occasion of International Day of Older Persons Hon'ble Union Minister of Social Justice & Empowerment Dr. Virendra Kumar inaugurated distribution camps at 51 locations under the Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY) for providing daily living assistive devices to senior citizens. Also present on the occasion were Shri B.L Verma, Hon'ble Union MoS, SJ&E, Shri Amit Yadav, Secretary, DSJE, GOI

9. कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अर्न्तगत गतिविधियाँ

एलिम्को (ALIMCO) कई कम्पनियों के लिए उनके सीएसआर(ब्लू) प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने हेतु सीएसआर (CSR) कार्यान्वयन भागीदार के रूप में भी काम कर रहा है। कार्पोरेशन ने पहल की है और दिव्यांगजनों के लिए सहायता एवं सहायक उपकरणों के मूल्यांकन एवं वितरण के लिए एलिम्को(ALIMCO) के माध्यम से अपने सीएसआर (CSR)दायित्व को पूरा करने के लिए लाभ कमाने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र से संपर्क किया है। हमारे निगम ने कई सीपीएसयू के साथ हाथ मिलाया है जिनमें आवास और शहरी विकास निगम, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय सामान्य बीमा निगम, भारतीय रेलवे वित्त निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, एनएचपीसी लिमिटेड, गेल लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड, यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, एसजेवीएनएल, सेल लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, एमओआईएल लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल लिमिटेड, यामाहा मोटर्स सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ग्लाइडर इंडिया लिमिटेड आदि शामिल हैं।

9. ACTIVITIES UNDER CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ALIMCO is also working as a CSR Implementation Partner for many Companies in empowering the Divyangjan as part of their CSR Projects. The Corporation has taken initiative and has approached profit making CPSUs & Private Sector to take up their CSR obligation through ALIMCO for Assessment and Distribution of Aids and Assistive Devices to Divyangjan. Our Corporation has joined hand with many CPSUs including Housing and Urban development Corporation, Power Finance Corporation Limited, General Insurance Corporation of India, Indian Railway Finance Corporation, Rural Electrification Corporation Ltd, IDBI Bank, NHPC Limited, GAIL Limited, Indian Oil Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation Ltd, Nuclear Power Corporation of India, Aravali Power Company Pvt. Ltd., BSES Rajdhani Power Ltd., BSES Yamuna Power Ltd., UTI Infrastructure Technology And Services Limited, Grid Controller of India Limited, SJVNL, SAIL Limited, NTPC Limited, MOIL Limited, Mahanagar Gas Limited, Armoured Vehicle Limited, Yamaha Motors Solutions India Private Limited, Bharat Dynamics Limited, Glider India Limited, etc.



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



वर्ष 2024-25 के दौरान, कॉरपोरेशन ने 246 सीएसआर (CSR) शिविर आयोजित किए हैं और सीपीएसई (CPSEs)/कॉरपोरेट्स के सीएसआर (CSR) कार्यक्रम के तहत पूरे भारत में 34772 लाभार्थियों को 72323 सहायता और सहायक उपकरण वितरित किए हैं, जबकि 2023-24 में 139 सीएसआर (CSR) शिविर, 42309 सहायता और सहायक उपकरण और 211196 लाभार्थियों को वितरित किए गए।

During the year 2024-25, Corporation has conducted 246 CSR camps and has distributed 72323 Aids & Assistive devices to 34772 beneficiaries throughout India under CSR programme of CPSEs/Corporates as against 139 CSR camps, 42309 Aids & Assistive devices to 211196 beneficiaries in 2023-24.



MoU signing between ALIMCO and HUDCO



Distribution of Motorised Tricycle at Gautam Budh Nagar by Dr. Mahesh Sharma, Hon'ble Member of Parliament, GB Nagar in presence of Shri Ali Shah, Executive Director-Power Finance Corporation.



10. ADIP, ADIP & SSA, CSR और RVY कैंप के अंतर्गत कुल उपकरणों की संख्या

हमने 2024-25 के दौरान एडीआईपी (ADIP), एडीआईपी (ADIP)-एसएसए (SSA), आरवीवाई (RVY) योजनाओं और सीएसआर (CSR) बिक्री के तहत 3354 शिविरों के माध्यम से 420962 लाभार्थियों को कुल 1192590 उपकरण वितरित किए हैं: -

शिविर श्रेणी	शिविरों की संख्या	NOBs	NOAs
एडीआईपी	1452	151992	244134
एडीआईपी-एसएसए	688	80020	125155
आरवीवाई	968	154178	750978
सीएसआर	246	34772	72323
कुल	3354	420962	1192590

10.TOTAL NUMBER OF APPLIANCES UNDER ADIP, ADIP-SSA, CSR & RVY CAMPS

We have distributed total number of 1192590 appliances to 420962 beneficiaries through 3354 camps during 2024-25 under ADIP, ADIP-SSA, RVY schemes and CSR Sales as under: -

Camp Category	No. of Camps	NOBs	NOAs
ADIP	1452	151992	244134
ADIP-SSA	688	80020	125155
RVY	968	154178	750978
CSR	246	34772	72323
Total	3354	420962	1192590

11. ALIMCO की प्रमुख गतिविधियाँ और भागीदारी

1) दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस (आईडीपीडी) 2024 के अवसर पर, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. श्री वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांगजनों का समर्थन करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई अग्रणी पहल शुरू की। जिसमें एलिम्को द्वारा तीन पहल भी शुरू की गई थीं:

- कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए उच्च शक्ति वाले चश्मे-सीएसआईआर-सीएसआईओ द्वारा एलिम्को के सहयोग से विकसित किए गए।
- कदम' घुटने के जोड़- स्वदेशी रूप से विकसित उत्पाद जिसे आईआईटी मद्रास और एसबीएमटी बेंगलोर द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण ALIMCO द्वारा किया गया है।
- ई-कॉफी टेबल बुक का शुभारंभ-'दिव्यशा' इस स्मारक पुस्तक का अनावरण किया गया जिसमें पिछले पांच दशकों में ALIMCO की यात्रा और योगदान को प्रदर्शित किया गया है।

इस कार्यक्रम में भारत सरकार के डीईपीडब्ल्यूडी के सचिव श्री राजेश अग्रवाल, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और ALIMCO के सीएमडी श्री प्रवीण कुमार ने भाग लिया।

11. MAJOR ACTIVITIES AND PARTICIPATION BY ALIMCO

1) On the occasion of the International Day for Persons with Disabilities (IDPD) 2024, Hon'ble Union Minister for Social Justice and Empowerment, Dr. Virendra Kumar, launched several pioneering initiatives to support and empower Divyangjan. Among which three initiatives by ALIMCO were also launched as under:

- High Power Spectacles for Low Vision Persons- developed by CSIR-CSIO in collaboration with ALIMCO.
- 'KADAM' Knee Joint- indigenously developed product designed by IIT Madras and SBMT Bangalore and manufactured by ALIMCO.
- Launch of e-Coffee Table Book - 'Divyasha' This commemorative book was unveiled showcasing the journey and contributions of ALIMCO over the past five decades.

The event was graced by Shri Rajesh Aggarwal, Secretary, DEPwD, Government of India, along with senior officers from the department and Shri Praveen Kumar, CMD, ALIMCO.



Launch of High-Power Spectacles for Low Vision Persons



Launch of indigenously developed 'KADAM' Knee Joint



Launch of e-Coffee Table Book – 'Divyasha'

2. महाकुंभ 2025 में ALIMCO का समोवशी पदचिह्न

महाकुंभ 2025 के दौरान आस्था और मानवता के पवित्र संगम पर, ALIMCO ने 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में समावेशन की एक टेपेस्ट्री बुनाई। 25428 बुजुर्ग तीर्थयात्रियों और 666 दिव्यांगजनों को अनुक्रमे आरवीवाई और एडीआईपी योजनाओं के तहत दैनिक जीवन सहायता प्राप्त हुई। 7,000 से अधिक दिव्यांगजनों को एडीआईपी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए उपकरणों में ताकत और समर्थन मिला। आध्यात्मिक लहर के बीच, एक जीवंत स्टैंड बैनर, एलईडी स्क्रीन और आशा के साथ जलाया गया था, जो मौके पर मूल्यांकन और सहायक उपकरणों की पेशकश करता था जो प्रार्थनाओं को संभावनाओं में बदल देता था। यह एक सेवा से अधिक था, यह एक सुलभ भक्ति का उत्सव था, जो वास्तव में समावेशी भारत की आत्मा को प्रतिध्वनित करता था।

2. ALIMCO's Inclusive Footprint at Mahakumbh 2025:

At the sacred confluence of faith and humanity during Mahakumbh 2025, ALIMCO, wove a tapestry of inclusion from January 13 to February 26 in Prayagraj. With hands of compassion, approx 25428 elderly pilgrims and 666 divyangjan received daily living assistive aids worth under RVY and ADIP schemes respectively. More than 7,000 Divyangjan found strength and support in devices provided under ADIP scheme. Amidst the spiritual tide, a vibrant stall lit up with banners, LED screens, and hope, offering on-the-spot assessments and assistive devices that turned prayers into possibilities. It was more than a service - it was a celebration of accessible devotion, echoing the soul of a truly inclusive India.



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



Beneficiaries at ALIMCO stall at Mahakumbh, Prayagraj



Senior citizens benifitted under RVY scheme through ALIMCO's stall at Mahakumbh Prayagraj.



12. नये उत्पाद का विकास

(अ) दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए बेलनाकार टिप / गोलाकार टिप (रोटेटरी प्रकार) के साथ कैन

यह दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए कैन का नवीनतम विकास है, हम जिस बेलनाकार टिप का उपयोग कर रहे हैं, उसे नियंत्रित करना और नेविगेट करना आसान है।



(सिलिंड्रिकल टिप के साथ दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए कैन)



(गोलाकार छोर वाले दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए कैन)

इस्तेमाल :

- बेहतर स्वतंत्रता: दृष्टिबाधित व्यक्तियों को अपने परिवेश में अधिक आत्मविश्वास और स्वतंत्र रूप से नेविगेट करने में सहायता करता है।
- बाधा का पता लगाना: बाधाओं और इलाके में परिवर्तन का पता लगाने में मदद करता है, सुरक्षित नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।
- बढ़ी हुई दृश्यता: परावर्तक टेप और चमकीले रंग दृश्यता को बढ़ाते हैं, जिससे उपयोगकर्ता के लिए कम रोशनी की स्थिति में घूमना सुरक्षित हो जाता है।
- पोर्टेबल: इसका हल्का निर्माण इसे परिवहन में आसान बनाता है, जो यात्रा और दैनिक उपयोग के लिए आदर्श है।
- लंबे समय तक चलने वाला: उच्च गुणवत्ता वाली, टिकाऊ सामग्रियों से निर्मित जो दैनिक उपयोग और कठोर परिस्थितियों का सामना करती हैं

12. NEW PRODUCT DEVELOPMENT

A. Cane for visually impaired person with cylindrical tip / spherical tip (rotary type)

This is latest development of Cane for Visually Impaired Person, The Cylindrical Tip we are using is easy to control and easy navigation.



(Cane for visually impaired person with cylindrical tip)



(Cane for visually impaired person with spherical tip)

Uses:

- Improved Independence: Assists visually impaired individuals in navigating their surroundings more confidently and independently.
- Obstacle Detection: Helps in detecting obstacles and changes in terrain, providing vital information for safe navigation.
- Increased Visibility: Reflective tape and bright colours enhance visibility, making it safer for the user to move around in low-light conditions.
- Portable: Lightweight construction makes it easy to transport, ideal for travel and everyday use.
- Long-Lasting: Made from high-quality, durable materials that withstand daily use and harsh conditions



**ब. डायनामिक काफो साइज-I,II,III (RT)
/ डायनामिक काफो साइज-I,II,III (LT)**

डायनामिक केएफओ एक ऑर्थोटिक उपकरण है जिसे चलने के दौरान घुटने, टखने और पैर की नियंत्रित गति का समर्थन करने, स्थिर करने और सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। गतिशील केएफओ में जोड़ों को जोड़ने वाले जोड़, या आसन-नियंत्रण तंत्र शामिल होते हैं जो चलने के दौरान कार्यात्मक घुटने के झुकने और विस्तार की अनुमति देते हैं जबकि अभी भी आवश्यक स्थिरता प्रदान करते हैं।




इस्तेमाल :

- गतिशीलता और संतुलन में सुधार
- चलने की असामान्यताओं को सुधारना
- मुक्त टखने के पृष्ठीय झुकाव और मुक्त या प्रतिबंधित पादतल झुकाव की अनुमति देते हुए उप-तलीय स्थिरीकरण प्रदान करता है

**B. DYNAMIC KAFO SIZE-I,II,III (RT) /
DYNAMIC KAFO SIZE-I,II,III (LT)**

A Dynamic KAFO is an orthotic device designed to support, stabilize, and assist controlled movement of the knee, ankle, and foot during gait. Dynamic KAFOs incorporate articulating joints, or stance-control mechanisms that allow functional knee flexion and extension during walking while still providing necessary stability.



Uses:

- Improving mobility and balance
- Correcting gait abnormalities
- provides subtalar stabilization while allowing free ankle dorsiflexion and free or restricted plantar flexion



स. स्टेटिक काफो साइज-I,II,III (RT) /स्टेटिक काफो साइज-I,II,III (LT)

एक स्थैतिक KAFO एक ऑर्थोटिक उपकरण है जिसे घुटने, टखने और पैर के जोड़ों को कठोर समर्थन और अस्थिरता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उपयोग मुख्य रूप से उन रोगियों के लिए किया जाता है जिन्हें मांसपेशियों की कमजोरी, जोड़ों की अस्थिरता, विकृति या न्यूरोलॉजिकल विकारों जैसी स्थितियों के कारण अधिकतम स्थिरता और संरक्षण सुधार की आवश्यकता होती है। गतिशील केएएफओ के विपरीत, स्थैतिक केएएफओ घुटने के जोड़ पर गति की अनुमति नहीं देते हैं, इस प्रकार अवांछित गति को रोकते हैं और संयुक्त सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।



इस्तेमाल :

- धातु, प्लास्टिक आदि से बनी कठोर संरचना
- घुटने के झुकाव को रोकने के लिए मध्य-पक्षीय स्थिरता प्रदान करता है।
- पैर के संरक्षण का समर्थन करता है, ड्रॉप फुट या वैरस/वैल्गस विकृतियों को नियंत्रित करता है।
- अक्सर सर्जरी के बाद, पोलियो से प्रभावित अंगों में, या निचले अंगों की गंभीर कमजोरी के लिए उपयोग किया जाता है।

C. STATIC KAFO SIZE-I,II,III (RT) / STATIC KAFO SIZE-I,II,III (LT)

A Static KAFO is an orthotic device designed to provide rigid support and immobilization of the knee, ankle, and foot joints. It is used primarily for patients who require maximum stability and alignment correction due to conditions such as muscle weakness, joint instability, deformities, or neurological impairments. Unlike dynamic KAFOs, static KAFOs do not allow movement at the knee joint, thereby preventing unwanted motion and ensuring joint protection.



Uses:

- Rigid structure made of metal, plastic etc.
- Provides medial-lateral stability to prevent knee buckling.
- Supports foot alignment, controlling drop foot or varus/valgus deformities.
- Often used post-surgery, in polio-affected limbs, or for severe lower limb weakness.



द. फोल्डेबल जॉयस्टिक व्हीलचेयर

फोल्डेबल जॉयस्टिक व्हीलचेयर को सीमित गतिशीलता वाले व्यक्तियों के लिए आराम, गतिशीलता और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है। इसमें जॉयस्टिक कंट्रोल, आरामदायक सवारी के लिए शक्तिशाली मोटर्स और अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी है।



इस्तेमाल :

- फोल्डेबल जॉयस्टिक व्हीलचेयर सीमित गतिशीलता वाले व्यक्तियों को अपने घरों के साथ-साथ अपने समुदायों में भी स्वतंत्र रूप से घूमने का साधन प्रदान करते हैं।
- मोड़ने योग्य तंत्र से इन्हें आसानी से परिवहन किया जा सकता है, जिससे ये कार, विमान या सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करने के लिए आदर्श हैं।
- सीमित शारीरिक शक्ति के साथ उपयोगकर्ता जॉयस्टिक नियंत्रण के माध्यम से न्यूनतम प्रयास के साथ स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने के लिए अनुमति दें।
- घरों, कार्यालयों और अस्पतालों जैसे सीमित इनडोर स्थानों में सहज नेविगेशन सक्षम करें
- उपयोगकर्ता एक हाथ का उपयोग करके गति और दिशा को नियंत्रित कर सकता है।

D. FOLDING JOYSTICK WHEELCHAIR

The Foldable Joystick Wheelchair has been designed & developed to provide comfort, mobility, and independence for individuals with limited mobility. It features Joystick Control, Powerful motors for comfortable rides with good ground clearance having Li-Ion phosphate battery.



Uses:

- Folding Joystick wheelchairs provide individuals with limited mobility the means to move around independently both in their homes and as well as their communities.
- Folding mechanism allows easy transportation making them ideal for travel by car, plane or public transportation.
- Allow the user with limited physical strength to move independently using minimal effort through joystick control
- Enable smooth navigation in limited indoor space like homes, office and Hospital
- User can control the speed and direction using single hand.



इ. जॉयस्टिक व्हीलचेयर दिव्याशा

जॉयस्टिक व्हीलचेयर को सीमित गतिशीलता वाले व्यक्तियों के लिए आराम, गतिशीलता और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन और विकसित किया गया है। इसमें साइडवेज इनग्रेड और एग्रेस के लिए रिमूवेबल आर्मरेस्ट और हाइट एडजस्टेबल फ्लिप-अप फुटरेस्ट और जॉयस्टिक की मदद से आसान नियंत्रण है।



इस्तेमाल :

- सीमित शारीरिक शक्ति के साथ उपयोगकर्ता जॉयस्टिक नियंत्रण के माध्यम से न्यूनतम प्रयास के साथ स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने के लिए अनुमति दें।
- घरों, कार्यालयों और अस्पतालों जैसे सीमित इनडोर स्थानों में सहज नेविगेशन सक्षम करें।
- उपयोगकर्ता एक हाथ का उपयोग करके गति और दिशा को नियंत्रित कर सकता है।

E. JOYSTICK WHEELCHAIR DIVYASHA

The Joystick Wheelchair has been designed & developed to provide comfort, mobility, and independence for individuals with limited mobility. It has Removable armrests for sideways ingress and egress & Height adjustable flip-up footrests and Easy control with the help of joystick.



Uses:

- Allow the user with limited physical strength to move independently using minimal effort through joystick control
- Enable smooth navigation in limited indoor space like homes, office and Hospital
- User can control the speed and direction using single hand.



13. सहायक उपकरणों की गुणवत्ता में सुधार

- यूरोपीय संघ के देशों और कुछ अन्य देशों के निर्यात बाजार का दोहन करने के लिए उत्पादों की सीई मार्किंग अनिवार्य आवश्यकता है, तदनुसार ALIMCO ने मेसर्स डीआईएमएस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से क्रमशः 22 जून 2024 और 31 जनवरी 2025 को कान के पीछे के श्रवण यंत्रों (हल्के और मजबूत दोनों श्रेणियों) और सुगम्य केन के लिए सीई मार्किंग प्रमाणन प्राप्त किया है।
- भारत सरकार ने अपने एमडीआर(MDR)-2017 नियमों के तहत अनिवार्य किया है कि देश में बेचे जाने वाले सभी चिकित्सा उपकरणों को विनियमित किया जाना चाहिए। तदनुसार, ALIMCO ने 22 मई, 2024 को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, भारत सरकार से एमडीआर 2017 के अनुसार चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए विनिर्माण लाइसेंस प्राप्त किया है। लाइसेंस जारी होने की तारीख से 5 साल के लिए वैध है।
- गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष, भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) (भारत सरकार का निकाय) की नियुक्ति – सहायक उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेशन ने द्वितीय स्तर/चरण गुणवत्ता जांच के लिए भारत सरकार की एजेंसी, भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) की नियुक्ति की है, ताकि निरंतर गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) कॉर्पोरेशन के तेजी से आगे बढ़ रहे 16 उत्पादों के लिए स्वतंत्र रूप से उत्पाद गुणवत्ता मूल्यांकन कर रही है साथ-साथ इसके लिए विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट भी उपलब्ध कराती है, जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 100% गुणवत्ता अनुपालन की सूचना दी गई है।
- एलिम्को (ALIMCO) ने तीन ISO प्रमाणन यानी ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 और ISO 13485:2016 लागू किए हैं।
 - आईएस/आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली लाइसेंस का पुनः प्रमाणीकरण बीआईएस लेखा परीक्षकों द्वारा 10 से 13 मार्च, 2025 को सफलतापूर्वक किया गया और अगले 03 वर्षों के लिए एलिम्को, कानपुर को ईएमएस प्रमाणपत्र प्रदान किया गया और यह 11/03/2028 तक वैध है।

13. IMPROVEMENT IN QUALITY OF AIDS & ASSISTIVE DEVICES

- In order to tap the exports market of European Union countries and few other countries CE marking of the products is mandatory requirement, accordingly ALIMCO has undertaken CE Marking Certification for Behind the Ear Hearing Aids (both mild & strong categories) and Sugamya Cane, from M/sDIMS Services Pvt. Limited on 22 June 2024 and 31 Jan 2025 respectively.
- Govt. of India vide its rules MDR - 2017 has mandated all the medical devices to be sold in the country should have to be regulated. Accordingly, ALIMCO has obtained the Manufacturing License for Manufacturing Medical Devices as per MDR - 2017 from Central Drugs Standards Control Organization, Government of India, on 22 May 2024. The license is valid for 5 years from the date of issue.
- Engagement of Quality Council of India (A Government of India body), third party for Quality Assessment-**In order to ascertain the Quality of Aids & Assistive devices, the Corporation has engaged Quality Council of India (QCI), a Government of India agency for 2nd tier/ stage quality checks to ensure consistent quality. Quality Council of India (QCI) is independently conducting product quality assessments in the Corporation for its 16 fast moving products and provides detailed assessment reports wherein 100% quality compliance has been reported during FY 2024-25.
- ALIMCO has implemented three ISO Certifications namely ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 13485:2016.
 - Re-Certification of IS/ISO 14001:2015 Environmental Management Systems License was successfully conducted by BIS auditors on 10 to 13 Mar 2025 and has awarded the EMS certificate to ALIMCO, Kanpur for next 03 years and is valid upto 11/03/2028.



b. यूआरएस लेखा परीक्षक द्वारा 02 से 04 दिसंबर 2024 को आईएसओ 13485:2016 का पुनः प्रमाणीकरण किया गया। ALIMCO को आईएसओ 13485:2016 प्रमाणपत्र दिया गया है, जो 13/12/2027 तक वैध है।

b. Re-Certification of ISO 13485:2016 was undertaken by URS auditor on 02 to 04 the December 2024. The Certificate ISO 13485:2016 has been awarded to ALIMCO, which is valid up to 13/12/2027.

14. मानव संसाधन विकास

कॉरपोरेशन बौद्धिक पूंजी की गुणवत्ता को उच्च प्राथमिकता देता है और यह मानता है कि इसके कर्मचारियों का ज्ञान और कौशल ही इसके कॉर्पोरेट मिशन की उपलब्धियों की कुंजी है। ALIMCO के पास अच्छी भर्ती नीति और व्यापक प्रशिक्षण प्रणाली है। पिछले एक वर्ष के दौरान, आपके कॉरपोरेशन ने मानव संसाधन विकास पर ज्यादा बल दिया है। हम एक कुशल वर्कफोर्स तैयार करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे लगातार बदलते कारोबारी माहौल से उत्पन्न खतरों का मुकाबला करने और लगातार बढ़ते ग्राहक आधार की सेवा के लिए प्रस्तुत रहने के अवसरों का लाभ उठाने की जन्मजात क्षमता में वृद्धि हो सके।

कॉरपोरेशन अलग तरह के प्रशिक्षण एवं विकास गतिविधियों का आयोजन कर रहा है, जिससे कर्मचारियों को बड़े संगठनात्मक उद्देश्य की ओर पुनः उन्मुख करने के अलावा, किसी भी कौशल अंतर और तकनीकी अप्रचलन को समाप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सके। प्रबंधन का प्रशिक्षण पर अपनाया गया नज़रिया कर्मचारियों के समग्र व्यक्तित्व के विकास और उन्हें एक महत्वपूर्ण उत्पादक संसाधन बनने में योग्य बनाने का है।

15. औद्योगिक सम्बन्ध

कॉरपोरेशन में औद्योगिक संबंधों का परिदृश्य शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहा है। कॉरपोरेशन सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करके सलाहकारी नजरिए के माध्यम से अपने प्रबंधन में भागीदारी संस्कृति को प्रोत्साहित करना जारी रखता है। कॉरपोरेशन ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार की औद्योगिक संबंध समस्या के कारण एक भी मानव घंटे का नुकसान नहीं उठाया है।

16. प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

प्रबंधन में काम करने वालों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कॉर्पोरेशन में दो शॉप स्तरीय समितियां और तीन प्लांट स्तरीय समितियां कार्यरत हैं, जिनमें काम करने वालों और प्रबंधन का समान प्रतिनिधित्व शामिल है।

14. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

The Corporation provides the highest priority to the quality of intellectual capital and believes that knowledge and skill of its employees are the key to achievements of its corporate mission. ALIMCO has sound recruitment policy and comprehensive training system. During the past one year, your corporation has laid greater emphasis on Human Resources Development. We have been devoting substantial resources on building a skilled workforce that has an innate capability to counter threats posed by ever changing business environment and to take advantages of opportunities presented to serve ever increasing customer base.

The Corporation has been conducting various training and development activities which, apart from reorienting the employees towards the greater organizational purpose, are also focusing on eliminating any skill gap and technical obsolescence. The managements' view on training is one of development of employee's overall personality and enabling them in becoming a vital productive resource.

15. INDUSTRIAL RELATIONS

The Industrial relations scenario in the Corporation has been peaceful, harmonious and cordial. The Corporation continues to encourage participative culture in its management through consultative approach by establishing harmonious relations. The Corporation has not lost single man hour during the year due to any sort of Industrial Relation problem.

16. WORKERS' PARTICIPATION IN MANAGEMENT

With a view to have active participation of workmen in management, two Shop Level Committees and three Plant Level Committees with equal representations of workers and management are functioning in the Corporation.



17. कर्मचारियों का कल्याण

इसके अलावा, कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल के लिए, आपके संगठन ने कल्याणकारी उपायों की एक श्रृंखला शुरू की है, जैसे कि ट्रेड यूनियन पदाधिकारियों के साथ प्रबंधन की बैठकें आयोजित करना साथ ही 05 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष की सेवा पूरी होने पर सेवा उपहार और सुरक्षात्मक वस्त्र/यूनिफॉर्म का वितरण करना।

सभी नियमित कर्मचारियों को दुर्घटना के कारण जीवन और स्थायी विकलांगता के खिलाफ 12.50 लाख रुपये की बीमा राशि के लिए बीमा किया गया है।

अस्पताल में भर्ती सुविधा तीसरे पक्ष की एजेंसी के माध्यम से एम्पनेल्ड अस्पताल में श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए उपलब्ध है।

18. नुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों सहित जनशक्ति

एससी, एसटी और ओबीसी की भर्ती में आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का इस संगठन में पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। 31 मार्च 2025 तक कर्मचारियों की कुल संख्या 336 है। इनमें से 128 कार्यकारी और 208 कर्मचारी हैं। 31.03.2025 तक 177 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी (कार्यकारी और श्रमिक दोनों) कार्यरत हैं।

19. अलग तरीके से सक्षम कर्मचारी

एलिम्को (ALIMCO) अलग तरीके से सक्षम व्यक्तियों के लिए एक आदर्श नियोक्ता है। 31 मार्च 2025 तक अलग तरीके से सक्षम नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या 16 है, जो इसकी कुल संख्या का 4.76% है।

20. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस

निगम के विकास में दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा दिए जा रहे योगदान के सम्मान में निगम ने 03 दिसंबर, 2024 को "दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस" मनाया। प्रबंधन ने निगम के लिए उनकी सेवाओं की सराहना करते हुए 16 विभिन्न रूप से सक्षम कर्मचारियों को उपहार प्रदान करके उनके प्रयासों की सराहना की।

17. WORKERS' WELFARE

Further, to look after employees' welfare, your Corporation has taken up series of welfare measures e.g. holding meetings of management with trade union office bearers, service gifts on completion of 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, 30 years and 35 years of service, and distribution of Protective Clothing/Uniform.

All the regular workers have been insured against life and permanent disability because of accident for a sum assured for Rs 12.50 Lakhs each.

Hospitalization facility is available to the workers and their dependents in the empanelled hospitals through third party agency.

18. MANPOWER INCLUDING SC/ST/ OBC EMPLOYEES

The directives given by the Government of India from time to time with regard to the reservation in recruitment of SC, ST and OBC are being fully observed in corporation. Total Numbers of employees as on 31st March 2025 are 336. Out of those, 128 are Executives and 208 are workers. There are 177 SC/ST/OBC employees (both Executive and Workers) on roll as on 31.03.2025.

19. DIFFERENTLY ABLE EMPLOYEES

ALIMCO is a model employer especially for the differently abled persons. Total numbers of differently abled regular employees as on 31st March 2025 are 16 which constitute 4.76 % of its total strength.

20. INTERNATIONAL DAY FOR PERSONS WITH DISABILITIES

The corporation celebrated "International Day for Persons with Disabilities" on 03 December, 2024 in recognition of contribution being made by the differently abled employees in the growth of the Corporation. Management appreciated their efforts by providing them gifts to all 16 differently abled employees in recognition of their services to the Corporation.



21. संचालित खेल गतिविधियाँ

कर्मचारियों के बीच स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए निगम ने अपने परिसर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और कैरम जैसे खेल आयोजित किए गए। कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकालकर इन गतिविधियों में भाग लिया। इस पहल ने न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई में योगदान दिया बल्कि कर्मचारियों के बीच टीम भावना को भी मजबूत किया।

कर्मचारियों की खेल गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी को देखते हुए निदेशक मंडल ने निगम परिसर में बोचिया कोर्ट की स्थापना को मंजूरी दी है। बोचिया की शुरुआत, जो विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन किया गया एक खेल है, लोक निर्माण विभाग कर्मचारियों को मनोरंजक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाएगा।

22. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव

निगम ने अपने कर्मचारियों के बीच शारीरिक और मानसिक कल्याण के महत्व को बढ़ावा देते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाया। परिसर के भीतर एक योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और एक साथ योग का अभ्यास किया। इस कार्यक्रम ने स्वस्थ जीवनशैली की आदतों को प्रोत्साहित करने, तनाव को कम करने और समग्र कल्याण को बढ़ाने के अवसर के रूप में कार्य किया।

23. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत कंपनी का दायित्व

संगठन अपने कर्मचारियों को सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। कंपनी के पास एक आंतरिक शिकायत समिति है जहाँ महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान, आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत महिलाओं के यौन उत्पीड़न के तीन मामले दर्ज किए गए थे, जिन्हें संबोधित किया गया है और 31.03.2025 तक कोई लंबित मामला नहीं है।

21. CONDUCTING SPORTS ACTIVITIES

In order to promote health and fitness among employees, the Corporation organized various sports activities within its premises. Games such as cricket, table tennis, badminton and carrom were conducted encouraging active participation of employees from different departments. Employees enthusiastically took time out from their busy schedules to participate in these activities. This initiative not only contributed to physical well-being of individuals but also strengthened team spirit among employees.

Considering the active participation of employees in the sports activities, the board of directors has approved the setting up of Boccia court within the corporation premises. The introduction of boccia which is a sport specifically designed for persons with disabilities, will enable the PwD employees to actively participate in the recreational activities.

22. CELEBRATION OF INTERNATIONAL DAY OF YOGA

The Corporation observed the International Day of Yoga with great enthusiasm, promoting the importance of physical and mental well-being among its employees. A yoga session was organized within the premises, where the employees from various departments actively participated and practiced yoga together. The event served as an opportunity to encourage healthy lifestyle habits, reduce stress and enhance overall wellness.

23. OBLIGATION OF COMPANY UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

The Corporation is committed to provide a safe and conducive work environment to its employees. The company has an Internal Complaint Committee where women employees can register their complaints against sexual harassment.

During the year under review, three cases were filed under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 before the Internal Complaints Committee which have been addressed and there is no pending case as on 31.03.2025.



24. आधिकारिक भाषा (हिंदी) कार्यान्वयन

राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अनुरूप तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा कार्यान्वयन विभाग के निर्देशों के अनुसार, एलिम्को कॉरपोरेशन में राजभाषा हिंदी को अक्षरशः लागू करने के लिए कटिबद्ध है। वार्षिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रत्येक वर्ष ईमानदारी से किया जाता है। त्रैमासिक हिंदी प्रगति रिपोर्ट समय पर संबंधित अधिकारियों को भेजी जाती है।

निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संगोष्ठियों के माध्यम से राजभाषा के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे CMD की अध्यक्षता में एलिम्को की एक पूर्णतया सक्रिय और क्रियाशील राजभाषा समिति गठित की गई है, जिसमें कॉरपोरेशन के सभी विभागाध्यक्ष (HODs) समिति के सदस्य के रूप में अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। समिति की नियमित बैठकें हर तिमाही में आयोजित की जाती हैं, जिसमें CMD की अध्यक्षता में संगठन के अंदर राजभाषा के प्रयोग की स्थिति की निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है।

विभिन्न पत्र, कार्यालय आदेश, परिपत्र, निविदाएं, विज्ञापन, वार्षिक रिपोर्ट आदि द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर नियमानुसार हिन्दी में ही दिया जाता है। सभी मैनुअल, प्रक्रियाएं, विनियम और नीतियां द्विभाषा में हैं। कॉरपोरेशन की योजनाओं के बारे में सभी मुद्रित सामग्री द्विभाषा में प्रकाशित की जाती है। सभी फॉर्मेट और स्टेशनरी द्विभाषा में प्रकाशित किए जाते हैं।

25. आरटीआई (RTI) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

ALIMCO अपने परिचालनों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में निगम ने अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

निगम ने आरटीआई आवेदनों और अपीलों से निपटने के लिए श्री अनुपम प्रकाश, उप महाप्रबंधक (विपणन-एनई और सेवा) को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), श्री विवेक द्विवेदी, महाप्रबंधक (विपणन-आरओसी, डिजाइन विकास और सूचना प्रौद्योगिकी) प्रभारी को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) और श्री अजय चौधरी, महाप्रबंधक (संचालन) (प्रभारी) और मुख्य सतर्कता अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है। अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्र प्रदान की जाती है।

24. OFFICIAL LANGUAGE (HINDI) IMPLEMENTATION

In consonance with the provisions of the Official Language Act 1963, and as per directions of Official Language Implementation Department of Ministry of Home Affairs, Govt. of India, ALIMCO is committed to implement the Rajbhasha Hindi in the Corporation in letter and spirit. Annual Program is implemented sincerely every year. The Quarterly Hindi Progress Reports are sent to concerned authorities on time.

All officers and employees of the Corporation are encouraged for the use of Official Language through various Training programs and seminars. A fully vibrant and functional ALIMCO official Language Committee has been constituted under the Chairmanship of our CMD, in which all the HODs of the Corporation represent their Department as a member of the Committee. The regular meetings of the Committee are held every Quarter, wherein the monitoring and assessment of position of use of Official language in the Corporation is done under the Chairmanship of CMD.

Various letters, office-orders, Circulars, Tenders, Advertisements, Annual Reports etc are issued bilingually. All the letters received in Hindi are strictly replied in Hindi as per rules. All the Manuals, Procedures, Regulations and Policies are in bilingual. All printed materials about the Schemes of the Corporation are published in bilingual. All the Format and Stationary are published in bilingual.

25. IMPLEMENTATION OF RTI ACT, 2005

ALIMCO has been committed to upholding transparency and accountability in its operations. In compliance with the provisions of the Right to Information Act, 2005, the corporation has taken active steps to facilitate the effective implementation of the Act.

The Corporation has designated Shri Anupam Prakash, Dy. General Manager (Marketing-NE & Service) as Central Public Information Officer (CPIO), Shri Vivek Dwivedi, General Manager (Marketing-ROC, Design Development & Information Technology) I/c as First Appellate Authority (FAA) and Shri Ajay Chaudhary, General Manager (Operations) (I/C) & Chief Vigilance Officer as Nodal officer to deal with RTI applications and appeals. Information sought under the Act is provided promptly within the stipulated time frame, as per the norms laid down under RTI Act, 2005.



वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निगम को 91 प्रश्न प्राप्त हुए जिनका निगम द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर पर्याप्त रूप से उत्तर दिया गया।

आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन में ALIMCO द्वारा की गई प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- सूचना के प्रसार के लिए आधिकारिक वेबसाइट का नियमित अद्यतन करना।
- आरटीआई प्रक्रियाओं और अनुपालन पर नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण और संवेदनशील बनाना।
- सरकार के निर्देशों के अनुसार आरटीआई रिकॉर्ड का रखरखाव।

26. सतर्कता गतिविधियाँ

ALIMCO अपने सभी कार्यों में अखंडता, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सतर्कता विभाग नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान सतर्कता विभाग ने निगम के भीतर निवारक सतर्कता ढांचे को मजबूत करने के लिए कई पहल की। प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:

- अप्रत्याशित जाँच और निरीक्षण: प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने और संभावित अनियमितताओं की पहचान करने के लिए विभिन्न विभागों और इकाइयों में आयोजित किया जाता है।
- प्रणाली में सुधार: विजिलेंस सेल द्वारा प्रणालीगत सुधार सुझाए गए हैं और कंपनी द्वारा कार्यान्वित किए गए।
- जागरूकता कार्यक्रम: कर्मचारियों के लिए नैतिक आचरण को बढ़ावा देने और सतर्कता से संबंधित मामलों पर उन्हें शिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024, 28 अक्टूबर 2024 से 5 नवंबर 2024 तक मनाया गया, जिसका विषय था "राष्ट्र की समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति", जिसमें भ्रष्टाचार की संभावना को खत्म करने और अपने सभी हितधारकों के बीच ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को बढ़ाने के लिए हर समय सतर्क रहने से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए निगम में शपथ ग्रहण समारोह, वाद-विवाद प्रतियोगिता जैसी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

During the financial year 2024-25, the Corporation received 91 queries which were adequately answered by the Corporation within the stipulated time period.

Key initiatives taken by ALIMCO in the implementation of the RTI Act include:

- Regular updating the official website to disseminate information.
- Training and sensitization of nodal officers on RTI procedures and compliance.
- Maintenance of RTI records in accordance with Government directives.

26. VIGILANCE ACTIVITIES

ALIMCO is committed to maintaining high standards of integrity, transparency, and accountability in all its operations. The Vigilance Department plays an active role in promoting ethical practices and preventing corruption.

During the year 2024-25, the Vigilance Department undertook several initiatives to strengthen the preventive vigilance framework within the Corporation. Key activities included:

- Surprise Checks and Inspections: Conducted at various departments and units to ensure adherence to processes and identify potential irregularities.
- System Improvements: Systemic Improvements suggested by Vigilance Cell and implemented by the company.
- Awareness Programs: Organized workshops for employees to promote ethical conduct and educate them on vigilance-related matters.

Vigilance Awareness Week 2024 was observed from 28th October 2024 to 5th November 2024, with the theme "Culture of Integrity for Nation's Prosperity" in which various activities such as pledge-taking ceremonies, debate competition were organized in the Corporation to spread awareness relating to be Vigilant at all the times to eliminate the possibility of corruption and to enhance integrity and honesty amongst its all the stakeholders.



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



उपरोक्त के अलावा, आयोग के निर्देशों के अनुसार 16 अगस्त, 2024 से 15 नवंबर, 2024 तक तीन महीने का अभियान भी चलाया गया। इस अभियान के दौरान, निगम द्वारा विभिन्न विषयों पर शिकायतों के निवारण, दिशानिर्देशों/परिपत्रों को अद्यतन करने, व्यवस्थित सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने जैसी कुछ निवारक सतर्कता गतिविधियां शुरू की गईं।

ALIMCO संगठन में भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और जवाबदेह कार्य संस्कृति बनाने के लिए समर्पित है।



27. आधुनिकीकरण

निगम ने अपनी परिचालन क्षमता का विस्तार करने और लाभार्थियों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें अतिरिक्त भंडारण स्थान और उत्पादन सुविधाओं का निर्माण, मौजूदा उत्पादन क्षमता का विस्तार और नवीनतम तकनीकों के साथ उन्नत संयंत्र और मशीनरी का अधिग्रहण, आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल हैं, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उपयोग और प्रक्रियाओं में सुधार के माध्यम से उत्पादकता में सुधार और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना है। इन प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थियों की भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जाए और निगम यथासंभव नए बाजारों में प्रवेश करे।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान शुरू की गई और पूरी की गई कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं— एएपीसी फरीदाबाद में एसएमटी लाइन, एएपीसी उज्जैन में एनोडाइजिंग प्लांट, एएपीसी जबलपुर में पाउडर कोटिंग प्लांट और मुख्यालय कानपुर में वेल्डिंग स्टेशन। जिन परियोजनाओं को शुरू किया गया है और जो अभी चल रही हैं उनमें टीकमगढ़ में यार्न आधारित विनिर्माण संयंत्र की स्थापना, कैमूर में लिम्ब फिटिंग सेंटर और गोदाम, उन्नाव में गोदाम का निर्माण, पीएमडीके की स्थापना शामिल हैं।

Apart from above, three months campaign from 16th August, 2024 to 15th November, 2024 was also conducted as directed by the Commission. During this campaign, certain preventive vigilance activities like disposal of complaints, updation of guidelines/circulars, identification of areas of systematic improvements were taken up by the Corporation on various subjects.

ALIMCO remains dedicated to creating a corruption-free, transparent, and accountable work culture across the organization.



27. MODERNIZATION

The corporation has undertaken several projects to expand its operational capacity, and enhance beneficiary outreach. These include the creation of additional storage space and production facilities, expansion of existing production capacity, and acquisition of advanced plant and machinery with latest technologies, IT Hardware & Software aimed at improving productivity and improving product quality through use of technology and betterment of processes. These efforts are geared toward ensuring that the future needs of beneficiaries are met and the corporation forays into newer markets to the maximum extent possible.

Some of the major projects which are undertaken and completed during FY 2024-25 are SMT line at AAPC Faridabad, Anodising plant at AAPC Ujjain, Powder Coating Plant at AAPC Jabalpur and Welding station at HQ Kanpur. Some of the projects which were undertaken and ongoing are Establishment of yarn based manufacturing plant at Tikamgarh, Limb fitting centre and warehouse at Kaimur, Construction of warehouse at Unnao, Establishment of PMDK's.



एएपीसी फरीदाबाद में एसएमटी लाइन

यह उन्नत लाइन सुगम्या कैन और बीटीई उपकरणों जैसे उत्पादों के लिए पीसीबी पर एसएमडी घटकों की कुशल असेंबली को सक्षम बनाती है। इसमें आधुनिक उपकरण जैसे कि पूर्ण स्वचालित स्क्रीन प्रिंटर, समायोज्य स्वचालित पत्रिका पीसीबी लोडर और अनलोडर, पिक एंड प्लेस मशीन, रिफ्लो ओवन, सोल्डर पेस्ट मिक्सर, निरीक्षण कन्वेयर और ईएसडी सुरक्षित बुनियादी ढांचा शामिल है।



SMT LINE AT AAPC FARIDABAD

This advanced line enables the efficient assembly of SMD components on PCBs for products like Sugamya Cane and BTE devices. It includes modern equipment's such as a fully automatic screen printer, Adjustable Automatic Magazine PCB loader & unloader, Pick and Place machine, Reflow oven, Solder paste mixer, Inspection conveyer and ESD safe infrastructure.



एएपीसी उज्जैन में एनोडाइजिंग प्लांट

यह संयंत्र एल्युमीनियम घटकों जैसे कि चलने में सहायक उपकरणों (जैसे, एक्सिला बैसाखी, चलने की छड़ें, ट्राइपॉड और टेट्रा पॉड्स) के सतह उपचार के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि सजावटी, टिकाऊ और संक्षारण प्रतिरोधी एनोडिक ऑक्साइड फिनिश प्राप्त की जा सके। संयंत्र में प्रक्रिया टैंक, रेक्टिफायर, फिल्टर शीतलन प्रणाली, जिग्स, परिवहन वैगन और धुआं निष्कर्षण प्रणाली शामिल हैं। एनोडाइजिंग प्लांट की स्थापना, कमीशनिंग और प्रशिक्षण पूरा हो गया है।



ANODISING PLANT AT AAPC UJJAIN

This plant is designed for surface treatment of aluminum components such as parts of walking aids (e.g., Axilla crutches, Walking sticks, Tripods, and Tetra pods), to achieve a decorative, durable, and corrosion-resistant anodic oxide finish. The plant comprises process tanks, rectifiers, filters cooling system, jigs, transport wagon, and fume extraction system. The installation, commissioning and training of Anodizing plant is completed.





एएपीसी जबलपुर में पाउडर कोटिंग प्लांट

यह संयंत्र उप-संयोजनों और घटकों के पाउडर कोटिंग के लिए अभिप्रेत है। इस संयंत्र में पाउडर कोटिंग बूथ, स्प्रे गन, ओवरहेड ऑटोमैटिक कन्वेयर, पाउडर केयरिंग ओवन, निकास नलिका प्रणाली और वीओसी निष्कर्षण के लिए चिमनी है। एएपीसी जबलपुर में पाउडर कोटिंग प्लांट की स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण पूरा हुआ



POWDER COATING PLANT AT AAPC JABALPUR

This plant is intended for the powder coating of subassemblies and components. The plant features a Powder coating booth, spray gun, overhead automatic conveyor, powder curing oven, exhaust ducting system and chimney for VOC extraction. The installation, commissioning and prove out of powder coating plant at AAPC Jabalpur is completed



मुख्यालय कानपुर में वेल्डिंग स्टेशन

विनिर्माण प्रणाली एमआईजी वेल्डिंग क्षमताओं से लैस है और इसे व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल और एमटीसी जैसे उत्पादों के लिए आवश्यक विभिन्न वेल्डिंग प्रक्रियाओं को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 32 मैनुअल वेल्डिंग स्टेशन हैं और विशेष वेल्डिंग फिक्स्चर का एकीकरण यह सुनिश्चित करता है कि वेल्डिंग के दौरान फ्रेम को सुरक्षित रूप से लॉक किया जाए, जिससे सटीक और विश्वसनीय असेंबली की अनुमति मिले।



WELDING STATION AT HQ KANPUR

The fabrication system is equipped with MIG welding capabilities and designed to handle a variety of welding processes required for products like Wheel chairs, Tricycles & MTC. There are 32 manual welding stations and integration of specialized welding fixtures, ensures that frames are securely locked in place during welding, allowing for accurate and reliable assembly.





पीएमडीके की स्थापना

पीएमडीके: भारत सरकार की योजनाओं के लाभ को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से, पीएमडीके को राष्ट्रीय संस्थानों, एम्स, मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों आदि के सहयोग से खोला जा रहा है और अच्छी उपस्थिति का अनुभव हो रहा है। पीएमडीके की स्थापना के साथ, निगम लाभार्थियों के घर के पास पहुंचने में सक्षम है और काफी हद तक मूल्यांकन और वितरण के बीच समय अंतराल को कम कर सकता है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एनआईआईपीवीडी देहरादून, सीआरसी पटना, रांची, एनआईएलडी कोलकाता, एम्स कल्याणी, पीडीयूएनआईपीडी दिल्ली आदि में लगभग 30 पीएमडीके के लिए नागरिक बुनियादी ढांचे के कामों में नवीनीकरण और अंग-फिटिंग उपकरणों की आपूर्ति की गई।

28. सहायक कंपनी / सहयोगी / कंपनी संयुक्त उद्यम

कॉरपोरेशन की कोई सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियां नहीं हैं, यही कारण है कि सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के प्रदर्शन और वित्तीय स्थिति से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

29. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

आधुनिकीकरण और व्यवसाय के सामान्य संचालन के कारण नियमित व्यवसाय को छोड़कर निगम की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत से इस रिपोर्ट की तिथि तक नहीं हुईं। इसके अलावा, कॉरपोरेशन के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ। वित्तीय वर्ष के दौरान विनियामक(ओं), न्यायालय(ओं) या न्यायाधिकरण(ओं) द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है।

30. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन किए गए ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण।

वित्तीय वर्ष के दौरान कॉरपोरेशन ने न तो कोई निवेश किया है, और न ही अन्य निकायों/कॉर्पोरेट को कोई ऋण और गारंटी दी है। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (g) के प्रावधानों के अनुसार कोई जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

ESTABLISHMENT OF PMDK'S

PMDK's: With an aim to outreach the benefit of scheme of Govt. of India, PMDKs are being opened in collaboration with National Institutes, AIIMS, Medical Colleges, Hospitals, etc and experiencing good footfall. With the establishment of PMDK's, the corporation is able to reach near the house of beneficiaries and reduce the time lag between assessment and distribution to a considerable extent. Renovation in the civil infrastructure works and the supply of Limb fitting equipments were done for approximate 30 PMDK's in NIEPVD Dehradun, CRC Patna, Ranchi, NILD Kolkata, AIIMS Kalyani, PDUNIPPD Delhi etc during FY 2024-25.

28. SUBSIDIARY COMPANY / ASSOCIATE / JOINT VENTURE

The Corporation has no Subsidiary, Associate and Joint Venture Companies therefore the requirement of furnishing information relating to performance and financial position of the Subsidiary, Associate and Joint Venture Companies is not applicable.

29. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS OCCURRING AFTER END OF THE FINANCIAL YEAR

No material changes and commitments except regular business as usual emanating on account of Modernization and normal conduct of business affecting the financial position of the Corporation occurred from the end of the financial year 2024-25 till the date of this Report. Further, there was no change in the nature of business of the Corporation. No significant or material order has been passed by the Regulator(s), Court(s) or Tribunal(s) during the financial year.

30. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

The Corporation has not made any investment, or given any Loans and Guarantees to other bodies/ corporate during the financial year. Therefore, no information is required to be furnished in terms of the provisions of Clause (g) of Sub-Section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013.



31. कर्मचारियों का विवरण

चूंकि कॉरपोरेशन के किसी भी कर्मचारी को कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के उप-नियम (2) में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक नहीं मिल रहा था। इसलिए अपेक्षित सूचना लागू न होने के कारण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

32. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

हमारे संगठन में ऊर्जा संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाता रहा है। विनिर्माण कार्यों को करते समय ऊर्जा लागत को अनुकूलतम बनाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(m) के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित ब्योरा कंपनी (अकाउंट्स) नियम, 2014 के साथ पढ़े गए हैं और वे अनुलग्नक-I के रूप में इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

33. डिपॉजिट

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कॉरपोरेशन ने न तो कोई सार्वजनिक डिपॉजिट स्वीकार किया है और न ही उसको रिन्सू किया है।

34. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

एलिम्को (ALIMCO) का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (IFC) सिस्टम, कंपनी की नीतियों का पालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम करने और उनका पता लगाने, अकाउंटिंग रिकार्ड की सटीकता और पूर्णता, तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसायों के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से लिखित और प्रमाणित नीतियों और प्रक्रियाओं पर आधारित है।

संगठन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अनुपालन के लिए विश्लेषित और ऑडिटेड की जाती है और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत रिपोर्ट तैयार की जाती है और इस रिपोर्ट में स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट संलग्न की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में सभी भौतिक मामलों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

31. PARTICULARS OF EMPLOYEES

As none of the employees of the Corporation was in receipt of remuneration in excess of the limits prescribed in sub-Rule (2) of Rule 5 of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014. Therefore, the requisite information being inapplicable is not required to be furnished.

32. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

Energy conservation continues to be an area of major emphasis in our Corporation. Efforts are made to optimize the energy cost while carrying out the manufacturing operations. The details relating to Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange earnings and outgo as per Section 134(3)(m) of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Accounts) Rules, 2014 are annexed hereto and form part of this Report as Annexure-I.

33. DEPOSITS

The Corporation has neither accepted nor renewed any public deposits during the year under review.

34. INTERNAL FINANCIAL CONTROLS

The Internal Financial Control (IFC) system of ALIMCO is founded on well documented policies and procedures for ensuring orderly and efficient conduct of its businesses, including adherence to Company's policies, safeguarding of assets, prevention & detection of frauds and errors, accuracy & completeness of the accounting records, and timely preparation of reliable financial information.

The Internal Financial Control of the company is analysed and audited for the compliances and accordingly the report under clause (i) of sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 is prepared and annexed to the Independent Auditor's Report. As per the report, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial control with reference to the Financial Statements.



35. डायरेक्टर्स के दायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अनुसार, कॉरपोरेशन डायरेक्टर 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के संबंध में बताते हैं कि:-

- वार्षिक अकाउंट्स की तैयारी में, लागू अकाउंटिंग मानकों का पालन किया गया था, साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया था;
- डायरेक्टरों ने ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी का चयन किया और उन्हें लगातार लागू किया तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष संतुलन सामने लाया जा सके;
- डायरेक्टर्स ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी के साथ अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त अकाउंटिंग रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी;
- निदेशकों ने वार्षिक खातों को चालू चिंता के आधार पर तैयार किया था; और
- डायरेक्टर्स ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।
- डायरेक्टर्स ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का पालन हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार कीं और उनके द्वारा तैयार की गई प्रणालियाँ अभी भी पर्याप्त हैं और प्रभावशाली तरीके से काम कर रही हैं।

36. वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार, MGT-9 में वार्षिक रिटर्न का एक अंश इसके साथ संलग्न है और अनुलग्नक-II के रूप में इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

35. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

In terms of Section 134 (5) of the Companies Act, 2013, the Directors of the Corporation state in respect of the year ended 31st March 2025, that:-

- In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- The Directorshad laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
- The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

36. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As required pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, an extract of annual return in MGT-9 are annexed hereto and form part of this Report as **Annexure-II.**



37. सीएसआर (CSR) व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अंतर्गत, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च करना अनिवार्य है। वर्ष के दौरान किए गए सीएसआर (CSR) व्यय का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

38. बोर्ड की बैठक

वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 6 बार बैठक हुई, जिसका ब्योरा कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में दिया गया है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। दो बोर्ड बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

39. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक ऑडिटर्स

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स (M/s) गुप्ता और शाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कानपुर को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेशन के सांविधिक ऑडिटर्स के रूप में नियुक्त किया गया था। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके मार्गदर्शन और बहुमूल्य सेवाओं, सहायता और सहयोग तथा वार्षिक खातों को समय पर पूरा करने के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। उनके ऑडिटर्स की रिपोर्ट के आधार पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत अपनी टिप्पणियाँ दी हैं, जो अनुलग्नक-IV में दी गई हैं।

40. कॉर्पोरेट प्रशासन

भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (ALIMCO) अपने कामकाज के सभी पहलुओं में कॉर्पोरेट शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। निगम मजबूत शासन प्रथाओं, प्रभावी आंतरिक नियंत्रणों और वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं के सख्त अनुपालन के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता सुनिश्चित करता है। सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, हमने प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (अनुलग्नक-V) और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट (अनुलग्नक-VI), साथ ही एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (अनुलग्नक-VII) द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है, जैसा कि लागू दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है।

37. CSR EXPENDITURE

Under Section 135 (5) of the Companies Act, 2013, the company is required to spend in every financial year at-least 2% of the average net profit of the company made during the three immediately preceding financial year. The Details of CSR expenditure made during the year is placed at **Annexure-III**.

38. MEETING OF THE BOARD

The Board of Directors met 06 times during the financial year the details of which are given in the Corporate Governance report that forms part of this Annual Report. The intervening gap between two board meetings was within the period prescribed under the Companies Act, 2013.

39. STATUTORY AUDITORS FOR THE FINANCIAL YEAR 2024-25

M/s Gupta and Shah, Chartered Accountants, Kanpur was appointed as Statutory Auditors of the Corporation for the Financial Year 2024-25 by Comptroller & Auditor General of India. Your Board of Directors acknowledges their guidance and valuable services, help and co-operation and for the timely completion of Annual Accounts. On the basis of their Auditor's Report, the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 has given its comments which is placed at **Annexure-IV**.

40. CORPORATE GOVERNANCE

Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) is committed to upholding the highest standards of corporate governance in all aspects of its functioning. The Corporation ensures transparency, accountability, and integrity through robust governance practices, effective internal controls, and strict compliance with statutory and regulatory requirements. As part of its commitment to good governance, we have attached the Management Discussion & Analysis Report (**Annexure-V**) and the Report on Corporate Governance (**Annexure-VI**), along with the Certificate on compliance of conditions of Corporate Governance issued by a Practicing Company Secretary (**Annexure-VII**), as required under the applicable guidelines.



41. आभार

मैं भारत सरकार, विशेष रूप से हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता प्रशासनिक मंत्रालय, दिव्यांगजनों के अधिकारिता विभाग के प्रति उनके दृढ़ समर्थन के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

मैं समय-समय पर उनके मार्गदर्शन के लिए हमारे निदेशक मंडल का भी आभारी हूँ, जिसके बिना हम इस तरह के शानदार प्रदर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते थे।

मैं हमारे ग्राहकों, सप्लायर्स, ऑडिटर्स, कानूनी सलाहकारों, परामर्शदाताओं, व्यावसायिक सहयोगियों और हमारे सभी हितधारकों को हमारी कंपनी की सफलता में उनके अमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह चिरस्थायी संगति आगे भी मजबूत होती रहेगी और आने वाले वर्षों तक एक अमूल्य संपत्ति बनी रहेगी।

आखिर में, मैं अपने कर्मचारियों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने संगठन के विजन को अपने व्यक्तिगत कष्टों से ऊपर रखा और संगठन की सेवा हेतु सदैव तत्पर रहे उनके इन उदार प्रयासों और समर्पण की भी मैं प्रशंसा करता हूँ। उनकी कृपा और शक्ति हमें गौरवान्वित करती है। हम पिछले वर्ष के अपने प्रदर्शन का श्रेय उन्हें और मंत्रालय को देते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0 / -
(प्रवीण कुमार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 26.09.2025

41. ACKNOWLEDGEMENTS

I sincerely express my profound gratitude to Government of India, especially our Administrative Ministry of Social Justice & Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities for their steadfast support.

I am also thankful to our Board of Directors for their guidance from time to time without which we could not be able to achieve such tremendous performance.

I would also like to thank our Customers, Suppliers, Auditors, Legal Advisors, Consultants, Business Associates and all our stakeholders for their invaluable contribution to our Company's success. I am sure that this ever-lasting association will continue to gain strength and remain an invaluable asset for years to come.

Last but not least I wish to place on record my deep sense of appreciation to our employees for their generous efforts and dedication in putting the vision of Corporation above and over their personal travails. Their grace and strength make us proud. We share credit for our performance over the past year with them and the Ministry.

For and on behalf of the Board of Directors

Sig./-
(Praveen Kumar)
Chairman & Managing Director

Date : 26.09.2025



अनुलग्नक-1

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय:

(A) ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव:

- 3 विभिन्न उपयोगिताओं को चरण आपूर्ति सभी चरणों में समान रूप से लोड को उचित रूप से अलग करके संतुलन बनाए रखती है।
- मशीन शॉप में सटीक वेंटिलेशन और टर्बो वेंटिलेटर प्रदान किया गया है, ताकि शॉप में लगाए गए विभिन्न मोटरों को कूल रखा जा सके और खपत कम हो।
- ऊर्जा कुशल प्रशंसक (50W) स्थापित किए गए और इसने उच्च शक्ति उपभोग करने वाले पुराने प्रशंसक को बदल दिया है।
- 11 स्थानों पर वर्षा जल संचयन को अपनाया गया, जैसे- प्रशासनिक भवन, उपकरण कक्ष, अनुसंधान एवं विकास भवन के अलावा, जो बदले में आस-पास के जल स्तर को बढ़ाता है और पंप/मोटर पर भार को कम करता है।
- नया IoT सक्षम एयर कंप्रेसर लगाया गया है।
- सभी पारदर्शी शीट को केंद्रीय भंडारण कार्य, पहिया असेंबली शेड में स्थापित किया गया है जिससे विद्युत प्रकाश व्यवस्था और बिजली की खपत का उपयोग कम हो गया है।
- सभी पुराने शीतलन टावरों की जगह नए पीवीसी सेलुलर भराव लगाए गए जो बदले में कम ऊर्जा की खपत के साथ पानी को ठंडा रखता है।
- ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत यानी डीजल/पेट्रोल के संरक्षण के लिए डीजल वाहन के स्थान पर ई.वी. (EV) वाहन का इस्तेमाल स्थानीय परिवहन के लिए किया जा रहा है।
- वीएफडी विकल्प के साथ सीएनसी मशीन में निर्मित आधुनिक नियंत्रक के माध्यम से विभिन्न सीएनसी मशीन टूल की कम बिजली की खपत।

ANNEXURE-1

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO :

(A) CONSERVATION OF ENERGY

The steps taken or impact on conservation of energy :

- 3 Phase supply to various utility keeps balance by proper segregating the load equally in all phases.
- Provided proper ventilation and turbo ventilator in Machine shop for cooling of various motor installed in shop, which in turn reduced the consumption.
- Energy efficient fans(50W)were installed and it has replaced the higher power consuming old fan.
- Rain water harvesting was adopted in 11location e.g. Beside admin building, tool room, R&D building, which in turn increases the water level in the vicinity and reduces the load over pump/motor.
- New IoT enabled Air compressor installed.
- Installed all transparent sheet over in central store work, wheel assembly sheds which has reduced the use of electrical lighting system and powerconsumption.
- Replaced all old cooling towers'fill with new PVC cellular fills which in turn keeps the water cool with less energy consumption.
- E.V. Vehicle is being utilized for local transportation in place of Diesel vehicle for conserving the alternate source of energy i.e. Diesel/Petrol.
- Reduced power consumption of various CNC machine tool through modern controller inbuilt in CNC machine with VFD option.



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



- | | |
|---|---|
| 10. सबस्टेशन (33 KV/433 V) और एलिम्को (ALIMCO) टाउनशिप में पावर फैक्टर (0.99 से ज्यादा) के नुकसान को कम करने के लिए उपयुक्त क्षमता वाले कैपेसिटर बैंक को पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट द्वारा बनाए रखा जाता है। | 10. Power factor (more than 0.99) at Substation (33KV/433V) and ALIMCO township is maintained by power factor improvement with suitable capacity capacitor bank to reduce losses. |
| 11. वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा संयंत्र (1250 किलोवाट) स्थापित किया गया है जो कुल बिजली का लगभग एक चौथाई आपूर्ति कर रहा है। | 11. As alternate energy source, solar power plant (1250 KW), has been installed which is supplying nearly one fourth of total power. |
| 12. एलिम्को (ALIMCO) के सभी डीजी सेट में यूपीपीसीबी (UPPCB) मानदंडों के अनुसार एल्युमिनियम क्लैडिंग के साथ चिमनी टावर हैं। | 12. All DG sets at ALIMCO have chimney towers with Aluminium Cladding as per UPPCB norms. |
| 13. निगम के कार्यालयों, मार्ग, सामान्य क्षेत्र और कार्य केंद्रों में फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट की जगह एलईडी ट्यूब लाइट/एलईडी सीलिंग लाइट/एलईडी बल्ब की जगह ली गई। | 13. At Corporation offices, passage, common area & work Centre Fluorescent tube light were replaced by LED tube light/LED Ceiling light/LED Bulb. |
| 14. साधारण (एचपीएमवी) स्ट्रीट लाइट की जगह एलईडी स्ट्रीट लाइट ली गई है। | 14. Ordinary (HPMV) street light is replaced by LED Street Light. |
| 15. पिछले एक वर्ष में निगम ने ऊर्जा की खपत बचाने के लिए 5 स्टार एसी लगाने शुरू किए हैं। | 15. In last one year, the Corporation has started installing 5 star ACs to save energy consumption. |
| 16. एलिम्को (ALIMCO) कानपुर कैटिन में ईंधन के रूप में एलपीजी (LPG) की जगह सीएनजी (CNG) का इस्तेमाल किया जा रहा है। | 16. The LPG has been replaced by CNG as fuel in ALIMCO Kanpur canteen. |
| 17. नया पाउडर कोटिंग प्लांट डीजल/इलेक्ट्रिकल हीटिंग के बजाय पीएनजी (PNG) का इस्तेमाल ईंधन के रूप में कर रहा है। | 17. The new powder coating plant is using PNG as fuel instead of Diesel /Electrical heating. |



(B) प्रौद्योगिकी अवशोषण

- निम्नलिखित प्रौद्योगिकी को अवशोषित किया गया है:
 - लाभार्थी के लिए तेजी से, अनुकूलित समाधान के लिए 3डी प्रिंटिंग मशीन (इंस्टालिंब) स्थापित की गई।
 - इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उत्पादन के लिए एएपीसी, फरीदाबाद में एसएमटी (सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी) की स्थापना और चालू करना
 - टूल रूम में ईडीएम मशीनों (वायर कट एंड स्पार्क कट) की स्थापना और कमीशनिंग, प्रक्रिया उपकरणों की सटीक मशीनिंग के लिए।
- उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ प्राप्त हुए: –
 - घुटने के ऊपर के प्रोस्थेसिस के लिए समाधान अनुकूलित करें,
 - प्रक्रिया उपकरणों की दक्षता में सुधार करना।
 - बीटीई का आंतरिक निर्माण।

(C) विदेशी मुद्रा कमाई और बाहर जाना

- निर्यात से संबंधित गतिविधियाँ: कंपनी ने अपने कुछ निर्यात आदेशों का निष्पादन किया है। विदेशी देशों को 4.30 लाख।
- कुल विदेशी मुद्रा का उपयोग और अर्जन: इस पहलू को वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है।

(B) TECHNOLOGY ABSORPTION

- Following technology has been absorbed:
 - Installed 3D Printing Machine(Instalimb) for faster, Customize solution for beneficiary.
 - Installation & commissioning of SMT (Surface Mount Technology) at AAPC, Faridabad, for Production of Electronic products
 - Installation & commissioning of EDM Machines (Wire cut & Spark erosion) at Tool Room, for Precision machining of Process Tools.
- Benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution: -
 - Customize solution for above knee prosthesis,
 - Improve efficiency of Process tools.
 - In-house Manufacturing of BTE.

(B) FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUT GO

- Activities relating to Export: The company has executed some of its sample export orders of Rs. 4.30 lakh to Foreign countries.
- Total Foreign Exchanged used and earned: This aspect has been dealt in Financial Statement.



फार्म संख्या – एमजीटी-9
वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष
31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन)
रूल-2014 के नियम 12(1) के अनुसार

1. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

a.	सी. आई. एन.	U85110UP1972NPL003646
b.	पंजीकरण तिथि	30.11.1972
c.	कम्पनी का नाम	आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
d.	कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	शेयरों द्वारा सीमित कंपनी / कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25)
e.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	जी.टी. रोड, नारामऊ, कानपुर-209217, उ.प्र. फोन: 0512- 2770172, 0512- 2770173, 0512- 2770174, टॉल फ्री नं० : 1800-180-5129 वेबसाइट : www.alimco.in ईमेल : alimco@alimco.in
f.	क्या कम्पनी सूचीबद्ध है	असूचीबद्ध
g.	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण	लागू नहीं

2. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां :

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ बताई गई हैं।

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद का नाम और विवरण	एनआईसी (NIC) कोड	कम्पनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1	ट्राइसाइकिल	लागू नहीं	40.50
2	व्हील चेयर	लागू नहीं	20.46
3	श्रवण यन्त्र	लागू नहीं	10.57

3. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम और पता	CIN/GLN	होल्डिंग, सहायक और सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुभाग
शून्य					



4. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्योरा)
अ. श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में शेयरों की संख्या				वर्ष के अन्त में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमेंट	भौतिक	योग	कुल अंशों का प्रतिशत	डिमेंट	भौतिक	योग	कुल अंशों का प्रतिशत	
(A) प्रमोटर्स									
1. भारतीय									
a) व्यक्तिगत / एच यू एफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) केन्द्र सरकार	0	540997	540997	100%	0	540997	540997	100%	0
c) राज्य सरकार (सरकारें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) कार्पोरेट निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) बैंक / एफआई (FI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पूर्ण योग A(1)		540997	540997	100%		540997	540997	100%	
2. विदेशी									
a) एनआर आई (NRI) व्यक्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) अन्य व्यक्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) कार्पोरेट निकाय संस्थाएं	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) बैंक / एफआई (FI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पूर्ण योग A(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रमोटर्स की कुल शेयरधारिता A=A(1)+A(2)		540997	540997	100%		540997	540997	100%	
(B) सार्वजनिक शेयरधारित									
1. संस्था (संस्थाएं)									
a) म्यूचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) बैंक / एफआई (FI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) केन्द्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) राज्य सरकार (सरकारें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) वेंचर कैपिटल फंड्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) बीमा कंपनियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) एफआईआई (FII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) अन्य (निर्दिष्ट करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पूर्ण योग B(1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



2. गैर संस्थागत									
a) कार्पोरेट निकाय (संस्थाएं)									
- भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) व्यक्तिगत									
- 1 लाख रुपये तक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 1 लाख रुपये से अधिक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) अन्य (निर्दिष्ट करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पूर्ण योग B(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता B=B(1)+B(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(C) जीडीआरएस (GDRs) और एडीआरएस (ADRs) के लिए कस्टोडियन द्वारा रखे हुए शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग (A+B+C)	0	540997	540997	100%	0	540997	540997	100%	0

II. प्रमोटर्स की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारित			वर्ष के अंत में शेयरधारित			वर्ष के दौरान % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी रखे गए/ बांधक शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी रखे गए/ बांधक शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में
1.	भारत के राष्ट्रपति	540997	100%	Nil	540997	100%	Nil	Nil

III. प्रमोटर्स की शेयरधारिता में बदलाव (कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई बदलाव नहीं है) :

क्र. सं.		वर्ष की शुरुआत में शेयरधारित		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारित	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के शेयरों का %
1.	वर्ष की शुरुआत में	540997	100%	540997	100%
2.	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की शेयरधारिता में तारीख के अनुसार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	----	----	----	----
3.	वर्ष के अंत में	540997	100%	540997	100%



IV. शीर्ष दस शेयरधारकों (डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स और जीडीआर (GDRs) तथा एडीआर (ADRs) धारकों के अलावा) का शेयरधारिता पैटर्न :

क्र. सं.	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारित		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारित	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष की शुरुआत में	----	-----	----	-----
2.	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख के अनुसार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	----	-----	----	-----
3.	वर्ष के अंत में	----	-----	----	-----

V. डायरेक्टर्स और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता :

क्र. सं.	प्रत्येक डायरेक्टर और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारित		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारित	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष की शुरुआत में श्री राजेश यादव श्री संजय पांडे	01 01		01 01	
2.	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख के अनुसार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	----		----	
3.	वर्ष के अंत में सुश्री देबोलिना ठाकुर सुश्री मनमीत कौर नंदा	01 01		01 01	



5. कंपनी की ऋणग्रस्तता जिसमें बकाया/उपार्जित ब्याज शामिल है, लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं है।

	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋण भार
वित्तीय वर्ष के शुरुआत में ऋणग्रस्तता				
(i) मूलधन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया				
(iii) ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं				
कुल (i)+(ii)+(iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव				
• अतिरिक्त	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
• कमी				
शुद्ध परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव				
(i) मूलधन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii) ब्याज देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया				
(iii) ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं				

6. डायरेक्टर्स और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

1. मैनेजिंग डायरेक्टर, पूर्णकालिक डायरेक्टर्स और/या मैनेजर को पारिश्रमिक:

(रु लाख में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	सीएमडी / डब्ल्यूटीडी / मैनेजर का नाम श्री प्रवीण कुमार	कुल राशि
1	सकल वेतन		
	a. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	45.26	45.26
	b. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य	शून्य	शून्य
	c. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	शून्य	शून्य
2	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य
3	स्वेट इक्विटी	शून्य	शून्य
4	कमीशन — लाभ प्रतिशत के रूप में — अन्य (निर्दिष्ट करें)	शून्य शून्य	शून्य शून्य
5	अन्य कृपया निर्दिष्ट करें (PRP)	शून्य	शून्य
	कुल (i)	45.26	45.26
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	NA	NA



II. अन्य डायरेक्टर्स का पारिश्रमिक:

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम			कुल राशि
1.	स्वतंत्र डायरेक्टर्स <ul style="list-style-type: none">मंडल/समिति में भाग लेने के लिये शुल्ककमीशनअन्य कृपया निर्दिष्ट करें				
	कुल (1)				
2.	अन्य गैर कार्यकारी निदेशक <ul style="list-style-type: none">मंडल/समिति में भाग लेने के लिये शुल्ककमीशनअन्य कृपया निर्दिष्ट करें				
	कुल (2)				
	कुल (1 + 2)				
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक				
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा				

III. मैनेजिंग डायरेक्टर, पूर्णकालिक डायरेक्टर्स और/या मैनेजर के अतिरिक्त प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी			
		सीईओ	सीएफओ	सीएस	कुल
1	सकल वेतन <ul style="list-style-type: none">a) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतनb) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्यc) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ		40.86	21.91	62.77
2	स्टॉक विकल्प				
3	स्वेट इकिव्टी				
4	कमीशन <ul style="list-style-type: none">लाभ के प्रतिशत के रूप मेंअन्य (निर्दिष्ट करें)				
5	अन्य, कृपया निर्दिष्टक करे (PRP)				
6	कुल (i)		40.86	21.91	62.77



7. दंड/सजा/अपराधों का शमन :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाये गये दंड/ सजा/शमन शुल्क का कोर्ट विवरण	प्राधिकरण (आरडी/एनसीटी/ कोर्ट)	की गई अपील यदि कोई हो (विवरण दें)
अ. कम्पनी					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संयोजित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ब. डायरेक्टर्स					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संयोजित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य अधिकारी चूक					
जुर्माना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
संयोजित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



ANNEXURE-II

FORM NO. MGT 9
EXTRACT OF ANNUAL RETURN
As on financial year ended on 31.03.2023

Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company (Management & Administration) Rules, 2014.

1. REGISTRATION & OTHER DETAILS:

a.	CIN	U85110UP1972NPL003646
b.	Registration Date	30.11.1972
c.	Name of the Company	Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India
d.	Category/ Sub-Category of the company	Company Limited by Shares/ Licensed under section 8 of the Companies Act 2013 (Section 25 of the Companies Act 1956)
e.	Address of the Registered office and contact details	G.T. Road, Naramau, Kanpur-209217, U.P. Phone-0512-2770172, 0512-2770173, 0512-2770174, Toll Free No.:1800-180-5129 Website: www.alimco.in Email:alimco@alimco.in
f.	Whether the company is listed	Unlisted
g.	Name, Address & contact details of Registrar & Transfer Agent	Not Applicable

2. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY
(All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated)

S. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code	% to total turnover of the company
1	Tricycle	N.A.	40.50
2	Wheel Chair	N.A.	20.46
	Hearing Aid	N.A.	10.57

3. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

S. No.	Name and Address of the Company	CIN/GLN	holding, subsidiary and associate	% of share held	Applicable section
NIL					



4. SHAREHOLDING PATTERN
(Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)
I. CATEGORY-WISE SHARE HOLDING

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. PROMOTERS									
(1) Indian									
a) Individual / HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Central Government	0	540997	540997	100%	0	540997	540997	100%	0
c) State Government(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Bodies Corporate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Banks / FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Any other	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total A (1)		540997	540997	100%		540997	540997	100%	
2. Foreign									
a) NRIs-Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Other-Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Body Corporate (s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Any other	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total A (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Shareholding of promoters A=A(1)+A(2)		540997	540997	100%		540997	540997	100%	
B. PUBLIC SHAREHOLDING	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Institutions (s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Mutual Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Banks / FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Central Government	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) State Government (s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Insurance Companies	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) FIIs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h) Foreign Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) Others (specify)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-total (B) (1):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0



2. Non Institutional									
a) Body Corporate(s)									
-Indian	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Overseas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Others (specify)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-total (B) (2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+ (B)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grand Total (A+B+C)	0	540997	540997	100%	0	540997	540997	100%	0

II. SHAREHOLDING OF PROMOTERS :-

S. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in shareholding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	
1.	President of India	540997	100%	Nil	540997	100%	Nil	Nil

III. CHANGE IN PROMOTERS' SHAREHOLDING (Please specify, if there is no change) :

S. No.		Shareholding at the beginning of the years		Cumulative Shareholding at the end of the years	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No. of Shares	% of total shares of the company
1.	At the beginning of the year	540997	100%	540997	100%
2.	Date wise Increase / Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):	----	----	----	----
3.	At the end of the years	540997	100%	540997	100%



IV. SHAREHOLDING PATTERN OF TOP TEN SHAREHOLDERS :
(Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

S. No.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the years		Cumulative Shareholding at the end of the years	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No. of Shares	% of total shares of the company
1.	At the beginning of the years	NIL			
2.	Date wise Increase / Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
3.	At the end of the years				

V. SHAREHOLDING OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONAL :

S. No.	For each of the Director and Key Managerial Personnel	Shareholding at the beginning of the years		Cumulative Shareholding at the end of the years	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No. of Shares	% of total shares of the company
1.	At the beginning of the years Shri Rajesh Yadav Shri Sanjay Pandey	01 01		01 01	
2.	Date wise Increase / Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
3.	At the end of the years Ms. Debolina Thakur Ms. Manmeet Kaur Nanda	01 01		01 01	



5. INDEBTEDNESS -

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment.

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtendness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	Nil	Nil	Nil	Nil
ii) Interest due but not paid				
iii) Interest accrued but not due				
Total (i+ii+iii)				
Change in Indebtedness during the financial year				
* Addition*	Nil	Nil	Nil	Nil
* Reduction				
Net Change				
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	Nil	Nil	Nil	Nil
ii) Interest due but not paid				
iii) Interest accrued but not due				

6. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL-

(i) Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors, and / or Manager :

Rs. in Lakhs

S. No.	Particulars of Remuneration	Name of CMD / WTD / Manager Shri Praveen Kumar	Total Amount
1	Gross Salary		
	a. Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	45.26	45.26
	b. Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961	Nil	Nil
	c. Profit in Lieu of salary u/s 17(3) of the Income Tax Act, 1961	Nil	Nil
2	Stock Option	Nil	Nil
3	Sweat Equity	Nil	Nil
4	Commission		
	- As % of profit	Nil	Nil
	- Other (specify)	Nil	Nil
5	Other, Please specify	Nil	Nil
	Total (i)	45.26	45.26
	Ceiling as per Act	NA	NA



(ii) Remuneration to others Directors

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of Director			Total Amount
1	Independent Directors <ul style="list-style-type: none">• Fee for attending Board/ Committee• Commission• Others, please specify				
	Total				
2	Other Non-Executive Directors <ul style="list-style-type: none">• Fee for attending Board/ Committee• Commission• Others, please specify				
	Total (2)				
	Total (1+2)				
	Total Managerial Remuneration				
	Ceilling as per Act				

(iii) Remuneration to Key Managerial Personnel other than Managing Director, Whole Time Directors And/ Or Manager

Sr. No.	Particulars of remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	CFO	CS	Total
1	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961		40.86	21.91	62.77
2	Stock Option				
3	Sweat Equity				
4	Commission - as % of profit - others, specify				
5	Others, please specify				
	Total (i)		40.86	21.91	62.77



7. Penalties / Punishment/ Compounding of Offences:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD/NCT/COURT]	Appeal made if any (give details)
A. Company					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
B. Directors					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Other Officer in default					
Penalty	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Punishment	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Compounding	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL



सी एस आर गतिविधियों पर रिपोर्ट

{कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (O) तथा कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम 2014 के नियम 9 के अनुसार}

1. कॉरपोरेशन की सीएसआर पॉलिसी की संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन तथा सीएसआर पॉलिसी और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक का संदर्भ शामिल है।

30.03.2016 को आयोजित अपनी 160वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड ने कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को स्वीकृति दे दी। यह नीति कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम-2014 तथा दिनांक 21.10.2014 के डीपीई दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है।

कॉरपोरेशन द्वारा अपनाए गए सीएसआर कार्यक्रम या परियोजनाएं नीति के अनुरूप हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची टप् में सूचीबद्ध एक या अधिक गतिविधियों से संबंधित हैं। कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. बोर्ड स्तरीय सीएसआर (CSR) समिति की संरचना

31.03.2025 तक, सीएसआर समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं: —

सुश्री मनमीत कौर नंदा	सरकार द्वारा नामित डायरेक्टर	अध्यक्ष
सुश्री देबोलिना ठाकुर	सरकार द्वारा नामित डायरेक्टर	सदस्य
श्री प्रवीण कुमार	अध्यक्ष एवं डायरेक्टर	सदस्य

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ:

वर्ष	शुद्ध लाभ (लाख रुपये में)
2021-22	6414.51
2022-23	7292.53
2023-24	7172.65
कुल लाभ	20879.69

औसत शुद्ध लाभ: रु. 6959.90 लाख

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (ऊपर मद 3 में दर्शाई गई राशि का दो प्रतिशत): रु. 139.20 लाख

5. 2024-25 के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण

(अ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि: रु. 139.20 लाख

(ब) खर्च की गई राशि: रु. 139.20 लाख

(स) ऐसी राशि जो खर्च न की गई हो, यदि कोई हो: — शून्य

(द) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का तरीका नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है: —



(द) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है:— (लाख रु में)

क्र. स.	पहचानी गई सीएसआर (CSR) परियोजना	वह सेक्टर जिसमें प्रोजेक्ट शामिल है— अनुसूची—VII	परियोजना या कार्यक्रम: 1. स्थानीय क्षेत्र 2. राज्य और जिला निर्दिष्ट करें	राशि परिव्यय (बजट)	राशि खर्च की गई		संचयी व्यय	प्रत्यक्ष या एजेंसी माध्यम से
					प्रत्यक्ष	ओवर हेड		
1.	दिव्यांजन का अधिकारिता	खण्ड (i)	दिल्ली	0.74	0.74		0.74	डीईपीडब्ल्यूडी की सलाह के अनुसार
2.	स्वास्थ्य को बढ़ावा देना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	खण्ड (i)	नूह, हरियाणा	12.01	12.01		12.01	एजेंसी के माध्यम से—बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान
3.	कौशल विकास	खण्ड (ii)	बस्तर, छत्तीसगढ़	14.01	14.01		14.01	एजेंसी के माध्यम से—बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान
4.	दिव्यांजन का अधिकारिता	खण्ड (i)	कानपुर यू.पी	5.00	5.00		5.00	एजेंसी—प्रेमांजली फाउंडेशन के माध्यम से
5.	नशा मुक्ति अभियान के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देना	खण्ड (i)	टिकमगढ़, छतरपुर और सागर	15.39	15.39		15.39	ALIMCO
6.	वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर सेंटर	खण्ड (iii)	दिल्ली	5.15	5.15		5.15	ALIMCO
7.	दिव्यांजन का अधिकारिता	खण्ड (i)	दिल्ली	1.95	1.95		1.95	डीईपीडब्ल्यूडी की सलाह के अनुसार
8.	स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चिकित्सा शिविर	खण्ड (i)	टिकमगढ़	0.11	0.11		0.11	ALIMCO
9.	दिव्यांजन का अधिकारिता	खण्ड (i)	दिल्ली	0.78	0.78		0.78	डीईपीडब्ल्यूडी की सलाह के अनुसार
10.	खेल का आयोजन	खण्ड (vii)	टिकमगढ़	0.02	0.02		0.02	ALIMCO
				55.16	55.16		55.16	
	चालू परियोजनाओं के रूप में अप्रयुक्त सीएसआर(CSR) अकाउंट में हस्तांतरित राशि			84.04	84.04		84.04	
	कुल			139.20	139.20		139.20	

6. अगर कॉरपोरेशन पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत या उसका कोई भाग खर्च करने में विफल रहा है, तो कॉरपोरेशन अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च न करने के कारण उपलब्ध कराएगा: — लागू नहीं।

7. उत्तरदायित्व कथन:

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, निगम के सीएसआर (CSR) उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।



ANNEXURE-III

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES

{Pursuant to section 134(3) (o) of the Companies Act 2013 and Rule 9 of the Companies (Corporate Social Responsibility) Rule 2014}

1. Brief outline of the Corporation's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programs.

The Board in its 160th Board Meeting held on 30.03.2016 approved the Corporate Social Responsibility Policy of the company. This policy was formulated in accordance with the provisions of Section 135 of the Companies Act 2013, Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules-2014 and DPE Guidelines dated 21.10.2014.

CSR programs or projects taken by the Corporation are in accordance with the Policy and are related to one or more activities listed in Schedule VII of the Companies Act, 2013. The Corporate Social Responsibility Policy of the company is available on the website of the Corporation.

2. Composition of the Board level CSR Committee

As on 31.03.2025, the CSR Committee comprises of the following members: -

Ms. Manmeet Kaur Nanda	Government Nominee Director	Chairperson
Ms. Debolina Thakur	Government Nominee Director	Member
Shri Praveen Kumar	Chairman & Director	Member

3. Average net profit of the Corporation for last three financial years :-

Year	Net Profit (Rs. in Lakh)
2021-22	6414.51
2022-23	7292.53
2023-24	7172.65
Total profit	20879.69

Average Net Profit: Rs. 6959.90lakh

4. Prescribed CSR Expenditure (Two percent of the amount shown in item 3 above): Rs. 139.20lakh

5. Details of CSR Expenditure during 2024-25

- a. Total Amount to be spent for the financial year: Rs. 139.20 lakh
- b. Amount spent: Rs. 139.20lakh
- c. Amount unspent, if any: - Nil



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



(d) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below: -

(Amount in Lakhs)

S. No.	CSR Project Identified	Sector in which the project is covered -Schedule-VII	Project or Programs: - 1. Local Area 2. Specify the State and district	Amount Outlay (Budget)	Amount Spent		Cumulative Expenditure	Direct or through agency
					Direct	Overhead		
1.	Empowerment of Divyanjan	Clause (i)	Delhi	0.74	0.74		0.74	ALIMCO-As per advice of DEPwD
2.	Promoting health Community Health Centre	Clause (i)	Nuh Haryana	12.01	12.01		12.01	Through agency- Bismouli Sarvodaya Gramodyog Sewa Sansthan
3.	Skill Development	Clause (ii)	Bastar, Chhatisgarh	14.01	14.01		14.01	Through agency- Bismouli Sarvodaya Gramodyog Sewa Sansthan
4.	Empowerment of Divyangjan	Clause (i)	Kanpur U.P.	5.00	5.00		5.00	Through Agency- Premanjali Foundation
5.	Promoting health through Nasha Mukta campaign	Clause (i)	Tikamgarh, Chhatarpur & Sagar	15.39	15.39		15.39	ALIMCO
6.	Day care center for Senior Citizen	Clause (iii)	Delhi	5.15	5.15		5.15	ALIMCO
7.	Empowerment of Divyanjan	Clause (i)	Delhi	1.95	1.95		1.95	ALIMCO-As per advice of DEPwD
8.	Promoting health- Medical Camp	Clause (i)	Tikamgarh	0.11	0.11		0.11	ALIMCO
9.	Empowerment of Divyanjan	Clause (i)	Delhi	0.78	0.78		0.78	ALIMCO-As per advice of DEPwD
10.	Conducting Sports Event	Clause (vii)	Tikamgarh	0.02	0.02		0.02	ALIMCO
				55.16	55.16		55.16	
	Amount transferred to Unspent CSR Account as Ongoing project			84.04	84.04		84.04	
	Total			139.20	139.20		139.20	

6. In case the Corporation has failed to spend the two percent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the Corporation shall provide the reasons for not spending the amount in its Board report: - Not applicable.

7. Responsibility Statement:

The implementation and monitoring of Corporate Social Responsibility Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the Corporation.



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



अनुलग्नक-4

सीब्ल्यू (CW) / 1-15/ALIMCO (एलिम्को) /2025-26/889

दिनांक : 23.09.2025

सेवा में
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
जी.टी. रोड, नारामऊ, कानपुर-209217

विषय: वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर के वित्तीय खातों पर शून्य टिप्पणियों का प्रमाण पत्र।

महोदय,

इस पत्र के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर के 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर शून्य टिप्पणियों का प्रमाण पत्र भेजी जा रही है। आपसे प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट की 5 प्रतियां भेजने का अनुरोध किया जाता है।

भवदीय

आपसे अनुरोध है कि कृपया इस पत्र की पावति भेजने की कृपा करें।

उपर्युक्तानुसार संलग्नक

(एकता सिंह)
उपनिदेशक (वा.ले.प.)

ANNEXURE-IV

CW/1-15/ALIMCO/2025-26/889

Date : 29.05.2025

To,
The Chairman and Managing Director,
Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India
G.T.Road, Naramau, Kanpur-209217

Sub: Certificate of Nil comments for financial year 2024-25 on the accounts of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India.

Sir,

Nil comment Certificate is being sent with this letter on the accounts of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India for the financial year 2024-25 under section 143(6)(b) of Companies Act 2013 from Comptroller and Auditors General of India. You are requested to send the 5 printed copies of Annual Report.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Encl. As above'

(Ekta Singh)
Dy. Director



**भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की धारा 143 (6) के तहत टिप्पणियाँ (b)
कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम भारत लिमिटेड, कानपुर के खातों पर कंपनी अधिनियम के
31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए**

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक ऑडिटर अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित ऑडिटिंग के मानकों के अनुसार स्वतंत्र ऑडिट के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा 23.07.2025 की दिनांकित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरण का सप्लीमेन्ट्री ऑडिट किया है। यह सप्लीमेन्ट्री ऑडिट सांविधिक ऑडिटर के कार्यपत्रों तक हमारी पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक ऑडिटर्स और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ अकाउंटिंग रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरे सप्लीमेन्ट्री ऑडिट के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(b) के तहत सांविधिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी या सप्लीमेंट्री को उठाए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से
भवदीय

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2025

(सौरव कुमार जयपुरियार)
डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट
(केंद्रीय व्यय), नई दिल्ली

**COMMENTS OF THE CONTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b)
OF THE COMPANIES ACT ON THE ACCOUNTS OF ARTIFICIAL LIMBS MAUFACTURING
CORPORATION OF INDIA LIMITED, KANPUR FOR THE YEAR ENDING 31st MARCH 2025**

The preparation of financial statements of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act 2013, is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit report dated 23.07.2025

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India Limited, Kanpur for the year ended 31st March 2025 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report under section 143 (6) (b) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller and Auditor General of India,

(Saurav Kumar Jaipuriyar)
Director General of Audit
(Central Expenditure), New Delhi

Place : New Delhi
Date : 23.09.2025



अनुलग्नक-5

ANNEXURE-V

प्रबन्धन विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

1. कॉरपोरेशन और उद्योग के बारे में

आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एलिम्को) एक अनुसूची 'सी' मिनीरत्न श्रेणी में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (लाभ के उद्देश्य के बिना) के अंतर्गत पंजीकृत है (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुरूप) और जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य कर रहा है। यह 100% भारत सरकार द्वारा संचालित एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसके लक्ष्य में दिव्यांग व्यक्तियों (छूटे) और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुनर्वास सहायता उपकरणों का निर्माण करके देश के जरूरतमंद दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कृत्रिम अंगों और अन्य पुनर्वास सहायता उपकरणों की उपलब्धता, उपयोग, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा देने के साथ उन्हें प्रोत्साहित करना और विकसित करने के माध्यम से अधिकतम संभव सीमा तक लाभान्वित कराना शामिल है।

2. एलिम्को (ALIMCO) की वृद्धि—एक सिंहावलोकन

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कॉरपोरेशन ने 634.71 करोड़ रुपये के मुकाबले 744.20 करोड़ रुपये का सकल कारोबार हासिल किया है और वर्ष 2023-24 में 70.90 करोड़ रुपये के मुकाबले 107.16 करोड़ रुपये का अधिशेष अर्जित किया है।

एलिम्को (ALIMCO) को कंपनी अधिनियम, 2013 (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अनुरूप) की धारा 8 (लाभ के उद्देश्य के बिना) के अंतर्गत पंजीकृत संगठन होने के नाते अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी लाभांश का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। कॉरपोरेशन के उद्देश्यों के इस्तेमाल और आगे बढ़ाने के लिए 107.16 करोड़ रुपये की आय व्यय से अधिक है, जिसे रिजर्व और अधिशेष खाते में आगे बढ़ाया गया है।

3. मजबूती और कमजोरियाँ

A. मजबूती

- सरकार ने विभिन्न दिव्यांगताकेंद्रित कल्याण योजनाओं को शुरू और लागू किया है। एडीआईपी (ADIP) (दिव्यांगजन सहायता) सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण खरीदना तथा लगाना है और 1981 से एडीआईपी योजना की सबसे बड़ी कार्यान्वयन एजेंसी एलिम्को (ALIMCO) है। ALIMCO ADIP योजना की एक केंद्रीय नोडल एजेंसी (CNA) भी है।

1. About the Corporation and the Industry

Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) a Schedule 'C' Miniratna Category II Central Public Sector Enterprises, registered under Section 8 (Not for Profit Motive) of the Companies Act, 2013 (corresponding to Section 25 of the Companies Act, 1956) is functioning under the administrative Control of Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India. It is a 100% Government of India Central Public Sector Enterprise with an objective of benefiting the Persons with Disabilities (PwDs) and Senior Citizens to the maximum extent possible by manufacturing Rehabilitation Aids for persons with disabilities and by promoting, encouraging and developing the availability, use, supply and distribution of Artificial Limbs and other Rehabilitation aids to the needy PwDs & Senior Citizens of the country.

2. Growth of ALIMCO - an overview

During the Financial year 2024-25, the Corporation has achieved a Gross turnover of Rs. 744.20 crore as against Rs. 634.71 crore and earned surplus of Rs.107.16 crore as against Rs. 70.90 crore in the year 2023-24.

ALIMCO, being a Corporation registered under Section 8 (Not for Profit Motive) of the Companies Act, 2013 (corresponding to Section 25 of the Companies Act 1956) is not required to pay any dividend as per the provisions of the Act. The excess of income over expenditure amounting to Rs 107.16 crore has been carried forward to the Reserve and Surplus Account for utilization and furtherance of its objectives of the Corporation.

3. Strengths and Weaknesses

(A) Strengths

- The Government has launched and implemented various disability centric welfare schemes. ADIP (Assistance to Disabled Person) is one of the most popular schemes which aims to purchase and fitting of assistive aids and appliances to persons with disability and ALIMCO is the largest implementing agency of ADIP Scheme, since 1981. ALIMCO is also a Central Nodal Agency (CNA) of ADIP Scheme.



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



- ii. भारत सरकार की योजना "समग्र शिक्षा अभियान (ADIP&SSA) के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के लिए सहायता" की एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी। इस योजना में बिना किसी भेदभाव के कक्षा 1-12 के बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया गया है। इस योजना के तहत, सहायता और उपकरणों की 40% लागत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से वहन की जाती है एवं 60% लागत MOSJE, भारत सरकार (GOI) द्वारा वहन की जाती है।
- iii. वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु) को सहायता और सहायक जीवन उपकरण प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक अन्य योजना जिसे "राष्ट्रीय वयोश्री योजना" के रूप में जाना जाता है, वर्ष 2016 में शुरू की गई है। ALIMCO पैन इंडिया आधार पर इस योजना की एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी है।
- iv. अच्छे औद्योगिक संबंध: - कंपनी के मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन, सांविधिक प्राधिकरणों और सभी राज्य सरकारों के साथ अच्छे औद्योगिक संबंध हैं। कंपनी ने हड़ताल या श्रमिकों द्वारा अन्य बाधाओं के कारण एक भी दिन नहीं गंवाया है। कंपनी को सांविधिक प्राधिकरणों से किसी मुकदमे का भी सामना नहीं करना पड़ रहा है।
- v. ALIMCO को 9 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से सम्मानित किया गया है और 3 सीई प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं।
- vi. पुनर्वास के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर तकनीकी उन्नति से निपटने के लिए, एलिमको (ALIMCO) ने पहल की है और किफायती मूल्य पर देश में नए उत्पादों के निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय फर्मों के साथ सहयोग किया है। एलिमको (ALIMCO) ने भारत में किफायती अत्याधुनिक निचले अंग की कृत्रिम प्रणाली के उत्पादन के लिए मेसर्स (M/s) ओटोबॉक, भारत के साथ समझौता ज्ञापन(MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- vii. कॉरपोरेशन के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए, कॉरपोरेशन ने इसरो (ISRO), डीआरडीओ (DRDO), सीएसआईआर-सीएसआईओ (CSIR & CSIO), आईआईटी (IIT)-एम(M) जैसे अग्रणी अनुसंधान शीर्ष निकायों के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने इनक्यूबेशन नीति और दीर्घकालिक तकनीकी समझौता भी शुरू किया है।
- ii. Sole implementing agency of the GOI's scheme "Assistance for Children with Special Needs (CWSNs) under Samagra Shiksha Abhiyan (ADIP-SSA)". This scheme emphasis for the education of class 1- 12 children without discrimination of disorder. Under this scheme, 40% cost of the Aids and Appliances are borne by the Ministry of HRD, Golthrough State Government(s) and 60% cost is borne by the MOSJE, GoI.
- (iii) Another scheme of Government of India Known as "Rashtriya Vayoshri Yojna" to provide Aid & Assistive Living Devices to Senior Citizens (above age of 60 years) has been launched in year 2016. ALIMCO is the sole implementing agency of the scheme on PAN India basis.
- iv. Good industrial relations: - The Company has good Industrial Relations with Recognized Trade Union, Statutories Authorities and all State Governments. The Company has not lost even single day due to strike or other obstacles by Workers. The company is also not facing any litigation from Statutory Authorities.
- v. ALIMCO has been awarded by 9 Guinness Book of World Records and conferred with 3 CE certification.
- vi. To cope up with the technological advancement at global level in the field of Rehabilitation, ALIMCO has taken initiative and collaborated with the international firms for manufacturing new products in the country at affordable price. ALIMCO has signed MoU with M/s Ottobock, India for producing affordable State- of- Art lower limb prosthetic systems in India.
- vii. To foster the R&D of the Corporation, the Corporation has entered in MOU with leading Research apex bodies like ISRO, DRDO, CSIR-CSIO, IIT-M. It has also launched incubation policy and long term technological Agreement.



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



(vii) एलिम्को (ALIMCO) मुख्यालय, कानपुर में हाई-एंड प्रोस्थेसिस शॉप की स्थापना की गई है, जिसमें उच्च परिशुद्धता वाली मशीनें (CNCs सहित) स्थापित और चालू की गई हैं। अब, यह ज्ञ और ठज्ञ प्रोस्थेसिस का पूर्ण उत्पादन कर रहा है। ये उत्पाद, जो जर्मनी में ओटोबॉक द्वारा निर्मित किए गए थे, अब एलिम्को (ALIMCO) में निर्मित किए जा रहे हैं और स्वदेशीकरण के बाद भारत में सस्ती न्यूनतम दर पर उपलब्ध हैं। इससे माननीय प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' अभियान को साकार करने में मदद मिलेगी।

ix. एलिम्को (ALIMCO) ने दिव्यांग व्यक्तियों की प्रमुख श्रेणियों को कवर करने के लिए अपने उत्पाद रेंज में विविधता लाई है। अब कंपनी अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करने के बाद आधुनिकीकरण के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों की प्रमुख श्रेणियों के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर रही है। एलिम्को (ALIMCO) की उत्पाद श्रृंखला में कुछ नए उत्पाद भी शामिल किए गए, जैसे दृष्टिबाधित लोगों के लिए सुगम्य केन, एक्टिव फोल्डिंग व्हील चेयर, टीएलएम (TLM) किट, आदि। एलिम्को (ALIMCO) ने आंतरिक अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से विभिन्न उत्पाद विकसित किए, जैसे मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल (ली(Li) आयन और एलईडी (LED) एसिड बैटरी संचालित), जॉयस्टिक संचालित बैटरी चालित मोटराइज्ड व्हीलचेयर। इसमें विकलांगता सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों का एक विशाल समूह है।

(ब) कमजोरी :-

2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2.68 करोड़ पीडब्ल्यूडी हैं और 41 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर के साथ भारत में वर्ष 2050 के अंत तक 20 प्रतिशत से अधिक बुजुर्ग आबादी होगी। निगम के सभी प्रयासों के बावजूद, कंपनी सालाना लगभग 3 लाख लाभार्थियों की सेवा करने में सक्षम है। इसके लिए कंपनी ने दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की पहुंच बढ़ाने के लिए 77 से अधिक पीएमडीके और 56 आसरा केंद्र (11.08.2025 तक) स्थापित किए हैं।

4. अवसर

- पहुंच बढ़ाने के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं।
- कॉर्पोरेट क्षेत्रों से सीएसआर (CSR) व्यवसाय का बहुत बड़ा दायरा।
- कुछ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToTs) पर हस्ताक्षर किए गए हैं और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं।
- विदेशी बाजार में निर्यात की अच्छी संभावनाएँ हैं।
- खुदरा व्यापार की खोज।

viii. Establishment of High-End Prosthesis Shop at ALIMCO HQ, Kanpur wherein High Precision Machines (including CNCs) has been installed & commissioned. Now, it is giving full-fledged production of AK & BK Prosthesis. These products, which were manufactured in Germany by Ottobock, are now being manufactured at ALIMCO and available in India at an affordable minimum rate after Indigenization. This will help in contributing towards realization of the 'Make in India' drive of the Hon'ble Prime Minister.

ix. ALIMCO diversified its product range to cover major categories of persons with disabilities. Now the Company is manufacturing various type of products for major categories of PwDs after modernization with advance technology. Few new products were added to ALIMCO's product range like Sugamya Cane for visual impaired people, Active folding Wheel Chair, TLM Kit, etc. ALIMCO developed various products through in-house R&D like Motorized Tricycle (Li Ion & Led Acid Battery Operated), Joystick Operated Battery Driven Motorized Wheelchair. It has vast pool of experts belonging to disability sector.

(B) Weaknesses

There are 2.68 crore PwDs in the country as per census 2011 and with a decadal growth rate of 41%, India will have more than 20% elderly population by end of year 2050. Despite of all out efforts of Corporation, the Company is able to serve around 3 lakh beneficiaries annually. For this company has established more than 77 PMDK and 56 AASRA Centre (as on 11.08.2025) to increase the outreach of PwD and Sr. Citizen.

4. Opportunities

- Lots of opportunities are available to enhance the outreach.
- Huge Scope of CSR business from Corporate Sectors.
- A few Transfer of Technology (ToTs) are signed and in the process of implementation.
- Exploring the foreign market for export as there is good potential.
- Exploring the retail business.



5. खतरे

कॉरपोरेशन मुख्य रूप से सरकारी अनुदान पर निर्भर है। सहायक उपकरणों के वितरण के लिए अनुदान की गणना अंततः कॉरपोरेशन के टर्नओवर पर की जाती है।

6. कॉर्पोरेट सेक्टर के सीएसआर (CSR) कार्यान्वयन भागीदार के रूप में एलिम्को (ALIMCO) ने पहल की है और सभी लाभ कमाने वाले सीपीएसई (CPSEs) और निजी कंपनियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है ताकि वे दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरणों के मूल्यांकन और वितरण के लिए एलिम्को के माध्यम से अपने सीएसआर दायित्व को पूरा कर सकें।

हमारा निगम मौजूदा स्थायी प्रतिष्ठान और पीएमडीके के संचालन के वित्तपोषण के लिए उपयुक्त सीएसआर भागीदार खोजने की संभावना तलाश रहा है।

7. भविष्य पर संभावनाएं

निगम का मानना है कि यह अपनी वृद्धि जारी रखेगा और साल दर साल नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा, बशर्ते निगम को सरकार से एडीआईपी के तहत सहायता अनुदान मिलता रहे। संगठन का मानना है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए "मेक इन इंडिया" अभियान के तहत उनके उत्पादों की भविष्य की संभावनाएं बहुत अधिक हैं।

हम लोकल से ग्लोबल की दृष्टि को भी संरेखित कर रहे हैं। निगम ने अंतर्राष्ट्रीय मेले, प्रदर्शनी में भागीदारी, एचएसएन के बुद्धिमान संभावित खरीदारों का अनुसरण, अंतराल को पाटने और वैश्विक दक्षिण में मानवता का समर्थन करने के लिए भारत के समाधान का सुझाव देने जैसे वैश्विक स्तर पर जाने पर ध्यान केंद्रित किया है।

8. आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाएं

एलिम्को (ALIMCO) के पास आंतरिक नियंत्रण की एक सुदृढ़ प्रणाली है जो कॉरपोरेशन की वैधानिक आवश्यकताओं, विनियमों, विभिन्न नीतियों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

5. Threats

The Corporation mainly depends upon Govt. Grants for distribution of Aids & Assistive Devices which finally reckons on turnover of the Corporation.

6. ALIMCO as CSR implementation partner of corporate sector

The Corporation has taken initiative and started approaching all profit making CPSEs and Private Companies to take up their CSR obligation through ALIMCO for Assessment and Distribution of Aids and Assistive Devices to PwDs.

Our Corporation is exploring the possibility for finding the suitable CSR partner for funding of existing permanent establishment and operation of PMDK.

7. Future outlook

The Corporation believes that it will continue its growth and keep on achieving new heights year by year provided that Corporation retains the grant in aid under ADIP from the Government. The Corporation reckons that the future prospects of their products are very high under "Make in India" Campaign launched by his Excellency, Shri Narendra Modi, the Hon'ble Prime Minister of India.

We are also aligning the vision of local for global. The corporation has focused on going global like participation in International Fair, Exhibition, following the HSN wise prospective buyers, bridging the gap and suggesting solution of India for humanity supporting in Global South etc.

8. Internal Controls and Procedures

ALIMCO has a sound system of internal controls which ensures the compliance of statutory requirements, regulations, various policies and guidelines of the Corporation.



अनुलग्नक-6

ANNEXURE-VI

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1.कॉर्पोरेट प्रशासन दिशा-निर्देशों पर कॉरपोरेशन का दर्शन

1. PHILOSOPHY OF CORPORATION ON CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

एलिम्को (ALIMCO) उस दर्शन पर काम करता है जो शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करता है। इससे इसके कामकाज में और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही भी आती है।

ALIMCO works on the philosophy which protects the interest of shareholders and other stakeholders. It also brings more transparency and accountability in its functioning.

2. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स

2. BOARD OF DIRECTORS

31.03.2025 तक आपके कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संरचना निम्नानुसार है: -

The composition of Board of Directors of your Corporation as on 31.03.2024 is as under:-

क्र. सं.	नाम	श्रेणी
1.	श्री प्रवीण कुमार चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर नारामऊ जी.टी. रोड, कानपुर	चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर
2.	सुश्री मनमीत कौर नंदा अतिरिक्त सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली	सरकारी नामित व्यक्ति
3.	सुश्री देबोलीना ठाकुर संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।	सरकारी नामित व्यक्ति

S. No.	Name	Category
1.	Shri Praveen Kumar Chairman & Managing Director Naramau G.T. Road, Kanpur	Chairman and Managing Director
2.	Ms. Manmeet Kaur Nanda Additional Secretary Dept. of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice & Empowerment, Pt. Deendayal Antyoday Bhawan, Lodi Road, New Delhi	Government Nominee
3.	Ms. Debolina Thakur Joint Secretary & Financial Adviser Dept. of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan, New Delhi.	Government Nominee



3. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठकों की संख्या और डायरेक्टर की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष 2024-25 के दौरान 06.06.2024, 10.07.2024, 07.08.2024, 28.09.2024, 20.12.2024 और 20.03.2025 को बोर्ड की छह बैठकें आयोजित की गईं। बोर्ड की बैठकों में डायरेक्टर्स की उपस्थिति निम्नानुसार है: -

क्र. सं.	डायरेक्टर्स का नाम	अवधि	सदस्य / चेयरमैन	बोर्ड की बैठकों की संख्या
1	श्री प्रवीण कुमार	01.04.2024 to 31.03.2025	Chairman	06
2	श्री संजय पांडे	01.04.2024 to 15.06.2024	Member	--
3	सुश्री देबोलीना ठाकुर	15.06.2024 to 31.03.2025	Member	05
4	श्री राजेश कुमार यादव	01.04.2024 to 11.09.2024	Member	02
5	श्री राजीव शर्मा	11.09.2024 to 29.11.2024	Member	01
6	सुश्री मनमीत कौर नंदा	29.11.2024 to 31.03.2025	Member	02

4. वित्तीय वर्ष के दौरान डायरेक्टर में परिवर्तन

- सुश्री श्री संजय पांडे के स्थान पर संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार देबोलीना ठाकुर को 15.06.2024 को एलिम्को के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री राजीव कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव को 11.09.2024 को श्री राजेश कुमार यादव, पूर्व संयुक्त सचिव के स्थान पर एलिम्को के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- सुश्री अतिरिक्त सचिव मनमीत कौर नंदा को 29 नवंबर, 2024 को संयुक्त सचिव श्री राजीव कुमार शर्मा के स्थान पर एलिम्को के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

5. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की समितियाँ

वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित ऑडिट कमेटी, पारिश्रमिक समिति, बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति और उनकी बैठकों का विवरण निम्नानुसार है: -

i. ऑडिट कमेटी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और कंपनी (डायरेक्टर्स की नियुक्ति और योग्यता) नियम-2014 के नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने ऑडिट कमेटी का गठन किया। समिति वर्ष 2024-25 के दौरान तीन बार 10.07.2024, 28.09.2024 और 20.12.2024 को बैठक करेगी। 31.03.2025 तक समिति की संरचना और बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है: -

3. THE DETAILS OF NUMBER OF BOARD MEETINGS AND ATTENDANCE OF DIRECTOR ARE AS UNDER: -

During the year 2024-25, Six Board Meetings were held on 06.06.2024, 10.07.2024, 07.08.2024, 28.09.2024, 20.12.2024 and 20.03.2025. The attendance of Directors in Board Meetings are as under: -

Sl. No.	Name of Director	Period	Member / Chairman	No. of Meeting attended
1	Shri Praveen Kumar	01.04.2024 to 31.03.2025	Chairman	06
2	Shri Sanjay Pandey	01.04.2024 to 15.06.2024	Member	--
3	Ms. Debolina Thakur	15.06.2024 to 31.03.2025	Member	05
4	Shri Rajesh Kumar Yadav	01.04.2024 to 11.09.2024	Member	02
5	Shri Rajeev Sharma	11.09.2024 to 29.11.2024	Member	01
6	Ms. Manmeet Kaur Nanda	29.11.2024 to 31.03.2025	Member	02

4. DIRECTOR- CHANGES DURING FINANCIAL YEAR

- Ms. Debolina Thakur, Joint Secretary and Finance Advisor was appointed as director on the Board of ALIMCO in placed of Shri Sanjay Pandey, Ex-Joint Secretary and Finance Advisor on 15.06.2024.
- Shri Rajeev Kumar Sharma, Joint Secretary was appointed as director on the Board of ALIMCO in placed of Shri Rajesh Kumar Yadav, Ex-Joint Secretary on 11.09.2024.
- Ms. Manmeet Kaur Nanda, Additional Secretary was appointed as director on the Board of ALIMCO in placed of Shri Rajeev Kumar Sharma, Joint Secretary on 29.11.2024.

5. COMMITTEES OF THE BOARD OF DIRECTORS

The details of Audit Committee, Remuneration Committee, Board Level CSR Committee, and their Meetings held during the year 2024-25 are as under: -

i. Audit Committee

Pursuant to the provisions of section 177 of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules-2014, the company constituted Audit Committee. The Committee met three times during the year 2024-25 on 10.07.2024, 28.09.2024 and 20.12.2024. The composition as on 31.03.2025 of the Committee and attendance of the members at meetings are as under: -



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



डायरेक्टर्स का नाम	अवधि	सदस्य / चेयरमैन	बोर्ड की बैठकों की संख्या
सुश्री देबोलीना ठाकुर	15.06.2024 to 31.03.2025	अध्यक्ष	03
श्री संजय पांडे	01.04.2024 to 15.06.2024	चेयरमैन	--
श्री राजेश कुमार यादव	01.04.2024 to 11.09.2024	सदस्य	01
श्री राजीव शर्मा	11.09.2024 to 29.11.2024	सदस्य	--
सुश्री मनमीत कौर नंदा	29.11.2024 to 31.03.2025	सदस्य	01
श्री प्रवीण कुमार	01.04.2024 to 31.03.2025	सदस्य	03

ii. पारिश्रमिक समिति

धारा 8 कंपनी (लाभ के उद्देश्य से नहीं) होने के कारण, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 लागू नहीं होती है। हालांकि, कंपनी ने 03.08.2017 के डीपीई (DPE) दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारियों को देय पीआरपी (PRP) की राशि की सिफारिश करने के लिए पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। समिति की बैठक वर्ष 2024-25 के दौरान एक बार 20.03.2023 को हुई। 31.03.2025 तक समिति की संरचना और बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है: -

सदस्य का नाम	सदस्य / चेयरमैन	बैठकों की संख्या
सुश्री देबोलीना ठाकुर	चेयरमैन	1
सुश्री मनमीत कौर नंदा	सदस्य	1
श्री प्रवीण कुमार	सदस्य	1

iii. सम्पूर्ण शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति के पास है; इसलिए, किसी हितधारक समिति की आवश्यकता नहीं है।

iv. बोर्ड स्तरीय सीएसआर (CSR) समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम-2014 के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने बोर्ड स्तरीय सीएसआर (CSR) समिति का गठन किया। वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की 3 बैठकें 10.07.2024, 20.12.2024 और 20.03.2025 को होंगी। समिति की संरचना और बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है: -

सदस्य का नाम	अवधि	सदस्य / चेयरमैन	बोर्ड की बैठकों की संख्या
सुश्री मनमीत कौर नंदा	29.11.2024 to 31.03.2025	अध्यक्ष	02
सुश्री देबोलीना ठाकुर	15.06.2024 to 31.03.2025	सदस्य	03
श्री संजय पांडे	01.04.2024 to 15.06.2024	सदस्य	--
श्री राजेश कुमार यादव	01.04.2024 to 11.09.2024	सदस्य	01
श्री राजीव शर्मा	11.09.2024 to 29.11.2024	सदस्य	--
श्री प्रवीण कुमार	01.04.2024 to 31.03.2025	सदस्य	03

Name of Director	Period	Member / Chairman	No. of Meeting attended
Ms. Debolina Thakur	15.06.2024 to 31.03.2025	Chairperson	03
Shri Sanjay Pandey	01.04.2024 to 15.06.2024	Chairman	--
Shri Rajesh Kumar Yadav	01.04.2024 to 11.09.2024	Member	01
Shri Rajeev Sharma	11.09.2024 to 29.11.2024	Member	--
Ms. Manmeet Kaur Nanda	29.11.2024 to 31.03.2025	Member	01
Shri Praveen Kumar	01.04.2024 to 31.03.2025	Member	03

ii. Remuneration Committee

Being a section 8 Company (Not for Profit Motive), section 178 of Companies Act 2013 is not applicable. However, the Company has formed Remuneration Committee for recommending the amount of PRP payable to employees as per DPE Guidelines dated 03.08.2017. The Committee met one time during the year 2024-25 on 20.03.2025. The composition as on 31.03.2025 of the Committee and attendance of the members at meetings are as under: -

Name of the Member	Member / Chairman	Number of Meeting Attended
Ms. Debolina Thakur	Chairman	1
Ms. Manmeet Kaur Nanda	Member	1
Shri Praveen Kumar	Member	1

iii. The entire share capital is held by President of India; therefore, no stakeholder's committee is required.

iv. Board Level CSR Committee

Pursuant to the provisions of section 135 of the Companies Act, 2013 and Rule 5 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules-2014, the company constituted Board level CSR Committee. During the year 2024-25, the committee met 3 times on 10.07.2024, 20.12.2024 and 20.03.2025. The composition of the Committee and attendance of the members at meetings are as under: -

Name of Member	Period	Member / Chairman	No. of Meeting attended
Ms. Manmeet Kaur Nanda	29.11.2024 to 31.03.2025	Chairperson	02
Ms. Debolina Thakur	15.06.2024 to 31.03.2025	Member	03
Shri Sanjay Pandey	01.04.2024 to 15.06.2024	Member	--
Shri Rajesh Kumar Yadav	01.04.2024 to 11.09.2024	Member	01
Shri Rajeev Sharma	11.09.2024 to 29.11.2024	Member	--
Shri Praveen Kumar	01.04.2024 to 31.03.2025	Member	03



6. बैठने का शुल्क

सीएमडी (CMD) को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के अलावा, कॉर्पोरेशन प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को, जो बोर्ड बैठक या बोर्ड की किसी समिति की बैठक में भाग लेता है, प्रतिदिन 16,000/- रुपये की दर से बैठक शुल्क का भुगतान करता है, चाहे दिन में कितनी भी बैठकें हों। हालाँकि, सरकार द्वारा नामित निदेशकों को कोई बैठने का शुल्क नहीं दिया जाता है। चूंकि वर्ष के दौरान बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था, इसलिए कोई बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था।

7. आम सभा की बैठकें

पिछली तीन एजीएम (AGMs) की तिथि, समय और स्थान निम्नानुसार हैं: -

- 51वीं एजीएम (AGMs) 28.09.2024 को दोपहर 1.30 बजे कानपुर में आयोजित की गई।
- 50वीं एजीएम (AGMs) 19.09.2023 को दोपहर 1.30 बजे नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- 49वीं एजीएम (AGMs) 30.09.2022 को दोपहर 03.30 बजे नई दिल्ली में आयोजित की गई।

8. प्रकटीकरण

डायरेक्टर्स के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल प्रकटीकरणों के अलावा, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और बैलेंस शीट का हिस्सा बनने वाले खातों के नोट्स में भी उपयुक्त प्रकटीकरण किए जाते हैं।

9. व्हिस्टल ब्लोअर पॉलिसी

कंपनी ने व्हिस्टल ब्लोअर पॉलिसी तैयार की है जिसे वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है।

10. निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता

कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई (DPE) दिशानिर्देशों के अनुसार आचार संहिता और व्यावसायिक नैतिकता को कॉर्पोरेशन द्वारा अपने डायरेक्टर्स और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के संबंध में अपनाया गया है। संहिता को कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया गया है। डायरेक्टर्स और वरिष्ठ कार्यपालकों ने वर्ष 2024-25 के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करते हुए घोषणापत्र दिए हैं।

6. SITTING FEE

Other than the remuneration paid to CMD, the Corporation pays sitting fee of Rs. 16,000/- per day irrespective of number of meetings held in a day to each Independent Director who attends Board Meeting or Meeting of any committee of the Board. However, no sitting fee is paid to Government Nominee Directors. Since there was no Independent Director on the Board during the year, therefore no sitting fees was paid.

7. GENERAL BODY MEETINGS

Date, Time and Place of the last three AGMs are as under: -

- 51th AGM was held on 28.09.2024 at 1.30 p.m. at Kanpur.
- 50th AGM was held on 19.09.2023 at 1.30 p.m. at New Delhi.
- 49th AGM was held on 30.09.2022 at 03.30 p.m. at New Delhi.

8. DISCLOSURES

Apart from the disclosures covered in Directors' Responsibility Statement, suitable disclosures are also made in the significant accounting policies and notes to accounts forming part of the Balance Sheet.

9. WHISTLE BLOWER POLICY

The company formulated Whistle Blower Policy which is posted on the website.

10. CODE OF CONDUCT FOR DIRECTORS AND SENIOR EXECUTIVES

The Code of Conduct and Business Ethics as per the DPE guidelines on Corporate Governance has been adopted by the Corporation in respect of its Directors and Senior Level Executives. The Code has also been posted on the Corporation's Website. The Directors and the Senior Executives have given declarations affirming the compliance with the Code of Conduct during the year 2024-25.



अनुलग्नक-7

धीरेन्द्र शर्मा एण्ड एसोसिएट्स

कम्पनी सचिव

निगमित शासन पर प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण
आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
जी.टी. रोड, कानपुर-209217
CIN U85110UP1972NPL003646

हमने भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम (GM) में परिकल्पित 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ("कॉर्पोरेशन") द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संगठन द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो ऑडिट है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, तथा कॉरपोरेशन द्वारा रखे गए अभिलेखों और दस्तावेजों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कॉरपोरेशन ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (ब्लैक) के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम आगे बढ़ते हुए यह बताना चाहते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कॉरपोरेशन की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है, न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कॉरपोरेशन के कार्यों का संचालन किया है।

धीरेन्द्र शर्मा एण्ड एसोसिएट्स के लिए
प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव

(धीरेन्द्र शर्मा)

(मालिक)

C.P. - 14137

सदस्यता संख्या : 33592

UDIN No. : A033592E000515458

सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र : 3591/2023

स्थान : जोधपुर

दिनांक : 28.06.2025

ANNEXURE-VII

DHIRENDRA SHARMA & ASSOCIATES

Company Secretary in Practice

CERTIFICATE OF CORPORATE GOVERNANCE

To

The Members

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA

G.T. Road, Kanpur-209217

CIN U85110UP1972NPL003646

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, ["the Corporation"] for the year ended on 31st March 2025, as envisaged in the Office Memorandum No.18(8)/2005-GM dated 14th May, 2010 issued by the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Government of India.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Corporation for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and according to the records and documents maintained by the Corporation, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance, as stipulated in the guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Enterprises (CPSEs).

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

For DHIRENDRA SHARMA & ASSOCIATES
Company Secretary in Practice

(Dhirendra Sharma)

(Proprietor)

C.P. - 14137


Membership Number: 33592

UDIN: A033592GO0677323

Peer Review Certificate: 3591/2023

Place : Jodhpur

Date : 28.06.2025



विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
बिक्री और सेवाएँ	लाखों रुपये	18935.51	24067.23	22850.36	34187.18	33612.98	27587.41	35003.57	48192.36	63471.06	74420.40
घटाएँ: जीएसटी	लाखों रुपये	0.00	0.00	814.97	1839.31	1822.06	1437.25	1999.16	2325.53	3026.71	3392.09
घटाएँ: छूट	लाखों रुपये	0.00	235.56	290.64	243.56	270.74	217.61	261.74	0.00	0.00	0.00
शुद्ध टर्नओवर	लाखों रुपये	18935.51	23831.67	21744.75	32104.31	31520.18	25932.55	32742.67	45866.83	60444.35	71028.31
FG/WAP में परिवर्तन	लाखों रुपये	162.35	433.04	927.70	(238.93)	139.27	662.87	(1010.32)	2421.94	4379.92	3698.89
उत्पादन का मूल्य	लाखों रुपये	19097.86	24500.27	22672.45	31865.38	31659.45	26595.42	31732.35	48288.77	64824.27	74727.20
सामग्री की खपत (आरएम (RM) और स्टोर)	लाखों रुपये	8916.73	12344.14	12154.31	17016.30	16798.78	15049.32	17626.90	30273.82	41441.86	43715.60
मूल्य वर्धित	लाखों रुपये	10181.13	12156.13	10518.14	14849.08	14860.67	11546.10	14105.45	18014.95	23382.41	31011.60
कर से पहले अधिशेष	लाखों रुपये	4619.94	5573.93	5079.13	7529.75	8343.28	5611.55	6301.79	7272.97	7090.42	10716.41
अधिशेष	लाखों रुपये	4619.94	5573.93	5079.13	7529.75	8343.28	5611.55	6301.79	7272.97	7090.42	10716.41
पिछली अवधि							176.67	140.09	42.76	18.62	6.27
इकिटी अति	लाखों रुपये	5409.97	5409.97	5409.97	5409.97	5409.97	5409.97	5409.97	5409.97	5409.97	5409.97
आरक्षित और अधिशेष- पूंजी	लाखों रुपये	2656.95	3555.63	4322.71	4874.75	5217.40	5726.85	5522.95	5523.78	5523.78	5523.85
घटाएँ: समाप्त जीवन पर	लाखों रुपये	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मूल्यह्रास	लाखों रुपये	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
घटाएँ: पिछले वर्षों का दंडात्मक ब्याज	लाखों रुपये	0.00	0.00	767.08	552.04	342.65	509.45	4.89	0.00	0.00	0.00
घटाएँ: आरक्षित पूंजी में स्थानांतरण	लाखों रुपये	0.00	0.00								
आरक्षित और अधिशेष- सामान्य आरक्षित	लाखों रुपये	12837.39	18411.32	22723.37	29701.08	37701.71	42627.14	48783.95	56222.13	63293.93	74004.07
आरक्षित और अधिशेष कुल सकल ब्लॉक	लाखों रुपये	15494.34	21966.95	27046.08	34575.83	42919.11	48353.99	54306.90	61745.91	68817.71	79527.92
	लाखों रुपये	3127.54	4141.59	4607.07	6565.56	7069.74	7228.59	7969.60	14135.25	26488.30	30046.69
मूल्यह्रास आरक्षित	लाखों रुपये	1904.79	2018.04	2219.91	2471.27	2826.04	3189.47	3549.45	4009.15	5103.41	6652.03
शुद्ध ब्लॉक	लाखों रुपये	1222.75	2123.55	2387.16	4094.29	4243.70	4039.12	4420.15	10126.10	21384.89	23394.66
इन्वेंट्री	लाखों रुपये	3657.25	4300.10	5631.61	6148.91	6454.55	6873.58	7793.81	9455.82	16543.09	22684.39
विविध देनदार	लाखों रुपये	1017.81	1277.74	1528.43	1529.72	1664.38	2300.64	1935.51	3071.55	2981.95	8548.33
कार्यशील पूंजी	लाखों रुपये	18723.22	23856.45	26392.06	31009.41	36742.15	45407.14	50602.04	48671.01	48015.78	54708.03
नियोजित पूंजी	लाखों रुपये	19945.97	25980.00	28779.22	35103.70	40985.85	49446.26	55022.19	58797.11	69400.67	78102.69
निवल मूल्य	लाखों रुपये	18247.36	23821.29	28133.34	35111.05	43111.68	48037.11	54193.92	61632.10	68703.90	79414.04
सहायता अनुदान- ADIP प्राप्त हुआ	लाखों रुपये	8411.87	8783.43	8936.00	14787.65	14188.42	11801.85	11692.00	13724.01	23262.34	29003.06
सहायता अनुदान- ADIP SSA प्राप्त हुआ	लाखों रुपये	2045.00	1934.62	3391.15	3459.23	3008.00	3871.00	4113.00	3708.50	2894.37	3224.09
ADIP के तहत ऋण के माध्यम से उपलब्ध निधियाँ	लाखों रुपये	2163.16	4300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उपलब्ध कराई गई कुल सहायता अनुदान	लाखों रुपये	12620.03	15018.05	12327.15	18246.88	17196.42	15672.85	15805.00	17432.51	26156.71	32227.15
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	301	300	266	296	292	280	271	282	328	336
कर्मचारी लागत	लाखों रुपये	2846.85	3118.37	3239.93	3476.53	3412.76	3336.24	3425.69	3528.64	4114.31	4913.69
प्रति कर्मचारी उत्पादन का मूल्य	लाखों रुपये	63.45	81.67	85.23	107.65	108.42	94.98	117.09	171.24	197.63	222.40
प्रति कर्मचारी मूल्य वर्धित कर्मचारी	लाखों रुपये	33.82	40.52	39.54	50.17	50.89	41.24	52.05	63.88	71.29	92.30
प्रति शेयर आय	रु.	853.97	1030.31	938.85	1391.83	1542.20	1037.26	1162.35	1344.36	1310.62	1980.86
एमओयू(MOU) रेटिंग		उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा अपेक्षित



ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA (TEN YEARS AT A GLANCE)

Rs. in Lakhs

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
Sales & Services	Rs Lacs	18935.51	24067.23	22850.36	34187.18	33612.98	27587.41	35003.57	48192.36	63471.06	74420.40
Less: GST	Rs Lacs	0.00	0.00	814.97	1839.31	1822.06	1437.25	1999.16	2325.53	3026.71	3392.09
Less: Discount	Rs Lacs	0.00	235.56	290.64	243.56	270.74	217.61	261.74	0.00	0.00	0.00
Net Turnover	Rs Lacs	18935.51	23831.67	21744.75	32104.31	31520.18	25932.55	32742.67	45866.83	60444.35	71028.31
Changes in FG/WIP	Rs Lacs	162.35	433.04	927.70	(238.93)	139.27	662.87	(1010.32)	2421.94	4379.92	3698.89
Value of Production	Rs Lacs	19097.86	24500.27	22672.45	31865.38	31659.45	26595.42	31732.35	48288.77	64824.27	74727.20
Material consumption (RM & store)	Rs Lacs	8916.73	12344.14	12154.31	17016.30	16798.78	15049.32	17626.90	30273.82	41441.86	43715.60
Value Added	Rs Lacs	10181.13	12156.13	10518.14	14849.08	14860.67	11546.10	14105.45	18014.95	23382.41	31011.60
Surplus before Tax	Rs Lacs	4619.94	5573.93	5079.13	7529.75	8343.28	5611.55	6301.79	7272.97	7090.42	10716.41
Surplus	Rs Lacs	4619.94	5573.93	5079.13	7529.75	8343.28	5611.55	6301.79	7272.97	7090.42	10716.41
Prior Period							176.67	140.09	42.76	18.62	6.27
Equity	Rs Lacs	5409.97	5409.97	5409.97	5409.97	5409.97	5409.97	5409.97	5409.97	5409.97	5409.97
Reserve & Surplus	-	2656.95	3555.63	4322.71	4874.75	5217.40	5726.85	5522.95	5523.78	5523.78	5523.85
Capital Reserve											
Less: Depreciation on Expired Life	Rs Lacs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Penal Interest previous years	Rs Lacs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Less: Transfer to Capital Reserve	Rs Lacs	0.00	0.00	767.08	552.04	342.65	509.45	4.89	0.00	0.00	0.00
Reserve & Surplus - General Reserve	Rs Lacs	12837.39	18411.32	22723.37	29701.08	37701.71	42627.14	48783.95	56222.13	63293.93	74004.07
Reserve & Surplus Total	Rs Lacs	15494.34	21966.95	27046.08	34575.83	42919.11	48353.99	54306.90	61745.91	68817.71	79527.92
Gross Block	Rs Lacs	3127.54	4141.59	4607.07	6565.56	7069.74	7228.59	7969.60	14135.25	26488.30	30046.69
Depreciation Reserve	Rs Lacs	1904.79	2018.04	2219.91	2471.27	2826.04	3189.47	3549.45	4009.15	5103.41	6652.03
Net Block	Rs Lacs	1222.75	2123.55	2387.16	4094.29	4243.70	4039.12	4420.15	10126.10	21384.89	23394.66
Inventory	Rs Lacs	3657.25	4300.10	5631.61	6148.91	6454.55	6873.58	7793.81	9455.82	16543.09	22684.39
Sundry Debtors	Rs Lacs	1017.81	1277.74	1528.43	1529.72	1664.38	2300.64	1935.51	3071.55	2981.95	8548.33
Working Capital	Rs Lacs	18723.22	23856.45	26392.06	31009.41	36742.15	45407.14	50602.04	48671.01	48015.78	54708.03
Capital Employed	Rs Lacs	19945.97	25980.00	28779.22	35103.70	40985.85	49446.26	55022.19	58797.11	69400.67	78102.69
Net Worth	Rs Lacs	18247.36	23821.29	28133.34	35111.05	43111.68	48037.11	54193.92	61632.10	68703.90	79414.04
Grant in aid - ADIP received	Rs Lacs	8411.87	8783.43	8936.00	14787.65	14188.42	11801.85	11692.00	13724.01	23262.34	29003.06
Grant in aid - ADIP SSA received	Rs Lacs	2045.00	1934.62	3391.15	3459.23	3008.00	3871.00	4113.00	3708.50	2894.37	3224.09
Funds available through Loan under ADIP	Rs Lacs	2163.16	4300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grant in aid made available	Rs Lacs	12620.03	15018.05	12327.15	18246.88	17196.42	15672.85	15805.00	17432.51	26156.71	32227.15
No. of Employees	Number	301	300	266	296	292	280	271	282	328	336
Employee Costs	Rs Lacs	2846.85	3118.37	3239.93	3476.53	3412.76	3336.24	3425.69	3528.64	4114.31	4913.69
Value of Production per Employee	Rs Lacs	63.45	81.67	85.23	107.65	108.42	94.98	117.09	171.24	197.63	222.40
Value added per Employee	Rs Lacs	33.82	40.52	39.54	50.17	50.89	41.24	52.05	63.88	71.29	92.30
Earning per share	Rs.	853.97	1030.31	938.85	1391.83	1542.20	1037.26	1162.35	1344.36	1310.62	1980.86
MOU Rating		Excellent	Excellent	Very Good	Excellent	Excellent	Good	Very Good	Very Good	Very Good	Expected Very Good



गुप्ता और शाह

चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स

स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण
आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन
ऑफ इंडिया
कानपुर

वित्तीय विवरण के ऑडिट पर रिपोर्ट

राय

हमने आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ("कॉर्पोरेशन") के साथ दिए गए भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की बैलेंस शीट, आय और व्यय का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो का विवरण और महत्वपूर्ण अकाउंटिंग नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स शामिल हैं (जिन्हें आगे "भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

हमारे विचार में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, संशोधित ("भारतीय लेखा मानक") और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, 31 मार्च, 2025 तक कॉर्पोरेशन के मामलों की स्थिति, व्यय पर आय की अधिकता, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसका कैश फ्लो

विचार का आधार

हमने भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (SAs) के अनुसार की। उन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्व का विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की ऑडिट हेतु ऑडिटर की ज़िम्मेदारियों

GUPTA & SHAH

CHARTERED ACCOUNTANTS

INDEPENDENT AUDITORS REPORT

To
The Members
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING
CORPORATION OF INDIA,
Kanpur

Report on the Audit of Financial Statements:

Opinion

We have audited the accompanying Ind AS financial statements of Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India ("the Corporation"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2025, and the Statement of Income & Expenditure (including Other Comprehensive Income), Statement of Changes in Equity and Statement of Cash Flows for the year then ended and notes to financial statements including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "Ind AS Financial Statements").

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Ind AS financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("The Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Corporation as at 31st March, 2025, the excess of Income over Expenditure, Total Comprehensive Income, the Change in Equity and its Cash Flows for the year ended on that date.

Basis of Opinion

We conducted our audit of the Ind AS financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of The Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



वाले अनुभाग में दिया गया है। हम भारतीय सनदी अका लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार निगम से स्वतंत्र हैं, साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार भी जो "अधिनियम" और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत इंड एसस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए ऑडिट साक्ष्य हमारे ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले पर जोर

1. संरक्षणवाद के सिद्धांतों का पालन करते हुए, प्रबंधन ने लेखा नीति 3.08 के अनुसार प्रावधान किया है, जहां क्षतिग्रस्त स्टॉक के लिए मूल्य का 80% प्रदान किया जाता है, गैर-चलती वस्तुओं के लिए मूल्य का 50% प्रदान किया जाता है और धीमी गति से चलने वाली वस्तुओं के लिए मूल्य का 30% प्रदान किया जाता है। इस वर्ष कुल प्रावधान 322.16 लाख रुपये (पिछले वर्ष 198.27 लाख रुपये) किया गया है (नोट संख्या 7.03 देखें)।
2. कानपुर, बेंगलुरु, कैमूर को छोड़कर तथा भुवनेश्वर में शेड के संबंध में लीज होल्ड भूमि का स्वामित्व और शीर्षक निगम के पक्ष में निष्पादित किया गया है (नोट संख्या 4.1.1 से 4.1.10 देखें)।
3. हम वित्तीय विवरण के नोट (8.06, 14.06 और 15.03) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि "ग्राहकों से अग्रिम", "व्यापार प्राप्य", और "व्यापार/सुरक्षा जमा" के तहत शेष राशि - जो सुरक्षा जमा, बयाना राशि और अन्य पक्षों के साथ जमा का प्रतिनिधित्व करती है - पुष्टि के अधीन हैं। प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि ये पुष्टियां लंबित हैं और उनके अंततः प्राप्त होने के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में किसी भी महत्वपूर्ण समायोजन की उम्मीद नहीं है।
4. हम वित्तीय विवरणों के नोट (3.03 और 14.07) पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो सरकारी अनुदानों की मान्यता और उपयोग के लिए कंपनी की लेखा नीति में परिवर्तन का वर्णन करता है।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

report. We are Independent of the Corporation in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the Ethical requirements that are relevant to our audit of the Ind AS financial statements under the provisions of "the Act" and the Rules made thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Emphasis of Matter

1. Following the principles of conservatism, management has made provision in accordance to accounting policy 3.08, where 80% of value is provided for damaged stock, 50% of value is provided for non-moving and 30% of value is provided for slow moving items identified. Total provision made in this year is Rs.322.16 Lakhs (Last year Rs.198.27 Lakhs) (Refer Note No. 7.03).
2. The ownership and title of lease hold lands have been executed in favors of corporation except at Kanpur, Bengaluru, Kaimur and in respect of shed at Bhubaneswar (Refer Note No. 4.1.1 to 4.1.10).
3. We draw attention to Note [8.06, 14.06 and 15.03] of the financial statement, which states that the balances under the "Advance from Customers", "Trade Receivables", and "Trade/Security Deposit" - representing security deposits, earnest money, and deposits with other parties - are subject to confirmation. The management has represented that these confirmations are pending and that their eventual receipt is not expected to result in any material adjustment to the financial statements.
4. We draw attention to Note [3.03 and 14.07] of the financial statements, which describes the change in the Companies accounting policy for recognition and utilization of government grants.

Our opinion is not modified in respect of the aforesaid matters.



मुख्य ऑडिट मामले (KAM)

मुख्य ऑडिट मामले ऐसे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों को हमारे ऑडिट के संदर्भ में और उस पर हमारे विचार विकसित करने के बारे में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में बताए जाने वाले मुख्य ऑडिट मामलों के रूप में निर्धारित किया है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए, हमारे ऑडिटर ने उस मामले को कैसे संबोधित किया, इसका हमारा विवरण उस संदर्भ में प्रदान किया गया है।

Key Audit Matters (KAM)

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report. For each matter below, our description of how our audit addressed the matter is provided in that context.

क्र.सं. (Sr. No.)	की ऑडिट मामले मुद्दे को कैसे सम्बोधित किया गया	Sr. No. Key Audit Matters How to issue was addressed
1.	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कॉरपोरेशन ने विकास के अंतर्गत प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्यों में सम्मिलित की गई भिन्न-भिन्न परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय किया है। इन परियोजनाओं को नियत उपयोग के लिए तैयार होने में काफी समय लगता है। इसके अतिरिक्त, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुएं जो प्रबंधन द्वारा निर्धारित अपने नियत इस्तेमाल के लिए तैयार हैं, उन्हें चालू वर्ष में पूंजीकृत किया गया है। यह तय करने के लिए फैसला लिया जाता है कि पूर्वोक्त पूंजीकरण भारतीय लेखा मानक-16 के तहत मान्यता की जरूरतों को पूरा करता है, खासतौर पर इस बात के निर्धारण के संबंध में कि क्या प्रबंधन के नियत इस्तेमाल हेतु मानदंड पूरे किए गए हैं।	During the year ended March 31, 2025, the Corporation has incurred capital expenditure on various projects included in capital work in progress under development. These projects take a substantial period of time to get ready for intended use. Further, items of property, plant and equipment that are ready for its intended use as determined by the management have been capitalized in the current year. Judgement is involved to determine that the aforesaid capitalization meet the recognition requirement under Ind AS-16 specifically in relation to determination of whether the criteria for intended use of the management has been met.
2.	कॉरपोरेशन भारत के अनेकों राज्यों में काम करता है, जिससे यह विभिन्न केंद्रीय और राज्य/स्थानीय कानूनों, विनियमों और उनकी व्याख्याओं के संपर्क में आता है। इस विनियामक वातावरण में, मुकदमेबाजी और दावों का एक अंतर्निहित जोखिम है। फलस्वरूप, प्रावधान और आकस्मिक देयता डिस्क्लोज़र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही, जिसमें नियामक और अन्य सरकारी/विभागीय कार्यवाही, साथ ही अधिकारियों द्वारा जांच और वाणिज्यिक दावे शामिल हैं, से उत्पन्न हो सकते हैं। 31 मार्च, 2025 तक, कॉरपोरेशन की आकस्मिक देयताएँ 3472.20 लाख रुपये थीं। (पिछले वर्ष 3558.99 लाख रुपये)। प्रबंधन प्रत्येक मामले में भविष्य के परिणाम अनुमान पता लगाने में महत्वपूर्ण निर्णय लागू करता है, जब यह विचार किया जाता है कि क्या और कितना उपलब्ध कराया जाए या प्रत्येक मामले के संभावित जोखिम के लिए आवश्यक डिस्क्लोज़र का निर्धारण	The corporation operates in various States within India, exposing it to a variety of different Central and State/ Local laws, regulations and interpretations thereof. In this regulatory environment, there is an inherent risk of litigations and claims. Consequently, provisions and contingent liability disclosures may arise from direct and Indirect tax proceedings, legal proceedings, including regulatory and other government/ department proceedings, as well as investigations by authorities and commercial claims. As at March 31,2025, the corporation's contingent liabilities were Rs.3472.20 Lakhs. (P.Y. Rs.3558.99 Lakhs). Management applies significant judgement in estimating the likelihood of the future outcome in each case when considering whether, and how much, to provide or in determining the required disclosure for the



<p>किया जाए। यह सम्मिलित कानूनी मामलों के अत्यधिक जटिल स्वभाव और परिमाण के साथ-साथ इस तथ्य के कारण है कि कर और कानूनी कार्यवाही का समाधान कई वर्षों तक चल सकता है, और इसमें लंबी बातचीत या मुकदमेबाजी शामिल हो सकती है।</p> <p>ये पूर्वानुमान समय के साथ काफी हद तक बदल सकते हैं क्योंकि नए तथ्य सामने आते हैं और प्रत्येक कानूनी मामला आगे बढ़ता है।</p> <p>कॉरपोरेशन में संभावित जोखिमों की अंतर्निहित जटिलता और परिमाण को देखते हुए और आवश्यक प्रावधानों की मात्रा का पूर्वानुमान करने या अनिवार्य डिसक्लोज़र तय करने के लिए जरूरी फैसले को देखते हुए, यह एक महत्वपूर्ण ऑडिट मामला है।</p>	<p>potential exposure of each matter. This is due to the highly complex nature and magnitude of the legal matters involved along with the fact that resolution of tax and legal proceedings may span over multiple years, and may involve protracted negotiation or litigation.</p> <p>These estimates could change substantially over time as new facts emerge and each legal case progresses.</p> <p>Given the inherent complexity and magnitude of potential exposures across the corporation and the judgment necessary to estimate the amount of provisions required or to determine required disclosures, this is a key audit matter</p>
---	--

क्र.सं. (Sr. No.)	की ऑडिट मामले मुद्दे को कैसे सम्बोधित किया गया	Sr. No. Key Audit Matters How to issue was addressed
1.	<p>हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे और इन्हीं तक सीमित नहीं थे:</p> <p>1) उपयोगी जीवन के आकलन में विचार की गई मान्यताओं के प्रबंधन मूल्यांकन की जांच की गई।</p> <p>2) कॉरपोरेशन के ऐतिहासिक अनुभव और तकनीकी मूल्यांकन के संदर्भ में उपयोगी आर्थिक जीवन की जांच की।</p> <p>3) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा उन्नति पर पूंजीगत कार्य में की गई बढ़ोत्तरी के स्वभाव का परीक्षण जांच के आधार पर मूल्यांकन किया गया, ताकि यह जांचा जा सके कि क्या ये भारतीय लेखा मानक 16 के पैरा 16 से 22 में निर्धारित मान्यता मानदंडों – “संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रबंधन के नियत उपयोग सहित”को पूरा करते हैं</p>	<p>Our audit procedures included and were not limited to the following:</p> <p>1) Examined the management assessment of the assumptions considered in estimation of useful life.</p> <p>2) Examined the useful economic lives with reference to the Corporation's historical experience and technical evaluation.</p> <p>3) Assessed the nature of additions made to property, plant and equipment and capital work in progress on a test check basis to test whether they meet the recognition criteria as set out in para 16 to 22 of Ind AS 16- "Property, Plant and Equipment, including intended use of management"</p>
2.	<p>हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे और इन्हीं तक सीमित नहीं थे:</p> <p>1) पिछले वर्षों के साथ सामंजस्य के लिए कॉरपोरेशन के खिलाफ लंबित मुकदमों की समीक्षा करना। वर्ष के दौरान गति के लिए पूछताछ करना और स्पष्टीकरण प्राप्त करना।</p> <p>2) कॉरपोरेशन और विभिन्न कर/कानूनी अधिकारियों के बीच नवीनतम पत्राचार को पढ़ना और महत्वपूर्ण मामलों के लिए, जहां लागू हो, बाहरी कानूनी सलाहकारों से प्रबंधन द्वारा प्राप्त कानूनी राय के साथ पत्राचार की समीक्षा करना।</p>	<p>Our audit procedures included and were not limited to the following:</p> <p>1) Review the outstanding litigations against the corporation for consistency with the previous years. Enquire and obtain explanations for movement during the year.</p> <p>2) Reading the latest correspondence between the corporation and various tax/ legal authorities and review of correspondence with legal opinions obtained by the management, from external legal advisors, where applicable, for significant matters.</p>



3) कॉरपोरेशन के इन-हाउस कानूनी परामर्शदाता और अन्य वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के साथ महत्वपूर्ण मुकदमेबाजी की स्थिति पर चर्चा करना और उनकी प्रतिक्रियाओं का आकलन करना।	3) Discussing the status of significant litigation with the corporation's in-house Legal Counsel and other senior management personnel and assessing their responses.
4) नमूने के आधार पर, संगठन के कानूनी खर्चों की जांच करें और ऑन-बोर्ड बैठकों के मिनट्स को पढ़ें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी मामलों की पहचान कर ली गई है।	4) On sample basis, examine the corporation's legal expenses and read the minutes of the on-board meetings, in order to ensure all cases have been identified.
5) प्रावधानों को दर्ज न करने या डिसक्लोज़ न करने के निर्णयों के लिए निर्णयों और औचित्य का आकलन करना।	5) Assessing the decisions and rationale for provisions held or for decisions not to record provisions or make disclosures.
6) उन मामलों के लिए जहां प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला है कि कॉरपोरेशन के डिसक्लोज़र की पर्याप्तता और पूर्णता पर विचार करते हुए कोई प्रावधान दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।	6) For those matters where management concluded that no provisions should be recorded, considering the adequacy and completeness of the corporation's disclosures.

अन्य मामले

जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट (3.10) में कहा गया है, कंपनी की लेखा नीति की आवश्यकता है कि पांच साल से अधिक समय से बकाया व्यक्तिगत खातों में गैर-चलती क्रेडिट शेष राशि को उचित जांच और औचित्य के बाद वापस लिखा जाए। हमारे ऑडिट के दौरान, हमने देखा कि ग्राहकों से अग्रिमों के तहत कुछ ऐसे शेष राशि रु. 170.69 लाख (पी.वाई. 550.49 लाख रुपये), जो पांच साल से अधिक समय से बकाया हैं, को निर्धारित नीति के अनुसार वापस नहीं लिखा गया है। प्रबंधन ने समझाया है कि इस मामले की समीक्षा की जा रही है।

वित्तीय विवरण और उस पर ऑडिटर्स की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए कॉरपोरेशन का बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के तहत आवश्यक विभिन्न जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें इंडेक्स वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर हमारा विचार अन्य जानकारी को कवर नहीं करता है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या ऐसी अन्य जानकारी IAS वित्तीय विवरणों के साथ सामयिक रूप से असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा सामयिक रूप से गलत है।

Other Matter

As stated in Note [3.10] to the financial statements, the Company's accounting policy requires that non-moving credit balances in personal accounts outstanding for more than five years be written back after due examination and justification. During the course of our audit, we observed that certain such balances under Advances from Customers amounting to Rs. 170.69 lakhs (P.Y. Rs.550.49 lakhs), which have remained outstanding for more than five years, have not been written back as per the stated policy. The management has explained that the matter is under review.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Corporation's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises of various information required under section 134(3) of the Companies act, 2013, but does not include Ind AS Financial Statement and our auditor's report thereon.

Our opinion on the Ind AS Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Ind AS Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether such other information is materially inconsistent with the Ind AS financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.



अगर, हमारे द्वारा किए गए कार्य को आधार मानकर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में भौतिक रूप से गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना अनिवार्य है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और प्रशासन का दायित्व

कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में धारा 134(5) ("अधिनियम") में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतया पर स्वीकार किए गए अकाउंटिंग सिद्धांतों के अनुसार कॉरपोरेशन की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी और कैशफ्लो में बदलाव का सही और उचित नज़रिया देते हैं। इस जिम्मेदारी में निगम की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान बनाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालित थे, जो इंडेक्स वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जो एक सच्चे और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण या नहीं, महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं।

भारतीय लेखा मानक (इंड एस) वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन निगम की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन निगम को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेखांकन सॉफ्टवेयर के उपयोग के संबंध में पर्याप्त और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है, जिसमें समय-समय पर संशोधित कंपनी (अकाउंट्स) नियम, 2014 द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षित विशेषताएं शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक लेनदेन के ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) को रिकॉर्ड करने और बनाए रखने के संदर्भ में कॉरपोरेशन के लेखांकन सॉफ्टवेयर की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन और आकलन शामिल है और यह सुनिश्चित करना है कि ऑडिट ट्रेल को

If, based on the work we have performed, we conclude that there is material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Ind AS Financial Statements

The Corporation's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of ("the Act") with respect to the preparation of these Ind AS financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, changes in equity and cash flows of the Corporation in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of "the Act" for safeguarding of the assets of the Corporation and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Ind AS financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Ind AS financial statements, management is responsible for assessing the Corporation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for establishing and maintaining adequate and effective controls in respect of use of accounting software that entails the requisite features as specified by the Companies (Accounts) Rules, 2014, as amended from time to time, including an evaluation and assessment of the adequacy and effectiveness of the corporations accounting software in terms of recording and maintaining audit trail (edit log) of each and every transaction and ensuring that the audit trail



अक्षम नहीं किया जा सकता है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेनदेन के लिए पूरे वर्ष के दौरान इसका संचालन किया गया है और ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार निगम द्वारा ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए ऑडिटर्स की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक ऑडिटरकी रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारे विचार शामिल हों। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस (SAs) के अनुसार किए गए ऑडिट में हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत बयान का पता लगाया जाएगा, जब वह मौजूद हो। गलत बयान धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है अगर, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन भारतीय लेखा मानक (Ind AS) के वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की सही तरीके से उम्मीद की जा सकती है।

एसएस (SAs) के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और उनका पालन करना, तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के फलस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से ज्यादा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन करना शामिल हो सकता है।
- ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी ऑडिट प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कॉर्पोरेशन के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

cannot be disabled and has been operated throughout the year for all transactions recorded in the software and the audit trail feature has not been tampered with and the audit trail has been preserved by the corporation as per the statutory requirements for record retention.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Ind AS financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, Individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Ind AS financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Corporation has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



- iii. प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अकाउंटिंग नीतियों की उपयुक्तता और अकाउंटिंग अनुमानों और संबंधित डिसक्लोजर्स की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- iv. लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन के इस्तेमाल की सटीकता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कॉरपोरेशन के चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित डिसक्लोजर की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे डिसक्लोजर अपर्याप्त हैं, तो अपने विचार को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर्स की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण निगम एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।
- v. भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें डिसक्लोजर भी शामिल है, और क्या भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो।
- vi. भौतिकता भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के किसी सही जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में।
- vii. हम अन्य मामलों के साथ-साथ ऑडिट के नियोजित दायरे एवं समय तथा हमारे ऑडिट के दौरान पहचाने गए महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में भी शासन के प्रभारी लोगों से संवाद करते हैं।
- viii. हम शासन के प्रभारी लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करने के लिए कहा है जो सही ढंग से हमारी स्वतंत्रता और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं।
- iii. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management
- iv. Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the corporation's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Ind AS Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the corporation to cease to continue as a going concern
- v. Evaluate the overall presentation, structure and content of the Ind AS financial statements, including the disclosures, and whether the Ind AS financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- vi. Materiality is the magnitude of misstatements in the Ind AS financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Ind AS financial statements.
- vii. We also communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings that we identify during our audit.
- viii. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our Independence, and where applicable, related safeguards.



- ix. शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के ऑडिट में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए, प्रमुख ऑडिट मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपने ऑडिटर्स की रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कॉरपोरेशन को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (कंपनी अधिनियम 1956 की पूर्ववर्ती धारा 25) के अंतर्गत परिचालन करने का लाइसेंस प्राप्त है, इसलिए अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर्स की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के खंड 2 (iii) के मद्देनजर, उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामले के संबंध में रिपोर्टिंग आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं।
2. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कॉरपोरेशन की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा, हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर अधिनियम की धारा 143 (5) के अनुसार "अनुलग्नक-1" में अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारे ऑडिट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - a. हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट प्रयोजनों हेतु आवश्यक थे।
 - b. हमारे विचार में, कॉरपोरेशन द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित सटीक अकाउंट बुक्स रखी गई हैं, जैसा कि उन बुक्स की हमारी जांच से पता चलता है।
 - c. इस रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत बैलेंस शीट, आय और व्यय का विवरण और कैश फ्लो का विवरण अकाउंट बुक्स के अनुरूप है।
 - d. हमारी विचार में, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत

- ix. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Ind AS Financial Statements of the current period and are, therefore, the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. The Corporation is Licensed to operate under section 8 of the Companies Act, 2013 (erstwhile section 25 of the Companies Act 1956) hence in view of the clause 2 (iii) the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of Section 143 of the Act, the reporting requirements in respect of the matter specified vide para 3 and 4 of the said order are not applicable.
2. According to the information and explanations given to us and on the basis of such checks of the books and records of the Corporation as we considered appropriate, we are enclosing our report in "Annexure I" in terms of section 143 (5) of the Act, on the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.
3. As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit we report that:
 - a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the corporation so far as it appears from our examination of those books.
 - c. The Balance Sheet, the Statement of Income & Expenditure and Statement of Cash Flow dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
 - d. In our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Ind AS specified



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक का अनुपालन करते हैं, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है।

- e. भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या GSR 463(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार, कॉर्पोरेशन एक सरकारी कंपनी होने के नाते डायरेक्टर्स की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधानों से छूट प्राप्त है।
- f. कॉर्पोरेशन के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक II" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।
- g. कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर्स) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर्स की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि हमारे विचार में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार संशोधित किया गया है:
 - i) निगम ने 31 मार्च 2025 तक लंबित मुकदमों के प्रभाव को अपनी वित्तीय स्थिति पर अपने आईएंडएस वित्तीय विवरणों में प्रकट किया है – आईएंडएस वित्तीय विवरणों के नोट 25 का संदर्भ लें।
 - ii) कॉर्पोरेशन के पास कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसमें डेरिवेटिव अनुबंध भी शामिल थे, जिसके लिए कोई भी भौतिक पूर्वानुमानित घाटा था।
 - iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कॉर्पोरेशन द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।
 - iv) (A) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, अकाउंट में नोटों में खुलासा किए जाने के अतिरिक्त, कॉर्पोरेशन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (यों) या संस्था (ओं) में, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") को या तो कोई धनराशि

under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014

- e. In terms of circular No. GSR 463(E) dated 05th June, 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, the Corporation being a Government Company, is exempt from the provisions of section 164(2) of the Act regarding disqualification of Directors.
- f. With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to financial statements of the corporation and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure II". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the corporation's internal financial controls with reference to Ind AS financial statements.
- g. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i) The corporation has disclosed the impact of pending litigations as at 31 March 2025 on its financial position in its Ind AS Financial Statements - Refer Note 25 to the Ind AS financial statements
 - ii) The Corporation did not have any long-term contracts including derivatives contracts for which there were any material foreseeable losses.
 - iii) There were no amounts which required to be transferred by the Corporation to the Investor Education and Protection Fund.
 - iv) (A) The management has represented that, to the best of their knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the corporation to or in any other



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधियों से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, निगम ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(B) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, अकाउंट्स में नोटों में बताए गए के अतिरिक्त, कॉर्पोरेशन द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("फंडिंग पार्टियां") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कॉर्पोरेशन चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा; और

(C) ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे उन्हें विश्वास हो कि उप-खण्ड (A) और (B) के अंतर्गत प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत कथन निहित है।

- v) कॉर्पोरेशन ने अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।
- vi) हमारे परीक्षण के आधार पर, जिसमें नमूना जांच शामिल थी, कॉर्पोरेशन ने अपने

person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the corporation ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(B) The management has represented, that, to the best of their knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the corporation from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the corporation shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

(C) Based on audit procedures which we considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused them to believe that the representations under sub-clause (A) and (B) contain any material mis-statement.

- v) The corporation has not declared or paid any dividend during the year in contravention of the provisions of section 123 of the Act.
- vi) Based on our examination which included test checks, the corporation has used an accounting software for



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है तथा सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष यही सुविधा संचालित की गई है। इसके अतिरिक्त, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

गुप्ता और शाह के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 001416C

CA शरद कुमार शाह
भागीदार
सदस्यता संख्या: 070601
यूडीआईएन: 25070601BMJAOV6105

maintaining its books of account which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with.

For Gupta & Shah
Chartered Accountants
Firm Registration Number: 001416C

CA Sharad Kumar Shah
Partner
Membership Number: 070601
UDIN: 25070601BMJAOV6105

स्थान: कानपुर
दिनांक:-23.07.2025

Place : Kanpur
Date:-23.07.2025



गुप्ता और शाह

GUPTA & SHAH

चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स

CHARTERED ACCOUNTANTS

आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम दिनांक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-1

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों पर रिपोर्ट।
(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'
अनुभाग के तहत पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

क्र. सं.	निर्देश/उप निर्देश	की गई कार्यवाई
1.	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए कंपनी द्वारा या ट्रस्टों के माध्यम से सीधे किए गए सभी निवेशों के उचित मूल्यांकन का आकलन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धति का सत्यापन करना, इंडेक्स के साथ संगतता सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करना शामिल है। लेखा परीक्षक मूल्य निर्धारण दृष्टिकोण, इसकी उचितता और लागू नियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त नोट प्रदान करेगा, किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत विवरण की रिपोर्टिंग करेगा।	उचित मूल्य पदानुक्रम को उचित मूल्य माप के विभिन्न स्तरों का उपयोग करते हुए वांछित प्रारूप में नोट 22.10 में खुलासा किया गया है। 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2025 तक संपूर्ण परिसंपत्तियां और देयताएं। केवल नकद, नकद समकक्ष और बैंक जमा पर अर्जित ब्याज ही स्तर-1 पदानुक्रम में मूल्यांकन के योग्य हैं और अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों को स्तर-3 पदानुक्रम में वर्गीकृत किया गया है जो लेखापरीक्षा की राय में उचित रूप से रखा गया है। वार्षिक खातों में दिखाई गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को लागत या शुद्ध वास्तविक मूल्य पर घोषित किया गया है, जो भी कम है और घोषित लेखा नीति के अनुसार है। गतिहीन और धीमी गति से चलने वाली सूची के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। कार्य-प्रगति और तैयार वस्तुओं का मूल्यांकन मानक लागत पर किया गया है, जिसे नियमित अंतराल पर अद्यतन किया जाता है।
2.	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी अकाउंटिंग लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर अकाउंटिंग लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ अकाउंट्स की एकीकरण पर निहितार्थ, यदि कोई हो, बताए जा सकते हैं।	कंपनी ने इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में ईआरपी-एसएपी लागू किया है और 2024-25 के वार्षिक खाते पहले खाते हैं जिन्हें ईआरपी-एसएपी का उपयोग करके अद्यतन किया गया है। प्रबंधन ने टैली के साथ ईआरपी-एसएपी प्रणाली को समानांतर रूप से चलाया है और आश्वासन दिया है कि उसी का मिलान किया गया है और यह कि फॉर्म 2025-26 केवल ईआरपी-एसएपी पर निर्भर है। वर्तमान ईआरपी-एसएपी उत्पादन मॉड्यूल, सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल, बिक्री और वितरण मॉड्यूल, मानव संसाधन मॉड्यूल, संयंत्र रखरखाव और गुणवत्ता प्रबंधन मॉड्यूल को वित्तीय लेखांकन और नियंत्रण मॉड्यूल के साथ एकीकृत करता है। आवश्यक नियंत्रण और संतुलन को शामिल किया गया है और इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार, ईआरपी-एसएपी मॉड्यूल के बाहर कोई लेन-देन बुक नहीं किया जा रहा है। हमें सूचित किया गया है कि मूल्य संवर्धन एक निरंतर अभ्यास है और एसएपी का उपयोग परिचालनों के नियंत्रण के लिए इष्टतम रूप से किया जा रहा है जो अंततः कंपनी के वार्षिक खातों में परिलक्षित होता है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाले धन (अनुदान/सब्सिडी आदि) को लागू लेखांकन मानकों या मानदंडों के अनुसार ठीक से लेखांकन किया गया था और क्या प्राप्त धन का उपयोग इसके नियमों और शर्तों के अनुसार किया गया था? क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज की लेखांकन अनुदानों की शर्तों और शर्तों के अनुसार की गई है। विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	अनुदान-सहायता का धन टीएसए/हाइब्रिड खातों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जिसके लिए कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक में खाता खोला है और पीएफएमएस (सार्वजनिक निधि निगरानी प्रणाली) के माध्यम से उपयोग पर अनुदान को परिवर्तित किया जा रहा है। इस प्रकार, निगम के लिए कोई ब्याज निकासी उपलब्ध नहीं है। एडीआईपी और आरवीवाई योजनाओं के लिए प्राप्त गैट-इन-एड को लागू लेखांकन मानकों या मानदंडों के अनुसार ठीक से लेखांकन किया जाता है और इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया जाता है। अनुदान की शर्तों के अनुसार प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज के लेखांकन में कोई विचलन नहीं है।
4.	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हां, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हां, तो (क) क्या वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई है? (b) क्या कंपनी ने अपने डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है और क्या इसका उचित मूल्य निर्धारण किया गया है?	निगम के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इस नीति में एक मजबूत जोखिम-जागरूक संस्कृति स्थापित करना, मजबूत शासन मानकों को लागू करना, नियमित जोखिम मूल्यांकन करना, जोखिम प्रबंधन योजनाएं विकसित करना और कुशल शमन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है। खंड के अनुसार जोखिमों की पहचान की गई है और इसके शमन की प्रक्रिया लागू की गई है। एक उचित निगरानी तंत्र है और निगम वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि हमें बताया गया है। जहां तक डेटा परिसंपत्तियों का संबंध है, कंपनी ने इसे अर्जुन पोर्टल और एसएपी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहचाना है, जिसके लिए ALIMCO के प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म और आईटी बुनियादी ढांचे में लागू डेटा सुरक्षा प्रथाओं और सुरक्षा उपायों का एक व्यापक अवलोकन, विशेष रूप से अर्जुन पोर्टल, एसएपी प्रणाली और सामान्य उपयोगकर्ता-स्तरीय सुरक्षा के बारे में।



5.	<p>क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 और सेबी, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी-आईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों पर प्रकाश डाला जा सकता है।</p>	<p>कंपनी एक धारा 8 कंपनी है और किसी भी स्टॉक एक्सचेंज मंस सूचीबद्ध नहीं है; इसलिए, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के प्रावधान इसके लिए लागू नहीं हैं।</p> <p>अन्य नियामक प्राधिकरणों जैसे निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई), सीईआरटी-आईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के संबंध में, कंपनी के लिए लागू होने तक लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन किया गया है।</p> <p>ऑडिट के दौरान, उपर्युक्त अधिकारियों के लागू नियमों, विनियमों या निर्देशों के साथ महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन या विचलन के कोई मामले दर्ज नहीं किए गए।</p>
----	---	---

गुप्ता और शाह के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 001416C

स्थान: कानपुर
दिनांक:—23.07.2025

CA शरद कुमार शाह
भागीदार
सदस्यता संख्या: 070601
यूडीआईएन: 25070601BMJAOV6105



गुप्ता और शाह

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

GUPTA & SHAH

CHARTERED ACCOUNTANTS

ANNEXURE-I TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE IND AS FINANCIAL STATEMENTS OF ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA

Report on Directions of Comptroller & Auditor General of India
under Section 143(5) of the Companies Act, 2013.
(Referred to in paragraph 2 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements'
section of our report of even date)

S. No.	Directions/Sub-directions	Action taken
1.	Assess the fair valuation of all the investment, both quoted and unquoted, made directly by the company or through trusts, for post-retirement benefits of the employees. This includes verifying valuation methodologies, ensuring consistency with Ind AS and reviewing supporting documentation. The auditor shall provide a brief note on the valuation approach, its reasonability, and compliance with applicable regulations, reporting any material deviations or misstatements.	Fair Value hierarchy has been disclosed in Note 22.10 in the desired format using various levels of Fair Value Measurement. The entire assets and liabilities as on 31st March 2024 & 31st March 2025. Only cash, cash equivalents and Interest accrued on bank deposit qualify as being valued at Level-1 hierarchy and other assets and liabilities have been classified at Level-3 hierarchy which in the audit opinion is fairly placed. The assets and liabilities shown in the Annual Accounts has been stated at Cost or net realizable value, whichever, is less and as per accounting policy declared. Suitable provisions have been made for Non-moving & slow-moving inventories. The work-in-progress and finished goods have been valued at standard cost which is updated at regular intervals.
2.	Whether the Company has a system in place to process all the accounting transaction through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transaction outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	The company has implemented ERP-SAP in this financial year 2024-25 and annual accounts of 2024-25 is the first accounts that has been updated using ERP-SAP. Management has run the ERP-SAP system parallel with Tally and has assured the same has been matched and that from 2025-26, only the ERP-SAP is being relied upon. The present ERP-SAP integrates the Production Module, Material Management Module, Selling & Distribution Module, HR Module, Plant Maintenance and Quality Management module with the Financial Accounting and Controlling Modules. Necessary checks and balances has been incorporated and is being reviewed constantly. No transaction, to the best of our Knowledge is being booked outside the ERP-SAP module. It has been informed to us that the value addition is a continual exercise and SAP is being used optimally for control of the operations which eventually gets reflected in the Annual Accounts of the company.
3.	Whether funds (grants/ subsidy, etc.) received / receivable for specific schemes from Central/State government or its agencies were properly accounted for as per the applicable accounting standards or norm and whether the received funds were utilized as per its terms and conditions? Whether accounting of interest earned on grants received has been done as per terms and conditions of the Grants. List the cases of deviation.	The Funds of Grant-in-aid are received through TSA/hybrid accounts for which the company has opened account in Reserve Bank of India and the Grants are being transformed on Utilization through PFMS (Public Fund Monitoring System). As such, no interest withdrawal is available to the corporation. The Gant-in-aid received for ADIP and RVY Schemes are properly accounted for as per the applicable accounting standards or norms and utilized as per its terms and conditions. There are no cases of deviation in accounting of interest earned on grants received as per terms and conditions of the Grants.
4.	Whether the company has identified the key risk areas? If yes, whether the company has formulated any Risk Management Policy to mitigate these risk? If yes, (a) whether the Risk Management Policy has been formulated considering global best practices? (b) whether the company has identified its data assets and whether it has been valued appropriately?	The Corporation has a Risk Management Policy which is approved by the Board of Directors. The Policy encompasses establishing a strong risk-aware culture, implementing robust governance standards, conducting regular risk assessments, developing risk management plans and leveraging technology for efficient mitigation. The section wise risks have been identified with its mitigation process in place. There is a proper monitoring mechanism and the corporation is trying to catch up with global best practices, as has been told to us. As far as the data assets are concerned, the company has identified it through ARJUN PORTAL and SAP platform, for which a comprehensive overview of the data security practices and safeguards implemented across ALIMCO's key digital platforms and IT infrastructure, specifically concerning the ARJUN Portal, SAP system, and General user-level protection



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



5.	Whether the company is complying with the Securities and exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, and other applicable rules and regulation of SEBI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Corporate affairs, Department of Public Enterprises, Reserve Bank of India, Telecom Regulatory Authority of India, CERT-IN, Ministry of Electronics and information technology and National Payments Corporation of India wherever applicable? If not, the cases of deviation may be highlighted.	<p>The Company is a Section 8 company and is not listed on any stock exchange; hence, the provisions of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 are not applicable to it.</p> <p>With respect to other regulatory authorities such as the Department of Investment and Public Assets Management (DIPAM), Ministry of Corporate Affairs (MCA), Department of Public Enterprises (DPE), Reserve Bank of India (RBI), Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), CERT-IN, Ministry of Electronics and information technology (MeitY), and National Payments Corporation of India (NPCI), the applicable rules and regulations have been complied with to the extent applicable to the Company.</p> <p>During the audit, no cases of material non-compliances or deviation with the applicable rules, regulations, or directives of the above-mentioned authorities were noted.</p>
----	---	---

For Gupta & Shah
Chartered Accountants
Firm Registration Number: 001416C

CA Sharad Kumar Shah
Partner
Membership Number: 070601
UDIN: 25070601BMJAOV6105

Place : Kanpur
Date:-23.07.2025



गुप्ता और शाह

चाार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम दिनांक की रिपोर्ट का अनुलग्नक— II

अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 3 (एफ) में संदर्भित)

हमने 31 मार्च, 2025 तक आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ("कॉर्पोरेशन") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेशन के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ संयोजन में है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कॉर्पोरेशन का प्रबंधन, भारतीय चाार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें कॉर्पोरेशन की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

ऑडिटर्स की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कॉर्पोरेशन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार व्यक्त करें। हमने अपना लेखा-परीक्षण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') तथा लेखा-परीक्षा पर

GUPTA & SHAH

CHARTERED ACCOUNTANTS

ANNEXURE- II TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE IND AS FINANCIAL STATEMENTS OF ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of sub-section 3 of Section 143 of the Act

(Referred to in paragraph 3 (f) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Artificial Limbs Manufacturing Corporation ("the corporation") as of 31 March, 2025 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Corporation for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Corporation's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of Internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including, adherence to corporation's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Corporation's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting



मानकों के अनुसार किया, जो आईसीएआई(ICAI) द्वारा जारी किए गए तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित माने गए, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा-परीक्षा के लिए लागू सीमा तक हैं, तथा दोनों ही भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों तथा मार्गदर्शन नोट के अनुसार हमें नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करना चाहिए तथा ऑडिट की योजना बनानी चाहिए तथा उसे निष्पादित करना चाहिए, ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा उन्हें बनाए रखा गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कॉरपोरेशन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्य के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण में कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और डायरेक्टर्स के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा

(the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed u/s 143 (10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountant of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate Internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Corporations' internal financial control system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purpose in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of the records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are



रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में कॉरपोरेशन के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली सभी मामलों में पर्याप्त है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित थे।

गुप्ता और शाह के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 001416C

CA शरद कुमार शाह
भागीदार
सदस्यता संख्या: 070601
यूडीआईएन: 25070601BMJAOV6105

स्थान: कानपुर
दिनांक:-23.07.2025

being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company's; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of change in condition, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion the corporation has in all material respects and adequate in internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31st March, 2025 based on the internal control over financial reporting criteria established by the corporation considering the essential components of internal controls stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Control over financial reporting issued by the Institute of Chartered Accountant of India.

For Gupta & Shah
Chartered Accountants
Firm Registration Number: 001416C

CA Sharad Kumar Shah
Partner
Membership Number: 070601
UDIN: 25070601BMJAOV6105

Place : Kanpur
Date:-23.07.2025



आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर

31.03.2025 तक की बैलेंस शीट

(रु लाख में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
	संपत्ति—			
(A)	गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4	23347.53	21320.64
	स्थापना के तहत प्रगति में पूंजीगत कार्य	4	5564.19	3793.34
	अमूर्त संपत्तियाँ	4	47.13	64.25
	विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां	4	962.51	870.01
	वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5	191.20	177.19
	अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	6	117.30	422.52
	कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां (A)		30229.86	26647.95
(B)	वर्तमान परिसंपत्तियां			
	(a) इन्वेंट्रीज	7	22684.39	16543.09
	(b) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) व्यापार प्राप्त्य	8	8548.33	2981.95
	(ii) नकदी और नकदी समतुल्य	9A	33607.46	31107.43
	(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा बैंक बैलेंस	9B	62.32	55.23
	(iv) ऋण/अग्रिम	10	39.86	56.26
	(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5	433.44	517.09
	(c) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	6	16134.95	17153.04
	कुल वर्तमान परिसंपत्तियां (B)		81510.75	68414.09
	कुल परिसंपत्तियां (A+B)		111740.61	95062.04
	इक्विटी और देयताएं			
(A)	इक्विटी			
	(a) इक्विटी शेयर कैपिटल	11	5409.97	5409.97
	(b) अन्य इक्विटी	12	79527.92	68817.71
	कुल इक्विटी (A)		84937.89	74227.68



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
	देनदारियां			
(B)	गैर-वर्तमान देयताएं			
	कुल गैर-वर्तमान देयताएं (B)		0.00	0.00
(C)	वर्तमान देनदारियाँ			
	(a) वित्तीय देयताएं			
	(i) इनको व्यापार बकाया देय:-			
	— सूक्ष्म और लघु उद्यम	13	852.79	665.09
	— सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा	13	4116.42	3788.00
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	14	14345.64	7328.00
	(b) अन्य वर्तमान देनदारियाँ	15	6391.87	8384.35
	(c) प्रावधान	16	1096.00	668.92
	कुल वर्तमान देनदारियाँ (C)		26802.72	20834.36
	कुल देनदारियाँ (B+C)		26802.72	20834.36
	कुल इक्विटी और देनदारियाँ (A+B+C)		111740.61	95062.04
	अवलोकन और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1-3		
	खातों के लिए नोट्स	24-25		

ऊपर उल्लिखित नोट्स भारतीय लेखा मानक भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

संलग्न सम तिथि की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

गुप्ता और शाह के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN – 001416C

ह0 / –
(अतुल रुस्तगी)
GM-F&A & CFO

ह0 / –
(सिद्धार्थ कुमार)
(कंपनी सचिव)

ह0 / –
(CA शरद कुमार शाह)
भागीदार
सदस्यता संख्या 070601
यूडीआईएन: 25070601BMJAOV6105

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17.07.2025

ह0 / –
(मनमीत कौर नंदा)
निदेशक
डीआईएन-10086623

ह0 / –
प्रवीण कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन-10078364



ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA, KANPUR

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

(₹ in Lakhs)

	PARTICULARS	Note No.	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
	ASSETS :			
(A)	Non-Current Assets			
	Property, Plant and Equipment	4	23347.53	21320.64
	Capital Work in Progress including Under installation	4	5564.19	3793.34
	Intangible Assets	4	47.13	64.25
	Intangible Assets under development	4	962.51	870.01
	Financial assets :			
	Other Financial Assets	5	191.20	177.19
	Other non-current Assets	6	117.30	422.52
	Total Non-Current Assets (A)		30229.86	26647.95
(B)	Current Assets			
	(a) Inventories	7	22684.39	16543.09
	(b) Financial Assets			
	(i) Trade receivables	8	8548.33	2981.95
	(ii) Cash and Cash Equivalents	9A	33607.46	31107.43
	(iii) Bank Balances other than (ii) above	9B	62.32	55.23
	(iv) Loans/Advances	10	39.86	56.26
	(v) Other Financial Assets	5	433.44	517.09
	(c) Other Current Assets	6	16134.95	17153.04
	Total Current Assets (B)		81510.75	68414.09
	Total Assets (A+B)		111740.61	95062.04
	EQUITY AND LIABILITIES			
(A)	Equity			
	(a) Equity Share Capital	11	5409.97	5409.97
	(b) Other Equity	12	79527.92	68817.71
	Total Equity (A)		84937.89	74227.68



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



	PARTICULARS	Note No.	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
(B)	Liabilities			
	Non-Current Liabilities			
(C)	Total Non-Current Liabilities (B)		0.00	0.00
	Current Liabilities			
	(a) Financial Liabilities			
	(i) Trade Payables due to:-			
	- Micro and Small Enterprises	13	852.79	665.09
	- Other than Micro and Small Enterprises	13	4116.42	3788.00
	(ii) Other Financial Liabilities	14	14345.64	7328.00
	(b) Other Current Liabilities	15	6391.87	8384.35
	(c) Provisions	16	1096.00	668.92
	Total Current Liabilities (C)		26802.72	20834.36
	Total Liabilities (B+C)		26802.72	20834.36
	Total Equity and Liabilities (A+B+C)		111740.61	95062.04
	Overview and Significant Accounting Policies	1-3		
	Notes to Accounts	24-25		

The Notes referred to above form an integral part of these Ind AS IND AS Financial statements
In terms of our separate report of even date attached

FOR GUPTA & SHAH
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 001416C

Sd/-
(ATUL RUSTAGI)
GM-F&A & CFO

Sd/-
(SIDDHARTH KUMAR)
C.S.

For and on behalf of the Board of Directors

(CA SHARAD KUMAR SHAH)
PARTNER
Membership No. 070601
UDIN: 25070601BMJAOV6105

Sd/-
(Manmeet Kaur Nanda)
Director
DIN 10086623

Sd/-
(PRAVEEN KUMAR)
CMD
DIN 10078364

Place : Delhi
Dated : 17.07.2025



आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय एवं व्यय विवरण

(रु लाख में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
	आय:			
I	परिचालन से राजस्व	17	71028.31	60429.14
	अन्य आय	18	1605.33	2188.42
	कुल आय		72633.64	62617.56
II	व्यय:			
	उपभोग की गई सामग्री की लागत	19.01	31386.68	33115.68
	व्यापार की गई वस्तुओं की लागत	19.02	11365.46	7719.03
	इन्वेंट्री में परिवर्तन	20	-3698.89	-4379.92
	कर्मचारी लाभ व्यय	21	4913.69	4114.31
	मूल्यहास और परिशोधन व्यय	4	1605.79	1131.01
	अन्य व्यय	22	16132.76	13625.71
	सीएसआर (CSR) व्यय		156.99	119.09
	कुल व्यय		61862.48	55444.91
	असाधारण आइटम से पहले आय/(व्यय)		10771.16	7172.65
	असाधारण आइटम		0.00	0.00
	कर से पहले आय/(व्यय)		10771.16	7172.65
	कर व्यय		0.00	0.00
	व्यय पर आय की अधिकता		10771.16	7172.65
	अन्य व्यापक आय (OCI)			
	ऐसी आइटम जिन्हें आय और व्यय के विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		0.00	0.00
	(a) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन		-54.75	-82.23
	वर्ष के लिए कुल अन्य व्यापक आय		-54.75	-82.23
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		10716.41	7090.42



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
	प्रति इक्विटी शेयर आय:	23		
	(i) मूल (₹ में)		1980.86	1310.62
	(ii) तनु (₹ में)		1980.86	1310.62
	अवलोकन और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1-3		
	खातों के लिए नोट्स	24-25		

ऊपर उल्लिखित नोट्स भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।
संलग्न सम तिथि की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

गुप्ता और शाह के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN – 001416C

ह0 / –
(अतुल रुस्तगी)
GM-F&A & CFO

ह0 / –
(सिद्धार्थ कुमार)
(कंपनी सचिव)

ह0 / –
(CA शरद कुमार शाह)
भागीदार
सदस्यता संख्या 070601
यूडीआईएन: 25070601BMJAOV6105

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17.07.2025

ह0 / –
(मनमीत कौर नंदा)
निदेशक
डीआईएन-10086623

ह0 / –
प्रवीण कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन-10078364



ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA, KANPUR

STATEMENT OF INCOME & EXPENDITURE FOR
THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2025

(₹ in Lakhs)

	PARTICULARS	Note No.	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
	INCOME:			
I	Revenue from Operations	17	71028.31	60429.14
	Other Income	18	1605.33	2188.42
	TOTAL INCOME		72633.64	62617.56
II	EXPENSES			
	Cost of Material Consumed	19.01	31386.68	33115.68
	Cost of Goods Traded	19.02	11365.46	7719.03
	Changes in Inventories	20	-3698.89	-4379.92
	Employee Benefits Expense	21	4913.69	4114.31
	Depreciation & Amortisation Expenses	4	1605.79	1131.01
	Other Expenses	22	16132.76	13625.71
	CSR Expenses		156.99	119.09
	TOTAL EXPENSES		61862.48	55444.91
	Income/ (Expenditure) before Exceptional Items		10771.16	7172.65
	Exceptional item		0.00	0.00
	Income/(Expenditure) before Tax		10771.16	7172.65
	Tax Expense		0.00	0.00
	Excess of Income over Expenditure		10771.16	7172.65
	Other Comprehensive Income (OCI)			
	Items that will not be reclassified to Statement of Income & Expenditure		0.00	0.00
	(a) Remeasurements of the defined benefits plans		-54.75	-82.23
	Total Other Comprehensive Income for the year		-54.75	-82.23
	Total Comprehensive Income for the year		10716.41	7090.42



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



	PARTICULARS	Note No.	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
	Earnings per equity share :	23		
	(i) Basic (in ₹)		1980.86	1310.62
	(ii) Diluted (in ₹)		1980.86	1310.62
	Overview and Significant Accounting Policies	1-3		
	Notes to Accounts	24-25		

The Notes referred to above form an integral part of these Ind AS financial statements.

In terms of our separate report of even date attached

FOR GUPTA & SHAH
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 001416C

Sd/-
(ATUL RUSTAGI)
GM-F&A & CFO

Sd/-
(SIDDHARTH KUMAR)
C.S.

For and on behalf of the Board of Directors

(CA SHARAD KUMAR SHAH)
PARTNER
Membership No. 070601
UDIN: 25070601BMJAOV6105

Sd/-
(Manmeet Kaur Nanda)
Director
DIN 10086623

Sd/-
(PRAVEEN KUMAR)
CMD
DIN 10078364

Place : Delhi
Dated : 17.07.2025



आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण
(रु लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
a)	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:				
	कर से पहले लाभ		10716.41		7090.42
	इसके लिए समायोजन:				
	आय और व्यय में मान्यता प्राप्त ब्याज आय	-1409.29		-2772.02	
	पूर्व अवधि के आइटम	-6.27		-18.62	
	अचल परिसंपत्तियों का परिशोधन	0.00		0.00	
	आग से हुए नुकसान	0.00		0.00	
	अचल परिसंपत्तियों का नुकसान	-0.30		0.70	
	गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास और परिशोधन	1605.79		1131.01	
			189.93		-1658.93
	कार्यशील पूंजी में गति:				
	इन्वेंट्री में (वृद्धि)/कमी	-6141.30		-7087.27	
	अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	-4448.24		-10507.65	
	व्यापार देय, अन्य देयताएं और प्रावधान में वृद्धि/(कमी)	5968.36		1421.00	
			-4621.18		-16173.92
	संचालन से उत्पन्न नकदी		6285.16		-10742.43
	आयकर भुगतान किए गए(वापसी)		0.00		0.00
	संचालन गतिविधियों से/(उपयोग में) उत्पन्न शुद्ध नकदी (a)		6285.16		-10742.43
b)	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण प्राप्त करने के लिए भुगतान	-2667.72		-12400.95	
	पूंजी WIP और पूंजीगत परिसंपत्तियों में वृद्धि/हटाव	-2779.38		3547.22	
	अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों में वृद्धि/हटाव	291.21		-15.43	
	प्राप्त ब्याज	1409.29		2772.02	
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री प्रतिफल			10.45	
	निवेश गतिविधियों द्वारा उत्पन्न/(उपयोग में) शुद्ध नकदी (b)		-3746.60		-6086.69



(रु लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	
c)	वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
	भुगतान किया गया ब्याज	0.00		0.00	
	वित्तपोषण गतिविधियों में उपयोग की गई शुद्ध नकदी (c)		0.00		0.00
	नकदी और नकदी समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (a+b+c)		2538.56		-16829.12
	वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समतुल्य		31176.22		48005.34
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		33714.78		31176.22
	नकदी और नकदी समतुल्य-				
	i) भारतीय लेखा मानक 7 के अनुसार हाथ में नकदी और नकदी समतुल्य		33607.46		31107.43
	ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य शेष राशि		107.32		68.79
	कुल		33714.78		31176.22

संलग्न सम तिथि की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

गुप्ता और शाह के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
FRN – 001416C

ह0 / –
(अतुल रुस्तगी)
GM-F&A & CFO

ह0 / –
(सिद्धार्थ कुमार)
(कंपनी सचिव)

ह0 / –
(CA शरद कुमार शाह)
भागीदार
सदस्यता संख्या 070601
यूडीआईएन: 25070601BMJAOV6105

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17.07.2025

ह0 / –
(मनमीत कौर नंदा)
निदेशक
डीआईएन-10086623

ह0 / –
प्रवीण कुमार
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन-10078364



ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA, KANPUR

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(₹ in Lakhs)

	PARTICULARS	Year Ended March 31, 2025		Year Ended March 31, 2024	
a)	Cash flow from operating activities:				
	Profit before tax		10716.41		7090.42
	Adjustments for:				
	Interest income recognised in income and expenditure	-1409.29		-2772.02	
	Prior Period Items	-6.27		-18.62	
	Amortization of Fixed Assets	0.00		0.00	
	Loss on fire	0.00		0.00	
	Loss of Fixed Assets	-0.30		0.70	
	Depreciation and amortisation of non-current assets	1605.79		1131.01	
			189.93		-1658.93
	Movements in working capital:				
	(Increase)/decrease in inventories	-6141.30		-7087.27	
	(Increase)/decrease in other assets	-4448.24		-10507.65	
	Increase/(decrease) in trade payables, other liabilities and provisions	5968.36		1421.00	
			-4621.18		-16173.92
	Cash generated from operations		6285.16		-10742.43
	Income taxes paid / (refund)		0.00		0.00
	Net cash generated from/(used in) operating activities (a)		6285.16		-10742.43
b)	Cash flows from investing activities				
	Payments to acquire Property, Plant and Equipment	-2667.72		-12400.95	
	Addition/ Deletions in Capital WIP & Capital Assets	-2779.38		3547.22	
	Addition/ Deletions in Other Non-Current Assets	291.21		-15.43	
	Interest received	1409.29		2772.02	
	Sale consideration of Property, Plant and Equipment			10.45	
	Net cash (used in) / generated by investing activities (b)		-3746.60		-6086.69



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



(₹ in Lakhs)					
	PARTICULARS	Year Ended March 31, 2025		Year Ended March 31, 2024	
c)	Cash flows from financing activities				
	Interest paid	0.00		0.00	
	Net cash used in financing activities (c)		0.00		0.00
	Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents (a+b+c)		2538.56		-16829.12
	Cash and cash equivalents at the beginning of the year		31176.22		48005.34
	Cash and cash equivalents as at the end of the year		33714.78		31176.22
	Cash and Cash Equivalents-				
	i) Cash in hand and Cash Equivalents as per IND-AS 7		33607.46		31107.43
	ii) Balances other than (i) above		107.32		68.79
	Total		33714.78		31176.22

In terms of our separate report of even date attached

FOR GUPTA & SHAH
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 001416C

Sd/-
(ATUL RUSTAGI)
GM-F&A & CFO

Sd/-
(SIDDHARTH KUMAR)
C.S.

For and on behalf of the Board of Directors

(CA SHARAD KUMAR SHAH)
PARTNER
Membership No. 070601
UDIN: 25070601BMJAOV6105

Sd/-
(Manmeet Kaur Nanda)
Director
DIN 10086623

Sd/-
(PRAVEEN KUMAR)
CMD
DIN 10078364

Place : Delhi
Dated : 17.07.2025



आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर

31 मार्च 2025 को इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(A) समता अंश पूंजी

1) वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि				(रु. लाख में)
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर कैपिटल में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निधारित शेष राशि	वर्तमान वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर कैपिटल में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
5409.97	0.00	5409.97	0.00	5409.97

2) पिछली रिपोर्टिंग अवधि				(रु. लाख में)
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर कैपिटल में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निधारित शेष राशि	वर्तमान वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर कैपिटल में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
5409.97	0.00	5409.97	0.00	5409.97

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA, KANPUR

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY AS AT 31ST MARCH 2025

A. Equity Share Capital

(1) Current reporting period				
Balance at the beginning of the current reporting period	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balances at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the current year	Balance at the end of the current reporting period
5409.97	0.00	5409.97	0.00	5409.97

(2) Previous reporting period				
Balance at the beginning of the previous reporting period	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balances at the beginning of the previous reporting period	Changes in equity share capital during the previous year	Balance at the end of the previous reporting period
5409.97	0.00	5409.97	0.00	5409.97



(रु. लाख में)																				
ख) अन्य इक्विटी																				
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि	शेयर आवेदन के पैसो का लंबित आवंटन	कम्पाउंड वित्तीय लिखतों का इक्विटी घटक	रिजर्व और अधिशेष						प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य रिजर्व प्रकृति निर्दिष्ट करें	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण साधन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन	कैश फ्लो हेज का प्रभावी भाग	पूर्णमूल्यकन अधिशेष	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों का अनुवाद करने पर प्रतिदान अंतर	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	शेयर वारंट के खिलाफ प्राप्त धन	कुल	
			राष्ट्रीय रक्षा कोष से अनुदान	भारत सरकार द्वारा आवंटित भूमि	आधुनिकरण अनुदान	आधुनिकरण के लिए पूंजीकृत ब्याज	कैपिटल रिजर्व	रिजर्व और अधिशेष												
			400.00	0.00	2256.95	2866.83	0.00	0.00	63299.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.72	0.00	68817.71
			0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	-6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.20
			400.00	0.00	2256.95	2866.90	0.00	0.00	63293.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.72	0.00	68811.51
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54.75	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10716.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10716.41
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			400.00	0.00	2256.95	2866.90	0.00	0.00	74064.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60.47	0.00	79527.92
भारत सरकार द्वारा आवंटित भूमि का मूल्य केवल 2/- रुपये है।																				



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



B. Other Equity															(₹ in Lakhs)	
(1) Current reporting period															Money received against share warrants	Total
Share application in money pending allotment	Equity component of compound financial instruments	Reserves and Surplus						Retained Earnings	Debt instruments through Other Comprehensive Income	Equity Instruments through Other Comprehensive Income	Effective portion Cash Flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange differences on translating the financial statements of a foreign operation	Other items of Other Comprehensive Income (specify nature)		
		Grant from National Defence Fund	Land allotted by Government of India	Modernization Grant	Interest Capitalized for Modernization	Securities Premium	Other Reserves (specify nature)									
		400.00	0.00	2256.95	2866.83	0.00	0.00	63299.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.72	68817.71
Balance at the beginning of the current reporting period	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63299.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68817.71
Changes in accounting policy or prior period errors	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	-6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.20
Restated balances at the beginning of the current reporting period	0.00	400.00	0.00	2256.95	2866.90	0.00	0.00	63293.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.72	68811.51
Total comprehensive income for the current year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54.75	0.00
Dividends	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transfer to retained earnings	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10716.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10716.41
Any other change - Interest on FDRs set aside for Modernization	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Balance at the end of the current reporting period	0.00	0.00	400.00	0.00	2256.95	2866.90	0.00	74064.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60.47	79527.92
Value for Land allotted by Government of India is Rs.2 only/-																



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



2) पूर्व रिपोर्टिंग अवधि															(रु. लाख में)				
	शेयर आवेदन के पैसों आवंटन लंबित	कम्पाउंड वित्तीय लिखतों का इक्विटी घटक	रिजर्व और अधिशेष						शेयर वारंट के खिलाफ प्राप्त धन						कुल				
			कैपिटल रिजर्व			प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य रिजर्व प्रकृति निर्दिष्ट करें	प्रतिधारित कमाई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण साधन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन	कैश फ्लो हेज का प्रभावी भाग	पूर्णमूल्यंकन अधिशेष	विदेशी परिव्यालन के वित्तीय विवरणों का अनुवाद करने पर प्रतिदान अंतर	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (प्रकृति निर्दिष्ट करें)					
			राष्ट्रीय रक्षा कोष से अनुदान	भारत सरकार द्वारा आवंटित भूमि	आधुनिकरण अनुदान											आधुनिकरण के लिए पूंजीकृत ब्याज			
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	0.00	0.00	400.00	0.00	2256.95	2866.83	0.00	0.00	56145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	76.51	0.00	61745.90			
लेखा नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.62			
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निधारित शेष राशि	0.00	0.00	400.00	0.00	2256.95	2866.83	0.00	0.00	56129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	76.51	0.00	61727.29			
वर्तमान वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-82.23	0.00	0.00			
लाभांश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7090.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7090.42			
कोई अन्य परिवर्तन-आधुनिकीकरण के लिए अलग रखी गई FDR पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
कोई अन्य परिवर्तन - ईपीआईएल के चालू खातों पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
पूर्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि	0.00	0.00	400.00	0.00	2256.95	2866.83	0.00	0.00	63299.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.72	0.00	68817.71			
भारत सरकार द्वारा आवंटित भूमि का मूल्य केवल 2 / - रुपये है।																			



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



B. Other Equity																		
(1) Previous reporting period																		
	Share application money pending allotment	Equity component of compound financial instruments	Reserves and Surplus						Retained Earnings	Debt instruments through Other Comprehensive Income	Equity Instruments through Other Comprehensive Income	Effective portion Cash Flow Hedges	Revaluation on Surplus	Exchange differences on translating the financial statement of a foreign operation	Other items of Other Comprehensive Income (specify nature)	Money received against share warrants	Total	
			Grant from National Defence Fund	Land allotted by Government of India	Capital Reserves	Securities Premium	Other Reserves (specify nature)											
					Modernization Grant	Interest Capitalized for Modernization												
Balance at the beginning of the current reporting period	0.00	0.00	400.00	0.00	2256.95	2866.83	0.00	0.00	56145.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.51	0.00	61745.90
Changes in accounting policy or prior period errors	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.62
Restated balances at the beginning of the current reporting period	0.00	0.00	400.00	0.00	2256.95	2866.83	0.00	0.00	56126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.51	0.00	61727.29
Total comprehensive income for the current year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82.23	0.00	0.00
Dividends	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transfer to retained earnings	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7090.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7090.42
Any other change - Interest on FDRs set aside for Modernization	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Any other change - Interest on running account of EPIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Balance at the end of the current reporting period	0.00	0.00	400.00	0.00	2256.95	2866.83	0.00	0.00	63299.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.72	0.00	68817.71

FOR GUPTA & SHAH
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 001416C

(CA SHARAD KUMAR SHAH)
PARTNER
Membership No. 070601
UDIN: 25070601BMJAOV6105

Sd/-
(ATUL RUSTAGI)
GM-F&A & CFO

Sd/-
(Manmeet Kaur Nanda)
Director
DIN 10086623

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
(SIDDHARTH KUMAR)
C.S.

Sd/-
(PRAVEEN KUMAR)
CMD
DIN 10078364



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

1. संक्षिप्त विवरण :

आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक मिनी रत्न श्रेणी II CPSE है जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में काम करता है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (कंपनी अधिनियम, 1956 की पूर्ववर्ती धारा 25) के तहत एक धर्मार्थ संगठन के रूप में पंजीकृत है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA और धारा 80 G के तहत छूट का लाभ उठाता है।

कॉर्पोरेशन को 30.11.1972 को शामिल किया गया था और 1976 में सहायक उपकरणों और उपकरणों का निर्माण शुरू किया गया था। कॉर्पोरेशन भारत सरकार की ADIP योजना और RVY योजना के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है, जहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले दिव्यांग लोगों और आर्थिक रूप से कमजोर समाज के वरिष्ठ नागरिकों को क्रमशः प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कॉर्पोरेशन को जारी अनुदान के माध्यम से मुफ्त में सहायता और सहायक उपकरण मिलते हैं। GIA स्ट्रीम के अलावा, अन्य गैर GIA स्ट्रीम में राज्य सरकार, डीलर, फैब्रिकेटिंग एजेंसियां और काउंटर सेल्स शामिल हैं।

संगठन की उपस्थिति पूरे भारत में है और इसका मुख्यालय, पंजीकृत कार्यालय और प्रमुख मैनुफैक्चरिंग सेटअप जी.टी. रोड, नारामऊ, कानपुर में है साथ ही सहायक प्रोडक्शन प्लांट भुवनेश्वर, जबलपुर, बंगलुरु, चौनलोन (मोहाली), उज्जैन और फरीदाबाद में है। इसके क्षेत्रीय विपणन केंद्र नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और गुवाहाटी में स्थित हैं। यह टिकमगढ़ में एक विनिर्माण संयंत्र के साथ भी आ रहा है, जिसके लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है और कैमूर में एक क्षेत्रीय विपणन केंद्र है, जहां निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। निगम 31 मार्च 2025 तक मुख्यालय, एएपीसी, आरएमसी और देश भर में 72 प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्रों (पीएमडीके) से काम कर रहा है, जो राष्ट्रीय संस्थानों/समग्र पुनर्वास केंद्रों/जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्रों के साथ साझेदारी कर रहा है, जो एक ही प्रशासनिक मंत्रालय के अधीन हैं, पीएमडीके को विभिन्न स्थानों पर स्थानीय अस्पतालों और एम्स के साथ साझेदारी में खोला जा रहा है। निगम की पहुंच बढ़ाने और दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक आसान

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA, KANPUR

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2025

1. Overview :

Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India is a Mini Ratna Category II CPSE working under the aegis of Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. It is registered under Section 8 of the Companies Act, 2013 (erstwhile Section 25 of the Companies Act, 1956) as a charitable organization and enjoys the benefit of exemption under Section 12 AA and Section 80 G of the Income Tax Act, 1961.

The corporation was incorporated on 30.11.1972 and commenced manufacturing of aids and appliances in 1976. The corporation works as a nodal agency for implementation of ADIP Scheme and RVY Scheme of Government of India where disabled population below the poverty line and Senior Citizens belonging to financially vulnerable society respectively, gets the aids and assistive devices free of cost through Grant-in-aid released by the Administrative Ministry to the corporation. Apart from the GIA stream, Other non GIA stream included State Government, Dealers, Fabricating Agencies and counter sales.

The corporation has a Pan-India presence with Head Quarter, Registered Office and a major manufacturing setup at G.T.Road, Naramau, Kanpur and auxiliary production plants at Bhubaneswar, Jabalpur, Bengaluru, Chandalon (Mohali), Ujjain and Faridabad. Its Regional Marketing Centers are located in New Delhi, Kolkata, Mumbai, Hyderabad and Guwahati. It is also coming up with a manufacturing plant in Tikamgarh for which the construction is in progress & a Regional Marketing Centre at Kaimur where also the construction is in progress. The Corporation is operating from Head Quarter, AAPCs, RMCs and 72 Pradhan Mantri Divyasha Kendras (PMDKs) as on 31st March 2025 throughout the country partnering with the National Institutes/Composite Rehabilitation Centers/ District Disability Rehabilitation Centers which are under the same Administrative Ministry, the PMDKs are being opened partnering with local hospitals and AIIMS in various locations. More and more Centers shall be opened in due course with a view to enhance the



पहुंच के लिए समय रहते अधिक से अधिक केंद्र खोले जाएंगे। निगम का मानना है कि पहुंच बढ़ाने से दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की सेवाएं अधिक प्रभावी और कुशलता से की जा सकती हैं। सरकार का अंतिम लक्ष्य देश के प्रत्येक 100 किलोमीटर के दायरे में सहायक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करना है।

2. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

2.01 अनुपालन का विवरण

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिनमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (IndAS) शामिल हैं, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016 के साथ पढ़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उपर्युक्त वित्तीय विवरणों को 16 जुलाई 2025 को आयोजित मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अनुमोदित किया गया है।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष तक की सभी अवधियों के लिए, कंपनी ने कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 ("पिछला GAAP") के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं। भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तिथि 1 अप्रैल, 2018 थी।

2.02 तैयारी और प्रस्तुति का आधार

कॉर्पोरेट अफेयर्स के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कंपनी को 1 अप्रैल, 2018 से कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (IndAS) के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी ने ये वित्तीय विवरण तैयार किए हैं, जिनमें 31 मार्च, 2025 तक की बैलेंस शीट, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण के साथ महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (जिन्हें आगे से सामूहिक रूप से "इंड एस वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) शामिल हैं।

वित्तीय विवरण अक्रूअल आधार पर तथा ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित के, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है:-

reach of the corporation and for easy accessibility of Divyangjans and senior citizens to the assistive technology. The corporation feels that by enhancing reach, services Divyangjans and senior citizens can be done more effectively and efficiently. The ultimate goal of the Government is to have assistive technology centers at every 100 KM radius of the country.

2.01 Statement of compliance

Financial Statements have been prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India including Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016. The aforesaid financial statements for financial year 2024-25 have been approved by the Board of Directors in the meeting held on 16th July 2025.

For all periods up to and including the year ended 31st March 2018, the Company prepared its financial statements in accordance with requirements of the Accounting Standards notified under the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 ("Previous GAAP"). The date of transition to Ind AS was 1 April, 2018.

2.02 Basis of preparation and presentation

In accordance with the notification issued by the Ministry of Corporate Affairs, the Company is required to prepare its Financial Statements as per the Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and the Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016 with effect from 1 April, 2018. Accordingly, the Company has prepared these Financial Statements which comprise the Balance Sheet as at 31 March, 2025, the Statement of Income and Expenditure, the Statements of Cash Flows and the Statement of Changes in Equity for the year ended 31 March, 2025 and significant accounting policies and other explanatory information (together hereinafter referred to as "Ind AS financial statements").

The financial statements have been prepared on accrual basis and under the historical cost convention except the following, which has been measured at fair value:-



परिभाषित लाभ योजनाएँ – उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्तियाँ। ऐतिहासिक लागत आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या किसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए भुगतान किया जाएगा, भले ही वह मूल्य प्रत्यक्ष रूप से विचार योग्य हो या किसी अन्य मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके अनुमानित किया गया हो। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, कंपनी परिसंपत्ति या देयता की विशेषताओं को ध्यान में रखती है, यदि बाजार प्रतिभागी माप तिथि पर परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हैं। उदाहरण के लिए, कंपनी के मामले में, भूमि और अन्य संपत्ति के उपयोग पर प्रतिबंध देश की दिव्यांग आबादी के लिए सहायक उपकरण और सहायता सामग्री के विनिर्माण के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए है। इन वित्तीय विवरणों में मापन औरध्या प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए उचित मूल्य इस आधार पर निर्धारित किया जाता है।

2.03 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय राष्ट्रीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए गए हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। अन्यथा संकेतित को छोड़कर, सभी राशियों को निकटतम लाख में दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित (राउंड-ऑफ) किया गया है।

2.04 अनुमान अनिश्चितता और महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णयों के प्रमुख स्रोत

नीचे पैरा 3 के अंतर्गत सभी नोटों में उल्लिखित नीतियों को लागू करने के दौरान कंपनी को परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशि के बारे में निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है, जो अन्य स्रोतों से साफ तौर पर स्पष्ट नहीं होती हैं। अनुमान और संबंधित धारणाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य प्रासंगिक माने जाने वाले कारकों पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधनों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमान संशोधित किया गया है अगर संशोधन केवल उसी अवधि को प्रभावित करता है, या संशोधन की अवधि और भविष्य की अवधि में, यदि संशोधन वर्तमान और भविष्य की अवधि को प्रभावित करता है।

अनुमान में अनिश्चितता निम्नलिखित प्रमुख स्रोतों से उत्पन्न होती है: –

Defined benefit plans - plan assets measured at fair value. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to discharge a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Company takes in to account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. For example, in case of the company, restriction on usage of land and other property being used is for furtherance of its objective to manufacture aids and appliances for disabled population of the country. Fair value for measurement and/or disclosure purposes in these financial statements is determined on such a basis.

2.03 Functional and Presentation Currency

These financial statements are presented in Indian National Rupee (₹) which is the company's functional currency. All amounts have been rounded off to the nearest Lakhs up to two decimal places, except otherwise indicated.

2.04 Key sources of estimation uncertainty and critical accounting judgements

In the course of applying the policies outlined in all notes under para 3 below the Company is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amount of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates. The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future period, if the revision affects current and future period.

The uncertainty in estimation emanates from the following key sources: -



• संपत्ति, संयंत्र (प्लांट) और उपकरण का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ८ के अनुसार लिया गया है। हालांकि, जीवन, परिसंपत्तियों के तकनीकी जीवन और उनके संभावित आर्थिक जीवन दोनों के आकलन पर निर्भर करता है, जो सापेक्ष दक्षता और परिचालन लागत सहित विभिन्न आंतरिक और बाह्य कारकों पर आधारित होता है।

• प्रावधानों और देनदारियों को किसी अवधि में मान्यता दी जाती है जब यह संभावना बन जाती है कि पिछले परिचालनों या घटनाओं के परिणामस्वरूप भविष्य में धन का आउटफ्लो होगा, जिसका उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। मान्यता के समय के लिए मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जो परिवर्तन के अधीन हो सकते हैं। राशियों का निर्धारण कर-पूर्व दर पर अपेक्षित भावी नकदी प्रवाह को छूट देकर किया जाता है, जो धन के समय मूल्य और देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है।

• आकस्मिकताएँ – व्यवसाय के सामान्य क्रम में, कंपनी के विरुद्ध मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आकस्मिक देयताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। संभावित देयताएँ जो संभव हैं लेकिन उनके निश्चित होने की संभावना नहीं है या जिन्हें विश्वसनीय रूप से निर्धारित करना बहुत कठिन है, उन्हें आकस्मिक देयताएँ माना जाता है। ऐसी देनदारियों का खुलासा नोट के जरिए किया जाता है, लेकिन उन्हें मान्यता नहीं दी जाती।

2.05 वर्तमान और गैर-वर्तमान के रूप में परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण

कंपनी बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है। कोई परिसंपत्ति तब वर्तमान परिसंपत्ति होती है जब: –

- सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की उम्मीद हो।
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद हो या
- नकद या नकद समतुल्य जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए विनिमय या देयता का निपटान करने के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित न किया गया हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कोई देयता तब वर्तमान देयता होती है जब:

- इसके सामान्य परिचालन चक्र में निपटान किए जाने की उम्मीद हो।
- इसे मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा गया हो।

• **Useful lives of property, plant and equipment** have been taken as per Schedule II of the Companies Act, 2013. However, lives are dependent upon an assessment of both the technical lives of the assets and also their likely economic lives based on various internal and external factors including relative efficiency and operating costs.

• **Provisions and liabilities** are recognized in the period when it becomes probable that there will be a future outflow of funds resulting from past operations or events that can reasonably be estimated. The timing of recognition requires application of judgement to existing facts and circumstances which may be subject to change. The amounts are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability.

• **Contingencies** - In the normal course of business, contingent liabilities may arise from litigation and other claims against the Company. Potential liabilities that are possible but not probable of crystallizing or are very difficult to quantify reliably are treated as contingent liabilities. Such liabilities are disclosed in the notes but are not recognized.

2.05 Classification of Assets and Liabilities as Current and Non-Current

The company presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/ non-current classification. An asset is current when it is: -

- Expected to be realized or intended to be sold or consumed in normal operating cycle;
- Held primarily for the purpose of trading;
- Expected to be realized within twelve months after the reporting period; or
- Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when:

- It is expected to be settled in a normal operating cycle;
- It is held primarily for the purpose of trading;



• इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर निपटान किया जाना है या

• रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने तक देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-वर्तमान देयता के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी बारह महीने की अवधि को अपने परिचालन चक्र के रूप में मान्यता देती है।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

3.01 राजस्व मान्यता

राजस्व को प्राप्त या प्राप्त करने योग्य प्रतिफल के आधार पर और जब मान्यता की निश्चितता हो तब मापा जाता है। जब उत्पाद कॉरपोरेशन की फैक्टरी/कार्यालयों और अन्य इकाइयों से ग्राहकों को भेजे जाते हैं, कंपनी करों और शुल्कों को छोड़कर तथा शुद्ध छूट, बिक्री प्रोत्साहन, दी गई छूट, रिटर्न उत्पादों की बिक्री पर राजस्व को मान्यता देती है।

उत्पादों की बिक्री, भारतीय लेखा मानक 115 की अपेक्षा के अनुसार, जहां भी लागू हो, विनिर्माण करों जैसे माल और सेवा कर के सकल(ग्रॉस) को प्रस्तुत किया जाता है। स्क्रेप की बिक्री से होने वाला राजस्व भी परिचालन से होने वाले राजस्व में शामिल है क्योंकि यह विनिर्माण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है और सामग्री के बिल का हिस्सा है।

मुख्यालय सभी उत्पादों का निर्माण करता है जबकि AAPCs में सीमित उत्पादों का निर्माण किया जाता है। अखिल भारतीय (पूरे भारत) स्तर पर सामग्री बेचने के लिए, सामग्री को एक केंद्र से दूसरे केंद्र में स्थानांतरण मूल्य पर स्थानांतरित किया जाता है, जिसे एक इकाई में बिक्री और दूसरी इकाई में खरीद के रूप में माना जाता है, जिसका समेकन के दौरान मिलान (रिकंसाइल) और समायोजन(स्कायर-ऑफ) किया जाता है।

“ग्राहकों के साथ राजस्व अनुबंध” के रूप में बिक्री के मामलों में, कंपनी संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन और भारतीय लेखा मानक 115 की आवश्यकताओं के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ग्राहकों से राजस्व को मान्यता देती है।

3.02 पट्टे पर देना (लीजिंग)

लीज एक अनुबंध है जो प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, संगठन यह आकलन करता है कि क्या: (i) अनुबंध में चिह्नित परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है, (ii) संगठन को

• It is due to be settled within twelve months after the reporting period; or

• There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

The company recognizes twelve months period as its operating cycle.

3. Summary of Material Accounting Policies

3.01 Revenue recognition

Revenue is measured on the basis of the consideration received or receivable and when there is a certainty of recognition. The Company recognizes revenues on sale of products exclusive of taxes and duties, and net of discounts, sales incentives, rebates granted, returns, when the products are dispatched to customer from Corporation's Factory/ Offices and Other Units.

Sale of products is presented gross of manufacturing taxes like goods and service tax wherever applicable as per requirement of IND-AS 115. Revenue from sale of Scrap are also included in revenue from operations since this is integral part of the manufacturing process and a part of Bill of Material.

Head Quarter manufactures all the products whereas limited products are manufactured at AAPCs. In order to sell the material on PAN-India basis, materials are transferred from one center to another at transfer price which is treated as sales in one unit and purchase in other unit which is reconciled and squared off during consolidation.

In cases of sale in the form of "Revenue Contract with Customers", the company recognizes revenue from Corporate Social Responsibilities customers in accordance with Memorandum of Understanding entered with respective customers and as per the requirements of IND-AS 115.

3.02 Leasing

Lease is a contract that conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the corporation assesses whether: (i) the contract involves use of an identified assets, (ii) the corporation has substantially all the economic benefits from the use of the asset through the period



पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं और (पपप) संगठन को परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टे के प्रारंभ की तिथि पर, कंपनी सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए एक उपयोग-के-अधिकार वाली परिसंपत्ति (ROU) और एक संगत पट्टा देयता को मान्यता देती है, जिसमें वह एक पट्टेदार है, बारह महीने या उससे कम अवधि वाले पट्टे (अर्थात् अल्पकालिक पट्टे) और ऐसे पट्टे जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की पट्टा है, को छोड़कर। इन अल्पावधि और कम मूल्य की पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के लिए, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान सीधे आधार पर पट्टे के भुगतान को मान्यता देती है। कुछ पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल हैं। आरओयू (ROU) परिसंपत्तियों और पट्टा देनदारियों में ये विकल्प शामिल होते हैं अगर यह उचित रूप से निश्चित है कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

आरओयू (ROU) परिसंपत्तियों को आरंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टा देयता के आरंभिक माप की राशि शामिल होती है, जिसे पट्टे की आरंभिक तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के साथ-साथ किसी भी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत, पुनर्स्थापन (बहाली) दायित्वों और प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों के लिए समायोजित किया जाता है।

इसके बाद, उपयोग-के-अधिकार वाली परिसंपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास, संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मापा जाता है तथा पट्टा देयता के किसी भी पुनः मापन के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी यह निर्धारित करने के लिए भारतीय लेखा मानक 36 को लागू करती है कि क्या कोई ROU परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त है और "गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति" पर लेखांकन नीति 3.5 में वर्णित किसी भी पहचानी गई क्षति के लिए लेखांकन करती है।

पट्टा देयता को शुरू में उस तिथि पर भुगतान न किए गए पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

पट्टा देयता और ROU परिसंपत्ति को वित्तीय विवरणों में अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है और पट्टा भुगतानों को परिचालन नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3.03 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त स्वीकृति आदेशों के आधार पर मान्यता दी जाती है। अगर स्वीकृति आदेश वित्तीय वर्ष में प्राप्त होता है और निधियां बैलेंस शीट की तारीख के बाद प्राप्त होती हैं, तो उसे "प्राप्य निधि" में दर्शाया जाता है।

आधुनिकीकरण योजना में अनुमोदित (अप्रूव्ड) परिसंपत्तियों की तत्काल खरीद के लिए आधुनिकीकरण योजना हेतु दिए गए सरकारी अनुदान को खरीदी गई परिसंपत्तियों के विरुद्ध

of the lease and (iii) the corporation has the right to direct the use of the asset.

At the date of commencement of the lease, the company recognizes a right-of-use asset (ROU) and a corresponding lease liability for all lease arrangements in which it is a lessee, except for lease with a term of twelve months or less (i.e. short term leases) and leases for which the underlying asset is of low value lease. For these short-term and leased assets of low value, the company recognizes the lease payments on straight-line basis over the term of the lease. Certain lease arrangements includes the options to extend or terminate the lease before the end of the lease term. ROU assets and lease liabilities includes these options when it is reasonably certain that they will be exercised.

The ROU assets are initially recognized at cost, which comprises the amount of the initial measurement of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the inception date of the lease along with any initial direct costs, restoration obligations and lease incentives received.

Subsequently, the right-of-use assets is measured at cost less any accumulated depreciation, accumulated impairment losses, if any and adjusted for any re measurement of the lease liability. The company applies Ind AS 36 to determine whether a ROU asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the accounting policy 3.5 on "Impairment of non-financial assets".

The lease liability is initially measured at present value of the lease payments that are not paid at that date.

Lease liability and ROU asset have been separately presented in the financial statements and lease payments have been classified as operating cash flows.

3.03 Government Grants

Government grants are recognized based on the sanction orders received from the Administrative Ministry. In case the Sanction Order is received in the financial year and funds are received after the Balance Sheet date, the same is shown in "Funds Receivable".

Government grants given for the modernization plan for immediate procurement of assets that have been approved in the Modernization Plan is



समायोजित किया जाता है तथा अप्रयुक्त भाग को चालू देयता के रूप में दर्शाया जाता है। मूर्त(स्पर्शनीय) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण से संबंधित सरकारी अनुदान को संबंधित परिसंपत्तियों के साथ समायोजित किया जाता है।

पिछले वर्ष तक, एडीआईपी, एडीआईपी-एसएसए और आरवीवाई योजनाओं के लिए दिए गए सरकारी अनुदान को योजना के कार्यान्वयन के लिए भेजे गए माल और प्राप्तकर्ता द्वारा माल की प्राप्ति की पुष्टि के आधार पर उपयोग के रूप में माना जाता था, लेकिन 2024-25 से, एडीआईपी, एडीआईपी-एसएसए और आरवीवाई योजनाओं के लिए दिए गए सरकारी अनुदान को लाभार्थियों को वास्तव में वितरित माल के आधार पर उपयोग के रूप में माना जाता है। बैलेंस शीट में, अप्रयुक्त शेष राशि को "अन्य वित्तीय देनदारियों" में चालू देनदारियों के रूप में खुलासा किया जाता है। शिविर स्थलों पर भेजी गई और वितरित नहीं की गई सामग्री को विशिष्ट देनदार के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। सूचनाओं को नोट 14.07 में शामिल किया गया है

3.04 कर्मचारी लाभ

सेवानिवृत्ति लाभ लागत और समाप्ति लाभ: परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के भुगतान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब पात्र कर्मचारियों ने अंशदान पाने के लिए सेवा प्रदान की हो।

परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक(एक्चुरियल) मूल्यांकन किया जाता है। पुनर्मापन, जिसमें बीमांकिक(एक्चुरियल) लाभ और हानि, परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन का प्रभाव (लागू नहीं) और योजना परिसंपत्तियों पर उनका प्रभाव (ब्याज को छोड़कर) शामिल हैं, वित्तीय स्थिति के विवरण में तत्काल परिलक्षित होता है, तथा उन्हें उस अवधि में अन्य व्यापक आय में प्रभार या जमा के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे घटित होते हैं। अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनर्मापन प्रतिधारित आय में तुरंत परिलक्षित होता है तथा उसे आय और व्यय विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। योजना संशोधन की अवधि में पिछली सेवा लागत को आय और व्यय विवरण में मान्यता दी जाती है। शुद्ध ब्याज की गणना अवधि की शुरुआत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर छूट दर लागू करके की जाती है। परिभाषित लाभ लागतों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है:

- सेवा लागत (वर्तमान सेवा लागत, पिछली सेवा लागत, साथ ही कटौती और निपटान पर लाभ एवं हानि सहित)य
- शुद्ध ब्याज व्यय या आय और पुनर्मापन

adjusted against the assets procured and the unutilized portion is shown as Current Liability. Government grants, relating to tangible Property, Plant & Equipment are adjusted with corresponding assets.

Till Last year, Government grants given for ADIP, ADIP-SSA and RVY schemes were treated as utilized on the basis of goods dispatched for implementation of the scheme and confirmation of receipt of goods by the consignee but from 2024-25 onwards, Government grants given for ADIP, ADIP-SSA and RVY schemes were treated as utilized on the basis of goods actually distributed to beneficiaries. In the Balance Sheet, the unutilized balances are disclosed in "Other Financial Liabilities" as Current Liabilities. The material dispatched to Camp sites and not distributed shall appear as Sundry Debtors. Disclosures have been incorporated in Note 14.07

3.04 Employee Benefits

Retirement benefit costs and termination benefits: Payments to defined contribution retirement benefit plans are recognized as an expense when entitled employees have rendered service entitling them to the contributions.

For defined benefit retirement benefit plans, the cost of providing benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Re-measurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (inapplicable) and their turn on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Re-measurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and will not be reclassified to Statement of Income and Expenditure. Past service cost is recognized in Statement of Income and Expenditure in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized as follows:

- service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements);
- net interest expense or income; and re-measurement



कंपनी आय और व्यय विवरण में परिभाषित लाभ लागत के उपरोक्त दो घटकों को लाइन आइटम 'कर्मचारी लाभ व्यय' में प्रस्तुत करती है।

वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व कंपनी की परिभाषित लाभ योजनाओं में वास्तविक घाटे या अधिशेष का प्रतिनिधित्व करता है। इस गणना से उत्पन्न होने वाला कोई भी अधिशेष योजनाओं से रिफंड या योजनाओं में भविष्य के योगदान में कटौती के रूप में उपलब्ध किसी भी आर्थिक लाभ के वर्तमान मूल्य तक सीमित है।

समाप्ति लाभ के लिए देयता को उस समय पहले मान्यता दी जाती है जब इकाई समाप्ति लाभ के प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकती है और जब इकाई किसी भी संबंधित पुनर्गठन लागत को मान्यता देती है।

अल्पकालिक और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ – संबंधित सेवा प्रदान किए जाने की अवधि में कर्मचारियों को पारिश्रमिक और वेतन, वार्षिक छुट्टी और बीमारी की छुट्टी के संबंध में मिलने वाले लाभों के लिए देयता को उस सेवा के बदले में भुगतान किए जाने वाले अपेक्षित लाभों की छूट रहित राशि पर मान्यता दी जाती है।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देनदारियों को संबंधित सेवा के बदले में भुगतान किए जाने वाले अपेक्षित लाभों की छूट रहित राशि पर मापा जाता है।

3.05 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में किसी भी व्यापार छूट और रियायत, किसी भी आयात शुल्क और अन्य कर, जिसके खिलाफ इनपुट क्रेडिट उपलब्ध है, योग्य परिसंपत्तियों के लिए प्रासंगिक उधार लागत शामिल करते हुए संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने पर कोई भी सीधे जिम्मेदार व्यय के शुद्ध खरीद मूल्य शामिल हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के चालू होने के बाद किए गए व्यय, जैसे कि मरम्मत और रखरखाव, उस अवधि में आय और व्यय के विवरण में चार्ज किए जाते हैं जिसमें लागतें खर्च की जाती हैं।

निर्माण के दौरान परिसंपत्तियों को पूंजीगत कार्य प्रगति खाते के तहत परिसंपत्तियों में पूंजी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब कोई परिसंपत्ति प्रबंधन के इच्छित उपयोग पर काम कर रही होती है, तो निर्माण की लागत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयुक्त श्रेणी में स्थानांतरित कर दी जाती है और मूल्यहास शुरू हो जाता है।

उत्पादन, आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों में उपयोग के लिए रखी गई फ्रीहोल्ड (मुक्त) भूमि को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र

The Company presents the above two components of defined benefit costs in Statement of Income and Expenditure in the line item 'Employee benefits expenses'.

The retirement benefit obligation recognized in the statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Company's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

A liability for a termination benefit is recognized at the earlier of when the entity can no longer withdraw the offer of the termination benefit and when the entity recognizes any related restructuring costs.

Short-term and other long-term employee benefits - A liability is recognized for benefits accruing to employees in respect of wages and salaries, annual leave and sick leave in the period the related service is rendered at the undiscounted amount of the benefits expected to be paid in exchange for that service.

Liabilities recognized in respect of short-term employee benefits are measured at the undiscounted amount of the benefits expected to be paid in exchange for the related service.

3.05 Property, Plant and Equipment

The cost of property, plant and equipment comprises its purchase price net of any trade discounts and rebates, any import duties and other taxes, against which input credit is available, any directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use, including relevant borrowing costs for qualifying assets.

Expenditure incurred after the property, plant and equipment have been put into operation, such as repairs and maintenance, are charged to the Statement of Income & Expenditure in the period in which the costs are incurred.

Assets in the course of construction are capitalized in the assets under Capital Work in progress account. At the point when an asset is operating at management's intended use, the cost of construction is transferred to the appropriate category of property, plant and equipment and depreciation commences.

Property, plant and equipment except freehold land held for use in the production, supply or



और उपकरण, बैलेंस शीट में लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, घटाकर बताए जाते हैं।

किसी परिसंपत्ति को तब क्षतिग्रस्त माना जाता है जब परिसंपत्तियों की वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। अगर कोई क्षति हानि होती है, तो उसे उस वर्ष आय और व्यय खाते में दर्ज किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति को क्षतिग्रस्त के रूप में पहचाना जाता है। अगर वसूली योग्य मूल्य के अनुमान में कोई परिवर्तन हुआ है, तो पिछली लेखा अवधि में पहचानी गई हानि को उलट दिया जाता है।

मूल्यह्रास तब शुरू होता है जब परिसंपत्तियाँ अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती हैं। परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास योग्य राशि किसी परिसंपत्ति की लागत, या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि, उसके अनुमानित अवशिष्ट मूल्य को घटाकर होती है। मूल्यह्रास की गणना इस प्रकार की जाती है कि परिसंपत्तियों (फ्रीहोल्ड भूमि और निर्माणाधीन संपत्तियों को छोड़कर) की लागत में से उनके उपयोगी जीवन काल के दौरान अवशिष्ट मूल्य को घटाकर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन काल के अनुसार सीधी रेखा विधि का उपयोग किया जाता है।

3.06 अमूर्त संपत्तियाँ

कंपनी में सॉफ्टवेयर से युक्त अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और संचित क्षति हानि घटाकर रखा जाता है। परिशोधन को 5 वर्षों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी-रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है।

3.07 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वर्गीकरण

कंपनी अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है

- परिशोधित लागत पर,
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर। वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है:
 - वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए इकाई का व्यवसाय मॉडल और
 - वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताएँ

administrative purposes, are stated in the balance sheet at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any.

An asset is treated as impaired when the carrying cost of assets exceed its recoverable value. An impairment loss, if any, is charged to Income & Expenditure Account in the year in which the asset is identified as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting period is reversed, if there has been a change in the estimate of recoverable value.

Depreciation commences when the assets are ready for their intended use. Depreciable amount for assets is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its estimated residual value. Depreciation is recognized so as to write off the cost of assets (other than freehold land and properties under construction) less the residual values over their useful lives, using straight-line method as per the useful life prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013.

3.06 Intangible assets

Intangible assets in the company consisting of software are carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. Amortization is recognized on a straight-line basis over the estimated useful life of 5 years.

3.07 Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Classification

The Company classifies its financial assets in the following categories

- at amortized cost,
- at fair value through other comprehensive income, the classification depends on the following:
 - the entity's business model for managing the financial assets and
 - the contractual cash flow characteristics of the financial asset



प्रारंभिक पहचान और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई, लेनदेन लागत, यदि कोई हो, जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है।

बाद के माप

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए कंपनी के व्यवसाय मॉडल या वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा के आधार पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ।
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ
- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता केवल तभी रद्द की जाती है जब:-

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो, या
- a) कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है (या) वित्तीय परिसंपत्तियों के नकदी प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकारों को बरकरार रखा है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए संविदात्मक दायित्व ग्रहण किया है और
b) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक हस्तांतरित कर दिया है या कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया है।

वहन राशि और प्राप्त/प्राप्त होने वाली राशि के बीच का अंतर आय और व्यय विवरण में पहचाना जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

व्यापार प्राप्त्य और बिल न किए गए राजस्व के लिए, कंपनी भारतीय लेखा मानक 109 के वित्तीय साधनों द्वारा अपेक्षित सरलीकृत दृष्टिकोण को लागू करती है, जिसके लिए अपेक्षित जीवनकाल के नुकसान को प्राप्त्य की प्रारंभिक मान्यता से स्वीकार करने की आवश्यकता होती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम पर क्षति की मान्यता के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या

Initial recognition and measurement

All financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction costs, if any, that are attributable to the acquisition of the financial asset.

Subsequent measurement

Financial assets are subsequently classified into the following three categories based on review at the end of each reporting period on the basis of either company's business model for managing the financial assets or contractual cash flow characteristics of the financial assets:

- Financial assets at amortized cost.
- Financial assets at fair value through other comprehensive income
- Financial assets at fair value through profit and loss.

De-recognition of financial assets

A financial asset is derecognized only when:-

- The right to receive cash flows from the asset have expired, or
- a) The company has transferred the rights to receive cash flows from the financial asset (or) retains the contractual rights to receive the cash flows of the financial assets, but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients and
b) the company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset or the company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

The difference between the carrying amount and the amount of consideration received/receivable is recognized in the Statement of Income and Expenditure.

Impairment of financial assets

For trade receivables and unbilled revenue, the company applies the simplified approach required by IndAS109 Financial Instruments, which requires expected life time losses to be recognized from initial recognition of the receivables.

For recognition of impairment loss on other financial assets and risk exposure, the company determines whether there has been a significant increase in the



नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो क्षति की भरपाई के लिए 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ECL) का उपयोग किया जाता है। हालांकि, अगर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो आजीवन ईसीएल (ECL) का उपयोग किया जाता है। अगर, बाद की अवधि में, साधन की ऋण गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो इकाई 12-माह की ईसीएल (ECL) के आधार पर क्षति हानि भत्ते की मान्यता पर वापस आ जाती है।

वित्तीय देयताएं

कंपनी की वित्तीय देनदारियां किसी अन्य इकाई को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति सौंपने या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देनदारियों का आदान-प्रदान करने का संविदात्मक दायित्व है, जो कि कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल हैं।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण और उधार, व्यापार और अन्य देयताएं शामिल हैं।

वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य में से लेनदेन लागत घटाकर पहचाना जाता है जो सीधे वित्तीय देनदारियों के मुद्दे के लिए जिम्मेदार होती हैं।

बाद के माप

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज दर (EIR) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर (EIR) का एक अभिन्न अंग हैं। आय (लेन-देन लागत के बाद शुद्ध) और मोचन राशि के बीच कोई भी अंतर EIR का उपयोग करके उधार की अवधि में आय और व्यय के विवरण में पहचाना जाता है। जब देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है तो लाभ और हानि को आय और व्यय के विवरण में पहचाना जाता है।

EIR परिशोधन को आय और व्यय के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

वित्तीय दायित्व की मान्यता रद्द करना

जब दायित्व के तहत बाध्यता का निर्वहन हो जाता है या रद्द हो जाती है या समाप्त हो जाती है, तो वित्तीय दायित्व की मान्यता रद्द कर दी जाती है। जब किसी विद्यमान दायित्व को उसी ऋणदाता द्वारा काफी भिन्न शर्तों पर दूसरे दायित्व द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या किसी विद्यमान दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता रद्द करना और एक नए दायित्व की मान्यता देना माना जाता है।

credit risk since initial recognition. If credit risk has not increased significantly, 12-month Expected Credit Loss (ECL) is used to provide for impairment loss. However, if credit risk has increased significantly, life time ECL is used. If, in a subsequent period, credit quality of the instrument improves such that there is no longer a significant increase in credit risk since initial recognition, then the entity reverts to recognizing impairment loss allowance based on 12-month ECL.

Financial Liabilities

Financial liabilities of the Company are contractual obligation to deliver cash or another financial asset to another entity or to exchange financial assets or financial liabilities with another entity under conditions that are potentially unfavorable to the Company.

The Company's financial liabilities include loans & borrowings, trade and other payables.

Classification, initial recognition and measurement

Financial liabilities are recognized initially at fair value minus transaction costs that are directly attributable to the issue of financial liabilities.

Subsequent measurement

After initial recognition, financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the Effective Interest Rate (EIR) method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption amount is recognized in the Statement of Income & Expenditure over the period of the borrowings using the EIR. Gains and losses are recognized in Statement of Income and Expenditure when the liabilities are derecognized.

The EIR amortization is included as finance costs in the Statement of Income and Expenditure.

De-recognition of financial liability

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the Derecognition of the original liability and the



किसी वित्तीय दायित्व की अग्रणीत राशि, जो समाप्त हो गई है या किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित हो गई है, तथा भुगतान किए गए प्रतिफल के बीच का अंतर, जिसमें हस्तांतरित गैर-नकद परिसंपत्तियां या ग्रहण की गई देयताएं शामिल हैं, को आय और व्यय विवरण में अन्य आय या वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय साधनों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और शुद्ध आधार पर निपटान करने, परिसंपत्तियों को वसूलने और देयताओं को एक साथ निपटाने का इरादा है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है।

3.08 मालसूची

रहतिये को रहतिये की लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (जो भी कम हो) पर बताया जाता है। लागत का आधार निम्न अनुसार है :-

(a)	कच्चा माल, स्टोर्स और स्पेयर्स, ढीले उपकरण, पारगमन/ निरीक्षण में सामग्री और फिटिंग सामग्री	भारित औसत लागत पर	भारित औसत लागत में खरीद लागत और अन्य प्रत्यक्ष लागत शामिल होती है।
(b)	कार्य-प्रगति	मानक लागत पर (फैक्टरी लागत)	मानक लागत/कारखाने की लागत सामग्री लागत, मानक श्रम लागत और उत्पादन के पूरा होने और पुष्टि के बिंदु तक कारखाने के सामान्य खर्च का गठन करती है।
(c)	तैयार माल / पारगमन में तैयार माल	मानक लागत (कारखाना लागत) पर/ बेची गई वस्तुओं की लागत पर/ संयोजन की खरीद लागत पर या अनुमानित वास्तविक मूल्य पर, जो भी कम हो	बेची गई वस्तुओं की मानक लागत सामग्री लागत, मानक श्रम लागत, कारखाने के सामान्य व्यय और भंडारण के बिंदु तक बिक्री के सामान्य व्यय का गठन करती है।
(d)	स्क्रेप	अनुमानित प्राप्त मूल्य पर	अनुमानित प्राप्त मूल्य वर्तमान बाजार दर को दर्शाता है।

सामान्य सिद्धांत का पालन करते हुए कि इन्वेंट्री का मूल्यांकन मानक/फैक्ट्री लागत या शुद्ध प्राप्त मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाना चाहिए, संगठन ने उन वस्तुओं के शुद्ध प्राप्त मूल्य का आकलन करने का प्रयास किया जो या तो क्षतिग्रस्त हैं या धीमी गति से चल रही हैं (पिछले 3-5 वर्षों में कोई गतिविधि नहीं) और गैर-चलती हैं (पिछले 5 वर्षों से अधिक समय में कोई गतिविधि नहीं)।

संरक्षणवाद के सिद्धांत का पालन करते हुए, क्षतिग्रस्त वस्तुओं के लिए 80% (मानक/कारखाना लागत का 20%

recognition of a new liability. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognized in Statement of Income and Expenditure as other income or finance cost.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the Balance Sheet if there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

3.08 Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. The basis of cost is as under:

(a)	Raw Materials Stores & Spares, Loose Tools, Material in Transit/ Inspection & Fitting Material	At weighted average cost.	Weighted Average Cost constitutes of purchase cost and other direct cost.
(b)	Work-in-Progress	At Standard Cost (Factory Cost)	Standard Cost/ Factory Cost constitutes of Material Cost, Standard Labour Cost & Factory Overheads to the point of completion and confirmation of production
(c)	Finished Goods / Finished Goods in Transit	At Standard Cost (Factory Cost)/ Cost of Goods Sold/ Procurement cost of assembly or estimated realizable value whichever is less	Standard Cost of Goods Sold constitutes of Material Cost, Standard Labour Cost, Factory Overheads and & Selling Overheads till the point of storage.
(d)	Scrap	At estimated realizable value	Estimated realizable value represents present market rate.

Following the general principle that inventory has to be valued at Standard/Factory cost or net realizable value, whichever is less, the corporation tried to assess the net realizable value of items that are either damaged or slow moving (no movement in last 3-5 years) and non-moving (no movement in last more than 5 years).

Following the principle of conservatism, suitable provision of 80% (valued at 20% of standard/factory



मूल्य पर) का उचित प्रावधान, गैर-चलती वस्तुओं के लिए 50% (मानक/कारखाना लागत का 50% मूल्य पर) का प्रावधान और धीमी गति से चलने वाली वस्तुओं के लिए 50% (मानक/कारखाना लागत का 50% मूल्य पर) का प्रावधान लेखा पुस्तकों में किया जाता है।

तैयार वस्तुओं और कार्य-प्रगति को क्रमशः मानक लागत (कारखाना लागत) और बेची गई वस्तुओं की मानक लागत पर मूल्यवान किया जाता है क्योंकि निगम की प्रकृति के समान एक इंजीनियरिंग उद्योग में, मानक लागत सबसे अच्छा अनुमान है जिसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

3.09 प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभावना है कि संसाधनों का बहिर्वाह, जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसे दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक होगा।

प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, दायित्व के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस शीट की तारीख पर वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक प्रतिफल का सबसे अच्छा अनुमान है। जब किसी प्रावधान को वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अनुमानित नकदी प्रवाह का उपयोग करके मापा जाता है, तो इसकी वहन राशि उन नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य होती है (जब धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक होता है)।

जब किसी प्रावधान के निपटान के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभों को किसी तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की उम्मीद होती है, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है अगर यह लगभग निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और प्राप्य की राशि विश्वसनीय रूप से मापी जा सकता है।

3.10 देनदारों के विरुद्ध प्रावधान तथा ऋण शेष राशि का अपलेखन

संदिग्ध देनदारों के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं, जिनका 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया है। हालाँकि, व्यक्तिगत खाते में 5 वर्षों से अधिक समय से गैर-चलती ऋण शेष राशि के लिए, सावधानीपूर्वक जांच और औचित्य के बाद आवश्यक अपलेखन का सहारा लिया जाना चाहिए।

3.11 आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक देयताएँ और परिसंपत्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं, लेकिन खातों के नोट्स में उचित रूप से प्रकट की गई हैं।

cost) for damaged items, provision of 50% (valued at 50% of standard/factory cost) for non-moving items and a provision of 30% (valued at 70% of standard/factory cost) for slow moving items are made in the Books of Accounts.

Finished goods and Work-in-progress is valued at standard cost (Factory Cost) and Standard Cost of Goods Sold respectively because in an Engineering Industry similar to the nature of Corporation, Standard Costs is best estimation which is updated regularly.

3.09 Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive), as a result of past events, and it is probable that an outflow of resources, that can be reliably estimated, will be required to settle such an obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the balance sheet date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. When a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows (when the effect of the time value of money is material).

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

3.10 Provisions against Debtors and Write back of Credit Balances

Necessary provisions are made for Doubtful Debtors which are outstanding for more than 3 years. However, for non-moving Credit balances in the personal account for more than 5 years, the necessary write backs are to be resorted to after careful examination and justification.

3.11 Contingent Liabilities and Contingent Assets

Contingent Liabilities and Assets are not provided for but are suitably disclosed in the Notes to Accounts.



3.12 नकदी और नकदी समतुल्य

बैलेंस शीट में नकदी और नकदी समतुल्य में बैंकों में और हाथ में नकदी तथा तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं।

3.13 विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्राओं में किए गए लेनदेन को कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा में अनुवादित किया जाता है और लेनदेन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है।

3.14 कर

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23C) (iii)ac के प्रावधानों और धारा 12AA के तहत दी गई छूट के हिसाब से, संगठन की आय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 से 13 के तहत निर्धारित कर से मुक्त है और इसलिए चालू/आस्थगित कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3.15 अनुसंधान और विकास

अनुसंधान एवं विकास पर राजस्व व्यय को उस वर्ष के व्यय में शामिल किया जाता है जिसमें वे किए जाते हैं। अनुसंधान एवं विकास पर पूंजीगत व्यय, यदि कोई हो, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अतिरिक्त दिखाया जाता है।

3.16 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना अधिशेष (व्यय पर आय की अधिकता) को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनु आय निगम की शुद्ध आय पर विचार करके ली जाती है और किसी भी पसंदीदा लाभांश को घटाती है, फिर परिणाम को बकाया शेयरों और तनु शेयरों की भारित औसत संख्या के योग से विभाजित करती है।

3.17 सामान्य जानकारी

वित्तीय विवरणों के नोट्स में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े दर्शाते हैं। पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए पुनः समूहीकृत और पुनः वर्गीकृत किया गया है। पिछले वर्ष के आंकड़ों को भारतीय लेखा मानक की आवश्यकता, C&AG की टिप्पणियों और दिए गए किसी भी आश्वासन को ध्यान में रखते हुए पुनः वर्गीकृत किया गया है।

3.12 Cash and Cash equivalents

Cash and cash equivalent in the Balance Sheet comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to insignificant risk of changes in value.

3.13 Foreign Currency Transactions

Transactions denominated in Foreign Currencies are translated into company's functional currency and are recorded at the Exchange Rate prevailing at the time of transaction.

3.14 Taxes

In view of the provisions of Section 10(23C) (iii)ac and exemption granted under section 12AA of Income Tax Act, 1961, the income of the corporation is exempt from tax as assessed under Section 11 to 13 of the Income Tax Act, 1961 and hence no provision is made for current/ deferred tax.

3.15 Research & Development

Revenue expenditure on Research & Development is charged to expense in the year in which they are incurred. Capital Expenditure, if any, on Research & Development is shown as an addition to Property, Plant & Equipment.

3.16 Earnings per share

Basic earnings per share are computed by dividing the surplus (excess of income over expenditure) by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share are taken by considering corporation's net income and subtract any preferred dividends, then divide the result by the sum of the weighted average number of shares outstanding and dilutive shares.

3.17 General Information

Figures in bracket in the notes to the financial statements represent figures of the previous year. Previous year figures have been re-grouped and re-classified to make them comparable with that of current year figures. The previous year figures have also been re-classified looking into the requirement of IND-AS, comments of C&AG and in view of any assurances given.



आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर

31 मार्च 2025 तक IND AS वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

नोट 4 : संपत्ति, संयन्त्र और उपकरण

(₹ लाख में)

A.	मूल संपत्तियाँ	सकल ब्लॉक					
		31 मार्च 2024 तक	अतिरिक्त	निपटान/समायोजन	अन्य समायोजन	अनुदान में स्थानांतरण	31 मार्च 2025 तक
(a)	भूमि						
	भूमि और भूमि विकास	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	35.27
	सड़क, पुल, जल निकासी और जल आपूर्ति	120.17	0.00	0.00	110.24	0.00	230.41
	लीजहोल्ड भूमि	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	93.87
(b)	भवन						
	फैक्ट्री बिल्डिंग	7,929.39	116.75	0.00	0.00	0.00	8,046.14
	गैर-फैक्ट्री बिल्डिंग	3,144.37	12.90	0.00	826.80	0.00	3,984.07
(c)	संयंत्र और उपकरण						
	सामान्य मशीनरी	9,824.49	1,945.59	0.71	0.00	0.00	11,769.37
	विद्युत मशीनरी और उपकरण	2,285.42	144.56	54.53	4.65	0.00	2,380.10
	मशीन टूल्स	487.16	6.99	5.80	0.00	0.00	488.35
	डाई, जिम्स और फिक्स्चर	637.33	0.00	0.00	0.00	0.00	637.33
	नमूने और पैटर्न	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
	उपयोगिता और सेवा उपकरण	402.48	43.20	0.01	0.00	0.00	445.67
(d)	फर्नीचर और फिक्स्चर						
	फर्नीचर और फिक्स्चर	453.42	27.53	0.06	0.00	0.00	480.89
(e)	वाहन						
	वाहन	119.77	21.69	0.00	10.50	0.00	151.96
(f)	कार्यालय उपकरण						
	अस्पताल प्रशिक्षण और उपकरण	31.36	44.43	0.00	0.00	0.00	75.79
	कार्यालय उपकरण और एयर कंडीशनर	259.73	74.70	0.00	0.40	0.00	334.83
	कैंटीन उपकरण	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
(g)	कंप्यूटर						
	कंप्यूटर	504.94	229.38	0.81	0.00	0.00	733.51
	कुल	26,337.20	2,667.72	61.92	952.59	0.00	29,895.59
	पिछला वर्ष	14,040.44	12,344.66	47.90	0.00	0.00	26,337.20



ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA, KANPUR

NOTES FORMING PART OF IND AS FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 4 : PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT (₹ in Lakh)

A.	TANGIBLE ASSETS	GROSS BLOCK					
		AS AT 31ST MARCH '2024	ADDITIO NS	DISPOS AL/ ADJUS TMENT	OTHER ADJUSTEM ENT	TRANS FER TO GRANT	AS AT 31ST MARCH '2025
(a)	LAND						
	Land & Land Development	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	35.27
	Road, Bridges, Drainage & Water Supply	120.17	0.00	0.00	110.24	0.00	230.41
	Leasehold Land	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00	93.87
(b)	BUILDINGS						
	Factory Building	7,929.39	116.75	0.00	0.00	0.00	8,046.14
	Non-Factory Building	3,144.37	12.90	0.00	826.80	0.00	3,984.07
(c)	PLANT AND EQUIPMENT						
	General Machinery	9,824.49	1,945.59	0.71	0.00	0.00	11,769.37
	Electrical Machinery & Equipment	2,285.42	144.56	54.53	4.65	0.00	2,380.10
	Machine Tools	487.16	6.99	5.80	0.00	0.00	488.35
	Dies, Jigs & Fixtures	637.33	0.00	0.00	0.00	0.00	637.33
	Samples & Patterns	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
	Utility and Service Equipment	402.48	43.20	0.01	0.00	0.00	445.67
(d)	FURNITURE & FIXTURES						
	Furniture & Fixtures	453.42	27.53	0.06	0.00	0.00	480.89
(e)	VEHICLES						
	Vehicles	119.77	21.69	0.00	10.50	0.00	151.96
(f)	OFFICE EQUIPMENT						
	Hospital Training & Equipment	31.36	44.43	0.00	0.00	0.00	75.79
	Office Equipment & Air Conditioner	259.73	74.70	0.00	0.40	0.00	334.83
	Canteen Appliances	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
(g)	COMPUTERS						
	Computers	504.94	229.38	0.81	0.00	0.00	733.51
	TOTAL	26,337.20	2,667.72	61.92	952.59	0.00	29,895.59
	PREVIOUS YEAR	14,040.44	12,344.66	47.90	0.00	0.00	26,337.20



आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

नोट 4 : संपत्ति, संयन्त्र और उपकरण-आगे.....

(₹ लाख में)

B.	मूर्त संपत्तियाँ	संचित मूल्यहास और क्षति				शुद्ध बलॉक		
		31 मार्च 2024 तक	अवमूल्यन/निष्कासन व्यय समाप्ति आयु पर/समायोजन	वर्ष के लिए मूल्यहास/परिशोधन व्यय	परिसंपत्तियों के निपटान/समायोजन पर समाप्त	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
(a)	भूमि							
	भूमि और भूमि विकास	6.41	0.00	0.37	0.00	6.78	28.49	28.86
	सड़क, पुल, जल निकासी और जल आपूर्ति	99.12	0.00	21.86	0.00	120.98	109.43	21.05
	लीजहोल्ड:							
	लीजहोल्ड भूमि	23.68	0.00	1.23	0.00	24.91	68.96	70.19
(b)	भवन							
	फैक्ट्री बिल्डिंग	910.40	0.00	390.24	0.00	1,300.64	6,745.50	7,018.99
	गैर-फैक्ट्री बिल्डिंग	466.49	0.00	115.96	0.00	582.45	3,401.62	2,677.88
(c)	संयंत्र और उपकरण							
	सामान्य मशीनरी	1,343.17	0.00	630.55	1.03	1,972.69	9,796.68	8,481.32
	विद्युत मशीनरी और उपकरण	517.30	0.00	199.37	50.12	666.55	1,713.55	1,768.12
	मशीन टूल्स	376.69	0.00	12.52	5.57	383.64	104.71	110.47
	डाई, जिग्स और फिक्स्चर	384.85	0.00	22.73	0.00	407.58	229.75	252.48
	नमूने और पैटर्न	3.06	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00
	उपयोगिता और सेवा उपकरण	93.55	0.00	22.60	0.01	116.14	329.53	308.93
(d)	फर्नीचर और फिक्स्चर							
	फर्नीचर और फिक्स्चर	189.71	0.00	38.78	0.05	228.44	252.45	263.71
(e)	वाहन							
		80.86	0.00	12.57	0.00	93.43	58.53	38.91
(f)	कार्यालय उपकरण							
	अस्पताल प्रशिक्षण और उपकरण	7.52	0.00	9.85	0.00	17.37	58.42	23.84
	कार्यालय उपकरण और एयर कंडीशनर	183.22	0.00	28.29	0.29	211.22	123.61	76.51
	कैटीन उपकरण	3.39	0.00	0.32	0.00	3.71	1.26	1.57
(g)	कंप्यूटर							
	कंप्यूटर	327.13	0.00	81.41	0.07	408.47	325.04	177.81
	कुल	5,016.55	0.00	1,588.65	57.14	6,548.06	23,347.53	21,320.64
	पिछला वर्ष	3,939.97	0.00	1,113.34	36.75	5,016.56	21,320.64	10,100.47



ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA, KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 4 : PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT - Contd.. (₹ in Lakh)

B.	TANGIBLE ASSETS	ACCUMULATED DEPRECIATION & IMPAIRMENT				NET BLOCK		
		AS AT 31ST MARCH' 2024	DEPRECIATION/AMORTISATION EXPENSE ON THE EXPIRED LIFE/ADJUSTMENT	DEPRECIATION/AMORTISATION EXPENSE FOR THE YEAR	ELIMINATED ON DISPOSAL OF ASSETS/ADJUSTMENT	AS AT 31ST MARCH' 2025	AS AT 31ST MARCH' 2025	AS AT 31ST MARCH' 2024
(a)	LAND							
	Land & Land Development	6.41	0.00	0.37	0.00	6.78	28.49	28.86
	Road, bridges, Drainage & Water Supply	99.12	0.00	21.86	0.00	120.98	109.43	21.05
	Leasehold:							
	Leasehold Land	23.68	0.00	1.23	0.00	24.91	68.96	70.19
(b)	BUILDINGS							
	Factory Building	910.40	0.00	390.24	0.00	1,300.64	6,745.50	7,018.99
	Non-Factory Building	466.49	0.00	115.96	0.00	582.45	3,401.62	2,677.88
(c)	PLANT AND EQUIPMENT							
	General Machinery	1,343.17	0.00	630.55	1.03	1,972.69	9,796.68	8,481.32
	Electrical Machinery	517.30	0.00	199.37	50.12	666.55	1,713.55	1,768.12
	& Equipment							
	Machine Tools	376.69	0.00	12.52	5.57	383.64	104.71	110.47
	Dies, Jigs & Fixtures	384.85	0.00	22.73	0.00	407.58	229.75	252.48
	Samples & Patterns	3.06	0.00	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00
	Utility and Service Equipment	93.55	0.00	22.60	0.01	116.14	329.53	308.93
(d)	FURNITURE & FIXTURES							
	Furniture & Fixtures	189.71	0.00	38.78	0.05	228.44	252.45	263.71
(e)	VEHICLES							
		80.86	0.00	12.57	0.00	93.43	58.53	38.91
(f)	OFFICE EQUIPMENT							
	Hospital Training & Equipment	7.52	0.00	9.85	0.00	17.37	58.42	23.84
	Office Equipment & Air Conditioner	183.22	0.00	28.29	0.29	211.22	123.61	76.51
	Canteen Appliances	3.39	0.00	0.32	0.00	3.71	1.26	1.57
(g)	COMPUTER							
	Computer	327.13	0.00	81.41	0.07	408.47	325.04	177.81
	Total	5,016.55	0.00	1,588.65	57.14	6,548.06	23,347.53	21,320.64
	Previous year	3,939.97	0.00	1,113.34	36.75	5,016.56	21,320.64	10,100.47



आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

नोट 4 : संपत्ति, संयन्त्र और उपकरण – आगे.....

(₹ लाख में)

A.	अमूर्त संपत्तियाँ	सकल ब्लॉक					
		31 मार्च 2024 तक	अतिरिक्त	निपटान/समायोजन	अन्य समायोजन	अनुदान में स्थानांतरण	31 मार्च 2025 तक
(a)							
	अमूर्त संपत्तियाँ- कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	151.10
	कुल	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	151.10
	पिछला वर्ष	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	94.81

B.	अमूर्त संपत्तियाँ	संचित मूल्यहास और क्षति					शुद्ध ब्लॉक	
		31 मार्च 2024 तक	समाप्त जीवन पर मूल्यहास/परिशोधन व्यय	वर्ष के लिए मूल्यहास/परिशोधन व्यय	परिसंपत्तियों के निपटान/समायोजन पर समाप्त	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
(a)	अमूर्त संपत्तियाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	86.84	0.00	17.13	0.00	103.97	47.13	64.25
	कुल	86.84	0.00	17.13	0.00	103.97	47.13	64.25
	पिछला वर्ष	69.18	0.00	17.67	0.00	86.85	64.25	25.63



ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA, KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 4 : PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT - Contd.. (₹ in Lakh)

A.	INTANGIBL E ASSETS	GROSS BLOCK					
		AS AT 31ST MARC H' 2024	ADDITION S	DISPOSAL/ ADJUSTME NT	OTHER ADJUSTME NT	TRANSFE R TO GRANT	AS AT 31ST MARC H' 2025
(a)							
	<u>INTANGIBL E ASSETS-</u> <u>Computer Software</u>	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	151.10
	Total	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	151.10
	Previous year	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	94.81

ACCUMULATED DEPRECIATION & IMPAIRMENT							NET BLOCK	
B.	INTANGI BLE ASSETS	AS AT 31ST MAR CH' 2024	DEPRECIAT ION/ AMORTISA TION EXPENSE ON THE EXPIRED LIFE	DEPRECIAT ION/ AMORTISA TION EXPENSE FOR THE YEAR	ELIMINA TED ON DISPOS AL OF ASSETS / ADJUST MENT	AS AT 31ST MARC H '2025	AS AT 31ST MARC H. 2025	AS AT 31ST MAR CH' 2024
(a)	<u>INTANGI BLE ASSETS</u> Computer Software	86.84	0.00	17.13	0.00	103.97	47.13	64.25
	Total	86.84	0.00	17.13	0.00	103.97	47.13	64.25
	Previous year	69.18	0.00	17.67	0.00	86.85	64.25	25.63



आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर

पूंजीगत चालू कार्य का विवरण 2024-25

नोट 4 : संपत्ति, संयन्त्र और उपकरण – आगे.....

पूंजीगत संपत्तियों की लंबित स्थापना:					(₹ लाख में)
क्रम संख्या	ब्योरा	01.04.24 तक शेष राशि	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31.03.25 तक शेष राशि
		A	B	C	D (A+B-C)
1	APC उज्जैन में सिविल कार्य	0.00	5.21	0.00	5.21
2	यूपीएसआईडीए में शेड	0.00	1,720.55	0.00	1,720.55
3	कानपुर में सिविल कार्य	6.09	0.00	0.00	6.09
4	PMDK देहरादून में सिविल कार्य	0.00	31.52	0.00	31.52
5	APC जबलपुर में सिविल कार्य	1,162.28	85.15	937.03	310.40
6	RMC कैमूर में सिविल कार्य	0.00	407.44	0.00	407.44
7	टीकमगढ़ परियोजना	24.47	259.94	0.00	284.41
8	आरएमसी(RMC) दिल्ली परियोजना	2,520.23	239.81	0.00	2,760.04
9	संयंत्र और मशीनरी	7.19	0.00	1.49	5.70
10	कार्यालय उपकरण, एयर कंडीशनर और अस्पताल प्रशिक्षण उपकरण	29.75	0.00	29.75	0.00
11	अन्य	43.33	0.00	10.50	32.83
	कुल (A)	3,793.34	2,749.62	978.77	5,564.19
अमूर्त संपत्तियाँ					
1	अमूर्त संपत्तियाँ	870.01	92.50	0.00	962.51
	कुल (B)	870.01	92.50	0.00	962.51
	कुल योग (A+B)	4,663.35	2,842.12	978.77	6,526.70
	पिछले वर्ष का आंकड़ा	8,210.57	8,853.73	12,400.95	4,663.35



ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA, KANPUR

DETAIL OF CAPITAL WORK IN PROGRESS 2024-25

NOTE 4 : PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT - Contd..

CAPITAL ASSETS PENDING INSTALLATION:					(₹ in Lakh)
S.NO	PARTICULAR	Balance As on 01.04.24	Addition during the Year	Capitalise d during the Year	Balance as on 31.03.25
		A	B	C	D (A+B-C)
1	Civil Work at APC Ujjain	0.00	5.21	0.00	5.21
2	Shed At UPSIDA	0.00	1,720.55	0.00	1,720.55
3	Civil Work at Kanpur	6.09	0.00	0.00	6.09
4	Civil Work at PMDK Dehradun	0.00	31.52	0.00	31.52
5	Civil Work at APC Jabalpur	1,162.28	85.15	937.03	310.40
6	Civil Work at RMC Kaimur	0.00	407.44	0.00	407.44
7	Tikamgarh Project	24.47	259.94	0.00	284.41
8	RMC Delhi Project	2,520.23	239.81	0.00	2,760.04
9	Plant & Machinery	7.19	0.00	1.49	5.70
10	Office Equipment, Air Conditioner & Hospital Training Equipment	29.75	0.00	29.75	0.00
11	Other	43.33	0.00	10.50	32.83
	Total (A)	3,793.34	2,749.62	978.77	5,564.19
INTANGIBLE ASSETS					
1	Intangible Assets	870.01	92.50	0.00	962.51
	Total (B)	870.01	92.50	0.00	962.51
	Grand Total (A+B)	4,663.35	2,842.12	978.77	6,526.70
	Previous Year Figure	8,210.57	8,853.73	12,400.95	4,663.35



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
कानपुर

वित्तीय विवरण के नोट्स

नोट 4 :

4.1 भूमि और भवन :

4.1.1 कानपुर

कॉरपोरेशन को वर्ष 1974 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा 44 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की गई थी। वर्ष 1999 में, आईआईटी (IIT) कानपुर द्वारा कॉरपोरेशन के पक्ष में एक अपंजीकृत लीज डीड 60 वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित की गई थी, जो वर्ष 2034 में समाप्त हो रही है। इसका मूल्य ₹1/- के नाममात्र मूल्य पर पूंजी आरक्षित खाते(कैपिटल रिज़र्व अकाउंट) में समान राशि जमा करके लेखा पुस्तकों में प्रकट किया गया है। 31.3.2025 तक लीज किराए के लिए प्रावधान किया गया है।

4.1.2 सहायक उत्पादन केंद्र – बेंगलुरु

- a) कॉरपोरेशन के कब्जे की कुल 6 एकड़ 38.3 गुंटा भूमि में से, 3 एकड़ भूमि भारत सरकार द्वारा निदेशक (पिछड़ा वर्ग), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से वर्ष 2001 में कॉरपोरेशन को आवंटित की गई थी। कॉरपोरेशन ने उपरोक्त भूमि के आवंटन के विरुद्ध कोई राशि का भुगतान नहीं किया है। इसका खुलासा लेखा पुस्तकों में ₹1/- के नाममात्र मूल्य पर किया गया है तथा पूंजी आरक्षित खाते(कैपिटल रिज़र्व अकाउंट) में समान राशि जमा की गई है।
- b) फैक्ट्री भवन के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए, कॉरपोरेशन ने 6 एकड़ 38.3 गुंटा भूमि के संपूर्ण क्षेत्र के लिए वर्ष 2001-02 से 2003-04 तक भूमि सुधार शुल्क और संपत्ति कर जमा कर दिया था। कुल 38.73 लाख रुपये की राशि में से, कॉरपोरेशन को आवंटित भूमि से संबंधित सुधार शुल्क और संपत्ति कर के रूप में 16.68 लाख रुपये (16.68 लाख रुपये) को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण – भूमि का विकास शीर्षक के तहत दिखाया गया है और कॉरपोरेशन के कब्जे की भूमि के अतिरिक्त क्षेत्र के संबंध में भुगतान की गई शेष राशि 22.05 लाख रुपये (22.05 लाख रुपये) को ऋण और अग्रिम शीर्षक के तहत दिखाया गया है। हालांकि, खातों की पुस्तकों में व्यय का प्रावधान भी किया गया है।

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING
CORPORATION OF INDIA, KANPUR

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL
STATEMENTS

NOTE : 4

4.1 LAND & BUILDINGS :

4.1.1 KANPUR

The corporation was allotted land measuring 44 acres by Indian Institute of Technology, Kanpur in the year 1974 free of cost. In the year 1999, a unregistered lease deed in favour of the corporation was executed by IIT Kanpur for a period of 60 years expiring in the year 2034. Value of the same has been disclosed in books of account at a nominal value of ₹ 1/- by crediting equal amount to Capital Reserve Account. Provision for Lease rent up to 31.3.2025 has been made.

4.1.2 AUXILIARY PRODUCTION CENTRE -
BENGALURU

- a) Out of total land area of 6 acres 38.3 guntas in possession of the corporation, land measuring 3 acres was allotted to the corporation in the year 2001 by Government of India through Director (Backward Classes), Ministry of Social Justice & Empowerment. The Corporation has not paid any amount against the allotment of above land. The same has been disclosed in books of account at a nominal value of ₹ 1/- by crediting equal amount to Capital Reserve Account.
- b) In order to facilitate the construction of factory building, the corporation had deposited land Betterment charges & Property tax for the year 2001-02 to 2003-04 for the entire area of land measuring 6 acres 38.3 guntas. Out of total amount of ₹ 38.73 lacs ₹ 16.68 lacs (₹ 16.68 lacs) being betterment charges and property tax relating to land allotted to the corporation has been shown under the head property, plant and equipment's - Development of Land and balance amount of ₹ 22.05 lacs (₹ 22.05 lacs) paid in respect of excess area of land in possession of the corporation has been shown under the head Loans and Advances. However, provision of expenses has also been made in the books of accounts.



4.1.3 सहायक उत्पादन केंद्र—चनालोन

पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम द्वारा फोकल प्वाइंट, चनालोन में 12505.5 वर्ग गज भूमि अधिग्रहण के लिए आवंटन पत्र जारी किया गया था। 29.19 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया, जिसमें भूमि की लागत के लिए 28.14 लाख रुपये शामिल थे। निगम ने कब्जा लिया और पाया कि वास्तविक कब्जा 11836.42 वर्ग गज था। भूमि को वास्तविक कब्जे के आधार पर निगम के नाम पर पंजीकृत किया गया और भूमि की लागत 27.68 लाख रुपये होने की पुष्टि की गई। लीज होल्ड भूमि के मूल्य में 1.26 लाख रुपये का पंजीकरण शुल्क जोड़ा गया है और अब चनालोन में लीज होल्ड भूमि का कुल मूल्य 28.94 लाख रुपये है।

4.1.4 सहायक उत्पादन केंद्र—कैमूर

वर्ष 2009 में कैमूर के जिला कलेक्टर द्वारा कॉरपोरेशन को 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। निगम द्वारा उक्त भूमि के पट्टे के 30 वर्षों के लिए प्रीमियम के रूप में 3.59 लाख रुपये का भुगतान किया गया है, जिसकी अवधि वर्ष 2039 में समाप्त हो रही है। यद्यपि उक्त भूमि के शीर्षक/पट्टे के अधिकार अभी तक निगम के नाम पर हस्तांतरित नहीं किए गए हैं, लेकिन इसका स्वामित्व निगम के पास है और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

4.1.5 सहायक उत्पादन केंद्र, भुवनेश्वर

कॉरपोरेशन को वर्ष 1999 में उड़ीसा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम, भुवनेश्वर द्वारा लगभग 2.30 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी, जिसमें दो अलग-अलग भूखंड 14-C और S-3/66 हैं। कॉरपोरेशन द्वारा 14-C के लिए ₹16.62 लाख (₹16.62 लाख) की राशि वर्ष 2077 में समाप्त होने वाली उक्त भूमि के 78 वर्ष के पट्टे के लिए प्रीमियम के रूप में अदा की गई है। प्लॉट S-3/66 में अधिग्रहित एक अलग लीज होल्ड भूमि के लिए, 90 वर्षों के लिए प्रीमियम के रूप में ₹12.05 लाख (₹12.05 लाख) की राशि का भुगतान किया गया है। उसी को लीज होल्ड भूमि के रूप में प्रमुख संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत पूंजीकृत किया गया है। लीज प्रीमियम को लीज अवधि में मूल्यह्रास के रूप में परिशोधित किया जा रहा है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, शेड संख्या S-3/84 और S-3/85 को महिला विकास समबाया निगम, भुवनेश्वर द्वारा महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उड़ीसा सरकार के आदेशानुसार ₹20.12 लाख (₹20.12 लाख) के भुगतान पर कॉरपोरेशन को सौंप दिया गया। उक्त राशि का खुलासा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण — लीज होल्ड भूमि शीर्षक के अंतर्गत किया गया है। हालाँकि इसका स्वामित्व अभी कॉरपोरेशन के पक्ष में हस्तांतरित होना बाकी है, लेकिन भुगतान को लीज अवधि के दौरान मूल्यह्रास के रूप में परिशोधित किया गया है।

4.1.3 AUXILIARY PRODUCTION CENTRE - CHANALON

An allotment letter was issued by Punjab Small Industries & Export Corporation for acquiring 12505.5 Square Yards at Focal pont, Chanalon. An amount of ₹ 29.19 lakhs was paid which included ₹ 28.14 lakhs towards Cost of Land. Corporation took possession and found that the actual possession was 11836.42 Square yards. The land was registered in the name of the Corporation on the basis of actual possession and Cost of land was confirmed at ₹ 27.68 Lakhs. Registration Charges of ₹ 1.26 lakhs has been added in the value of Lease hold land and now the total value of Lease hold land at Chanalon stands at ₹ 28.94 Lakhs.

4.1.4 AUXILIARY PRODUCTION CENTRE, KAIMUR

The corporation was allotted land measuring 2 acres by District Collector, KAIMUR in the year 2009. A sum of ₹ 3.59 lacs (₹ 3.59 lacs) has been paid by the corporation as premium for 30 years, of lease of said land expiring in the year 2039. Though the title/lease hold rights of the said land are yet to be transferred in the name of the corporation, however, since the possession of the same is with the corporation and the construction work has been commenced.

4.1.5 AUXILIARY PRODUCTION CENTRE, BHUBANESHWAR

The corporation was allotted land measuring about 2.30 acres by Orissa Industrial Infrastructure Development Corporation, Bhubaneshwar in the year 1999 having two different plots 14-C and S-3/66. A sum of ₹16.62 lacs (₹16.62 lacs) for 14-C has been paid by the corporation as premium for 78 years of lease of said land expiring in the year 2077. For a separate lease hold land which was also acquired in Plot S-3/66, a sum of ₹12.05 Lacs (₹12.05 Lacs) has been paid as premium for 90 years. The same has been capitalized under the head property, plant and equipment's as lease hold land. Lease premium is being amortized over the lease period as depreciation.

In addition to above, shed nos. S-3/84 & S-3/85 were handed over to the corporation by Mahila Vikas Samabaya Nigam, Bhubaneshwar on payment of ₹ 20.12 lacs (₹20.12 lacs) as per the order of Department of Women and Child Welfare, government of Orissa. The said sum has been disclosed under the head property, plant and equipment's - Lease Hold Land. Although title of the same is yet to be transferred in favor of the corporation, the payment has been amortized over the lease period as depreciation.



4.1.6 सहायक उत्पादन केंद्र—जबलपुर

कॉरपोरेशन को वर्ष 2000 में मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जबलपुर के माध्यम से मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 3.31 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। कॉरपोरेशन द्वारा वर्ष 2099 में समाप्त होने वाली उक्त भूमि के 99 वर्ष के पट्टे के लिए प्रीमियम और भूमि विकास शुल्क के रूप में ₹8.33 लाख (₹8.33 लाख) की राशि का भुगतान किया गया है। इस राशि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शीर्षक के तहत लीज होल्ड भूमि और भूमि विकास के रूप में पूंजीकृत किया गया है। लीज प्रीमियम को लीज अवधि में मूल्यह्रास के रूप में परिशोधित किया जा रहा है।

4.1.7 सहायक उत्पादन केन्द्र, उज्जैन

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की सलाह पर 20 जनवरी 2016 को मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ₹1/- के नाममात्र मूल्य पर कॉरपोरेशन के पक्ष में एक स्थायी पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है। इसे ₹1/- के नाममात्र मूल्य पर लेखा पुस्तकों में दर्शाया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 तक लीज रेंट का भुगतान किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 तक लीज रेंट का प्रावधान किया गया है। निगम ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भूमि आवंटित किए जाने के बाद रजिस्ट्री नंबर MP432022023A11741824 दिनांक 20.04.2023 के माध्यम से भविष्य के विस्तार और गोदाम के लिए एएपीसी उज्जैन के निकट 1.25 हेक्टेयर नई भूमि का अधिग्रहण किया है।

4.1.8 फरीदाबाद परियोजना

दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की सलाह पर 33 वर्षों के लिए कुल पट्टा किराये ₹165.00 पर 24 अप्रैल 2018 को एक पट्टा विलेख ग्राम पंचायत गाँव नवादा, तिगांव, तहसील बल्लभगढ़, फरीदाबाद हरियाणा निगम के पक्ष में जिले द्वारा निष्पादित किया गया है।

4.1.9 टीकमगढ़ परियोजना

जिला प्रशासन द्वारा 30 वर्षों के लिए 2.834 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 28.03.2023 से 27.03.2024 तक की अवधि के लिए ₹ 5.67 लाख का लीज प्रीमियम और ₹ 28340.00 का लीज रेंट चुकाया गया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पट्टे का किराया चुकाया गया है, जबकि आवंटित भूमि में निर्माण गतिविधि शुरू हो गई है, एक स्थानीय निवासी ने जिला प्रशासन और निगम के खिलाफ स्थानीय अदालत में मामला दायर किया है। यह दावा करते हुए कि परियोजना स्थल से 1 हेक्टेयर वर्ष 1988 में वृक्षारोपण के लिए जिला प्रशासन को दिया गया था, अदालत ने स्थानीय निवासी के पक्ष में "अस्थायी निषेधाज्ञा" का आदेश दिया है, जिसने साइट पर निर्माण गतिविधि को प्रभावित किया है और वर्तमान में रोक

4.1.6 AUXILIARY PRODUCTION CENTRE, JABALPUR

The corporation was allotted land measuring 3.31 acres by Governor of Madhya Pradesh through Chief General Manager, District Trade & Industries Centre, Jabalpur in the year 2000. A sum of ₹ 8.33 lacs (₹ 8.33 lacs) has been paid by the corporation as premium and land development charges for 99 years of lease of said land expiring in the year 2099. The same has been capitalized under the head property, plant and equipment's as lease hold land & land development. Lease premium is being amortized over the lease period as depreciation.

4.1.7 AUXILIARY PRODUCTION CENTRE, UJJAIN

A perpetual lease deed dated 20th January 2016 on the advice of Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India at a nominal value of ₹ 1/- has been executed by Madhya Pradesh State Government in favour of corporation. The same has been disclosed in books of account at a nominal value of ₹ 1/- Lease rental has been paid up to FY 2022-23. Provision for the lease rent has been made up to the F.Y. 2024-25. The corporation has acquired 1.25 hectares of new land for future expansion & warehouse adjacent to AAPC Ujjain through Registry no MP4320 22023A 11741824 dated 20.04.2023 after the land was allotted by Government of Madhya Pradesh

4.1.8. FARIDABAD PROJECT

A lease deed dated 24th April 2018 on the advice of Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India at a total Lease Rental for ₹ 165.00 for 33 years has been executed by Grampanchayat Village Nawada, Tigaon, Tehsil Ballabgarh, Dist. Faridabad Haryana in favour of corporation.

4.1.9 TIKAMGARH PROJECT

A land of 2.834 acre has been allotted by district Administration Tikamgarh for 30 years For which Lease premium of ₹ 5.67 Lakhs paid and lease rent of ₹ 28340.00 were paid during the financial year 2022-23 for the period from 28.03.2023 to 27.03.2024. Lease rental has been paid for the FY 2024-25, while the construction activity commenced in the land allotted, a local resident has filed a case in the local court against the District Administration and the Corporation Claiming that 1 hectare from the project site has been given be District Administration for plantation of tree in the year 1988, the Court has Ordered "Temporary Injunction" in favour of local resident which has affected the



दिया है। निगम ने जिला प्रशासन से वैकल्पिक भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया जो कई विचार-विमर्श के बाद, जिला प्रशासन ने उसी गांव और उसी खसरा संख्या में वैकल्पिक भूमि आवंटित करने पर सहमति व्यक्त की। • तदनुसार, 25.10.2024 को, जिला प्रशासन ने मौजूदा अधिनियम संख्या में संशोधन के माध्यम से 2.834 हेक्टेयर वैकल्पिक भूमि प्रदान की। MP421162024A11278944- जिला प्रशासन- टीकमगढ़ ने 06.11.2024 को एम/एस एमईसीओएन और एलिम्को टीम की उपस्थिति में वैकल्पिक भूमि की सीमाएं निर्धारित कीं और पंचनामा के माध्यम से कब्जा दिया।

4.1.10 यूपीएसआईडीए, उन्नाव

यूपीएसआईडीए द्वारा गोदाम की स्थापना हेतु औद्योगिक क्षेत्र, ट्रांस गंगा सिटी, उन्नाव में प्लॉट संख्या वाई-9 में 13532.82 वर्ग मीटर भूमि, ₹11980.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल ₹16,21,29,950.00 मूल्य की भूमि पत्र संख्या 1302/POTG/TGC/Y-9 दिनांक 29.08.2024 के माध्यम से आवंटित की गई है। लीज डीड के निष्पादन हेतु, यूपीएसआईडीए द्वारा विवरण उपलब्ध कराया गया तथा मेसर्स स्टॉकहोल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ₹1,13,52,000.00 मूल्य का ई-स्टाम्प क्रय किया गया। ई-स्टाम्प और अन्य संबंधित दस्तावेज 24.01.2025 को लीज डीड के निष्पादन के लिए यूपीएसआईडीए को सौंप दिए गए और कुल मूल्य ₹15,88,87,352.00 के लिए पूरा किया गया, यूपीएसआईडीए ने 14.02.2025 को कब्जा प्रमाण पत्र जारी किया।

4.1.11

कॉरपोरेशन के एक धर्मार्थ संगठन होने के कारण तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 285 और कॉरपोरेशन के पक्ष में न्यायिक निर्णयों के कारण, कॉरपोरेशन को कोई स्थानीय निकाय कर या संपत्ति कर देय नहीं है।

4.2 परिसंपत्तियों का प्रभाव: भारतीय लेखा मानक – 36

इस बात का न तो कोई संकेत है कि बैलेंस शीट की तिथि तक किसी परिसंपत्ति की क्षति हुई है, न ही इस बात का कोई साक्ष्य उपलब्ध है कि परिसंपत्ति अप्रचलित हो गई है या भौतिक क्षति हुई है या कॉरपोरेशन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन इस अवधि के दौरान हुआ है या निकट भविष्य में होने की संभावना है, न ही आंतरिक रिपोर्टिंग से ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध है जो यह दर्शाता हो कि परिसंपत्ति का आर्थिक प्रदर्शन अपेक्षा से खराब है या होगा।

4.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्यहास

वित्त वर्ष 2014-15 से मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार लगाया गया है, जिसमें व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन, समाप्त जीवन और अवशिष्ट जीवन को ध्यान में रखा गया है। अमूर्त परिसंपत्तियों का 5 वर्ष के उपयोगी जीवन के आधार पर परिशोधन किया गया है।

लीज होल्ड भूमि, भूमि विकास शुल्क और उस पर निर्माण का परिशोधन शेष लीज अवधि के आधार पर किया जा रहा है।

construction activity at site and in on hold at present. The corporation requested District Administration to allot alternate land which after many deliberations, district administration agreed to allot alternate land in same Village & same Khasra number. o Accordingly, on 25.10.2024, District Administration provided alternate land of 2.834 hectare by way of amendment in existing deed no. MP421162024A 11278944. the district administration- Tikamgarh demarked the boundaries of alternate land on 06.11.2024 in presence of M/s MECON & ALIMCO team and gave possession through Punchnama.

4.1.10 UPSIDA, UNNAO

A land measuring 13532.82 sq. meters @ ₹ 11980.50 per sq. meter totaling ₹ 16,21,29,950.00 in plot no. Y-9 in industrial Area, Trans Ganga City, Unnao vide letter no 1302/POTG/TGC/Y-9 on 29.08.2024 for establishment of warehouse has been allotted by UPSIDA. For execution of lease deed, UPSIDA provided the details and E-stamp for a value of ₹ 1,13,52,000.00 was purchased through M/s Stockholding Corporation of India Limited. E-stamp and other relevant documents were handed to UPSIDA for execution of lease deed for on 24.01.2025 and was completed for total value ? 15,88,87,352.00, UPSIDA issued Possession certificate on 14.02.2025.

4.1.11

In view of the corporation being a charitable organization and in view of Article 285 of the Constitution of India and also judicial pronouncements in favor of the corporation no local body taxes or property tax are payable.

4.2 IMPAIRMENT OF ASSETS: INDAS - 36

There is neither any indication that any asset has impaired as on the Balance Sheet date nor any evidence is available of obsolescence or physical damage of an asset or significant change with an adverse effect on the Corporation have taken place during the period or are expected to take place in near future nor evidence available from internal reporting that indicates that the economic performance of an asset is, or will be, worse than expected.

4.3 DEPRECIATION AS PER SCHEDULE II OF COMPANIES ACT, 2013

Depreciation from the financial year 2014-15 onwards has been charged as prescribed by Schedule II of the Companies Act, 2013 considering the useful life, expired life and residual life of individual assets. Intangible assets have been amortized on the basis of useful life of 5 years.

The Lease Hold Lands, Land Development charges and building thereon are being amortized on the basis of balance lease period.



पूँजी-कार्य चालू (CWIP) – 31.03.2025 तक

(a) पूँजी-कार्य-प्रगति में की आयु निर्धारण अनुसूची:					
सीडबल्यूआईपी(CWIP) आयु निर्धारण अनुसूची					(₹ लाख में)
CWIP	सीडबल्यूआईपी(CWIP) में राशि				कुल
	01 वर्ष से कम	01-02 वर्ष	02-03 वर्ष	03 वर्ष से अधिक	
प्रगति में परियोजना (मूर्त)	2,749.62	2,814.57	-	-	5,564.19
प्रगति में परियोजना (अमूर्त)	92.50	328.76	541.25	-	962.51
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	--	--	--	--	--
कुल	2,842.12	3,143.33	541.25	-	6,526.70
(b) पूँजी-कार्य-प्रगति में, जिसका पूरा होना अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत अधिक हो गई है					शून्य

Capital- Work- in Progress (CWIP)-As on 31.03.2025

(a) Ageing schedule of capital-work-in progress:					
CWIP ageing schedule					(₹ In Lakhs)
CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 01 year	01-02 years	02-03 years	More than 03 years	
Project in progress (Tangible)	2,749.62	2,814.57	-	-	5,564.19
Project in progress (Intangible)	92.50	328.76	541.25	-	962.51
Project temporarily suspended	--	--	--	--	--
Total	2,842.12	3,143.33	541.25	-	6,526.70
(b) Capital-work-in progress, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan					NIL



आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स
नोट संख्या 5. अन्य वित्तीय संपत्तियां (असुरक्षित)

(रु लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
5.01	गैर-वर्तमान		
	माना जाने वाला माल		
	(a) सुरक्षा जमा (बिजली का बोर्ड, मकान मालिक आदि)	146.20	163.63
	एफडीआर 12 महीने से अधिक की परिपक्वता के साथ (बैंक गारंटी के खिलाफ सुरक्षा)	45.00	13.56
	कुल – गैर-वर्तमान	191.20	177.19
	वर्तमान		
	माना जाने वाला माल		
	(b) सुरक्षा जमा	0.00	0.00
	(b) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज (23 लाख TDS (P.Y. L0.05 लाख)	433.44	517.09
	कुल – वर्तमान	433.44	517.09
5.02	प्राप्त होने वाली धनराशि मंत्रालय, राज्य सरकार या राष्ट्रीय संस्थानों के बजट के बाहर से 31 मार्च, 2025 से पहले स्वीकृत राशि है, लेकिन धनराशि 31 मार्च, 2025 के बाद प्राप्त की जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोई राशि ऐसी नहीं है जो प्राप्त करने योग्य निधि की श्रेणी में आती हो।		

ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA, KANPUR

Notes to Ind AS Financial statements for the year ended 31 March 2025

Note No. 5. Other Financial Assets (Unsecured)

(₹ in Lakhs)

	Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
5.01	Non-Current		
	Considered good		
	(a) Security deposit (Electricity Boards, Landlord etc.)	146.20	163.63
	FDR with maturity of more than 12 months (Security against Bank Guarantee)	45.00	13.56
	Total - Non-Current	191.20	177.19
	Current		
	Considered good		
	(a) Security deposit	0.00	0.00
	(b) Interest accrued on bank deposits [including TDS of .23 Lakhs (P.Y. L0.05 Lakhs)]	433.44	517.09
	Total - Current	433.44	517.09
5.02	Fund receivable are the amount sanctioned before 31st March, 2025 from out of budget of Ministry, State Government. or National Institutes but the Funds are received after 31st March, 2025. In the Financial Year 2024-25 there is no amount that falls into the category of Funds receivable		



नोट संख्या 6. अन्य परिसंपत्तियां (असुरक्षित)

(रु लाख में)

विवरण		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
गैर-वर्तमान			
असुरक्षित माना जाने वाला माल			
(a) पूंजीगत अग्रिम		117.30	422.52
कुल गैर वर्तमान – अन्य परिसंपत्तियाँ		117.30	422.52
वर्तमान			
माना जाने वाला माल			
(a) सरकारी अधिकारियों के पास शेष राशि			
आयकर – टीडीएस (TDS) और किए गए भुगतान		892.63	819.18
जीएसटी (GST) प्राप्य		5774.12	3858.41
संपत्ति कर वसूली योग्य		22.20	22.20
डायरेक्टर, पिछड़ा वर्ग, एमओएसजेई (MOSJE)		22.05	22.05
बिक्री कर, वैट और प्रवेश कर		4.41	4.41
चुंगी और अन्य		0.00	0.23
वसूली योग्य दावे			
एडीआईपी वितरण के विरुद्ध		8881.32	12261.71
सूरज कुंड मेला		22.75	0.00
कुल (a)		15619.48	16988.82
(इ) विक्रेताओं को अग्रिम		178.95	37.71
(ब) पूर्व भुगतान किए गए व्यय		336.52	126.51
(क) पूंजीगत अग्रिम		0.00	0.00
कुल (a+b+c)		16134.95	17153.04
माना गया संदिग्ध			
(a) विक्रेताओं को अग्रिम	8.70		8.70
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के विरुद्ध प्रावधान	-8.70	0.00	-8.70
		0.00	0.00
कुल वर्तमान – अन्य परिसंपत्तियाँ		16134.95	17153.04



Note No. 6. Other Assets (Unsecured) (₹ in Lakhs)

Particulars		As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
Non-Current			
Unsecured Considered good			
(a) Capital advances		117.30	422.52
Total Non-Current - Other Assets		117.30	422.52
Current			
Considered good			
(a) Balances with Government authorities			
Income Tax - TDS and payments made		892.63	819.18
GST Receivable		5774.12	3858.41
Property Tax Recoverable		22.20	22.20
Director, Backward Classes, MOSJE		22.05	22.05
Sales Tax, VAT and Entry Tax		4.41	4.41
Octroi & Others		0.00	0.23
Claims recoverable			
Against ADIP Distribution		8881.32	12261.71
Suraj kund mela		22.75	0.00
TOTAL (a)		15619.48	16988.82
(b) Advance to Vendors		178.95	37.71
(c) Prepaid Expenses		336.52	126.51
(d) Capital Advances		0.00	0.00
Total (a+b+c)		16134.95	17153.04
Considered Doubtful			
(a) Advance to Vendors	8.70		8.70
Less: Provision against Doubtful Advances	-8.70	0.00	-8.70
		0.00	0.00
Total Current - Other Assets		16134.95	17153.04



नोट संख्या 7. इन्वेंट्री (लागत मूल्य में से कम पर या शुद्ध वसूली योग्य मूल्यांकित) (रु लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
7.01					
	कच्चा माल				
	वर्तमान में मौजूद माल	8464.77		6103.61	
	निरीक्षणाधीन	0.00		0.00	
	घटाएँ: धीमी/गैर- चलने वाली वस्तुओं के लिए प्रावधान	-162.01	8302.76	-60.06	6043.55
	कार्य प्रगति पर		2144.20		2194.86
	तैयार माल				
	वर्तमान में मौजूद माल	10947.24		7675.78	
	ऋण/वापसी योग्य आधार पर	2.02		2.02	
	पारगमन में माल	0.00		45.88	
	सर्विस स्पेयर पार्ट्स	549.30		0.00	
	घटाएँ: धीमी/गैर- चलने वाली वस्तुओं के लिए प्रावधान	-105.63	11392.93	-98.43	7625.25
	स्टोर और स्पेयर				
	वर्तमान में मौजूद माल	859.13		612.44	
	घटाएँ: धीमी/गैर- चलने वाली वस्तुओं के लिए प्रावधान	-54.52	804.61	-39.78	572.66
	फैब्रिकेटिंग वस्तुएँ		0.00		0.37
	ढीले उपकरण		8.93		50.11
	स्क्रेप		30.96		56.29
	कुल		22684.39		16543.09
7.02	इन्वेंट्री का मूल्य लेखा नीति के अनुसार होता है। 3.08. जहां कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों का मूल्यांकन भारित औसत लागत और डब्ल्यूआईपी के साथ-साथ तैयार वस्तुओं का मूल्यांकन मानक कारखाना लागत / बेची गई वस्तुओं की मानक लागत पर किया गया है, स्क्रेप का मूल्यांकन अनुमानित वास्तविक मूल्य पर किया गया है।				
7.03	जिन स्टॉक में 5 वर्ष से अधिक समय तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें गैर-परिवर्तनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जिन स्टॉक में पिछले 3-5 वर्षों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें लेखांकन नीति 3.08 के अनुसार धीमी गति से परिवर्तनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है।				
	संरक्षण के सिद्धांतों का पालन करते हुए, प्रबंधन ने लेखा नीति के अनुसार प्रावधान किए हैं। 3.08 जहां 80% मूल्य क्षतिग्रस्त स्टॉक के लिए प्रदान किया जाता है, 50% मूल्य गैर-चलती वस्तुओं के लिए प्रदान किया जाता है और 30% मूल्य धीमी गति से चलने वाली वस्तुओं के लिए प्रदान किया जाता है। इस वर्ष कुल प्रावधान ₹322.16 लाख (पिछले वर्ष ₹198.27 लाख) है।				



Note No. 7. Inventories (Valued at lower of cost or Net Realizable Value)

(₹ in Lakhs)

	Particulars	As at March 31, 2025		As at March 31, 2024	
7.01					
	Raw Material				
	Stock in hand	8464.77		6103.61	
	Under Inspection	0.00		0.00	
	Less: Provision for Slow/Non-Moving	-162.01	8302.76	-60.06	6043.55
	Work in Progress		2144.20		2194.86
	Finished Goods				
	Stock in hand	10947.24		7675.78	
	On Loan/Returnable basis	2.02		2.02	
	Goods in transit	0.00		45.88	
	Service Spare Parts	549.30		0.00	
	Less: Provision for Slow/Non-Moving	-105.63	11392.93	-98.43	7625.25
	Stores & Spares				
	Stock in hand	859.13		612.44	
	Less: Provision for Slow/Non-Moving	-54.52	804.61	-39.78	572.66
	Fabricating Items		0.00		0.37
	Loose Tools		8.93		50.11
	Scrap		30.96		56.29
	Total		22684.39		16543.09
7.02	Inventories are valued as per accounting policy No. 3.08. Where Raw Material & consumables have been valued at weighted average Cost & WIP as well as Finished goods are valued at Standard Factory Cost/Standard Cost of Goods sold, Scrap has been valued at estimated realizable Value.				
7.03	Inventories that have not moved for more than 5 years have been classified as non-moving and those who have not moved in last 3-5 years have been classified as slow Moving in accordance to accounting policy 3.08.				
	Following the principles of conservation, management has made provisions in accordance to accounting policy. 3.08 where 80% of value is provided for damaged stock, 50% of value is provided for non-moving and 30% of value is provided for slow moving items identified. Total provision made in this year is ₹ 322.16 Lakhs (Last Year ₹ 198.27 Lakhs).				



नोट संख्या 8. व्यापार व्यय (असुरक्षित) (रु लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक			
8.01							
	वर्तमान						
	(a) माना जाने वाला माल		8548.33		2981.95		
	(b) माना गया संदिग्ध	760.60		819.78			
	कम— प्रावधान किया गया	-760.60	0.00	-819.78	0.00		
	कुल— वर्तमान		8548.33		2981.95		
8.02	नोट संख्या 8. व्यापार व्यय (असुरक्षित)			(रु लाख में)			
	विशेष	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					कुल
	विवरण	6 महीने से कम	6 महीने से 1-वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	(i) अविवादित व्यापार प्राप्य—माना गया माल	2,725.04 (1497.73)	4,168.74 (533.68)	657.96 (684.76)	996.59 (265.78)	0.00 (0.00)	8548.33 (2981.95)
	(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य—जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य—ऋण क्षति	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	760.60 (819.78)	760.60 (819.78)
	(iv) विवादित व्यापार प्राप्य—माना गया माल	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	(v) विवादित व्यापार प्राप्य—जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
	(vi) विवादित व्यापार प्राप्य—ऋण क्षति	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
8.03	प्रबंधन की राय में, ₹ 760.60 लाख (P.Y. ₹ 819.78 लाख) को छोड़कर प्राप्य राशि वसूली के लिए अच्छी है जिसके लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं।						
8.04	एडीआईपी, एडीआईपी—एसएसए और आरवीवाई के लिए भेजी गई सामग्री, जिसके लिए कोई वितरण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, को लेखांकन नीति संख्या 3.03 के अनुसार विविध देनदार माना गया है। एडीआईपी से संबंधित ₹2973.03 लाख, एडीआईपी—एसएसए से संबंधित ₹1049.32 लाख और आरवीवाई से संबंधित ₹751.39 लाख मूल्य के विविध देनदार विविध देनदारों का हिस्सा हैं।						
8.05	संगठन के निदेशकों या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी के द्वारा अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋण या फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण जिसमें कोई डायरेक्टर भागीदार या डायरेक्टर या सदस्य है, शून्य हैं। (पिछले वर्ष शून्य)						
8.06	ग्राहकों से बकाया राशि पुष्टि के अधीन है।						



Note No. 8. Trade receivables (Unsecured)

(₹ in Lakhs)

	Particulars	As at March 31, 2025		As at March 31, 2024			
8.01							
	Current						
	(a) Considered good		8548.33		2981.95		
	(b) Considered Doubtful	760.60		819.78			
	Less- Provision made	-760.60	0.00	-819.78	0.00		
	Total- Current		8548.33		2981.95		
8.02	Trade-Receiveable Ageing Schedule			(₹ in Lakhs)			
	Particulars	Outstanding for following Periods from due date of Payment					Total
		Less than 6 Months	6 Months 1-year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
	(i) Undisputed Trade receivable-considered good	2,725.04	4,168.74	657.96	996.59	0.00	8548.33
		(1497.73)	(533.68)	(684.76)	(265.78)	(0.00)	(2981.95)
	(ii) Undisputed Trade receivable-which have significant increase in credit risk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	(iii) Undisputed Trade receivable-credit impaired	0.00	0.00	0.00	0.00	760.60	760.60
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(819.78)	(819.78)
	(iv) Disputed Trade receivable-considered good	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0-00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	(v) Disputed Trade receivable-which have significant increase in credit risk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	(vi) Disputed Trade receivable-credit impaired	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
8.03	In the opinion of the management, amounts receivable except ₹ 760.60 Lakhs (P.Y. ₹ 819.78 Lakhs) are good for recovery for which suitable provisions have been made.						
8.04	The Material Dispatched for ADIP, ADIP-SSA and RVY against which no distribution Certificates have been received have been considered as Sundry Debtors as per Accounting Policy No. 3.03. Sundry Debtors Valuing ₹ 2973.03 Lakhs relating to ADIP, ₹ 1049.32 lacs relating to ADIP-SSA and ₹ 751.39 lacs relating to RVY are the part of the Sundry Debtors.						
8.05	Debts due by Directors or other officers of the corporation or any of them, either severally or jointly with any other person or debts due by firms or private companies respectively in which any director is a partner or a director or a member are Nil. (P.Y. Nil)						
8.06	Dues from customers are subject to confirmation.						



नोट संख्या 9. नकद व नकद समतुल्य (रु लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
9.01	नोट 9 (a) नकद और नकद समतुल्य		
	हाथ में नकदी	7.40	5.52
	नकद समतुल्य		
	बैंक शेष		
	(i) चालू खातों में	1259.59	1832.01
	ii) बचत खातों में	273.80	12477.85
	iii) एफडीआर 3 महीने से कम अवधि के साथ	32066.67	16792.05
		33607.46	31107.43
	नोट 9 (b) नकद समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष		
	एफडीआर 12 महीने से कम की परिपक्वता के साथ (बैंक गारंटी के खिलाफ सुरक्षा)	62.32	55.23
	—उपर्युक्त के अलावा	0.00	0.00
		62.32	55.23
	कुल	33669.78	31162.66
9.02	सभी एफडीआर (FDR) की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम है। हालाँकि, अगले 3 महीने तक की परिपक्वता वाली एफडीआर (FDR) यानी 2025–26 में जून 2025 तक की राशि ₹ 32066.67 लाख (2024–25 में जून 2024 तक की राशि ₹ 16792.05 लाख) को नकद और नकद समतुल्य माना गया है और इसे भारतीय लेखा मानक 7 की आवश्यकता के अनुसार एफडीआर (FDR) से काट लिया गया है।		



Note No. 9. Cash & Cash Equivalent (₹ in Lakhs)

	Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
9.01	Note 9 (a) Cash & Cash Equivalent		
	Cash in hand	7.40	5.52
	Cash Equivalents		
	Bank Balances		
	(i) In Current Accounts	1259.59	1832.01
	ii) In Savings Accounts	273.80	12477.85
	iii) FDR With maturity of less than 3 months	32066.67	16792.05
		33607.46	31107.43
	Note 9(b) Bank Balance other than Cash Equivalent		
	FDR WITH maturity of less than 12 months (Security against Bank Guarantee)	62.32	55.23
	- other than above	0.00	0.00
		62.32	55.23
	Total	33669.78	31162.66
9.02	All the FDRs have a maturity period of less than 1 year. However, FDRs with maturity up to next 3 months i.e., up to June 2025 in 2025-26 amounting to ₹ 32066.67 Lakhs (up to June 2024 in 2024-25 amounting to ₹16792.05 Lakhs) has been treated as Cash & Cash Equivalent and has been deducted from FDRs as per requirement of IND-AS 7.		



नोट संख्या 10. ऋण और अग्रिम (असुरक्षित) (रु लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
10.01	गैर-वर्तमान				
	माना जाने वाला माल				
	(a) कर्मचारी को ऋण		0.00		0.00
	कुल – गैर-वर्तमान		0.00		0.00
	वर्तमान				
	माना जाने वाला माल				
	(a) कर्मचारियों को अग्रिम		39.86		56.26
			39.86		56.26
	माना गया संदिग्ध				
	(a) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	0.00		0.00	
	संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल- वर्तमान		39.86		56.26
10.02	कर्मचारियों को दिए जाने वाले अग्रिम यात्रा, अग्रिम और त्र्यौहार अग्रिम के रूप में होते हैं। त्र्यौहार अग्रिम कॉरपोरेशन की नीति के अनुसार है और 12 महीनों के भीतर वसूल किया जा सकता है।				
10.03	कॉरपोरेशन के डायरेक्टर्स या अन्य अधिकारियों या उनमें से किसी के द्वारा अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से देय ऋण और अग्रिम या फर्मों या निजी कंपनियों द्वारा देय ऋण और अग्रिम जिनमें कोई डायरेक्टर भागीदार या डायरेक्टर या सदस्य है, शून्य हैं। (पिछले वर्ष शून्य)।				

Note No. 10. Loans & Advance (Unsecured) (₹ in Lakhs)

	Particulars	As at March 31, 2025		As at March 31, 2024	
10.01	Non-Current				
	Considered good				
	(a) Loan to employee		0.00		0.00
	Total- Non-Current		0.00		0.00
	Current				
	Considered good				
	(a) Advance to employees		39.86		56.26
			39.86		56.26
	Considered Doubtful				
	(a) Loans and advance to employees	0.00		0.00	
	Provision for doubtful advances	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Current		39.86		56.26
10.02	The advances given to employees are for travelling, for Imprest and as festival advances. Festival advance is as per the policy of the corporation and is recoverable within 12 months.				
10.03	Loans and advances due by Directors or other officers of the corporation or any of them, either severally or jointly with any other person or loans and advances due by firms or private companies respectively in which any director is a partner or a director or a member are Nil. (P.Y. Nil).				



नोट संख्या 11. शेयर पूंजी (₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
	अधिकृत		
	प्रत्येक 1000 के 600000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक 1000 के 600000 इक्विटी शेयर)	6000.00	6000.00
		6000.00	6000.00
	जारी, सब्सक्राइब और पूरी तरह से भुगतान		
	प्रत्येक 1000 के 540997 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक 1000 के 540997 इक्विटी शेयर)	5409.97	5409.97
		5409.97	5409.97

a) रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया शेयरों का समाधान (₹ लाख में)

	इक्विटी शेयर	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	विवरण	शेयरों की संख्या	मूल्य	शेयरों की संख्या	मूल्य
	अवधि की शुरुआत में	540997	5409.97	540997	5409.97
	अवधि के दौरान जारी	-	-	-	-
	अवधि के अंत में बकाया	540997	5409.97	540997	5409.97

b) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण (₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	भारत के राष्ट्रपति	धारिता का %	शेयरों की संख्या	धारिता का %	शेयरों की संख्या
	इक्विटी शेयर	100	540997	100	540997

c)	इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें / अधिकार			
	जारी किए गए कुल 540997 शेयरों में से 540994 शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं और शेष शेयरधारक सरकारी नामांकित व्यक्ति हैं।			
d)	कंपनी ने नकद के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिए कोई शेयर जारी नहीं किया है।			
e)	प्रमोटर्स की शेयरधारिता: –			
	वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर			वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	
	भारत के राष्ट्रपति और सरकार द्वारा नामित व्यक्ति	540,997	100	0.00%



Note No. 11 Share Capital

(₹ in Lakhs)

	Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
	Authorized		
	600000 Equity Shares of 1000 each (Previous Year 600000 Equity Shares of 1000 each)	6000.00	6000.00
		6000.00	6000.00
	Issued, Subscribed & Fully Paid -Up		
	540997 Equity Shares of 1000 each (Previous Year 540997 Equity Shares of 1000 each)	5409.97	5409.97
		5409.97	5409.97

a) Reconciliation of the share outstanding at the beginning and at the end of the reporting period

(₹ in Lakhs)

	Equity Share	As at March 31, 2025		As at March 31, 2024	
	Particulars	No. of Share	Value	No. of Share	Value
	At the beginning of the period	540997	5409.97	540997	5409.97
	Issued during the period	-	-	-	-
	Outstanding at the end of the period	540997	5409.97	540997	5409.97

b) Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

(₹ in Lakhs)

	Particulars	As at March 31, 2025		As at March 31, 2024	
	President of India	% of Holding	No. of Shares	% of Holding	% of Holding
	Equity Shares	100	540997	100	540997

c)	(I) Terms/ rights attached to equity shares			
	Out of the total 540997 shares issued, 540994 shares are held in the name of President of India and balance shareholders are Government nominees.			
d)	The Company has not issued any shares for consideration other than cash.			
e)	Shareholding of Promoters: -			
	Shares held by promoters at the end of the year			% Changing During Year
	Promoter Name	No. of Shares	% of total share	
	President of India & Government nominees	540,997	100	0.00%



नोट संख्या 12. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
पूंजी आरक्षित निधि		
राष्ट्रीय रक्षा कोष से अनुदान		
प्रारंभिक शेष राशि	400.00	400.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग / हस्तांतरित	0.00	0.00
अंतिम शेष – (A)	400.00	400.00
एमओएसजेई (MOSJE), भारत सरकार से आधुनिकीकरण अनुदान		
प्रारंभिक शेष राशि	2256.95	2256.95
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग / हस्तांतरित	0.00	0.00
अंतिम शेष – (B)	2256.95	2256.95
भारत सरकार द्वारा आवंटित भूमि		
प्रारंभिक शेष राशि	0.00	0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग / हस्तांतरित	0.00	0.00
अंतिम शेष – (C)	0.00	0.00
आधुनिकीकरण व्यय के लिए पूंजीकृत ब्याज		
प्रारंभिक शेष राशि	2866.83	2866.83
जोड़ें: ईपीआईएल के साथ ब्याज के निपटान के दौरान अंतर को गोल करना	0.07	0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग/हस्तांतरित	0.00	0.00
अंतिम शेष – (D)	2866.90	2866.83
कुल पूंजी आरक्षित निधि (A+B+C+D)	5523.85	5523.78
आय और व्यय के विवरण में अधिशेष / (घाटा)		
प्रारंभिक शेष राशि	63293.93	56222.13
जोड़ें: वर्ष का अधिशेष	10771.16	7172.65
जोड़ें: व्यापक आय / (-) व्यय	-54.75	-82.23
घटाएँ: पूर्व अवधि व्यय	-6.27	-18.62
प्रतिधारित आय में शुद्ध अधिशेष	74004.07	63293.93
कुल अन्य इक्विटी	79527.92	68817.71



Note No. 12. Other Assets Equity (₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
Capital Reserves		
Grant from National Defence Fund		
Opening Balance	400.00	400.00
Add: Additions during the year	0.00	0.00
Less: Utilized / transferred during the year	0.00	0.00
Closing Balance - (A)	400.00	400.00
Modernization Grant from MOSJE, Government of India		
Opening Balance	2256.95	2256.95
Add: Additions during the year	0.00	0.00
Less: Utilized / transferred during the year	0.00	0.00
Closing Balance - (B)	2256.95	2256.95
Land Allotted by Government of India		
Opening Balance	0.00	0.00
Add: Additions during the year	0.00	0.00
Less: Utilized / transferred during the year	0.00	0.00
Closing Balance (C)	0.00	0.00
Interest Capitalized for Modernization Expenses		
Opening Balance	2866.83	2866.83
Add: Additions- Rounding off difference during settlement of Interest with EPIL	0.07	0.00
Less: Utilized / transferred during the year	0.00	0.00
Closing balance - (D)	2866.90	2866.83
Total Capital Reserve (A+B+C+D)	5523.85	5523.78
Surplus/(Deficit) in the statement of Income & Expenditure		
Opening Balance	63293.93	56222.13
Add: Surplus of the year	10771.16	7172.65
Add: Comprehensive Income / (-) Expenses	-54.75	-82.23
Less: Prior Period Expenses	-6.27	-18.62
Net Surplus in Retained Earnings	74004.07	63293.93
Total Other Equity	79527.92	68817.71



नोट संख्या 13. व्यापार देय (₹ लाख में)

13.01	लेनदारों को देय शेष राशि का विवरण, हालांकि पुष्टि के अधीन है, निम्नानुसार है: —		
	विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
	असुरक्षित		
	(a) एमएसएमई (MSME) का कुल बकाया देय।	852.79	665.09
	(b) एमएसएमई (MSME) के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया देय।	4116.42	3788.00
	कुल	4969.21	4453.09

13.02	व्यापार देय आयु निर्धारण सूची (₹ लाख में)				
	विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया			
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
	(i) MSME	852.79	0.00	0.00	0.00
		(665.09)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	(ii) अन्य	3,960.29	73.46	43.05	39.62
		(3629.25)	(70.07)	(31.84)	(56.84)
	(iii) विवादित बकाया - MSME	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	(iv) विवादित बकाया-अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
13.02	एमएसएमई पार्टियों को 45 दिनों से अधिक समय के लिए कोई राशि देय नहीं है।				



Note No. 13. Trade Payable (₹ in Lakhs)

13.01	The details of balances due to creditors, though subject to confirmation are as under: -		
	Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
	Unsecured		
	(a) Total outstanding dues of MSME.	852.79	665.09
	(b) Total outstanding dues of creditors other than MSME.	4116.42	3788.00
	Total	4969.21	4453.09

13.02	Trade Payables ageing schedule (₹ in Lakhs)					
	Particulars	Outstanding for following Periods from due date of Payment				Total
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
	(i) MSME	852.79	0.00	0.00	0.00	852.79
		(665.09)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(665.09)
	(ii) Others	3,960.29	73.46	43.05	39.62	4116.42
		(3629.25)	(70.07)	(31.84)	(56.84)	(3788.00)
	(iii) Disputed Dues-MSME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	(iv) Disputed Dues-Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
13.02	There is no amount due for more than 45 days to MSME parties.					



नोट संख्या 14. अन्य वित्तीय देयताएं (₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
14.01	वर्तमान (असुरक्षित)				
a)	अप्रयुक्त सरकारी अनुदान				
	ADIP योजना के अंतर्गत अनुदान				
	प्रारंभिक शेष राशि	730.68		672.28	
	जोड़ें: अनअकाउंटेड UC और वितरण के लिए भेजी गई सामग्री	413.30		2087.43	
	जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त	29003.06		23262.34	
	घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-29364.89		-24878.07	
b)	घटाएँ: वितरण के लिए भेजी गई सामग्री	0.00	782.15	-413.30	730.68
	ADIP-SSA योजना के अंतर्गत अनुदान				
	प्रारंभिक शेष राशि	204.97		234.30	
	जोड़ें: अनअकाउंटेड UC और वितरण के लिए भेजी गई सामग्री	1171.20		964.03	
	जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त	3224.09		2894.37	
	घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-4434.77		-2716.53	
	घटाएँ: वितरण के लिए भेजी गई सामग्री	0.00	165.49	-1171.20	204.97
c)	राष्ट्रीय वयोश्री योजना				
	प्रारंभिक शेष राशि	959.03		0.00	
	जोड़ें: भेजी गई सामग्री लेकिन UC लंबित	969.96		0.00	
	जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त GIA	20796.63		7456.85	
		22725.62		7456.85	
	घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई	-14700.14		-5527.86	
	घटाएँ: भेजी गई सामग्री लेकिन UC लंबित	0.00		-969.96	
	समापन शेष		8025.48		959.03
d)	स्वच्छता कार्य योजना के लिए अनुदान		10.00		0.00
e)	मंत्रालय को देय ब्याज		0.00		178.14
14.02	सरकारी अनुदान के अलावा				
	देय व्यय		2667.00		2412.63
	प्राप्त व्यापार/सुरक्षा जमा		2673.47		2820.50
	सुधार शुल्क का प्रावधान		22.05		22.05
	कुल		14345.64		7328.00



14.03	कॉरपोरेशन भारत सरकार की ADIP और RVY योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है। वर्तमान देनदारियों के रूप में दिखाए गए अप्रयुक्त अनुदान, भारतीय लेखा मानक-20 के अनुसार हैं।
14.04	अनुदान का लेखांकन लेखांकन नीति सं. 3.03 जहां उपयोगिता वास्तव में वितरित वस्तुओं के आधार पर मान्यता प्राप्त है और अप्रयुक्त सहायता अनुदान चालू देयता के रूप में दिखाया गया है।
14.05	ऊपर दिखाए गए अनुसार प्राप्त व्यापार/सुरक्षा जमा माल की आपूर्ति या सेवाओं के प्रावधान के लिए अनुबंध के प्रदर्शन के लिए सुरक्षा जमा है और निविदा शर्तों के अनुसार ब्याज रहित है। इस प्रकार, इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 2(c) के अर्थ में “जमा” नहीं माना जा सकता। इसलिए, इसे वर्तमान देयता के रूप में दिखाया गया है।
14.06	“ट्रेड/सिक्योरिटी डिपॉजिट” शीर्षक के अंतर्गत आने वाले शेष, जो सुरक्षा डिपॉजिट, बयाना राशि और अन्य पक्षों के पास जमा राशि को दर्शाते हैं, पुष्टि के अधीन हैं।
14.07	लेखा नीति में परिवर्तन का प्रभाव
a.	परिवर्तन की प्रकृति
	निदेशक मंडल ने 27 जून, 2025 को हुई अपनी बैठक में एडीआईपी, एडीआईपी-एसएसए और आरवीवाई योजना से संबंधित सरकारी अनुदानों की मान्यता और उपयोग के लिए लेखा नीति में परिवर्तन को मंजूरी दी है। –
•	पूर्व नीति: इन योजनाओं के तहत माल भेजने पर और प्राप्तकर्ताओं से प्राप्ति की पुष्टि के बाद सरकारी अनुदान का उपयोग किया गया माना गया था। ऐसी पुष्टि के बाद कोई भी अप्रयुक्त हिस्सा, एक चालू देयता के रूप में प्रस्तुत किया गया था।
•	संशोधित नीति: सरकारी अनुदानों को अब उपयोग के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब वस्तुओं को वास्तव में लाभार्थियों को वितरित किया जाता है। अप्रयुक्त अनुदानों को लेखा पुस्तकों में देनदारियों के रूप में खुलासा किया जाता है और बैलेंस शीट में चालू देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
b)	परिवर्तन का कारण
	2024-25 से अर्जुन पोर्टल के रूप में जाने जाने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वास्तविक वितरण स्पष्ट है और इसी के लिए लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि अब अनुदान सहायता के उपयोग का चित्रण अर्जुन पोर्टल में वास्तविक वितरण पर स्पष्ट है, न कि प्रेषण की स्वीकृति पर।
c)	भावी प्रयोज्यता
	चूंकि अर्जुन पोर्टल 2024-25 से लिंक किया गया है और हाल ही में निदेशक मंडल द्वारा लिंकेज को देखते हुए परिवर्तन को मंजूरी दी गई है, इसलिए यह परिवर्तन भावी रूप से लागू है और पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं है, क्योंकि यह अव्यावहारिक है।
	तदनुसार, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक वित्तीय विवरण में कोई समायोजन नहीं किया गया है।
d)	अनुपालन स्थिति
	31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरण संशोधित नीति के अनुसार तैयार किए गए हैं और लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों के संबंध में आईएस 8 की आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करते हैं।



Note No. 14 Other Financial Liabilities

(₹ in Lakhs)

	Particulars	As at March 31, 2025		As at March 31, 2024	
14.01	Current (Unsecured)				
a)	Un-Utilized Government Grants				
	Grant Under ADIP Scheme				
	Opening Balance	730.68		672.28	
	Add: UCs unaccounted & material sent for distribution	413.30		2087.43	
	Add: Received During the year	29003.06		23262.34	
	Less: Utilized During the year	-29364.89		-24878.07	
b)	Less: Material Dispatched for Distribution	0.00	782.15	-413.30	730.68
	Grant Under ADIP - SSA Scheme				
	Opening Balance	204.97		234.30	
	Add: UCs unaccounted & material sent for distribution	1171.20		964.03	
	Add: Received During the year	3224.09		2894.37	
	Less: Utilized During the year	-4434.77		-2716.53	
	Less: Material Dispatched for Distribution	0.00	165.49	-1171.20	204.97
c)	Rashtriya Vayoshree Yojna				
	Opening Balance	959.03		0.00	
	Add: Material dispatched but UC pending	969.96		0.00	
	Add: GIA received during the year	20796.63		7456.85	
		22725.62		7456.85	
	Less: Utilized during the year	-14700.14		-5527.86	
	Less: Material dispatched but UC pending	0.00		-969.96	
	Closing Balance		8025.48		959.03
d)	Grant for Swachhata Action plan		10.00		0.00
e)	Interest payable to Ministry		0.00		178.14
14.02	Other Than Government Grants				
	Expenses Payable		2667.00		2412.63
	Trade / security deposits received		2673.47		2820.50
	Provision of Betterment Charges		22.05		22.05
	Total		14345.64		7328.00



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



14.03	The corporation is a nodal agency for implementation of ADIP and RVY Schemes of Government of India. The unutilized Grants are shown as current liabilities as per INDAS-20.
14.04	The Accounting for the Grant is done as per accounting policy No. 3.03 Where the Utilization is recognized on the basis of goods actually distributed and unutilized Grant in aid is shown as Current Liability.
14.05	The Trade/ security deposit received as shown above are security deposit for the performance of contract for supply of goods or provision of services and as per tender terms is non-interest bearing. As such, the same cannot be treated as "deposits" within the meaning of Rule 2(c) of the Companies Act, 2013. Hence, the same have been shown as current liability.
14.06	Balances lying under head "Trade/ Security Deposit" representing Security Deposit, Earnest Money and Deposit with Other Parties are subject to confirmation.
14.07	Effect of Change in Accounting Policy
a)	Nature of Change
	The Board of Directors, in its meeting held on 27th June 2025, approved a change in the accounting policy for recognition and utilization of government grants related to ADIP, ADIP-SSA and RVY scheme, as below: -
•	Earlier Policy: Government grants were considered utilized upon dispatch of goods under these schemes and after confirmation of receipt from consignees. Any unutilized portion, post such confirmation, was presented as a Current Liability.
•	Revised Policy: Government grants are now recognized as utilized only when the goods are actually distributed to the beneficiaries, The unutilized grants are disclosed as liabilities in the books of accounts and presented as Current liabilities in the balance sheet.
b)	Reason for Change
	The actual distribution is evident on the on-line platform known as ARJUN PORTAL since 2024-25 and the same has necessitated change in accounting policy as now depiction of Utilization of Grant-in-aid is on actual distribution evident in Arjun Portal rather than on acknowledgement of dispatch.
c)	Prospective applicability
	Since the ARJUN PORTAL is linked from 2024-25 and the change has been approved by Board of Directors recently seeing the linkages, the change is applicable prospectively and not retrospectively being impracticable.
	Accordingly, no adjustment have been made to the comparative financial Statement for the year ended 31st March 2024
d)	Compliance Status
	The Financial Statements for the year ending 31st March 2025 are prepared in accordance with the revised policy and fully comply with Ind AS 8 requirements regarding changes in accounting policies.



नोट संख्या 15. अन्य वर्तमान देयताएं (असुरक्षित) (₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
15.01	(a) ग्राहक से अग्रिम	6028.96	7983.18
	(b) सांविधिक बकाया	362.91	401.17
		6391.87	8384.35
15.02	ग्राहकों से अग्रिम में ₹ 1050.09 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1004.82 लाख) शामिल हैं, जो एक वर्ष से पहले के हैं। ये अग्रिम राशियाँ सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एसएसए (SSA) प्राधिकारियों तथा केन्द्रधराज्य सरकारों की अन्य संस्थाओं से प्राप्त की जाती हैं, इसलिए इन्हें अधिनियम की धारा 2(31) के साथ पठित नियम 2(c) के अर्थ में "जमा" शब्द से बाहर रखा गया है।		
15.03	ग्राहकों से अग्रिम के अंतर्गत शेष राशि की पुष्टि की जानी चाहिए।		

नोट संख्या 16. प्रावधान (₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
16.01	गैर-वर्तमान		
	कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान		
	(a) ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	0.00	0.00
	कुल गैर-वर्तमान प्रावधान	0.00	0.00
	वर्तमान		
	कर्मचारियों के लाभ के लिए प्रावधान		
	(a) ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	164.30	187.53
	(b) प्रदर्शन संबंधी वेतन के लिए प्रावधान	764.11	412.43
	(c) पीएलएआई (PLAI) के लिए प्रावधान	167.59	68.96
	कुल वर्तमान प्रावधान	1096.00	668.92
16.02	बीमांकिक(एक्चुरियल) मूल्यांकन के आधार पर, कंपनी ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के लिए सभी सुनिश्चित देनदारियों का पूरा योगदान ट्रस्ट को देती है, जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक योजना में निवेश करता है। ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के बीमांकिक(एक्चुरियल) मूल्यांकन के बाद, ₹164.30 लाख (पिछले वर्ष ₹187.53 लाख) की शुद्ध देयता को मान्यता दी गई है।		
16.03	DPE OPE संख्या W-02/0028/2017-DPE (WC-GL-XIII/VII)] दिनांक 3.8.2017 के अनुसार अधिकारियों को पीआरपी(PRP) देय है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित योजना के आधार पर गैर-अधिकारियों को पीएलएआई(PLAI) देय है, जो संगठन की एमओयू (MOU) रेटिंग पर भी आधारित है।		
(a) पीआरपी (PRP) प्रदर्शन संबंधित वेतन) का विवरण निम्नप्रकार है		(₹ लाख में)	
वर्ष	प्रावधान किया गया	पीआरपी (PRP) वितरित	टिप्पणियाँ
2013-14 तक	256.16	-	प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन हेतु लंबित।
2023-24	158.61	-	वर्ष 2023-24 में 156.27 लाख रुपये के पहले के प्रावधान में 2.34 लाख रुपये जोड़े गए हैं। इस प्रावधान का भुगतान वित्त वर्ष 2025-26 में किया गया है।
2024-25	349.24	-	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 349.34 लाख रुपये की पीआरपी का प्रावधान किया गया है।
कुल			764.11



Note No. 15. Other Current Liabilities (Unsecured) (₹ in Lakhs)

	Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
15.01	(a) Advance from Customer	6028.96	7983.18
	(b) Statutory Dues	362.91	401.17
		6391.87	8384.35
15.02	Advance from Customers includes ₹ 1050.09 Lakhs (P.Y. ₹ 1004.82 Lakhs) which are more than one year old. These advances are received from SSA authorities and other entities of Central/ State Governments for distribution of aids and appliances hence are excluded from the term "deposit" within the meaning of Rule 2(c) read with Section 2(31) of the Act.		
15.03	Balances under "Advance from Customers" are subject to confirmation.		

Note No. 16. Provisions (₹ in Lakhs)

	Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
16.01	Non-Current		
	Provision for employees' benefits		
	(a) Provision for Gratuity & Leave Encashment	0.00	0.00
	Total Non-Current Provisions	0.00	0.00
	Current		
	Provision for employees' benefits		
	(a) Provision for Gratuity & Leave Encashment	164.30	187.53
	(b) Provision for Performance related pay	764.11	412.43
	(c) Provision for PLAI	167.59	68.96
	Total Current Provisions	1096.00	668.92
16.02	Based on the actuarial valuation, the company fully contributes all ascertained liabilities towards Gratuity and Leave Encashment to the trust which invests in a scheme with SBI Life Insurance Company Limited. After the actuarial valuation of Gratuity and Leave Encashment, net liability of ₹ 164.30 Lakhs (P.Y. ₹ 187.53 Lakhs) has been recognized.		
16.03	PRP is payable to the executives as per DPE OM No. W-02/0028/2017-DPE (WC-GL-XIII/VII), dated 3.8.2017 and PLAI is payable to non-executives based on the scheme approved by Board of Directors which is also based on MOU rating of the corporation.		

(a) The details of PRP (Performance Related Pay) is as under: - (₹ in Lakhs)

Year	Provision made	PRP distributed	Balance	Remarks
Upto 2013-14	256.16	-	256.16	Pending for approval of Administrative Ministry.
2023-24	158.61	-	158.61	₹ 2.34 lacs has been added to earlier provision of ₹156.27 lacs made in 2023-24. This provision has been paid in the Financial Year 2025-26
2024-25	349.24	-	349.24	Provision for PRP for ₹ 349.34 lacs has been made for Financial Year 2024-25.
Total			764.11	



(b) पीएलएआई (प्रदर्शन से जुड़ा वार्षिक प्रोत्साहन) का विवरण निम्नानुसार है: – (₹ लाख में)

वर्ष	प्रावधान किया गया	पीएलएआई (PLAI) वितरित	शेष	टिप्पणियाँ
2023-24	68.96	36.10	32.86	68.96 लाख रुपये के प्रावधान में से एमओयू रेटिंग की घोषणा के बाद केवल 61.86 लाख रुपये का भुगतान किया गया था, इसलिए 7.10 लाख रुपये वापस लिखे गए हैं, 2024-25 में 29.00 लाख रुपये का भुगतान किया गया है और 2025-26 में शेष 32.86 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।
2024-25	134.73	-	134.73	पीएलएआई (PLAI) वितरण के लिए चालू वर्ष में प्रावधान किया गया है।
कुल			167.59	

नोट संख्या 17. परिचालन से राजस्व (₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
17.01	(a) उत्पाद की बिक्री				
	निर्मित कृत्रिम अंगों और पुनर्वास सहायता की बिक्री		56553.80		47653.76
	कुल (a)		56553.80		47653.76
	(b) व्यापार की गई वस्तु की बिक्री				
	उत्पादों की बिक्री (व्यापार)		14589.51		12706.85
	कुल (b)		14589.51		12706.85
	(c) सेवाओं की बिक्री				
	फिटिंग सामग्री की मरम्मत का शुल्क		0.64		1.12
	राजस्व स्ट्रीम पर प्रशासनिक शुल्क और कोविलयर इम्प्लांट की सर्जरी का शुल्क		3186.35		2988.71
	कुल (c)		3186.99		2989.83
	(d) अन्य परिचालन राजस्व				
	निर्माण के दौरान उत्पन्न स्क्रेप की बिक्री		90.10		105.41
	कुल (d)		90.10		105.41
	कुल (a+b+c+d)		74420.40		63455.85
	(e) घटाएँ:				
	i) जीएसटी	3392.09	3392.09	3026.71	3026.71
	परिचालन से कुल राजस्व (a+b+c+d-e)		71028.31		60429.14
17.02	कॉरपोरेशन का राजस्व मुख्य रूप से निर्मित सहायक उपकरणों और सहायक उपकरणों की बिक्री, विनिर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न स्क्रेप और व्यापार किए गए सहायक उपकरणों और सहायक उपकरणों के कारण है। व्यापार की जाने वाली प्रमुख वस्तुएँ कोविलयर इम्प्लांट और फैब्रिकेटेड वस्तुएँ हैं। प्रशासनिक शुल्क को ADIP और RVY योजना दिशानिर्देशों और कॉरपोरेशन और CSR भागीदारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर परिचालन से राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।				



(b) The details of PLAI (Performance Linked Annual Incentive) is as under: - (₹ in Lakhs)

Year	Provision made	PLAI distributed	Balance	Remarks
2023-24	68.96	36.10	32.86	Out of the provision of ₹ 68.96 lacs, only ₹ 61.86 lacs was payable after declaration of MoU rating, hence ₹ 7.10 lacs has been written back, ₹ 29.00 lacs has been paid in 2024-25 and balance ₹ 32.86 lacs has been paid in 2025-26.
2024-25	134.73	-	134.73	The provision is made in the Current year for PLAI distribution.
TOTAL			167.59	

Note No. 17. Revenue from operations (₹ in Lakhs)

	Particulars	As at March 31, 2025		As at March 31, 2024	
17.01	(a) Sale of Product				
	Sale of Manufactured Artificial Limbs & Rehabilitation Aids		56553.80		47653.76
	Total (a)		56553.80		47653.76
	(b) Sale of Traded Item				
	Sale of Products (Trading)		14589.51		12706.85
	Total (b)		14589.51		12706.85
	(c) Sale of Services				
	Repairing Charges of Fitting Material		0.64		1.12
	Administrative Charges on Revenue Stream & Surgery Charges of Cochlear Implant		3186.35		2988.71
	Total (c)		3186.99		2989.83
	(d) Other Operating revenue				
	Sales of Scrap generated during manufacturing		90.10		105.41
	Total (d)		90.10		105.41
	Total (a+b+c+d)		74420.40		63455.85
	(e) Less:				
	i) GST	3392.09	3392.09	3026.71	3026.71
	Total Revenue from operation (a+b+c+d-e)		71028.31		60429.14
17.02	The revenue of the corporation is mainly on account of Sales of aids & appliances being manufactured, scrap generated from manufacturing process and traded aids & appliances. Major Items being traded are Cochlear Implants and Fabricated Items. Administrative Charges have been recognized as revenue from Operation based on the ADIP & RVY Scheme guidelines and on the basis of MOU signed between corporation and CSR partners.				



नोट संख्या 18. अन्य आय

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
18.01	(a) ब्याज आय		
	बैंक जमा राशियों पर	1172.23	2142.50
	अन्य जमा राशियों पर	153.41	0.71
	कुल (a)	1325.64	2143.21
	(b) अन्य गैर-परिचालन आय		
	टाउनशिप से किराये की आय	1.58	2.58
	वापस लिखे गए विविध शेष	273.77	35.63
	संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.25	0.00
	विविध आय	4.09	7.00
	कुल (b)	279.69	45.21
	कुल अन्य आय (a+b)	1605.33	2188.42
18.2	अन्य आय में बैंक जमा राशियों से कॉरपोरेशन द्वारा अर्जित ब्याज शामिल है, जिसकी परिपक्वता एक वर्ष से कम है। मेसर्स ईपीआईएल (MECON) को अग्रिम, बिजली कंपनियों के पास जमा राशियों पर भी ब्याज मिलता है जिसे ब्याज आय का एक हिस्सा माना जाता है। वापस लिखे गए विविध शेष, संपत्तियों की बिक्री का लाभ, पुराने समाचार पत्रों, निविदाओं आदि की बिक्री से होने वाली विविध आय और टाउनशिप से किराये की आय अन्य गैर-परिचालन आय में परिलक्षित होती है।		

Note No. 18. Other Income

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
18.01	(a) Interest Income		
	on Bank Deposits	1172.23	2142.50
	on Other Deposits	153.41	0.71
	Total (a)	1325.64	2143.21
	(b) Other non-operating Income		
	Rental income from Township	1.58	2.58
	Sundry balances written back	273.77	35.63
	Profit on Sale of Assets	0.25	0.00
	Miscellaneous income	4.09	7.00
	Total (b)	279.69	45.21
	Total Other Income (a+b)	1605.33	2188.42
18.02.	Other Income comprises of the Interest Earned by the Corporation from the Bank Deposits, the maturity of which is less than a year. The advance to M/s MECON, deposits with Electricity Companies also yield interest, which are also considered a part of Interest Income. Sundry balances written back, Profit of Sales of Assets, Miscellaneous income from sales of old newspapers, tenders etc. and Rental income from township is reflected in other non-operating income.		



नोट संख्या 19. उपभोग की गई सामग्री और घटकों की लागत और व्यापार की गई वस्तुओं की लागत

19.01	उपभोग की गई सामग्री और घटकों की लागत (₹ लाख में)		
	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
	स्वयं निर्मित		
	एल्यूमीनियम मिश्र धातु	409.93	808.19
	खरीदा और निवेश कार्टिंग	28283.33	29594.68
	खरीदा ओटो ब्लॉक	297.38	458.02
	फास्टर	121.05	94.32
	मृदु इस्पात	1877.93	1843.99
	अलौह धातु	15.59	12.65
	प्लास्टिक और कपड़े	34.74	40.90
	रबर और चमड़ा	4.85	5.60
	लकड़ी	342.38	257.33
	घटाएँ: जोखिम खरीद से वसूली	-0.50	0.00
	कुल (a)	31386.68	33115.68
19.02	व्यापारिक वस्तु		
	कोविलयर	0.00	3823.76
	निर्मित वस्तुएँ	2862.31	1725.00
	डेन्चर/चश्मा	319.86	67.19
	अन्य	8183.29	2103.08
	कुल (b)	11365.46	7719.03
	कुल c=(a+b)	42752.14	40834.71

नोट संख्या 20. इन्वेंटी में परिवर्तन (₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	
	(a) वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी		9974.84		5606.43
	तैयार माल	7723.68		4327.82	
	डब्ल्यूआईपी	2194.87		1230.83	
	स्कैप	56.29		47.78	
	अतिरिक्त	0.00		0.00	
	(b) हैदराबाद अग्निकांड में एफजी (FG) इन्वेंटरी के नुकसान को पिछले वर्ष वृद्धि/कमी की गणना में स्टॉक के रूप में माना गया		0.00		11.52
	(c) वर्ष के अंत में इन्वेंट्री		13673.73		9974.83
	तैयार माल	10949.26		7723.68	
	डब्ल्यूआईपी	2144.20		2194.86	
	स्कैप	30.97		56.29	
	अतिरिक्त	549.30		0.00	
	इन्वेंट्री में कमी/वृद्धि (a-b-c)		-3698.89		-4379.92



Note No. 19. Cost of Material and Components Consumed and Cost of Goods Traded

19.01	Cost of Material and Components Consumed	(₹ in Lakhs)	
	Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
	Own Manufactured		
	Aluminum Alloy	409.93	808.19
	Bought out & Investment Casting	28283.33	29594.68
	Bought out Otto bock	297.38	458.02
	Fasteners	121.05	94.32
	Mild Steel	1877.93	1843.99
	Non-Ferrous Metal	15.59	12.65
	Plastic & Fabrics	34.74	40.90
	Rubber & Leather	4.85	5.60
	Wood	342.38	257.33
	Less: Recovery from risk purchase	-0.50	0.00
	Total (a)	31386.68	33115.68
19.02	Traded Item		
	Cochlear	0.00	3823.76
	Fabricated items	2862.31	1725.00
	Denture/Spectacles	319.86	67.19
	Others	8183.29	2103.08
	Total (b)	11365.46	7719.03
	TOTAL c=(a+b)	42752.14	40834.71

Note No. 20. Changes in Inventories (₹ in Lakhs)

	Particulars	Year Ended March 31, 2025		Year Ended March 31, 2024	
	(a) Inventory at the beginning of the year		9974.84		5606.43
	Finished Goods	7723.68		4327.82	
	WIP	2194.87		1230.83	
	Scrap	56.29		47.78	
	Spare	0.00		0.00	
	(b) Loss of FG Inventory in Hyderabad Fire considered as stock in calculation of increase/decrease last year		0.00		11.52
	(c) Inventory at the end of the year		13673.73		9974.83
	Finished Goods	10949.26		7723.68	
	WIP	2144.20		2194.86	
	Scrap	30.97		56.29	
	Spare	549.30		0.00	
	(Decrease/increase) in inventories (a-b-c)		-3698.89		-4379.92



नोट संख्या 21. कर्मचारी हितलाभ

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
21.01	वेतन, मजदूरी और बोनस	3836.22	3260.16
	भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	384.64	354.37
	कर्मचारी कल्याण व्यय	692.83	499.78
	कुल	4913.69	4114.31
21.02	कॉरपोरेशन के पास निम्नलिखित रोजगार-पश्चात परिभाषित योजनाएँ हैं: –		
	(a) परिभाषित अंशदान योजनाएँ		
	कंपनी योग्य कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना में भविष्य निधि के लिए अंशदान करती है। यह योगदान एलिम्फो ईसीपीएफ (ECPF) ट्रस्ट में किया जाता है, जिसमें कंपनी कवर्ड कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर मासिक योगदान करती है, जो भारतीय कानून द्वारा अनुमत विशिष्ट नामित उपकरणों में निवेश करता है, साथ ही पारिवारिक पेंशन फंड से संबंधित एक विशिष्ट हिस्सा सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है।		
	संगठन के कुछ कर्मचारी एक परिभाषित अंशदान योजना में पेंशन योजना के भागीदार हैं। कंपनी का इस योजना के प्रति कोई और दायित्व नहीं है, सिवाय इसके मासिक अंशदान के, जो ट्रस्ट फंड में योगदान किया जाता है, जिसका कोष भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ निवेश किया जाता है।		
	IND-AS 19 के अनुसार वर्ष के लिए व्यय के रूप में पहचाने जाने वाले परिभाषित अंशदान योजनाओं में अंशदान निम्नानुसार है:		
	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
	भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	226.21	201.93
	पेंशन निधि (EPFO) में नियोक्ता का अंशदान	42.20	40.77
	ग्रेच्युटी एवं लीव इनकैशमेंट का भविष्य बीमा प्रीमियम	6.74	7.87
	पेंशन निधि (LIC) में नियोक्ता का अंशदान	105.19	99.91
	उपर्युक्त पर प्रशासनिक शुल्क	4.30	3.89
	कुल	384.64	354.37
	(b) परिभाषित लाभ योजनाएँ		
	कंपनी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार भारत में कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी प्रदान करती है। जो कर्मचारी 5 वर्ष की अवधि तक लगातार सेवा में हैं, वे ग्रेच्युटी के लिए पात्र हैं। सेवानिवृत्ति, मृत्यु, अक्षमता या रोजगार की समाप्ति पर देय ग्रेच्युटी की राशि, संबंधित कर्मचारी के वेतन और संगठन के साथ रोजगार की अवधि पर आधारित है। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में देयताएं बीमांकिक(एक्चुरियल) मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जो प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर एक स्वतंत्र एक्चुररी द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके किया जाता है। कंपनी सभी सुनिश्चित देयताओं का पूरा योगदान ट्रस्ट को देती है जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक योजना में निवेश करता है।		
	योजना परिसंपत्तियों का सबसे हालिया बीमांकिक(एक्चुरियल) मूल्यांकन और ग्रेच्युटी के लिए परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य 31 मार्च, 2025 तक किया गया। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत और पिछली सेवा लागत (यदि लागू हो) को प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (PUC) पद्धति का उपयोग करके मापा गया।		
	(b)(i) ग्रेच्युटी लाभ: –		
	भाग A: इस संबंध में प्राप्त बीमांकिक(एक्चुरियल) मूल्यांकन के आधार पर, निम्नलिखित तालिका ग्रेच्युटी योजना की स्थिति और बैलेंस शीट तिथि पर कंपनी के वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों को निर्धारित करती है:		



Note No. 21. Employee Benefit Expenses (₹ in Lakhs)

	Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
21.01	Salary, Wages and Bonus	3836.22	3260.16
	Contribution to provident and other funds	384.64	354.37
	Staff Welfare Expenses	692.83	499.78
	TOTAL	4913.69	4114.31
21.02	The Corporation has the following post - employment defined plans: -		
	(a) Defined Contribution Plans		
	The Company makes contributions towards provident fund to a defined contribution retirement benefit plan for qualifying employees. The contribution is made to the ALIMCO ECPF Trust in which the company make monthly contribution equal to a specified percentage of covered employee's salary, which invests in specific designated instruments as permitted by Indian Law also a specific portion relating to Family Pension Fund is contributed to the government administered pension fund.		
	Certain employees of the corporation are participants of a pension plan in a defined contribution plan. The company has no further obligation to the plan beyond its monthly contributions, which are contributed to trust fund, the corpus of which is invested with Life Insurance Corporation of India (LIC).		
	Contribution to the Defined Contribution Plans recognized as expense for the year as required to be disclosed as per IND-AS 19 is as under: -		
	Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
	Employer's Contribution to Provident Fund	226.21	201.93
	Employer's Contribution to Pension Fund (EPFO)	42.20	40.77
	Premium on Future Gratuity & Leave Encashment Insurance	6.74	7.87
	Employer's Contribution to Pension Fund (LIC)	105.19	99.91
	Administration Charges on above	4.30	3.89
	TOTAL	384.64	354.37
	(b) Defined Benefit Plans		
	The Company provides for gratuity for employees in India as per the Payment of Gratuity Act, 1972. Employees who are in continuous service for a period of 5 years are eligible for gratuity. The amount of gratuity payable on retirement, death, incapacitation or termination of employment based on respective employee's salary and tenure of employment with the corporation. Liabilities with regard to Gratuity Plan are determined by actuarial valuation, performed by an independent actuary at each Balance Sheet date using projected unit credit method. The company fully contributes all ascertained liabilities to the trust which invests in a scheme with SBI Life Insurance Company Limited.		
	The most recent actuarial valuation of plan assets and the present value of the defined benefit obligation for gratuity were carried out as at 31st March, 2025. The present value of the defined benefit obligation and the related current service cost and past service cost (if applicable) were measured using Projected Unit Credit (PUC) method.		
	(b)(I) Gratuity Benefits: -		
	Part A: Based on the actuarial valuation obtained in this respect, the following table sets out the status of the gratuity plan and the amounts recognized in the Company's financial statements as at balance sheet date:		



अनुलग्नक 1: योजना की वित्तपोषित स्थिति

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	955.98	884.55
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-875.56	-751.98
अज्ञात पिछली सेवा लागत	-	-
शुद्ध देयता (परिसंपत्ति)	80.42	132.56

अनुलग्नक 2: वर्तमान अवधि के लिए लाभ और हानि खाता

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्तमान सेवा लागत	36.96	57.35
मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत- निहित	-	-
कटौती और निपटान पर हानि/(लाभ)	-	-
कुल सेवा लागत	36.96	57.35
दायित्व पर ब्याज	61.92	57.47
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-52.64	-56.57
शुद्ध ब्याज लागत	9.28	0.90
कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल कुल राशि	46.24	58.25

अनुलग्नक 3: परिभाषित लाभ दायित्व का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
आरंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	884.55	787.28
सेवा लागत		
a. वर्तमान सेवा लागत	36.96	57.35
b. पिछली सेवा लागत	-	-
c. (लाभ)/निपटान पर हानि	-	-
d. कटौती पर हानि/(लाभ)	-	-
ब्याज लागत	61.92	57.47
योजना परिसंपत्तियों से लाभ भुगतान	-68.37	-87.51
नियोक्ता द्वारा सीधे लाभ भुगतान	-	-
कर्मचारियों/प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	-	-
अधिग्रहण/विलय के प्रभाव	-	-
निपटान	-	-
अंतरण इन/आउट	-	-
एक्चुरियल हानि/(लाभ)- जनसांख्यिकी	-	-
एक्चुरियल हानि/(लाभ)- अनुभव	12.67	44.71
एक्चुरियल हानि/(लाभ)- वित्तीय	28.26	25.24
कुल एक्चुरियल हानि/(लाभ)	40.93	69.95
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	-	-
समापन परिभाषित लाभ दायित्व	955.99	884.55



Annexure 1: Funded status of the plan

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Present value of funded obligations	955.98	884.55
Fair value of plan assets	-875.56	-751.98
Unrecognized Past service Cost	-	-
Net Liability (Asset)	80.42	132.56

Annexure 2: Profit and Loss account for current period

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Current service cost	36.96	57.35
Recognized Past Service Cost- Vested	-	-
Loss/(Gain) on curtailments and settlement	-	-
Total Service Cost	36.96	57.35
Interest on obligation	61.92	57.47
Expected return on plan assets	-52.64	-56.57
Net Interest Cost	9.28	0.90
Total included in 'Employee Benefit Expense'	46.24	58.25

Annexure 3: Reconciliation of defined benefit obligation

(₹ in Lakhs)

Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Opening Defined Benefit Obligation	884.55	787.28
Service Cost		
a. Current service cost	36.96	57.35
b. Past service cost	-	-
c. (Gain) / Loss on settlements	-	-
d. Loss / (Gain) on curtailments	-	-
Interest Cost	61.92	57.47
Benefit Payments from Plan Assets	-68.37	-87.51
Benefit Payments directly by Employer	-	-
Contributions by Employees / Participants	-	-
Effects of Acquisition / Merger	-	-
Settlements	-	-
Transfer In/Out	-	-
Actuarial Loss / (Gain)- Demographics	-	-
Actuarial Loss / (Gain)- Experience	12.67	44.71
Actuarial Loss / (Gain)- Financial	28.26	25.24
Total Actuarial Loss / (Gain)	40.93	69.95
Exchange differences on foreign plans	-	-
Closing Defined Benefit Obligation	955.99	884.55



अनुलग्नक 4: योजना परिसंपत्तियों का समाधान (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
योजना परिसंपत्तियों का आरंभिक मूल्य	751.98	774.93
योजना परिसंपत्तियों के अंदर/(बाहर) स्थानांतरण	-	-
अपेक्षित प्रतिफल	52.64	56.57
नियोक्ता योगदान	134.00	12.35
प्रतिभागी योगदान	-	-
योजना परिसंपत्तियों से लाभ भुगतान	-68.37	-87.51
अधिग्रहण/विलय के प्रभाव	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	5.30	-4.36
निपटान	-	-
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	-	-
योजना परिसंपत्तियों का समापन मूल्य	875.55	751.98

अनुलग्नक 5: शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का समाधान (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
खातों की पुस्तकों में शुद्ध आरंभिक प्रावधान	132.56	12.35
P&L में परिभाषित लाभ लागत	46.24	58.25
ओसीआई (OCI) में शामिल कुल पुनर्मापन	35.62	74.31
अधिग्रहण/विलय के प्रभाव	-	-
नियोक्ता योगदान	-134.00	-12.35
नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष लाभ भुगतान	-	-
कोई महत्वपूर्ण घटना	-	-
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	-	-
खातों की पुस्तकों में समापन प्रावधान	80.42	132.56

अनुलग्नक 6: योजना परिसंपत्तियों की संरचना (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
बीमा की पॉलिसी	100%	100%
कुल	100%	100%

अनुलग्नक 7: अनुसूची III के अनुसार देयता का विभाजन (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्तमान देयता	37.07	74.44
गैर-वर्तमान देयता	918.91	810.10
परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-875.56	-751.98
शुद्ध देयता	80.42	132.56



Annexure 4: Reconciliation of plan assets (₹ in Lakhs)

Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Opening value of plan assets	751.98	774.93
Transfer in/(out) plan assets	-	-
Expected return	52.64	56.57
Employer contributions	134.00	12.35
Participant contributions	-	-
Benefit payments from plan assets	-68.37	-87.51
Effects of Acquisition / Merger	-	-
Actuarial gain/(loss) on plan assets	5.30	-4.36
Settlements	-	-
Exchange differences on foreign plans	-	-
Closing value of plan assets	875.55	751.98

Annexure 5: Reconciliation of net defined benefit liability (₹ in Lakhs)

Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Net opening provision in books of accounts	132.56	12.35
Defined Benefit Cost in P&L	46.24	58.25
Total remeasurement included in OCI	35.62	74.31
Effects of Acquisition /Merger	-	-
Employer contributions	-134.00	-12.35
Direct benefit payments by Employer	-	-
Any significant event	-	-
Exchange differences on foreign plans	-	-
Closing provision in books of accounts	80.42	132.56

Annexure 6: Composition of Plan assets (₹ in Lakhs)

Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Policy of insurance	100%	100%
Total	100%	100%

Annexure 7: Bifurcation of liability as per schedule III (₹ in Lakhs)

Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Current Liability	37.07	74.44
Non-Current Liability	918.91	810.10
Fair value of Assets	-875.56	-751.98
Net Liability	80.42	132.56



अनुलग्नक 8: अन्य व्यापक आय में पहचाने गए प्रभाव (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
डीबीओ (DBO) में जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-
डीबीओ (DBO) में वित्तीय धारणा में परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	28.26	25.24
डीबीओ (DBO) पर अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	12.67	44.71
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, अपेक्षित प्रतिफल से (अधिक) / कम	-5.30	4.35
परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन	-	-
कोई अन्य प्रभाव	-	-
वर्ष के लिए शुद्ध बीमांकिक हानि/(लाभ)	35.63	74.31

अनुलग्नक 9: अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल लागत (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
P&L में पहचानी गई लागत	46.24	58.25
OCI में पहचाने गए पुनर्मापन प्रभाव	35.62	74.31
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल लागत	81.86	132.56

अनुलग्नक 10: पिछली सेवा देयता के आधार पर अपेक्षित नकदी प्रवाह: (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	39.56	79.65
वर्ष 2	82.79	36.09
वर्ष 3	63.97	94.07
वर्ष 4	69.82	60.30
वर्ष 5	25.18	64.31
वर्ष 6 से 10	495.11	422.82

अनुलग्नक 11: मुख्य मान्यताओं के प्रति संवेदनशीलता (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
छूट दर संवेदनशीलता		
1% बढ़ाएँ	866.47	804.59
(% परिवर्तन)	-9.36%	-9.04%
1% की कमी	1060.01	977.51
(% परिवर्तन)	10.88%	10.51%
वेतन वृद्धि दर संवेदनशीलता		
1% बढ़ाएँ	1022.52	945.85
(% परिवर्तन)	6.96%	6.93%
1% की कमी	888.04	823.22
(% परिवर्तन)	-7.11%	-6.93%



Annexure 8: Effects Recognized in Other Comprehensive Income (₹ in Lakhs)

Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Actuarial (Gain) / Loss due to Demographic Assumption change in DBO	-	-
Actuarial (Gain) / Loss due to Financial Assumption change in DBO	28.26	25.24
Actuarial (Gain) / Loss due to Experience on DBO	12.67	44.71
Return on Plan Assets (Greater) / Less than the Expected Return	-5.30	4.35
Changes in Asset Ceiling	-	-
Any other effect	-	-
Net actuarial loss/(gain) for the year	35.63	74.31

Annexure 9: Total Cost Recognized in Other Comprehensive Income (₹ in Lakhs)

Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Cost Recognized in P&L	46.24	58.25
Remeasurement Effects Recognized in OCI	35.62	74.31
Total Cost Recognized in Other Comprehensive Income	81.86	132.56

Annexure 10: The expected Cashflows based on past service liability: (₹ in Lakhs)

Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Year 1	39.56	79.65
Year 2	82.79	36.09
Year 3	63.97	94.07
Year 4	69.82	60.30
Year 5	25.18	64.31
Year 6 to 10	495.11	422.82

Annexure 11: Sensitivity to Key Assumptions (₹ in Lakhs)

Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Discount rate Sensitivity		
Increase by 1%	866.47	804.59
(% change)	-9.36%	-9.04%
Decrease by 1%	1060.01	977.51
(% change)	10.88%	10.51%
Salary growth rate Sensitivity		
Increase by 1%	1022.52	945.85
(% change)	6.96%	6.93%
Decrease by 1%	888.04	823.22
(% change)	-7.11%	-6.93%



निकासी दर (W-R-) संवेदनशीलता		
1% बढ़ाएँ	970.86	899.76
(% परिवर्तन)	1.56%	1.72%
1% की कमी	939.55	867.68
(% परिवर्तन)	-1.72%	-1.91%
संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और इसकी सीमाओं का विवरण:		
संवेदनशीलता विश्लेषण एक एकल पैरामीटर को बदलकर किया जाता है जबकि अन्य सभी पैरामीटर परिवर्तित नहीं होते हैं।		
संवेदनशीलता विश्लेषण अंतर्निहित मापदंडों के बीच अंतर्संबंध पर ध्यान केंद्रित करने में विफल रहता है।		
इसलिए, अगर दो या अधिक चर एक साथ बदले जाते हैं तो परिणाम भिन्न हो सकते हैं।		
उपयोग की जाने वाली विधि किसी भी पैरामीटर में परिवर्तन की संभावना और यदि कोई हो तो परिवर्तन की सीमा के बारे में कुछ भी संकेत नहीं देती है।		

भाग B: मूल्यांकन में उपयोग की गई मान्यताओं का सारांश नीचे दिया गया है: (₹ लाख में)

वित्तीय मान्यताएँ:		
विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
छूट दर	6.70%	7.00%
वेतन वृद्धि दर	5.00%	5.00%
प्रतिफल की अपेक्षित दर	6.70%	7.00%
जनसांख्यिकीय मान्यताएँ:		
निकासी दरें (प्रति वर्ष)		
आयु बैंड	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
25 और उससे कम	3.00%	3.00%
26 से 35	3.00%	3.00%
36 से 45	3.00%	3.00%
46 से 55	1.00%	1.00%
56 और उससे अधिक	1.00%	1.00%
मृत्यु दर:		
भारतीय एश्योर्ड लाइफ़ मृत्यु दर (2012–14) तालिका		
भारतीय एश्योर्ड लाइफ़ मृत्यु दर की प्रति वर्ष नमूना दरें		
आयु (वर्षों में)	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
20.00	0.09%	0.09%
30.00	0.10%	0.10%
40.00	0.17%	0.17%
50.00	0.44%	0.44%
60.00	1.12%	1.12%



Withdrawal rate (W.R.) Sensitivity		
Increase by 1%	970.86	899.76
(% change)	1.56%	1.72%
Decrease by 1%	939.55	867.68
(% change)	-1.72%	-1.91%
A description of methods used for sensitivity analysis and its limitations:		
Sensitivity analysis is performed by varying a single parameter while keeping all the other parameters unchanged.		
Sensitivity analysis fails to focus on the interrelationship between underlying parameters.		
Hence, the results may vary if two or more variables are changed simultaneously.		
The method used does not indicate anything about the likelihood of change in any parameter and the extend of the change if any.		

Part B: The summary of the assumptions used in the valuation is given below: (₹ in Lakhs)

Financial Assumptions:		
Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Discount Rate	6.70%	7.00%
Salary Growth Rate	5.00%	5.00%
Expected Rate of Return	6.70%	7.00%
Demographic Assumptions:		
Withdrawal Rates (p.a.)		
Age Band	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
25 & below	3.00%	3.00%
26 to 35	3.00%	3.00%
36 to 45	3.00%	3.00%
46 to 55	1.00%	1.00%
56 & above	1.00%	1.00%
Mortality Rates:		
Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table		
Sample Rates per annum of Indian Assured Lives Mortality		
Age (in years)	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
20.00	0.09%	0.09%
30.00	0.10%	0.10%
40.00	0.17%	0.17%
50.00	0.44%	0.44%
60.00	1.12%	1.12%



भाग C: अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से, कंपनी कई जोखिमों के संपर्क में है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण नीचे विस्तृत हैं:
एक्चुरियल जोखिम:
यह जोखिम है कि लाभ की लागत अपेक्षा से अधिक होगी। यह निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण उत्पन्न हो सकता है:
प्रतिकूल वेतन वृद्धि अनुभव: वेतन वृद्धि जो अनुमानित वेतन वृद्धि से अधिक है, वह अपेक्षा से अधिक दर पर दायित्व में वृद्धि का कारण बनेगी।
मृत्यु दर में परिवर्तनशीलता: अगर वास्तविक मृत्यु दर अनुमानित मृत्यु दर धारणा से अधिक है, तो ग्रेच्युटी लाभ का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। नकदी प्रवाह में तेजी से अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के सापेक्ष मूल्यों के आधार पर एक्चुरियल हानि या लाभ होगा।
निकासी दरों में परिवर्तनशीलता: अगर वास्तविक निकासी दरें अनुमानित निकासी दरों धारणा से अधिक हैं, तो ग्रेच्युटी लाभ का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। इसका प्रभाव अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के सापेक्ष मूल्यों पर निर्भर करेगा।
निवेश जोखिम:
वित्तपोषित योजनाओं के लिए जो परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए बीमाकर्ता पर निर्भर करती हैं, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्तियों का मूल्य देयता का समर्थन करने वाले उपकरणों का उचित मूल्य नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य भविष्य की छूट दर से स्वतंत्र होता है। अगर अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, तो इससे शुद्ध देयता या वित्तपोषित स्थिति में व्यापक उतार-चढ़ाव हो सकता है।
तरलता जोखिम:
ज़्यादा वेतन और लंबी अवधि वाले कर्मचारी या पदानुक्रम में उच्चतर कर्मचारी, लाभ का महत्वपूर्ण स्तर जमा करते हैं। अगर ऐसे कुछ कर्मचारी कंपनी से इस्तीफा/सेवानिवृत्त होते हैं, तो नकदी प्रवाह पर दबाव पड़ सकता है।
बाजार जोखिम:
बाजार जोखिम उन जोखिमों के लिए एक सामूहिक शब्द है जो वित्तीय बाजारों के परिवर्तनों और उतार-चढ़ाव से संबंधित हैं। एक बीमांकिक(एक्चुरियल) धारणा जिसका भौतिक प्रभाव होता है, वह छूट दर होती है। छूट दर पैसे के समय मूल्य को दर्शाती है। छूट दर में वृद्धि से योजना लाभों के परिभाषित लाभ दायित्व में कमी आती है और इसके विपरीत भी सत्य है। यह धारणा कॉर्पोरेट/सरकारी बॉन्ड्स पर प्रतिफल पर निर्भर करती है और इसलिए देयता का मूल्यांकन मूल्यांकन तिथि पर प्रतिफल में उतार-चढ़ाव के संपर्क में आता है।
वैधानिक जोखिम:
वैधानिक जोखिम कानून/विनियमन में परिवर्तन के कारण योजना देनदारियों में वृद्धि या योजना परिसंपत्तियों में कमी का जोखिम है। सरकार ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम में संशोधन कर सकती है, जिससे कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को अधिक लाभ देने की आवश्यकता होगी। यह परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को सीधे प्रभावित करेगा और इसे उस वर्ष में तुरंत मान्यता देनी होगी जब ऐसा कोई संशोधन प्रभावी होगा।
(b) (iii) छुट्टी लाभ योजना: –
भाग A: इस संबंध में प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, निम्नलिखित तालिका अर्जित छुट्टी लाभों की स्थिति और मान्यता प्राप्त राशियों को बैलेंस शीट तिथि पर कंपनी के वित्तीय विवरणों में निर्धारित करती है:



Part C: Through its defined benefits plans, the company is exposed to a number of risks, the most significant of which are detailed below:
Actuarial Risk:
It is the risk that benefits will cost more than expected. This can arise due to one of the following reasons:
Adverse Salary Growth Experience: Salary hikes that are higher than assumed salary escalation will result into an increase in Obligation at a rate that is higher than expected.
Variability in mortality rates: If actual mortality rates are higher than assumed mortality rate assumption than the Gratuity Benefits will be paid earlier than expected. The acceleration of cash flow will lead to an actuarial loss or gain depending on the relative values of the assumed salary growth and discount rate.
Variability in withdrawal rates: If actual withdrawal rates are higher than assumed withdrawal rates assumption than the Gratuity Benefits will be paid earlier than expected. The impact of this will depend on the relative values of the assumed salary growth and discount rate.
Investment Risk:
For funded plans that rely on insurer for managing the assets, the value of assets certified by the insurer may not be the fair value of instruments backing the liability. In such cases, the present value of the assets is independent of the future discount rate. This can result in wide fluctuations in the net liability or the funded status if there are significant changes in the discount rate during the inter-valuation period.
Liquidity Risk:
Employees with high salaries and long durations or those higher in hierarchy, accumulate significant level of benefits. If some of such employees resign/retire from the company there can be strain on the cash flows.
Market Risk:
Market risk is a collective term for risks that are related to the changes and fluctuations of the financial markets. One actuarial assumption that has a material effect is the discount rate. The discount rate reflects the time value of money. An increase in discount rate leads to decrease in Defined Benefit Obligation of the plan benefits & vice versa. This assumption depends on the yields on the corporate/government bonds and hence the valuation of liability is exposed to fluctuations in the yields as at the valuation date.
Legislative Risk:
Legislative risk is the risk of increase in the plan liabilities or reduction in the plan assets due to change in the legislation/regulation. The government may amend the Payment of Gratuity Act thus requiring the companies to pay higher benefits to the employees. This will directly affect the present value of the Defined Benefit Obligation and the same will have to be recognized immediately in the year when any such amendment is effective.
(b) (ii) Leave Benefit Plan: -
Part A: Based on the actuarial valuation obtained in this respect, the following table sets out the status of the earned leave benefits and the amounts recognized in the Company's financial statements as at balance sheet date:



अनुलग्नक 1: योजना की वित्तपोषित स्थिति

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वित्तपोषित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	637.23	572.63
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-568.07	-520.52
हानि / (अधिशेष)	69.16	52.11
अज्ञात पिछली सेवा लागत	-	-
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव	-	-
शुद्ध देयता (परिसंपत्ति)	69.16	52.11

अनुलग्नक 2: वर्तमान अवधि के लिए लाभ और हानि खाता

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्तमान सेवा लागत	47.80	40.18
मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत- निहित	-	-
कटौती और निपटान पर हानि/(लाभ)	-	-
कुल सेवा लागत	47.80	40.18
दायित्व पर ब्याज	40.08	38.05
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-36.44	-34.05
शुद्ध ब्याज लागत	3.64	4.00
कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल कुल राशि	51.44	44.18

अनुलग्नक 3: परिभाषित लाभ दायित्व का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
आरंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	572.63	521.28
सेवा लागत		
a. वर्तमान सेवा लागत	47.80	40.18
b. पिछली सेवा लागत	-	-
c. (लाभ)/निपटान पर हानि	-	-
d. कटौती पर हानि/(लाभ)	-	-
ब्याज लागत	40.08	38.05
योजना परिसंपत्तियों से लाभ भुगतान	-44.68	-34.73
नियोक्ता द्वारा सीधे लाभ भुगतान	-	-
कर्मचारियों/प्रतिभागियों द्वारा अंशदान	-	-
अधिग्रहण/विलय के प्रभाव	-	-
निपटान	-	-
अंतरण इन/आउट	-	-
एक्चुरियल हानि/(लाभ)- जनसांख्यिकी	-	-
एक्चुरियल हानि/(लाभ)- अनुभव	7.67	-9.43
एक्चुरियल हानि/(लाभ)- वित्तीय	13.73	17.27
कुल एक्चुरियल हानि/(लाभ)	21.40	7.84
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	-	-
समापन परिभाषित लाभ दायित्व	637.23	572.63



Annexure 1: Funded status of the plan (₹ in Lakhs)

Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Present value of funded obligations	637.23	572.63
Fair value of plan assets	-568.07	-520.52
Deficit / (Surplus)	69.16	52.11
Unrecognized Past service Cost	-	-
Effect of Assets Ceiling	-	-
Net Liability (Asset)	69.16	52.11

Annexure 2: Profit and Loss account for current period (₹ in Lakhs)

Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Current service cost	47.80	40.18
Recognized Past Service Cost- Vested	-	-
Loss/(Gain) on curtailments and settlement	-	-
Total Service Cost	47.80	40.18
Interest on obligation	40.08	38.05
Expected return on plan assets	-36.44	-34.05
Net Interest Cost	3.64	4.00
Total included in 'Employee Benefit Expense'	51.44	44.18

Annexure 3: Reconciliation of defined benefit obligation (₹ in Lakhs)

Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Opening Defined Benefit Obligation	572.63	521.28
Service Cost		
a. Current service cost	47.80	40.18
b. Past service cost	-	-
c. (Gain) / Loss on settlements	-	-
d. Loss / (Gain) on curtailments	-	-
Interest Cost	40.08	38.05
Benefit Payments from Plan Assets	-44.68	-34.73
Benefit Payments directly by Employer	-	-
Contributions by Employees / Participants	-	-
Effects of Acquisition / Merger	-	-
Settlements	-	-
Transfer In/Out	-	-
Actuarial Loss / (Gain)- Demographics	-	-
Actuarial Loss / (Gain)- Experience	7.67	-9.43
Actuarial Loss / (Gain)- Financial	13.73	17.27
Total Actuarial Loss / (Gain)	21.40	7.84
Exchange differences on foreign plans	-	-
Closing Defined Benefit Obligation	637.23	572.63



अनुलग्नक 4: योजना परिसंपत्तियों का समाधान (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
योजना परिसंपत्तियों का आरंभिक मूल्य	520.52	466.44
योजना परिसंपत्तियों के अंदर/(बाहर) स्थानांतरण	-	-
अपेक्षित प्रतिफल	36.44	34.05
नियोक्ता योगदान	53.52	54.84
प्रतिभागी योगदान	-	-
योजना परिसंपत्तियों से लाभ भुगतान	-44.68	-34.73
अधिग्रहण/विलय के प्रभाव	-	-
योजना परिसंपत्तियों पर एक्चुरियल लाभ/हानि	2.27	-0.07
निपटान	-	-
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	-	-
योजना परिसंपत्तियों का समापन मूल्य	568.07	520.52

अनुलग्नक 5: शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का समाधान (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
खातों की पुस्तकों में शुद्ध आरंभिक प्रावधान	52.11	54.84
P&L में परिभाषित लाभ लागत	51.45	44.18
ओसीआई (OCI) में शामिल कुल पुनर्मापन	19.13	7.92
अधिग्रहण/विलय के प्रभाव	-	-
नियोक्ता योगदान	53.52	-54.84
नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष लाभ भुगतान	-	-
कोई महत्वपूर्ण घटना	-	-
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	-	-
खातों की पुस्तकों में समापन प्रावधान	69.17	52.11

अनुलग्नक 6: योजना परिसंपत्तियों की संरचना (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
बीमा की पॉलिसी	100%	100%
कुल	100%	100%

अनुलग्नक 7: अनुसूची III के अनुसार देयता का विभाजन (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्तमान देयता	24.12	51.20
गैर-वर्तमान देयता	613.11	521.43
परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-568.07	-520.52
शुद्ध देयता	69.16	52.11



Annexure 4: Reconciliation of plan assets (₹ in Lakhs)

Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Opening value of plan assets	520.52	466.44
Transfer in/(out) plan assets	-	-
Expected return	36.44	34.05
Employer contributions	53.52	54.84
Participant contributions	-	-
Benefit payments from plan assets	-44.68	-34.73
Effects of Acquisition / Merger	-	-
Actuarial gain/(loss) on plan assets	2.27	-0.07
Settlements	-	-
Exchange differences on foreign plans	-	-
Closing value of plan assets	568.07	520.52

Annexure 5: Reconciliation of net defined benefit liability (₹ in Lakhs)

Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Net opening provision in books of accounts	52.11	54.84
Defined Benefit Cost in P&L	51.45	44.18
Total remeasurement included in OCI	19.13	7.92
Effects of Acquisition /Merger	-	-
Employer contributions	53.52	-54.84
Direct benefit payments by Employer	-	-
Any significant event	-	-
Exchange differences on foreign plans	-	-
Closing provision in books of accounts	69.17	52.11

Annexure 6: Composition of Plan assets (₹ in Lakhs)

Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Policy of insurance	100%	100%
Total	100%	100%

Annexure 7: Bifurcation of liability as per schedule III (₹ in Lakhs)

Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Current Liability	24.12	51.20
Non-Current Liability	613.11	521.43
Fair value of Assets	-568.07	-520.52
Net Liability	69.16	52.11



अनुलग्नक 8: अन्य व्यापक आय में पहचाने गए प्रभाव (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
डीबीओ (DBO) में जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-
डीबीओ (DBO) में वित्तीय धारणा में परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	13.73	17.27
डीबीओ (DBO) पर अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ) / हानि	7.67	-9.42
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, अपेक्षित प्रतिफल से (अधिक) / कम	-2.27	0.07
परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन	-	-
कोई अन्य प्रभाव	-	-
वर्ष के लिए शुद्ध बीमांकिक हानि/(लाभ)	19.13	7.92

अनुलग्नक 9: व्यापक आय में पहचानी गई कुल लागत (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
P&L में पहचानी गई लागत	51.45	44.18
OCI में पहचाने गए पुनर्मापन प्रभाव	19.13	7.92
व्यापक आय में पहचानी गई कुल लागत	70.58	52.11

अनुलग्नक 10: अगले 10 वर्षों में अपेक्षित भावी नकद प्रवाह: (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	25.76	54.78
वर्ष 2	46.91	23.31
वर्ष 3	55.06	46.26
वर्ष 4	25.84	52.25
वर्ष 5	18.08	23.56
वर्ष 6 से 10	305.33	244.51

अनुलग्नक 11: मुख्य मान्यताओं के प्रति संवेदनशीलता (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
छूट दर संवेदनशीलता		
1% बढ़ाएँ	572.77	518.08
(% परिवर्तन)	-10.12%	-9.53%
1% की कमी	713.08	636.62
(% परिवर्तन)	11.90%	11.17%
वेतन वृद्धि दर संवेदनशीलता		
1% बढ़ाएँ	706.97	631.26
(% परिवर्तन)	10.94%	10.24%
1% की कमी	576.66	521.60
(% परिवर्तन)	-9.50%	-8.91%



Annexure 8: Effects Recognized in Other Comprehensive Income (₹ in Lakhs)

Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Actuarial (Gain) / Loss due to Demographic Assumption change in DBO	-	-
Actuarial (Gain) / Loss due to Financial Assumption change in DBO	13.73	17.27
Actuarial (Gain) / Loss due to Experience on DBO	7.67	-9.42
Return on Plan Assets (Greater) / Less than the Expected Return	-2.27	0.07
Changes in Asset Ceiling	-	-
Any other effect	-	-
Net actuarial loss/(gain) for the year	19.13	7.92

Annexure 9: Total Cost Recognized in Other Comprehensive Income (₹ in Lakhs)

Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Cost Recognized in P&L	51.45	44.18
Remeasurement Effects Recognized in OCI	19.13	7.92
Total Cost Recognized in Other Comprehensive Income	70.58	52.11

Annexure 10: The expected future Cashflows of next 10 years (₹ in Lakhs)

Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Year 1	25.76	54.78
Year 2	46.91	23.31
Year 3	55.06	46.26
Year 4	25.84	52.25
Year 5	18.08	23.56
Year 6 to 10	305.33	244.51

Annexure 11: Sensitivity to Key Assumptions (₹ in Lakhs)

Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Discount rate Sensitivity		
Increase by 1%	572.77	518.08
(% change)	-10.12%	-9.53%
Decrease by 1%	713.08	636.62
(% change)	11.90%	11.17%
Salary growth rate Sensitivity		
Increase by 1%	706.97	631.26
(% change)	10.94%	10.24%
Decrease by 1%	576.66	521.60
(% change)	-9.50%	-8.91%



निकासी दर (W.R.) संवेदनशीलता		
1% बढ़ाएँ	647.71	582.41
(% परिवर्तन)	1.64%	1.71%
1% की कमी	625.44	561.65
(% परिवर्तन)	1.85%	-1.92%
संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों और इसकी सीमाओं का विवरण:		
संवेदनशीलता विश्लेषण एक एकल पैरामीटर को बदलकर किया जाता है जबकि अन्य सभी पैरामीटर परिवर्तित नहीं होते हैं।		
संवेदनशीलता विश्लेषण अंतर्निहित मापदंडों के बीच अंतर्संबंध पर ध्यान केंद्रित करने में विफल रहता है।		
इसलिए, अगर दो या अधिक चर एक साथ बदले जाते हैं तो परिणाम भिन्न हो सकते हैं।		
उपयोग की जाने वाली विधि किसी भी पैरामीटर में परिवर्तन की संभावना और यदि कोई हो तो परिवर्तन की सीमा के बारे में कुछ भी संकेत नहीं देती है।		

भाग B: मूल्यांकन में उपयोग की गई मान्यताओं का सारांश नीचे दिया गया है: (₹ लाख में)

वित्तीय देयताएं		
विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
छूट दर	6.80%	7.00%
वेतन वृद्धि दर	5.00%	5.00%
प्रतिफल की अपेक्षित दर	6.80%	7.00%
जनसांख्यिकीय मान्यताएँ:		
निकासी दरें (प्रति वर्ष)		
आयु बैंड	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
25 और उससे कम	3.00%	3.00%
26 से 35	3.00%	3.00%
36 से 45	3.00%	3.00%
46 से 55	1.00%	1.00%
56 और उससे अधिक	1.00%	1.00%
मृत्यु दर:		
भारतीय एश्योर्ड लाइफ़ मृत्यु दर (2012–14) तालिका		
भारतीय एश्योर्ड लाइफ़ मृत्यु दर की प्रति वर्ष नमूना दरें		
आयु (वर्षों में)	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
20.00	0.09%	0.09%
30.00	0.10%	0.10%
40.00	0.17%	0.17%
50.00	0.44%	0.44%
60.00	1.12%	1.12%



Withdrawal rate (W.R.) Sensitivity		
Increase by 1%	647.71	582.41
(% change)	1.64%	1.71%
Decrease by 1%	625.44	561.65
(% change)	1.85%	-1.92%
A description of methods used for sensitivity analysis and its limitations:		
Sensitivity analysis is performed by varying a single parameter while keeping all the other parameters unchanged.		
Sensitivity analysis fails to focus on the interrelationship between underlying parameters.		
Hence, the results may vary if two or more variables are changed simultaneously.		
The method used does not indicate anything about the likelihood of change in any parameter and the extend of the change if any.		

Part B: The summary of the assumptions used in the valuation is given below: (₹ in Lakhs)

Financial Assumptions:		
Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Discount Rate	6.80%	7.00%
Salary Growth Rate	5.00%	5.00%
Expected Rate of Return	6.80%	7.00%
Demographic Assumptions:		
Withdrawal Rates (p.a.)		
Age Band	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
25 & below	3.00%	3.00%
26 to 35	3.00%	3.00%
36 to 45	3.00%	3.00%
46 to 55	1.00%	1.00%
56 & above	1.00%	1.00%
Mortality Rates:		
Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table		
Sample Rates per annum of Indian Assured Lives Mortality		
Age (in years)	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
20.00	0.09%	0.09%
30.00	0.10%	0.10%
40.00	0.17%	0.17%
50.00	0.44%	0.44%
60.00	1.12%	1.12%



भाग C: अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से, कंपनी कई जोखिमों के संपर्क में है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण नीचे विस्तृत हैं:
एक्चुरियल जोखिम:
यह जोखिम है कि लाभ की लागत अपेक्षा से अधिक होगी। यह निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण उत्पन्न हो सकता है:
प्रतिकूल वेतन वृद्धि अनुभव: वेतन वृद्धि जो अनुमानित वेतन वृद्धि से अधिक है, वह अपेक्षा से अधिक दर पर दायित्व में वृद्धि का कारण बनेगी।
मृत्यु दर में परिवर्तनशीलता: अगर वास्तविक मृत्यु दर अनुमानित मृत्यु दर धारणा से अधिक है, तो अवकाश लाभ का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। नकदी प्रवाह में तेजी से अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के सापेक्ष मूल्यों के आधार पर एक्चुरियल हानि या लाभ होगा।
निकासी दरों में परिवर्तनशीलता: अगर वास्तविक निकासी दरें अनुमानित निकासी दर धारणा से अधिक हैं, तो अवकाश लाभ का भुगतान अपेक्षा से पहले किया जाएगा। इसका प्रभाव अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के सापेक्ष मूल्यों पर निर्भर करेगा।
लाभ दरों में परिवर्तनशीलता: अगर वास्तविक लाभ दरें अनुमानित लाभ दर धारणा से अधिक हैं, तो अवकाश शेष राशि का उपयोग अपेक्षा से पहले किया जाएगा।
निवेश जोखिम:
वित्तपोषित योजनाओं के लिए जो परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए बीमाकर्ता पर निर्भर करती हैं, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्तियों का मूल्य देयता का समर्थन करने वाले उपकरणों का उचित मूल्य नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य भविष्य की छूट दर से स्वतंत्र होता है। अगर अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, तो इससे शुद्ध देयता या वित्तपोषित स्थिति में व्यापक उतार-चढ़ाव हो सकता है।
तरलता जोखिम:
ज़्यादा वेतन और लंबी अवधि वाले कर्मचारी या पदानुक्रम में उच्चतर कर्मचारी, लाभ का महत्वपूर्ण स्तर जमा करते हैं। अगर ऐसे कुछ कर्मचारी कंपनी से इस्तीफा/सेवानिवृत्त होते हैं, तो नकदी प्रवाह पर दबाव पड़ सकता है।
बाजार जोखिम:
बाजार जोखिम उन जोखिमों के लिए एक सामूहिक शब्द है जो वित्तीय बाजारों के परिवर्तनों और उतार-चढ़ाव से संबंधित हैं। एक बीमाकिक(एक्चुरियल) धारणा जिसका भौतिक प्रभाव होता है, वह छूट दर होती है। छूट दर पैसे के समय मूल्य को दर्शाती है। छूट दर में वृद्धि से योजना लाभों के परिभाषित लाभ दायित्व में कमी आती है और इसके विपरीत भी सत्य है। यह धारणा कॉर्पोरेट/सरकारी बॉन्ड्स पर प्रतिफल पर निर्भर करती है और इसलिए देयता का मूल्यांकन मूल्यांकन तिथि पर प्रतिफल में उतार-चढ़ाव के संपर्क में आता है।
भारतीय लेखा मानक 19 के पैरा 131 के अनुसार कॉरपोरेशन ने ग्रेच्युटी योजना से संबंधित देयता और परिसंपत्ति को अवकाश लाभ योजना के विरुद्ध ऑफसेट किया है।



Part C: Through its defined benefits plans, the company is exposed to a number of risks, the most significant of which are detailed below:
Actuarial Risk:
It is the risk that benefits will cost more than expected. This can arise due to one of the following reasons:
Adverse Salary Growth Experience: Salary hikes that are higher than assumed salary escalation will result into an increase in Obligation at a rate that is higher than expected.
Variability in mortality rates: If actual mortality rates are higher than assumed mortality rate assumption than the Leave Benefits will be paid earlier than expected. The acceleration of cash flow will lead to an actuarial loss or gain depending on the relative values of the assumed salary growth and discount rate.
Variability in withdrawal rates: If actual withdrawal rates are higher than assumed withdrawal rate assumption than the Leave Benefits will be paid earlier than expected. The impact of this will depend on the relative values of the assumed salary growth and discount rate.
Variability in availment rates: If actual Availment rates are higher than assumed Availment rate assumption then leave balances will be utilized earlier than expected.
Investment Risk:
For funded plans that rely on insurer for managing the assets, the value of assets certified by the insurer may not be the fair value of instruments backing the liability. In such cases, the present value of the assets is independent of the future discount rate. This can result in wide fluctuations in the net liability or the funded status if there are significant changes in the discount rate during the inter-valuation period.
Liquidity Risk:
Employees with high salaries and long durations or those higher in hierarchy, accumulate significant level of benefits. If some of such employees resign/retire from the company there can be strain on the cash flows.
Market Risk:
Market risk is a collective term for risks that are related to the changes and fluctuations of the financial markets. One actuarial assumption that has a material effect is the discount rate. The discount rate reflects the time value of money. An increase in discount rate leads to decrease in Defined Benefit Obligation of the plan benefits & vice versa. This assumption depends on the yields on the corporate/government bonds and hence the valuation of liability is exposed to fluctuations in the yields as at the valuation date.
The corporation has off set liability and asset relating to the Gratuity plan against the Leave Benefit pan in accordance with Para 131 of Ind AS 19.



21.03	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ कॉरपोरेशन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपलब्ध हैं जो इस योजना का विकल्प चुनते हैं। इस योजना के अंतर्गत पूर्व कर्मचारी और उनके जीवनसाथी को कवर किया जाता है। पॉलिसी के रिन्यूअल प्रीमियम के माध्यम से कॉरपोरेशन द्वारा योजना में किए गए योगदान को कर्मचारी कल्याण व्यय के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई है।			
			(₹ लाख में)	
विवरण			31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना में योगदान			118.24	108.71
21.04	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को किए गए भुगतानों का विवरण जो कर्मचारी लागत के घटक हैं इस प्रकार हैं: –			
			(₹ लाख में)	
विवरण			31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वेतन और भत्ते			38.80	37.70
PF और FPF में नियोक्ता का योगदान			3.38	3.25
पेंशन फंड में नियोक्ता का योगदान			2.81	2.71
प्रदर्शन से संबंधित वेतन'			0.00	9.41
चिकित्सा व्यय			0.27	0.37
कुल			45.26	53.44
21.05	मुख्य वित्तीय अधिकारी को किए गए भुगतानों का विवरण जो कर्मचारी लागत के घटक हैं, इस प्रकार हैं: –			
			(₹ लाख में)	
विवरण			31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वेतन और भत्ते			35.16	31.32
PF और FPF में नियोक्ता का योगदान			2.92	2.73
पेंशन फंड में नियोक्ता का योगदान			2.44	2.28
प्रदर्शन से संबंधित वेतन'			0.00	4.43
चिकित्सा व्यय			0.34	0.00
कुल			40.86	40.75
* प्रदान किया गया लेकिन भुगतान नहीं किया गया				
21.05	कंपनी संक्रेटरी को किए गए भुगतानों का विवरण जो कर्मचारी लागत के घटक हैं, इस प्रकार हैं: –			
			(₹ लाख में)	
विवरण			31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वेतन और भत्ते			19.02	16.91
PF और FPF में नियोक्ता का योगदान			1.58	1.47
पेंशन फंड में नियोक्ता का योगदान			1.31	1.23
प्रदर्शन से संबंधित वेतन'			0.00	1.30
चिकित्सा व्यय			0.00	0.00
कुल			21.91	20.91
* प्रदान किया गया लेकिन भुगतान नहीं किया गया				



21.03	Post-Retirement Medical Benefits are available to the superannuated employees of the corporation who opt for the scheme. The opting ex-employees and their spouse is covered under this scheme. The contribution to the scheme by the corporation by way of renewal premium of the policy is recognized as a part of Staff Welfare Expenditure.		
(₹ in Lakhs)			
Particulars		Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Contribution to Post-Retirement Medical Benefit Scheme		118.24	108.71
21.04	Details of the payments made to the Chairman & Managing Director which are the constituents of the Employee Cost are as follows: - (₹ in Lakhs)		
Particulars		Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Salary & Allowances		38.80	37.70
Employer's Contribution to PF & FPF		3.38	3.25
Employer's Contribution to Pension Fund		2.81	2.71
Performance Related Pay*		0.00	9.41
Medical Expenses		0.27	0.37
TOTAL		45.26	53.44
21.05	Details of the payments made to the Chief Financial Officer which are the constituents of the Employee Cost are as follows: - (₹ in Lakhs)		
Particulars		Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Salary & Allowances		35.16	31.32
Employer's Contribution to PF & FPF		2.92	2.73
Employer's Contribution to Pension Fund		2.44	2.28
Performance Related Pay*		0.00	4.43
Medical Expenses		0.34	0.00
TOTAL		40.86	40.75
*Provided but not paid.			
21.06	Details of the payments made to the Company Secretary which are the constituents of the Employee Cost are as follows: - (₹ in Lakhs)		
Particulars		Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Salary & Allowances		19.02	16.91
Employer's Contribution to PF & FPF		1.58	1.47
Employer's Contribution to Pension Fund		1.31	1.23
Performance Related Pay*		0.00	1.30
Medical Expenses		0.00	0.00
TOTAL		21.91	20.91
*Provided but not paid.			



नोट संख्या 22. अन्य व्यय

22.01	(₹ लाख में)		
	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
	के उपभोग:		
	स्टोर और स्पेयर पार्ट्स	927.51	582.04
	ढीले उपकरण	35.95	25.11
	पैकिंग सामग्री	273.16	283.84
	जॉब वर्क प्रभार	3499.85	2991.28
	बिजली और ईंधन	408.51	385.76
	वायु, जल और प्रदूषण नियंत्रण व्यय	5.99	7.12
	लीज रेंटल सहित किराया	140.70	32.96
	मरम्मत और रखरखाव:		
	भवन	93.92	30.89
	मशीनरी	95.18	104.17
	अन्य	454.18	326.21
	बीमा	53.96	38.46
	बैंक प्रभार	2.18	2.04
	प्रशिक्षण व्यय	20.01	47.37
	भर्ती व्यय	15.02	47.69
	अनुसंधान और विकास	376.40	301.92
	दरें और कर	11.81	6.25
	संचार	77.15	105.92
	यात्रा और परिवहन '	999.30	822.24
	मुद्रण और स्टेशनरी	35.72	48.10
	माल ढुलाई और अग्रेषण	3838.78	3507.55
	सदस्यता और अन्य शुल्क	60.28	30.04
	बिक्री कमीशन	1271.35	1079.80
	प्रदर्शनी / उद्घाटन व्यय	52.93	40.28
	वाहन चलाना और रखरखाव	159.60	135.47
	सुरक्षा व्यय	499.88	457.40
	व्यापार संवर्धन	45.35	64.49
	शिविर व्यय	1235.66	1138.95
	विज्ञापन और प्रचार	34.14	26.15
	कानूनी व्यय	17.34	12.13
	पेशेवर व्यय	1019.76	769.04
	डायरेक्टर्स सिटिंग फीस	0.00	0.00
	ऑडिटर्स को भुगतान (नीचे नोट 22.02 देखें)	6.65	4.55
	खराब और संदिग्ध ऋणों के विरुद्ध प्रावधान	10.44	7.51



Note No. 22. Other Expenses

22.01	(₹ in Lakhs)		
	Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
	Consumption of:		
	Stores and spare parts	927.51	582.04
	Loose tools	35.95	25.11
	Packing materials	273.16	283.84
	Job Work Charges	3499.85	2991.28
	Power and fuel	408.51	385.76
	Air, Water & Pollution Control Expenses	5.99	7.12
	Rent including lease rentals	140.70	32.96
	Repairs and maintenance:		
	Buildings	93.92	30.89
	Machinery	95.18	104.17
	Others	454.18	326.21
	Insurance	53.96	38.46
	Bank Charges	2.18	2.04
	Training Expenses	20.01	47.37
	Recruitment Expenses	15.02	47.69
	Research & Development	376.40	301.92
	Rates and taxes	11.81	6.25
	Communication	77.15	105.92
	Travelling and conveyance *	999.30	822.24
	Printing and stationery	35.72	48.10
	Freight and forwarding	3838.78	3507.55
	Subscription and Other Fees	60.28	30.04
	Sales commission	1271.35	1079.80
	Exhibition / Inauguration Expenses	52.93	40.28
	Vehicle Running & Maintenance	159.60	135.47
	Security Expenses	499.88	457.40
	Business promotion	45.35	64.49
	Camp Expenses	1235.66	1138.95
	Advertisement & Publicity	34.14	26.15
	Legal Expenses	17.34	12.13
	Professional Expenses	1019.76	769.04
	Directors Sitting Fees	0.00	0.00
	Payments to Auditors (Refer Note 22.02 below)	6.65	4.55
	Provision against Bad and doubtful debts	10.44	7.51



	धीमी/गैर- चलती इन्वेंट्री के विरुद्ध प्रावधान (नीचे नोट 22.04 देखें)	123.90	-10.26
	बिक्री पर घाटा/संपत्तियों की हानि	-0.06	0.70
	विविध व्यय	214.53	163.81
	रॉयल्टी शुल्क	15.73	8.73
	कुल	16132.76	13625.71
	* ऑडिटर का यात्रा व्यय ₹ 2.62 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1.23 लाख) सहित		
	* माल ढुलाई और प्रेषण के आंकड़े जैसा कि ऊपर दिखाया गया है विक्रेताओं से वसूली के रूप में तरलता क्षति के शुद्ध हैं: -		
	सकल	3857.80	3522.76
	घटाएँ: परिसमाप्त क्षति	19.02	15.21
	कुल	3838.78	3507.55
22.02	(₹ लाख में)		
	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
	ऑडिटर के भुगतान में शामिल हैं: -		
	ऑडिट शुल्क:		
	वैधानिक ऑडिट	6.00	3.00
	टैक्स ऑडिट	0.65	0.35
	सीमित समीक्षा	0.00	1.20
	अन्य सेवाएँ	0.00	0.00
	कुल	6.65	4.55
22.03	लेखा नीति 3.10 के अनुसार, 3 वर्ष से अधिक अवधि से बकाया खराब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए सावधानीपूर्वक जांच एवं औचित्य के पश्चात आवश्यक प्रावधान किए जाते हैं। कॉरपोरेशन ने 5 वर्षों से अधिक के बकाया की समीक्षा की है और ₹ 69.62 लाख की वसूली की कोई संभावना नहीं पाई है। 5 वर्षों से अधिक के ₹ 69.62 लाख की राशि के देनदारों को प्रावधान के विरुद्ध समायोजित किया गया है और इस वर्ष के लिए ₹ 10.44 लाख (पिछले वर्ष ₹ 7.51 लाख) का नया प्रावधान किया गया है। कॉरपोरेशन पक्षकारों के साथ सक्रिय सुलह में है और इसलिए इस स्तर पर आगे के खराब ऋणों के लिए प्रावधान करने का कोई औचित्य नहीं पाता है। स्थिति इस प्रकार है: -		
	(₹ लाख में)		
	विवरण	2024-25	2023-24
	खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	819.78	908.16
	घटाएँ: पुराने प्रावधानों के विरुद्ध वसूली	69.62	95.89
	जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	10.44	7.51
	शुद्ध प्रावधान	760.60	819.78
22.04	लेखा नीति 3.7 के अनुसार, कॉरपोरेशन गैर-चलती, धीमी गति से चलने वाली और क्षतिग्रस्त स्टॉक का मूल्यांकन तदनुसार करता है। निगम ने 123.90 लाख रुपये (पी.वाई.- 10.26 लाख रुपये) का प्रावधान किया है। 31.03.2025 तक किए गए प्रावधान का मूल्य ₹ 322.16 लाख (पिछले वर्ष ₹198.27 लाख) है। कॉरपोरेशन को लगता है कि किए गए प्रावधान स्टॉक के वास्तविक प्राप्ति योग्य मूल्य को दर्शाते हैं।		
22.05	जब भी ढीले उपकरण जारी किए जाते हैं, उन्हें उपभोग किए गए माना जाता है।		



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



	Provision against Slow/Non-Moving Inventories (Refer Note 22.04 below)	123.90	-10.26
	Loss on Sales/Impairment of Assets	-0.06	0.70
	Miscellaneous expenses	214.53	163.81
	Royalty Charges	15.73	8.73
	TOTAL	16132.76	13625.71
	* Including auditor's travelling expenses of ₹ 2.62 Lakhs (P.Y. ₹1.23 Lakhs)		
	* Figures of freight and forwarding as shown above is net of liquidity damages as recovered from the vendors: -		
	Gross	3857.80	3522.76
	Less: Liquidated Damages	19.02	15.21
	TOTAL	3838.78	3507.55
22.02	(₹ in Lakhs)		
	Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
	Payments to the Auditors comprises: -		
	Audit Fees:		
	Statutory Audit	6.00	3.00
	Tax Audit	0.65	0.35
	Limited Review	0.00	1.20
	Other Services	0.00	0.00
	TOTAL	6.65	4.55
22.03	As per accounting policy 3.10, necessary provisions are made for bad and doubtful debts for outstanding which are more than 3 years after careful examination and justification. The Corporation has reviewed the outstanding of more than 5 years and finds no possibility of recovery of ₹ 69.62 Lacs. The debtors of more than 5 years amounting to ₹ 69.62 Lacs has been adjusted against provision and new provision of ₹ 10.44 Lakhs (P.Y. ₹ 7.51 Lakhs) has been provided for this year. Corporation is in active reconciliation with the Parties and therefore finds no justification to provide for further Bad debts at this stage. The position is as under: -		
	(₹ in Lakhs)		
	Particulars	2024-25	2023-24
	Provision for Bad & Doubtful Debts	819.78	908.16
	Less : Recovery against old provisions	69.62	95.89
	Add: Provision made during the year	10.44	7.51
	Net Provision	760.60	819.78
22.04	As per accounting policy 3.7, the Corporation values non-moving, slow moving and damaged stocks accordingly. The Corporation has made provision for - ₹123.90 Lakhs (P.Y.- ₹10.26 Lakhs). The value of provision made as on 31.03.2025 is ₹ 322.16 Lakhs (P.Y. ₹ 198.27 Lakhs). The Corporation feels that the provision made reflects the true realizable value of the stocks.		
22.05	Loose Tools as and when issued, are treated as consumed.		



22.06	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय विवरण इस प्रकार हैं: – (₹ लाख में)		
	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
(a)	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि	139.20	127.61
	इन पर किए गए व्यय की राशि:		
	(i) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	0.00	0.00
	(ii) उपर्युक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य से	55.16	32.04
	निर्दिष्ट खाते में स्थानांतरित	84.04	95.57
	वर्ष के अंत में कमी	0.00	0.00
	पिछले वर्ष के शॉर्टफॉल (कमी) का योग	0.00	0.00
	कमी का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
	CSR गतिविधियों की प्रकृति	स्वास्थ्य और पोषण	स्वास्थ्य और पोषण
(b)	प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार CSR व्यय के संबंध में संबंधित पक्षों के लेन-देन का विवरण	0.00	0.00
	वर्ष के अंत में कमी	0.00	0.00
(c)	₹ 156.99 लाख के व्यय में 2024-25 से संबंधित ₹ 55.25 लाख शामिल हैं और शेष राशि निर्दिष्ट खाते से धनराशि निकालकर खर्च की गई है.		
22.07	अनुसंधान और विकास व्यय		
	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
	(a) पूंजीकृत आर एंड डी लागत	0.00	0.00
	(b) परिशोधन शुल्क	0.00	0.00
	(c) शुद्ध बही मूल्य (a - b)	0.00	0.00
	(d) आर एंड डी को व्यय के रूप में पी एंड एल से वसूला गया	376.40	301.92
	(e) वर्ष के दौरान कुल आर एंड डी खर्च	376.00	301.92
22.08	भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" (जैसा कि प्रबंधन द्वारा पहचाना गया है) (₹ लाख में)		
	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
	इसके संबंध में:		
	सेवाओं का प्रावधान (सिटिंग फीस)	0.00	0.00
	प्रशिक्षण व्यय (डायरेक्टर्स)	1.17	6.70
	मुख्य प्रबंधकीय पारिश्रमिक/अन्य परिलब्धियां	108.03	115.10
(B)	सहायक कंपनियां	कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है	
(C)	डायरेक्टर्स	श्री प्रवीण कुमार (CMD) – 08.02.23 से आगे	
		श्री संजय पांडे (सरकार के नामित व्यक्ति के रूप में) 15.05.19 से 15.06.24	
		सुश्री देबोलिना ठाकुर (सरकार के नामित व्यक्ति के रूप में) 15.06.24 से आगे	
		श्री राजेश यादव (सरकार के नामित व्यक्ति के रूप में) 21.04.22 से 11.09.24	
		श्री राजीव शर्मा (सरकार के नामित व्यक्ति के रूप में) 11.09.24 से 29.11.24	
		सुश्री मनमीत कौर (सरकार के नामित व्यक्ति के रूप में) 29.11.24 से आगे	



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



22.06	Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure details are as follows: - (₹ in Lakhs)		
	Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
(a)	Amount required to be spent by the company during the year	139.20	127.61
	Amount of expenditure incurred on:		
	(I) Construction/acquisition of any asset	0.00	0.00
	(ii) On purpose other than (I) above	55.16	32.04
	Transferred to specified account	84.04	95.57
	Shortfall at the end of the year	0.00	0.00
	Total of previous year shortfall	0.00	0.00
	Reason for shortfall	NA	NA
	Nature of CSR activities	Health & Nutrition	Health & Nutrition
(b)	Details of related party transactions in relation to CSR expenditure as per relevant Accounting Standard	Nil	Nil
	Shortfall at the end of the year	0.00	0.00
(c)	The expenditure of ₹ 156.99 Lacs includes ₹ 55.25 Lacs pertaining to 2024-25 and balance has been spent by withdrawing funds from the specified account.		
22.07	Research and Development Expenditure (₹ in Lakhs)		
	Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
	(a) Capitalized R&D costs	0.00	0.00
	(b) Amortization charge	0.00	0.00
	(c) Net book value (a - b)	0.00	0.00
	(d) R&D charged to P&L as expenses	376.40	301.92
	(e) Total R&D spent during the year	376.00	301.92
22.08	"Related Party Disclosure " as per IND AS 24 (As identified by the management) (₹ in Lakhs)		
	Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
	In Respect of:		
	Rendering of Services (Sitting Fees)	0.00	0.00
	Training Expenses (Directors)	1.17	6.70
	Key Managerial Remuneration/Other emoluments	108.03	115.10
(B)	Subsidiaries	There is no subsidiary of the company	
(C)	Directors	Shri Praveen Kumar (CMD) - 08.02.23 onwards	
		Shri Sanjay Pandey (As Nominee of Govt.) 15.05.19 to 15.06.24	
		Ms. Debolina Thakur (As Nominee of Govt.) 15.06.24 onwards	
		Shri Rajesh Yadav (As Nominee of Govt.) 21.04.22 to 11.09.24.	
		Shri Rajeev Sharma (As Nominee of Govt.) 11.09.24 to 29.11.24	
		Ms. Manmeet Kaur (As Nominee of Govt.) 29.11.24 onwards	



(D)	की मैनेजमेंट पर्सनल	श्री प्रवीण कुमार (CMD) – 08.02.23 से आगे
		श्री अतुल रुस्तगी (CFO) – 20.09.2021 से आगे
		श्री सिद्धार्थ कुमार (CS) – 02.08.2021 से आगे
(E)	डायरेक्टर और की मैनेजमेंट पर्सनल के रिश्तेदार	शून्य

22.09	अनुपात विश्लेषण				
	निम्नलिखित अनुपातों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुसार की गई है।				
	विवरण	न्यूमैरेटर (अंश)	डिनॉमिनेटर (हर)	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
(A)	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्ति	वर्तमान देयता	3.04	3.28
(B)	ऋण-इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारक की इक्विटी	0.00	0.00
(C)	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय = करों के बाद शुद्ध आय + मूल्यहास और अन्य परिशोधन जैसे गैर-नकद परिचालन व्यय + ब्याज + अन्य गैर- नकद समायोजन	ऋण सेवा = ब्याज और लीज भुगतान + मूलधन चुकौती	0.00	0.00
(D)	इक्विटी पर प्रतिफल	वर्ष के लिए आय में से वरीयता लाभांश घटाएँ	औसत कुल इक्विटी	0.15	0.11
(E)	इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	कुल बिक्री	औसत इन्वेंट्री	3.62	4.65
(F)	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	कुल बिक्री	समापन व्यापार प्राप्य	8.31	20.26
(G)	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	कुल खरीद	समापन व्यापार लेनदार	8.13	9.75
(H)	शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	शुद्ध बिक्री	कार्यशील पूंजी	1.30	1.27
(I)	शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री	0.15	0.12
(J)	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी	0.13	0.10
(K)	निवेश पर प्रतिफल	ब्याज और करों से पहले की कमाई	औसत निवेश	0.00	0.00
	जिन अनुपातों में 25% से अधिक का अंतर दिखा है, उनका विश्लेषण इस प्रकार है: –				
	इक्विटी पर प्रतिफल	बढ़ोत्तरी	38.67	एसएपी लागू करने के बाद निगम संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम है और लागत अनुकूलन संभव है, इसलिए निगम द्वारा अतिरिक्त अधिशेष उत्पन्न किया गया है। नतीजतन, इक्विटी पर रिटर्न बढ़ गया।	



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



(D)	Key Management Personnel	Shri Praveen Kumar (CMD) - 08.02.23 onward
		Shri Atul Rustagi (CFO) - 20.09.2021 onwards
		Shri Siddharth Kumar (CS) - 02.08.2021 onwards
(E)	Relative of Director & Key Management Personnel	NIL

22.09	Ratio Analysis				
	The following ratios has been calculated as per requirement of Companies Act, 2013				
	Particulars	Numerator	Denominator	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
(A)	Current Ratio	Current Assets	Current Liabilities	3.04	3.28
(B)	Debt- Equity Ratio	Total Debts	Shareholder's Equity	0.00	0.00
(C)	Debt Service Coverage Ratio	Earnings available for debt service = Net Income after taxes + non-cash operating expenses like depreciation and other amortizations + Interest + Other non-cash adjustments	Debt Service = Interest & Lease Payments + Principal Repayments	0.00	0.00
(D)	Return on Equity	Income for the year less Preference dividend	Average total equity	0.15	0.11
(E)	Inventory Turnover Ratio	Total Sales	Average Inventory	3.62	4.65
(F)	Trade Receivables Turnover Ratio	Total Sales	Closing Trade Receivable	8.31	20.26
(G)	Trade Payable Turnover Ratio	Total Purchase	Closing Trade Creditors	8.13	9.75
(H)	Net Capital Turnover Ratio	Net Sales	Working Capital	1.30	1.27
(I)	Net Profit Ratio	Net Profit	Net Sales	0.15	0.12
(J)	Return on Capital Employed	Earnings before Interest and Taxes	Capital Employed	0.13	0.10
(K)	Return on Investment	Earnings before Interest and Taxes	Average Investment	0.00	0.00
	The Ratio that have shown a variation of more than 25% and its analysis is as under: -				
	Return on Equity	Increase	38.67	After implementing the SAP, Corporation is able to utilize the resources optimally & the Cost Optimization is possible hence additional surplus was generated by the Corporation. As a result, return on equity increased.	



	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	कमी	59.00	निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। एडीआईपी और एडीआईपी-एसएसए, आरवीवाई के तहत वितरण के लिए भेजी गई सामग्री, जिसके लिए वितरण प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए हैं, को विभिन्न देनदार माना गया है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्त करने योग्य कारोबार अनुपात में कमी आई है।
	शुद्ध लाभ अनुपात	बढ़ोत्तरी	27.76	चालू वित्त वर्ष में कारोबार और अधिशेष में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध लाभ कारोबार अनुपात में वृद्धि हुई है।
	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	बढ़ोत्तरी	31.19	पिछले वर्ष की तुलना में निगम के अधिशेष में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप पूंजी पर वापसी अनुपात में वृद्धि हुई है।

22.10	उचित मूल्य पदानुक्रम
	उचित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन तकनीकों के इनपुट पर आधारित है जिसका उपयोग उचित मूल्य को मापने के लिए किया जाता है जो या तो अवलोकनीय होते हैं या अवलोकनीय नहीं होते हैं और इसमें निम्नलिखित तीन स्तर होते हैं:
	स्तर 1 – इनपुट सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए उद्धृत मूल्य (समायोजित नहीं) होते हैं।
	स्तर 2 – इनपुट स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य होते हैं जो या तो सीधे (यानी कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों से प्राप्त) परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकनीय होते हैं
	स्तर 3 – इनपुट अवलोकनीय बाजार डेटा (अदृश्य इनपुट) पर आधारित नहीं होते हैं। उचित मूल्यों को पूरी तरह या आंशिक रूप से उन मान्यताओं के आधार पर मूल्यांकन मॉडल का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो न तो उसी उपकरण में अवलोकनीय वर्तमान बाजार लेनदेन से कीमतों द्वारा समर्थित होते हैं और न ही वे उपलब्ध बाजार डेटा पर आधारित होते हैं

31 मार्च, 2025 तक परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य माप पदानुक्रम का क्वांटिटेटिव डिसक्लोज़र (₹ लाख में)						
			मूल्यांकन की तिथि का उपयोग करके उचित मूल्य माप			कुल
विवरण	मूल्यांकन की तिथि	सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य	महत्वपूर्ण अवलोकन योग्य इनपुट	महत्वपूर्ण अवलोकन योग्य इनपुट		
		(स्तर-1)	(स्तर-2)	(स्तर-3)		
शून्य		0.00	0.00	0.00	0.00	

		31 मार्च, 2024 तक परिसंपत्तियों के लिए उचित मूल्य माप पदानुक्रम का क्वांटिटेटिव डिसक्लोज़र (₹ लाख में)				
			मूल्यांकन की तिथि का उपयोग करके उचित मूल्य माप			कुल
	विवरण	मूल्यांकन की तिथि	सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य	महत्वपूर्ण अवलोकन योग्य इनपुट	महत्वपूर्ण अवलोकन योग्य इनपुट	
			(Level-1)	(Level-2)	(Level-3)	
	शून्य		0.00	0.00	0.00	0.00



	Trade Receivable Turnover Ratio	Decrease	59.00	The Corporation has changed the accounting policy during the F.Y. 2024-25. Material dispatched for distribution under ADIP & ADIP-SSA, RVY against which distribution certificates not received have been considered as sundry debtors, resulting this to decrease in Trade Receivable Turnover Ratio.
	Net Profit Ratio	Increase	27.76	The Turnover & Surplus have increased in this financial year resulting this to increase in Net Profit Turnover Ratio.
	Return on Capital Employed	Increase	31.19	Surplus of the Corporation have increased as compare to previous Year resulting this to increase in Return on Capital Employed Ratio.

22.10	Fair Value hierarchy
	The fair value hierarchy is based on inputs to valuation techniques that are used to measure fair value that are either observable or unobservable and consists of the following three levels:
	Level 1 - Inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
	Level 2 - Inputs are other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e., as prices) or indirectly (i.e., derived from prices)
	Level 3 - Inputs are not based on observable market data (unobservable inputs). Fair values are determined in whole or in part using a valuation model based on assumptions that are neither supported by prices from observable current market transactions in the same instrument nor are they based on available market data

	Quantitative disclosures of fair value measurement hierarchy for assets as at 31st March, 2025					
	(₹ in Lakhs)					
			Fair Value Measurment Using			Total
	Particulars	Date of Valuation	Quoted prices in active markets	Significant observable inputs	Significant observable inputs	
			(Level-1)	(Level-2)	(Level-3)	
	Nil		0.00	0.00	0.00	0.00

	Quantitative disclosures of fair value measurement hierarchy for assets as at 31st March, 2024					
	(₹ in Lakhs)					
			Fair Value Measurment Using			Total
	Particulars	Date of Valuation	Quoted prices in active markets	Significant observable inputs	Significant observable inputs	
			(Level-1)	(Level-2)	(Level-3)	
	Nil		0.00	0.00	0.00	0.00



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



31 मार्च, 2025 तक उचित मूल्य पर नहीं मापे गए वित्तीय साधनों का उचित मूल्य (₹ लाख में)							
		मूल्यांकन की तिथि का उपयोग करके उचित मूल्य माप					
विवरण	मूल्यांकन की तिथि	वहन मूल्य	सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य	महत्वपूर्ण अवलोकन योग्य इनपुट	महत्वपूर्ण अवलोकन योग्य इनपुट	कुल	
			(स्तर-1)	(स्तर-2)	(स्तर-3)		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ							
(A)	व्यापार प्राप्त	31-मार्च-25	8548.33	0.00	0.00	8548.33	8548.33
(B)	नकद और नकद समतुल्य	31-मार्च-25	7.40	7.40	0.00	0.00	7.40
(C)	उपर्युक्त (B) के अलावा अन्य बैंक शेष	31-मार्च-25	33662.38	33662.38	0.00	0.00	33662.38
(D)	ऋण / अग्रिम	31-मार्च-25	39.86	0.00	0.00	39.86	39.86
(E)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31-मार्च-25			0.00		
	(a) सुरक्षा जमा	31-मार्च-25	191.20	0.00	0.00	191.20	191.20
	(b) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज	31-मार्च-25	433.44	433.44	0.00	0.00	433.44
	(c) प्राप्त निधि	31-मार्च-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							42882.61
वित्तीय देयताएँ							
(A)	व्यापार देय	31-मार्च-25	4969.21	0.00	0.00	4969.21	4969.21
(B)	अन्य वित्तीय देयताएँ	31-मार्च-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) अप्रयुक्त सरकारी अनुदान	31-मार्च-25	8983.12	0.00	0.00	8983.12	8983.12
	(b) देय व्यय	31-मार्च-25	2667.00	0.00	0.00	2667.00	2667.00
	(c) प्राप्त व्यापार / सुरक्षा जमा	31-मार्च-25	2673.47	0.00	0.00	2673.47	2673.47
	(d) बेहतरीकरण प्रभार के लिए प्रावधान	31-मार्च-25	22.05	0.00	0.00	22.05	22.05
							19314.85

31 मार्च, 2025 तक उचित मूल्य पर नहीं मापे गए वित्तीय साधनों का उचित मूल्य (₹ लाख में)							
		मूल्यांकन की तिथि का उपयोग करके उचित मूल्य माप					
विवरण	मूल्यांकन की तिथि	वहन मूल्य	सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य	महत्वपूर्ण अवलोकन योग्य इनपुट	महत्वपूर्ण अवलोकन योग्य इनपुट	कुल	
			(स्तर-1)	(स्तर-2)	(स्तर-3)		
वित्तीय परिसंपत्तियाँ							
(A)	व्यापार प्राप्य	31-मार्च-24	2981.95	0.00	0.00	2981.95	
(B)	नकद और नकद समतुल्य	31-मार्च-24	5.52	5.52	0.00	0.00	5.52
(C)	उपर्युक्त (B) के अलावा अन्य बैंक शेष	31-मार्च-24	31157.14	31157.14	0.00	0.00	31157.14
(D)	ऋण / अग्रिम	31-मार्च-24	56.26	0.00	0.00	56.26	56.26
(E)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31-मार्च-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) सुरक्षा जमा	31-मार्च-24	177.19	0.00	0.00	177.19	177.19
	(b) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज	31-मार्च-24	517.09	517.09	0.00	0.00	517.09
	(c) प्राप्य निधि	31-मार्च-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							34895.15



Fair value of financial instruments not measured at fair value as at 31st March, 2025							(₹ in Lakhs)
		Fair Value Measurement Using					Total
	Particulars	Date of Valuation	Carrying Value	Quoted prices in active markets	Significant observable inputs	Significant observable inputs	
				(Level-1)	(Level-2)	(Level-3)	
	Financial Assets						
(A)	Trade Receivables	31-Mar-25	8548.33	0.00	0.00	8548.33	8548.33
(B)	Cash and Cash Equivalent	31-Mar-25	7.40	7.40	0.00	0.00	7.40
(C)	Bank balances other than (B) above	31-Mar-25	33662.38	33662.38	0.00	0.00	33662.38
(D)	Loan/Advances	31-Mar-25	39.86	0.00	0.00	39.86	39.86
(E)	Other Financial Assets	31-Mar-25			0.00		
	(a) Security Deposit	31-Mar-25	191.20	0.00	0.00	191.20	191.20
	(b) Interest accrued on bank deposit	31-Mar-25	433.44	433.44	0.00	0.00	433.44
	(c) Fund Receivable	31-Mar-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							42882.61
	Financial Liabilities						
(A)	Trade Payables	31-Mar-25	4969.21	0.00	0.00	4969.21	4969.21
(B)	Other financial liabilities	31-Mar-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Un-utilized government grants	31-Mar-25	8983.12	0.00	0.00	8983.12	8983.12
	(c) Expenses payable	31-Mar-25	2667.00	0.00	0.00	2667.00	2667.00
	(d) Trade/ Security deposit received	31-Mar-25	2673.47	0.00	0.00	2673.47	2673.47
	(e) Provision for betterment charges	31-Mar-25	22.05	0.00	0.00	22.05	22.05
							19314.85

	Fair value of financial instruments not measured at fair value as at 31st March, 2024						(₹ in Lakhs)
		Fair Value Measurement Using					Total
	Particulars	Date of Valuation	Carrying Value	Quoted prices in active markets	Significant observable inputs	Significant observable inputs	
				(Level-1)	(Level-2)	(Level-3)	
	Financial Assets						
(A)	Trade Receivables	31-Mar-24	2981.95	0.00	0.00	2981.95	2981.95
(B)	Cash and Cash Equivalent	31-Mar-24	5.52	5.52	0.00	0.00	5.52
(C)	Bank balances other than (B) above	31-Mar-24	31157.14	31157.14	0.00	0.00	31157.14
(D)	Loan/Advances	31-Mar-24	56.26	0.00	0.00	56.26	56.26
(E)	Other Financial Assets	31-Mar-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Security Deposit	31-Mar-24	177.19	0.00	0.00	177.19	177.19
	(b) Interest accrued on bank deposit	31-Mar-24	517.09	517.09	0.00	0.00	517.09
	(c) Fund Receivable	31-Mar-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							34895.15



	वित्तीय देयताएँ						
(A)	व्यापार देय	31-मार्च-24	4453.09	0.00	0.00	4453.09	4453.09
(B)	अन्य वित्तीय देयताएँ	31-मार्च-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) अप्रयुक्त सरकारी अनुदान	31-मार्च-24	1894.68	0.00	0.00	1894.68	1894.68
	(b) देय व्यय	31-मार्च-24	2412.63	0.00	0.00	2412.63	2412.63
	(c) प्राप्त व्यापार/सुरक्षा जमा	31-मार्च-24	2820.50	0.00	0.00	2820.50	2820.50
	(d) बेहतरीकरण प्रभार के लिए प्रावधान	31-मार्च-24	22.05	0.00	0.00	22.05	22.05
							11602.95

नोट संख्या 23. प्रति शेयर आय

कॉरपोरेशन की प्रति शेयर आय निम्नानुसार है: —		
विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के लिए कुल अधिशेष (व्यय पर आय) (₹ लाख में)	10716.41	7090.42
प्रत्येक ₹1000 /— (संख्या में) के इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	540997	540997
EPS – मूल और तनु (₹ में)	1980.86	1310.62

नोट-24. ऑपरेटिंग खंड सूचना (₹ लाख में)

विशेष	मुख्यालय	चैनलॉन (मोहाली)	अन्य	अंतर	कुल
राजस्व					
—बाहरी बिक्री					
31 मार्च 2025 को चालू वर्ष समाप्त	29657.38	6664.52	34706.40	0.00	71028.30
31 मार्च 2024 को पिछला वर्ष समाप्त	31430.43	11025.52	17988.41	0.00	60444.36
अंतर खंड बिक्री					
31 मार्च 2025 को चालू वर्ष समाप्त	26501.20	6769.11	9096.73	-42367.04	0.00
31 मार्च 2024 को पिछला वर्ष समाप्त	11577.38	4554.62	2172.44	-18304.44	0.00
उत्पादों की बिक्री से कुल राजस्व					
31 मार्च 2025 को चालू वर्ष समाप्त	56158.58	13433.63	43803.13	-42367.04	71028.30
31 मार्च 2024 को पिछला वर्ष समाप्त	43007.81	15580.14	20160.85	-18304.44	60444.36
परिणाम					
ब्याज और असाधारण मदों से पहले परिचालन लाभ/हानि(—)					
31 मार्च 2025 को चालू वर्ष समाप्त	11316.31	1765.52	-2310.67	0.00	10771.16
31 मार्च 2024 को पिछला वर्ष समाप्त	7798.94	2127.50	-2753.78	0.00	7172.66



Financial Liabilities							
(A)	Trade Payables	31-Mar-24	4453.09	0.00	0.00	4453.09	4453.09
(B)	Other financial liabilities	31-Mar-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(a) Un-utilized government grants	31-Mar-24	1894.68	0.00	0.00	1894.68	1894.68
	(c) Expenses payable	31-Mar-24	2412.63	0.00	0.00	2412.63	2412.63
	(d) Trade/ Security deposit received	31-Mar-24	2820.50	0.00	0.00	2820.50	2820.50
	(e) Provision for betterment charges	31-Mar-24	22.05	0.00	0.00	22.05	22.05
							11602.95

Note No. 23. Earning Per Share

The Earning per Share of the Corporation is as below: -		
Particulars	Year Ended March 31, 2025	Year Ended March 31, 2024
Total Surplus (Income over Expenditure) for the year (₹ in Lakhs)	10716.41	7090.42
Weighted average number of equity shares of ₹1000/-each (in no.)	540997	540997
EPS -Basic and Diluted (in ₹)	1980.86	1310.62

Note No. 24. Operating Segment Information (₹ in Lakhs)

Particulars	Head Quarter	Chanalon (Mohali)	Others	Inter	Total
Revenue					
-External Sale-					
Current Year ended 31st March 2025	29657.38	6664.52	34706.40	0.00	71028.30
Previous Year ended 31st March 2024	31430.43	11025.52	17988.41	0.00	60444.36
-Inter segment sales					
Current Year ended 31st March 2025	26501.20	6769.11	9096.73	-42367.04	0.00
Previous Year ended 31st March 2024	11577.38	4554.62	2172.44	-18304.44	0.00
-Total Revenue from sale of products					
Current Year ended 31st March 2025	56158.58	13433.63	43803.13	-42367.04	71028.30
Previous Year ended 31st March 2024	43007.81	15580.14	20160.85	-18304.44	60444.36
-RESULTS					
Operating Profit/Loss (-) before Interest and exceptional items					
Current Year ended 31st March 2025	11316.31	1765.52	-2310.67	0.00	10771.16
Previous Year ended 31st March 2024	7798.94	2127.50	-2753.78	0.00	7172.66



असाधारण मदें					
31 मार्च 2025 को चालू वर्ष समाप्त	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 मार्च 2024 को पिछला वर्ष समाप्त	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के लिए लाभ					
31 मार्च 2025 को चालू वर्ष समाप्त	11316.31	1765.52	-2310.67	0.00	10771.16
31 मार्च 2024 को पिछला वर्ष समाप्त	7798.94	2127.50	-2753.78	0.00	7172.66
अन्य जानकारी					
खंड परिसंपत्ति					
31 मार्च 2025 को चालू वर्ष समाप्त	85262.13	1769.79	24708.69	0.00	111740.61
31 मार्च 2024 को पिछला वर्ष समाप्त	73764.71	1582.12	19715.22	0.00	95062.05
खंड देयताएं (दीर्घकालिक उधार सहित)					
31 मार्च 2025 को चालू वर्ष समाप्त	85262.13	1769.79	24708.69	0.00	111740.61
31 मार्च 2024 को पिछला वर्ष समाप्त	73764.71	1582.12	19715.22	0.00	95062.05
पूँजीगत व्यय					
31 मार्च 2025 को चालू वर्ष समाप्त	3675.62	32.34	1801.88	0.00	5509.84
31 मार्च 2024 को पिछला वर्ष समाप्त	517.83	10.15	8462.41	0.00	8990.39
मूल्यहास					
31 मार्च 2025 को चालू वर्ष समाप्त	1081.27	26.06	498.46	0.00	1605.79
31 मार्च 2024 को पिछला वर्ष समाप्त	809.23	24.83	296.95	0.00	1131.01
मूल्यहास के अलावा अन्य गैर नकद व्यय					
31 मार्च 2025 को चालू वर्ष समाप्त	131.53	6.48	-3.68	0.00	134.33
31 मार्च 2024 को पिछला वर्ष समाप्त	-15.03	9.52	2.76	0.00	-2.75

नोट संख्या 25: अतिरिक्त जानकारी के रूप में दिए जाने वाले प्रकटीकरण

25.01 आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं का प्रकटीकरण
A. आकस्मिक देयता और प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)
(i) आकस्मिक देयताएं:—
(a) कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है: —

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	01.04.2024 तक शेष राशि	बढ़ोत्तरी	कमी	01.04.2025 तक शेष राशि
1	आयकर मामले	3187.34	0.00	0.00	3187.34
2	बिक्री कर/वैट/जीएसटी (GST)	123.30	2.38	89.17	36.51
3	कानूनी मामले— आकस्मिक देयता	248.35	13.44	13.44	248.35
	कुल	3558.99	15.82	102.61	3472.20
	पिछला वर्ष	3446.41	120.69	8.11	3558.99



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



-Exceptional Items					
Current Year ended 31st March 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previous Year ended 31st March 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Profit for the year					
Current Year ended 31st March 2025	11316.31	1765.52	-2310.67	0.00	10771.16
Previous Year ended 31st March 2024	7798.94	2127.50	-2753.78	0.00	7172.66
OTHER INFORMATION					
- Segment Asset					
Current Year ended 31st March 2025	85262.13	1769.79	24708.69	0.00	111740.61
Previous Year ended 31st March 2024	73764.71	1582.12	19715.22	0.00	95062.05
-Segment Liabilities (Including long term borrowing)					
Current Year ended 31st March 2025	85262.13	1769.79	24708.69	0.00	111740.61
Previous Year ended 31st March 2024	73764.71	1582.12	19715.22	0.00	95062.05
-Capital Expenditure					
Current Year ended 31st March 2025	3675.62	32.34	1801.88	0.00	5509.84
Previous Year ended 31st March 2024	517.83	10.15	8462.41	0.00	8990.39
-Depreciation					
Current Year ended 31st March 2025	1081.27	26.06	498.46	0.00	1605.79
Previous Year ended 31st March 2024	809.23	24.83	296.95	0.00	1131.01
-Non-Cash Expenses other than Depreciation					
Current Year ended 31st March 2025	131.53	6.48	-3.68	0.00	134.33
Previous Year ended 31st March 2024	-15.03	9.52	2.76	0.00	-2.75

Note No. 25: Disclosures required to be given as Additional Information

25.01 Disclosure of Contingent assets and liabilities	
A. Contingent Liability & Commitments (To the extent not provided for)	
(i) Contingent Liabilities: -	
(a) Claims against the company not acknowledged as debt: -	

(₹ in Lakhs)					
S. No.	Particulars	Balance as on 01.04.2024	Increase	Decrease	Balance as on 01.04.2025
1	Income Tax Cases	3187.34	0.00	0.00	3187.34
2	Sale Tax/ VAT/GST	123.30	2.38	89.17	36.51
3	Legal Cases- Contingent Liability	248.35	13.44	13.44	248.35
	TOTAL	3558.99	15.82	102.61	3472.20
	Previous Year	3446.41	120.69	8.11	3558.99



(i) आयकर मामलों का विवरण :

जबकि आयकर प्राधिकारियों ने आईटीएटी (ITAT) के निर्देशों के आधार पर कॉरपोरेशन को एक धर्मार्थ संगठन मानने के आधार पर कर निर्धारण वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए कर निर्धारण पूरा कर लिया है और कर निर्धारण धारा 11 से 13 के अंतर्गत किया गया है, नीचे दिए गए वे कर निर्धारण वर्ष हैं जिनके लिए कर निर्धारण लंबित हैं।

a) कर निर्धारण वर्ष 2011-12 :

कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 11 और 12 के प्रभाव को बताए बिना मामले का कर निर्धारण किया। कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण वर्ष 2011-12 में ₹ 504.52 लाख की मांग की। इस आदेश के विरुद्ध कॉरपोरेशन ने आयुक्त (अपील) के समक्ष प्रथम अपील दायर की। आयुक्त (अपील) ने हमारी अपील खारिज कर दी। इसके बाद कॉरपोरेशन ने जज के समक्ष अपील दायर की। ITAT ने कॉरपोरेशन के पक्ष में अपील स्वीकार कर ली। कर निर्धारण वर्ष 2011-12 में ITAT ने मामले को CIT (A) के पास निर्देशों के साथ भेज दिया।

b) कर निर्धारण वर्ष 2015-16 और कर निर्धारण वर्ष 2016-17

- i) कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 143(3) के तहत कर निर्धारण पूरा किया, जिसमें अधिनियम के सामान्य प्रावधान के तहत धारा 11 के तहत छूट का प्रभाव गलत तरीके से दिया गया और कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 614.90 लाख और कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए ₹ 1485.07 लाख की मांग की गई। कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 11 के तहत छूट का प्रभाव देने के लिए गलत गणना की और परिणामस्वरूप कॉरपोरेशन ने पीड़ित आदेश के खिलाफ अपील की।
- ii) पहली अपील CIT (अपील)-II, कानपुर में दायर की गई। आयुक्त अपील (फेसलेस) ने दिनांक 17.07.2023 के आदेश के तहत हमारी अपील को खारिज कर दिया। दूसरी अपील 14.09.2023 को ITAT दिल्ली के समक्ष पेश की गई। आईटीएटी नई दिल्ली द्वारा दिनांक 18.12.2024 को जारी आदेश ने निगम के पक्ष में अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। संशोधन यू/एस 254 लंबित है। आदेश के प्रभाव के बाद आय शून्य हो जाएगी।

c) कर निर्धारण वर्ष 2012-13 (TDS)

- i) सहायक आयुक्त आयकर (TDS) ने ₹ 4.78 लाख की मांग के लिए दिनांक 29.03.2019 को एक आदेश और धारा 154/201 (1)/201 (1A) दिनांक 03.07.2019 के तहत सुधार आदेश पारित किया।

(i) The detail of Income Tax cases :

While the Income Tax authorities, on the strength of directions from ITAT have concluded the assessment for Assessment year 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 and 2018-19, on the basis of treating Corporation as a charitable Organization and the assessment has been carried out under section 11 to 13, assessment years detailed below are those for which the assessments are pending.

a) Assessment year 2011-12 :

The Assessing Officer assessed the case without giving the effect of Section 11 & 12. The assessing officer created a demand of ₹ 504.52 lakhs in assessment year 2011-12. Against this order, the corporation filed first appeal before Commissioner (Appeals). Commissioner (Appeals) dismissed our appeal. After that the corporation filed appeals before ITAT. The ITAT allowed the appeal in favour of the Corporation. In assessment year 2011-12 the ITAT set aside the case to CIT (A) with directions.

b) Assessment year 2015-16 & Assessment Year 2016-17

- i) The Assessing Officer completed assessment u/s 143(3) of the Act vide erroneously giving the effect of exemption u/s 11 under normal provision of the Act and created a demand of ₹ 614.90 lakhs for Assessment Year 2015-16 & ₹ 1485.07 lakhs for Assessment Year 2016-17. Assessing officer has made wrong calculation for giving the effect of exemption u/s 11 and consequently the Corporation appealed against the aggrieved order.
- ii) 1st appeal filed CIT(Appeals)-II, Kanpur. The Commissioner Appeal (faceless) vide order dt. 17.07.2023 dismissed our appeal. IInd appeal is preferred before ITAT Delhi on 14.09.2023. The ITAT New Delhi vide order dated 18.12.2024 partly allowed the appeal in favour of Corporation. Revision u/s 254 is pending. After Effect of order income should reduced to Nil.

c) Assessment year 2012-13 (TDS)-

- i) Assistant Commissioner Income Tax (TDS) passed an order dt. 29.03.2019 & rectification order u/s 154 /201 (1)/201 (1A) Dated 03.07.2019 for demand of ₹ 4.78lakhs.



भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA



ii) आयुक्त अपील के समक्ष दिनांक 25.04.2019 को एक अपील पेश की गई है। मामला अभी भी लंबित है।

iii) सीआईटी (टीडीएस) आयकर द्वारा दिनांक 30.07.2024 को जारी किया गया स्थगन आदेश।

d) कर निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2014-15 (TDS)-

i) मूल्यांकन प्राधिकारी उप आयकर आयुक्त (TDS) ने धारा 201 (1)/201 (1A) के तहत दिनांक 30.03.2021 को वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 297.23 लाख और वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए दिनांक 26.03.2021 को ₹ 280.84 लाख का आदेश पारित किया।

ii) धारा 154 के तहत सुधार के लिए एक आवेदन और स्टे के लिए याचिका भी उप आयकर आयुक्त (TDS) के समक्ष दिनांक 08.04.2021 को ईमेल दिनांक 10.04.2021 के माध्यम से दायर की गई। उप आयुक्त (TDS) द्वारा सुधार याचिका को खारिज कर दिया गया।

iii) आयुक्त अपील के समक्ष दिनांक 08.04.2021 को एक अपील पेश की गई है।

iv) सीआईटी (टीडीएस) आयकर द्वारा दिनांक 30.07.2024 को जारी किया गया स्थगन आदेश

v) पहली अपील (अनुहारहीन) ने निगम के पक्ष में दिनांक 06.02.2025 का आदेश पारित किया और मूल्यांकन किया।

आय और मांग वर्ष के लिए शून्य 2014-15 संशोधन आदेश यू/एस 251 डीय के साथ लंबित है। आयुक्त (टीडीएस)

अपील दायर करने के लिए मांग के विरुद्ध ज्वै और जमा की गई राशि का विवरण नोट संख्या 6 में अन्य परिसंपत्तियों में दर्शाया गया है।

ii) अप्रत्यक्ष कर के लंबित मामलों का विवरण नीचे दिया गया है: -

a) वित्त वर्ष के लिए जीएसटी इनपुट का अधिक उपयोग 2019-20: -

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीसी का अधिक लाभ उठाने के लिए सुप्त, (जीएसटी) मलकजगिरी द्वारा 3.53 लाख रुपये की मांग (कर की मांग के लिए 3.06 लाख रुपये और जुर्माने के रूप में 0.47 लाख रुपये) की मांग की गई। निगम द्वारा 1.15 रुपये स्वीकार किए गए और जमा किए गए हैं और शेष विवादित राशि 2.38 लाख रुपये के लिए अपीलीय प्राधिकरण (जीएसटी) में अपील दायर की गई है।

ii) An appeal has been preferred before Commissioner Appeals dated 25.04.2019. The case is still pending.

iii) Stay order granted by CIT (TDS) Income Tax dated 30.07.2024.

d) Assessment year 2013-14 & 2014-15 (TDS)-

i) Assessing authority Dy. Commissioner Income Tax (TDS) passed an order u/s 201 (1)/201 (1A) Dated 30.03.2021 for ₹ 297.23 lakhs for A.Y. 2013-14 and dated 26.03.2021 for ₹ 280.84 lakhs for A.Y. 2014-15.

ii) An application for rectification U/s 154 and Petition for Stay also filed before Dy. Commissioner Income Tax (TDS) dated 08.04.2021 through email dated 10.04.2021. Rectification petition was rejected by Dy. Commissioner (TDS).

iii) An appeal has been preferred before Commissioner Appeals dated 08.04.2021.

iv) Stay order granted by CIT (TDS) Income Tax dated 30.07.2024.

v) 1st appeal (faceless) passed order in favour of the Corporation dated 06.02.2025 and assessed

Income & demand Nil for A.Y. 2014-15 Revision order u/s 251 is pending with Dy. Commissioner (TDS)

The details of TDS and amount deposited against the demand in order to file appeal is shown in Other Assets in Note no. 6.

(ii) The detail of Indirect Tax pending cases are given below: -

a) Excess availment of GST Input for the F.Y. 2019-20: -

A demand of ₹ 3.53 lacs (₹ 3.06 lacs for demand of Tax & ₹ 0.47 lacs as penalty) raised by Suptt., (GST) Malkajgiri towards excess availment of ITC for the F.Y. 2019-20. ₹ 1.15 has been admitted & deposited by the Corporation & for balance disputed amount ₹ 2.38 lacs an appeal has Been filed in Appellate Authority (GST).



b) प्रवेश कर मामला निर्धारण वर्ष 2011-12 एवं 2012-13: -

उत्तर प्रदेश से लोहा एवं इस्पात की खरीद के कारण वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 2.24 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 2.37 लाख की प्रवेश कर मांग उप आयुक्त वाणिज्य कर सेक्टर 27 कानपुर द्वारा 31.03.2020 को की गई है। इन आदेशों के विरुद्ध अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील)-V, कानपुर के समक्ष अपील की गई है। अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील)-V ने हमारी अपील खारिज कर दी है। आदेश निगम के विरुद्ध वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी गई है और वही न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है।

c) यूपीटीटी मामला मूल्यांकन वर्ष 2007-08, 2006-07 और 2005-06: -

वर्ष 2007-08 के लिए आकलन आदेश, फॉर्म 3बी पर वैट डिपार्टमेंट के भीतर विवाद के कारण गलत तथ्यों पर पारित किया गया। वैट डिपार्टमेंट के अनुसार एलिम्को को फॉर्म 3बी की खरीद पर 2.5% के बजाय 4% कर देना आवश्यक है। ALIMCO के अनुसार, हम फॉर्म 3बी के विरुद्ध कोई कर नहीं चुकाने के लिए उत्तरदायी हैं। चूंकि यह विक्रेता की जिम्मेदारी है कि वह लागू कर की दर एकत्र करे। फॉर्म 3बी में कर की दर का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल खरीद मूल्य का उल्लेख इस तरह के फॉर्म के खिलाफ किया गया है।

फार्म 3B के कारण ₹ 2.09 लाख की मांग की गई है। ₹ 2.09 लाख की पेनाल्टी भी लगाई गई है, जिसके विरुद्ध ₹ 3.03 लाख प्रकरण के समय जमा कराये गये तथा अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील) 5 वाणिज्य कर जोन-2, कानपुर के समक्ष अपील की गयी। अपील को अपर आयुक्त (अपील) द्वारा खारिज कर दिया गया। अस्वीकृति आदेश के विरुद्ध वाणिज्य कर न्यायाधिकरण कानपुर में अपील की गई है। न्यायाधिकरण ने हमारी अपील स्वीकार कर ली है और रिफंड की प्रक्रिया चल रही है।

इसी आधार पर सहायक आयुक्त, कानपुर के समक्ष भी कर निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिए मामला लंबित है।

कर निर्धारण वर्ष 2005-06 का मामला खारिज किया गया है जो अपर आयुक्त (अपील), कानपुर के समक्ष था। इसके विरुद्ध अपील दायर की गई है तथा यह वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण में लंबित है। फार्म 3B के कारण ₹ 29.52 लाख की मांग की गई है।

b)- Entry Tax case Assessment year 2011-12 & 2012-13: -

Entry tax demand of ₹ 2.24 lakhs for A.Y. 2012-13 and ₹ 2.37 lakhs for A.Y. 2011-12 on account of Ex U.P. purchase of Iron & Steel is raised on 31.03.2020 by Dy. Comm. Commercial Tax Sector 27 Kanpur. An appeal has been preferred before Addl. Commissioner Gr-2 (Appeal)-V, Kanpur against these orders. Addl. Commissioner Gr-2 (Appeal)-V has rejected our Appeal. Against the order corporation has been preferred an appeal before Commercial Tax Tribunal & same is pending with Tribunal.

c) UPTT case Assessment year 2007-08, 2006-07 & 2005-06: -

Assessment order for A.Y. 2007-08 passed on wrong facts because of dispute within the VAT Deptt. on Form 3B. As per VAT Deptt. ALIMCO is required to give tax @ 4% instead of 2.5% against Form 3B purchase. As per ALIMCO we are not liable to pay any tax against form 3B. As it is selling dealers responsibility to collect the applicable rate of tax. In form 3B tax rate is not mentioned only purchase value is mentioned against such form.

A demand of ₹ 2.09 lakhs has been made on account of Form 3B. A penalty of ₹ 2.09 lakhs is also imposed against which ₹ 3.03 lakhs deposited at the time of case and an appeal has been preferred to Additional Commissioner Grade-2 (Appeal)5 Commercial Tax Zone-2, Kanpur. Appeal has been rejected by the Additional Commissioner (Appeal). Against rejection order, an appeal has been preferred to Commercial Tax Tribunal Kanpur. The tribunal has allowed our appeal & refund is under process.

The case is also pending for the assessment year 2006-07 on the similar ground before Assistant Commissioner, Kanpur.

The case for the assessment year 2005-06 is dismissed which was before Addl. Commissioner (Appeals), Kanpur. Against this an appeal is filed & same is pending with Commercial Tax Tribunal. A demand of ₹ 29.52 lakhs has been made on account of Form 3B.



(iii) अन्य कानूनी मामलों का विवरण

उन कानूनी मामलों के अतिरिक्त, जिनकी आकस्मिक देयता की राशि निर्धारित की जा सकती है तथा जिन्हें उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 3 में दर्शाया गया है, विभिन्न फोरम पर 31 अन्य मामले विभिन्न चरणों में लंबित हैं, जिनमें राशि निर्धारित नहीं की जा सकती है तथा कॉर्पोरेशन उन मामलों को निपटाने/शीघ्र निपटाने का प्रयास कर रहा है

- (b) वित्तीय गारंटी को छोड़कर गारंटी: – शून्य
- (c) अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है;

(iii) The details of other legal cases

In addition to the legal cases whose amount of contingent liability is determinable and shown in the table above at serial number 3 above 31 other cases at various forums are pending at various stages in which amounts are indeterminable and corporation is trying to settle/expedite the cases.

- (b) Guarantees excluding financial guarantees: - Nil
- (c) Other money for which the company is contingently liable;

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	01.04.2024 तक शेष राशि	बढ़ोत्तरी	कमी	01.04.2025 तक शेष राशि
1	बैंक गारंटी- दी गई	63.04	29.52	14.00	78.56
2	भूमि पर लंबित लीज़ समझौते पर स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में	राशि अनिश्चित	0.00	0.00	राशि अनिश्चित

(₹ in Lakhs)

S. No.	Particulars	Balance as on 01.04.2024	Increase	Decrease	Balance as on 01.04.2025
1	Bank Guarantee- Given	63.04	29.52	14.00	78.56
2	In respect of stamp duty on pending lease agreement on land	Amount Indeterminable	0.00	0.00	Amount Indeterminable



(iii) प्रतिबद्धताएँ		(₹ लाख में)	
	विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
	पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों (अग्रिमों के शुद्ध) की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:		
	मूर्त संपत्तियाँ	2653.41	12056.22
	अमूर्त संपत्तियाँ	903.00	218.34
	आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों और अन्य निवेशों पर दावा न की गई देयताएँ	0.00	0.00
	अन्य प्रतिबद्धताएँ, यदि कोई हों	NIL	NIL

(B) अकस्मिक संपत्तियाँ					(₹ लाख में)
क्र. सं.	विवरण	01.04.2024 तक शेष राशि	बढ़ोत्तरी	कमी	01.04.2025 तक शेष राशि
1	अनएक्सपायर्ड बैंक गारंटी-आकस्मिक परिसंपत्तियाँ	1574.38	420.60	904.81	1090.17
2	कानूनी मामले-आकस्मिक परिसंपत्तियाँ	25.22	0.00	0.00	25.22
	कुल				

25.02 विदेशी मुद्रा में व्यय/आय का विवरण (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
	FOB आधार पर माल का निर्यात	3.85	0.00
	CIF आधार पर आयात का मूल्य	0.00	0.00
	विदेश यात्रा में व्यय	15.50	13.35
	पूंजीगत सामान	0.00	0.00
	TOT	0.00	39.89
	पेशेवर शुल्क	0.00	0.00



(iii) Commitments			(₹ in Lakhs)
S. No.	Particulars	As at 31st March 2025	As at 31st March 2024
1	Estimated amount of contracts (net of advances) remaining		
2	to be executed on capital account and not provided for:		
	Tangible Assets	2653.41	12056.22
	Intangible Assets	903.00	218.34
	Unclaimed Liability on partly paid shares and other investments	0.00	0.00
	Other commitments, if any	NIL	NIL

(B) Contingent Assets					(₹ in Lakhs)
S. No.	Particulars	Balance as on 01.04.2024	Increase	Decrease	Balance as on 01.04.2025
1	Unexpired Bank Guarantee- Contingent Assets	1574.38	420.60	904.81	1090.17
2	Legal Cases- Contingent Assets	25.22	0.00	0.00	25.22
	TOTAL				

25.02 Details of Expenditure/Income in Foreign Exchange

(₹ in Lakhs)			
S. No.	Particulars	For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2024
	Export of Goods on FOB basis	3.85	0.00
	Value of Imports on CIF basis	0.00	0.00
	Expenditure in Foreign Travel	15.50	13.35
	Capital Goods	0.00	0.00
	TOTs	0.00	39.89
	Professional Fees	0.00	0.00



25.03 व्यापार खंड: कानपुर और चनालोन (मोहाली) की दो मैनुफैक्चरिंग इकाइयों को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिचालन खंडों, भारतीय लेखा मानक 108 के तहत रिपोर्टिंग के लिए प्राथमिक व्यवसाय खंड माना गया है।
25.04 हाल ही में की गई घोषणा:
मिनिस्ट्री ऑफ़ एक्सटर्नल अफेयर्स ("MCA") समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के तहत नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2023 को, MCA ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2015 में संशोधन किया, जो 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:
भारतीय लेखा मानक 101 – भारतीय लेखा मानक को पहली बार अपनाना: –
संशोधन में पहली बार भारतीय लेखा मानकों को अपनाने वाली संस्थाओं के संबंध में एकल लेनदेन से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों या लीज़ और डीकमीशनिंग, बहाली और इसी तरह की देनदारियों से संबंधित आस्थगित कर के उपचार को संबोधित किया गया है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इस संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
भारतीय लेखा मानक 102 – शेयर आधारित भुगतान
संशोधन पैराग्राफ 23 के अंत में पैराग्राफ 24 के शीर्षक में संदर्भित फुट नोट को जोड़ने को निर्दिष्ट करता है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि संशोधन का उसके वित्तीय विवरण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
भारतीय लेखा मानक 103 – व्यवसाय संयोजन
परिशिष्ट C में पैराग्राफ 13 खंड (B) में संशोधन किया गया है, जिसमें "वह तिथि बताई गई है जिस दिन हस्तांतरिती हस्तांतरक का नियंत्रण प्राप्त करता है।" कंपनी को उम्मीद नहीं है कि संशोधन का उसके वित्तीय विवरण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
भारतीय लेखा मानक 107 – वित्तीय साधन: प्रकटीकरण
संशोधन में इकाई द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले वित्तीय साधनों के मापन आधार के बारे में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति जानकारी के प्रकटीकरण की वकालत की गई है और इकाई को उम्मीद है कि यह भारतीय लेखा मानक-1 के पैराग्राफ 117, "वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति" के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन नीति जानकारी होगी। संशोधन अनिवार्य रूप से वित्तीय विवरण की बेहतर प्रस्तुति के लिए एक निर्देश है और कंपनी को उम्मीद नहीं है कि संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
भारतीय लेखा मानक 109 – वित्तीय साधन
संशोधन परिशिष्ट B में पैराग्राफ 34.3.12 में आइटम (B) के लिए निम्नलिखित आइटम को प्रतिस्थापित करने की वकालत करता है, अर्थात्
(b) भारतीय लेखा मानक-103 के परिशिष्ट C में वर्णित अनुसार सामान्य नियंत्रण के तहत संस्थाओं या व्यवसायों का संयोजन, या।
कंपनी को उम्मीद नहीं है कि इस संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
भारतीय लेखा मानक-115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व
संशोधन परिशिष्ट 1 पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 5 में शब्दों और आंकड़ों में परिवर्तन निर्दिष्ट करता है, जिससे कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।



25.03 Business Segment:
The two manufacturing units at Kanpur and Chanalon (Mohali) have been considered as primary business segment for reporting under Ind AS 108, operating segments issued by Ministry of Corporate Affairs.
25.04 Recent Pronouncement:
Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standard or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015, as amended from time to time. On March 31, 2023, MCA amended the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2015, applicable from 1st day of April, 2023, as below:
Ind AS 101-First time Adoption of Ind AS:
The amendment addresses the treatment of deferred tax related to assets and liabilities arising from the single transactions or related to leases and decommissioning, restoration and similar liabilities, in respect of entities adopting the Indian Accounting Standards for the first time. The Company does not expect the amendment to have any significant impact on its financial statements.
Ind AS 102 - Share based Payment
The amendment specifies the addition of the foot Note referred to in the heading of paragraph 24, at the end of paragraph 23. The Company does not expect the amendment to have any significant impact on its financial statement.
Ind AS 103 - Business Combination
Amendment has been made in Appendix C in paragraph 13 Clause (b) stating "the date on which the transferee obtains control of the transferor. The Company does not expect the amendment to have any significant impact on its financial statement.
Ind AS 107 - Financial Instrument: Disclosures
The amendment advocates the disclosure by an entity the disclosure of material accounting policy information about the measurement basis for financial instruments used in preparing the financial statements and which the entity expects to be material accounting policy information in accordance with paragraph 117 of Ind AS-1, "Presentation of Financial Statements". The amendment is essentially a directive for better presentation of the financial statement and the Company does not expect the amendment to have any significant impact on its financial statements.
Ind AS 109 - Financial Instrument
The amendment advocates the substitution of the following item in Appendix B, in paragraph 34.3.12 for item (b) namely,
"(b) a combination of entities or businesses under common control as described in Appendix C of Ind AS-103, or".
The Company does not expect the amendment to have any significant impact on its financial statements.
Ind AS-115 Revenue from Contract with Customers
The amendment specifies changes to words and figures in Appendix 1 paragraph 2 and paragraph 5 which the Company does not expect to have any significant impact on its financial statements.



भारतीय लेखा मानक-1 वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति
भारतीय लेखा मानक-1 में संशोधन, प्रकटीकरण, मापन और प्रस्तुति तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के स्थान पर “महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना” को प्रतिस्थापित करने की वकालत करता है, ताकि वित्तीय विवरणों की बेहतर प्रस्तुति सुनिश्चित की जा सके, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना या अन्य नोट्स, निर्णयों के साथ प्रकटीकरण शामिल है, इसके अलावा उन अनुमानों को भी शामिल किया गया है, जो कंपनी के प्रबंधन ने इकाई की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में किए हैं और जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।
भारतीय लेखा मानक 8 – लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ
संशोधनों से संस्थाओं को लेखांकन नीतियों और लेखांकन अनुमानों के बीच अंतर करने में मदद मिलेगी। लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन की परिभाषा को लेखांकन अनुमानों की परिभाषा से बदल दिया गया है। नई परिभाषा के तहत, लेखांकन अनुमान “वित्तीय विवरणों में मौद्रिक राशियाँ हैं जो माप अनिश्चितता के अधीन हैं”। अगर लेखांकन नीतियों के अनुसार वित्तीय विवरणों में मदों को इस तरह से मापा जाना आवश्यक है जिसमें मान्यता शामिल हो, तो संस्थाएँ लेखांकन अनुमान विकसित करती हैं। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागतों को तुरंत लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।
भारतीय लेखा मानक-12 आयकर
संशोधन अनुच्छेद 15, 22 और 24 में संशोधन करके और उक्त मानक में अनुच्छेद 22A जोड़कर आस्थगित कर देनदारियों और आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता के दौरान कर योग्य अस्थायी अंतर के मुद्दे को संबोधित करता है। कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।
भारतीय लेखा मानक-34 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग
संशोधन “महत्वपूर्ण लेखांकन नीति” शब्दों को “महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना” शब्द से प्रतिस्थापित करने के मुद्दे को संबोधित करता है। कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

संलग्न तिथि की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

गुप्ता और शाह के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स FRN – 001416C	ह0 / – (अतुल रुस्तगी) GM-F&A & CFO	ह0 / – (सिद्धार्थ कुमार) (कंपनी सचिव)
ह0 / – (CA शरद कुमार शाह) भागीदार सदस्यता संख्या 070601 यूडीआईएन: 25070601BMJAOV6105	कृते और निदेशक मंडल की ओर से	
स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 17.07.2025	ह0 / – (मनमीत कौर नंदा) निदेशक डीआईएन-10086623	ह0 / – प्रवीण कुमार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक डीआईएन-10078364



Ind AS-1 Presentation of Financial Statements
The amendment to Ind AS-1 advocates the disclosure, measurement and presentation and substitution of significant accounting policies with "material accounting policy information" to ensure better presentation of financial statements including disclosure along with material accounting policy information or other notes, the judgements, apart from those involving estimations that the management of the Company has made in the process of applying the entity's accounting policies and that have the most significant effect on the amount recognized on the financial statements. The Company does not expect any significant impact on its financial statements.
Ind AS 8 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
The amendments will help entities to distinguish between accounting policies and accounting estimates. The definition of a change in accounting estimates has been replaced with a definition of accounting estimates. Under the new definition, accounting estimates are "monetary amounts in financial statements that are subject to measurement uncertainty". Entities develop accounting estimates if accounting policies require items in financial statements to be measured in a way that involves recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognised in statement of profit and loss.
Ind AS-12 Income Taxes
The amendments address the issue of taxable temporary differences during the course of recognition of deferred tax liabilities and deferred tax assets by amending paragraphs 15, 22 and 24 and adding paragraph 22A in the said standard. The Company does not expect any significant impact on its financial statements.
Ind AS-34 Interim Financial Reporting
The amendments address the issue of substituting the words "significant accounting policy" with the word "material accounting policy information". The Company does not expect any significant impact on its financial statements.

In terms of our separate report of even date attached

FOR GUPTA & SHAH CHARTERED ACCOUNTANTS FRN : 001416C	Sd/- (ATUL RUSTAGI) GM-F&A & CFO	Sd/- (SIDDHARTH KUMAR) C.S.
--	--	---

For and on behalf of the Board of Directors

(CA SHARAD KUMAR SHAH) PARTNER Membership No. 070601 UDIN: 25070601BMJAOV6105	Sd/- (Manmeet Kaur Nanda) Director DIN 10086623	Sd/- (PRAVEEN KUMAR) CMD DIN 10078364
--	--	--

Place : Delhi
Dated : 17.07.2025



आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर

वित्त वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरण में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम का विवरण

क्र. सं.	संक्षिप्त नाम	विवरण
1	ADIP	दिव्यांग व्यक्ति को सहायता
2	AO	मूल्यांकन अधिकारी
3	APC	सहायक उत्पादन केंद्र
4	AY	मूल्यांकन वर्ष
5	CGST	केंद्रीय माल और सेवा कर
6	CIT	कॉर्पोरेट आयकर
7	CNA	केंद्रीय नोडल एजेंसी
8	CPSE	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
9	CPSUs	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
10	CSR	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
11	DBO	परिभाषित लाभ दायित्व
12	DDRC	जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र
13	ECL	अपेक्षित ऋण हानि
14	EIR	प्रभावी ब्याज दर
15	EPIL	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड
16	FDRs	सावधि जमा रसीदें
17	GAAP	सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांत
18	GIA	अनुदान सहायता
19	GSTR	माल और सेवा कर रिटर्न
20	ICAI	भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
21	IGST	एकीकृत माल और सेवा कर
22	ITAT	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
23	MAT	न्यूनतम वैकल्पिक कर
24	MOSJE	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
25	MOU	समझौता ज्ञापन
26	MSME	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
27	OCI	अन्य व्यापक आय
28	OD	ओवरड्राफ्ट
29	P&L	लाभ और हानि
30	PLAI	प्रदर्शन से जुड़ा वार्षिक प्रोत्साहन
31	PRP	प्रदर्शन से संबंधित वेतन
32	PUC	प्रकल्पित इकाई ऋण
33	PWDs	लोक निर्माण विभाग
34	PY	पिछला वर्ष
35	R&D	अनुसंधान एवं विकास
36	ROU	उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियाँ
37	RMC	क्षेत्रीय विपणन केंद्र
38	RRC	क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र
39	RVY	राष्ट्रीय वयोश्री योजना
40	SAs	ऑडिटिंग के मानक
41	SGST	राज्य माल एवं सेवा कर
42	SME	लघु एवं मध्यम उद्यम
43	SOP	मानक संचालन प्रक्रिया
44	SSA	सर्व शिक्षा अभियान
45	TDS	स्रोत पर कर कटौती
46	ToTs	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
47	UC	उपयोगिता प्रमाणपत्र
48	VAT	मूल्य वर्धित कर
49	WIP	कार्य प्रगति पर



ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA, KANPUR

Details of Abbreviation used in FY 2024-25 Financial Statement

S.No.	Abbreviation	Details
1	ADIP	Assistance to Disabled Person
2	AO	Assessing Officer
3	APC	Auxiliary Production Centre
4	AY	Assessment Year
5	CGST	Central Goods and Service Tax
6	CIT	Corporate Income Tax
7	CNA	Central Nodal Agency
8	CPSE	Central Public Sector Enterprises
9	CPSUs	Central Public Sector Undertakings
10	CSR	Corporate Social Responsibility
11	DBO	Defined Benefit Obligation
12	DDRC	District Disability Rehabilitation Centre
13	ECL	Expected Credit Loss
14	EIR	Effective Interest Rate
15	EPIL	Engineering Projects India Limited
16	FDRs	Fixed Deposit Receipts
17	GAAP	Generally Accepted Accounting Principles
18	GIA	Grant-in-Aid
19	GSTR	Goods and Services Tax Return
20	ICAI	Institute of Chartered Accountants of India
21	IGST	Integrated Goods and Service Tax
22	ITAT	Income Tax Appellate Tribunal
23	MAT	Minimum Alternate Tax
24	MOSJE	Ministry of Social Justice and Empowerment
25	MOU	Memorandum of Understanding
26	MSME	Micro, Small and Medium Enterprises
27	OCI	Other Comprehensive Income
28	OD	Overdraft
29	P&L	Profit and Loss
30	PLAI	Performance Linked Annual Incentive
31	PRP	Performance Related Pay
32	PUC	Projected Unit Credit
33	PWDs	Public Works Department.
34	PY	Previous Year
35	R&D	Research and Development
36	ROU	Right-of-use assets
37	RMC	Regional Marketing Centre
38	RRC	Regional Rehabilitation Centre
39	RVY	Rashtriya Vayoshri Yojana
40	SAs	Standards on Auditing
41	SGST	State Goods and Service Tax
42	SME	Small and Medium Enterprises
43	SOP	Standard Operating Procedure
44	SSA	Sarva Shiksha Abhiyan
45	TDS	Tax Deducted at Source
46	ToTs	Transfer of Technology
47	UC	Utilization Certificate
48	VAT	Value-added tax
49	WIP	Work in Progress



आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

जी.टी.रोड, नारामऊ, कानपुर-209217

फार्म संख्या MGT-11
प्रॉक्सी फॉर्म

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 19(3) के अनुसार)

कंपनी का नाम: भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम,

सीआईएन : U85110UP1972NPL003646

पंजीकृत कार्यालय : जी.टी. रोड, नारामऊ, कानपुर-209217.

सदस्य (सदस्यों) का नाम.....
पंजीकृत पता
ईमेल आईडीफोलियो नंबर/क्लाइंट आईडी.....
डीपी आईडी
मैं/हम उपरोक्त नामित कंपनी के शेयरों के सदस्य होने के नाते, एतद्वारा नियुक्त करते हूँ

नाम	
पता	
ईमेल आईडी	
हस्ताक्षर	

या उसे अनुत्तीर्ण करते हैं

नाम	
पता	
ईमेल आईडी	
हस्ताक्षर	

दिनांक 26.09.2025 को प्रातः 10:30 बजे ।स्पडब्लू डब्ल्यूटीसी कार्यालय में आयोजित होने वाली कंपनी की 52वीं वार्षिक आम बैठक में मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने तथा मतदान (मतदान) करने के लिए मेरे/हमारे प्रतिनिधि के रूप में तथा नीचे दिए गए प्रस्ताव के संबंध में बैठक स्थगित होने पर:

क्रम सं.	प्रस्ताव	के लिए	विरुद्ध
1.	31 मार्च, 2025 को पूरे हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट और उस पर ऑडिटर्स की रिपोर्ट प्राप्त की गई, उस पर विचार किया गया तथा अपनाया गया		
2.	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना		

इस.....दिन2025 को हस्ताक्षरित।

सदस्य के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक(धारकों) के हस्ताक्षर

नोट: यह प्रॉक्सी फॉर्म के प्रभावी होने के लिए विधिवत रूप से पूरा किया जाना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए।





ARTIFICIAL LIMBS MANUFACTURING CORPORATION OF INDIA, KANPUR

G.T. Road, Naramau, Kanpur-209217.

FORM NO. MGT-11
PROXY FORM

[Pursuant to section 105(6) of the Companies Act, 2013 and rule 19(3) of Companies
(Management and Administration) Rules 2014]

Name of the Company : Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India,
CIN:U85110UP1972NPL003646

Registered Office: G.T. Road, Naramau, Kanpur-209217.

Name of Member (s)

Registered address

E Mail ID.....Folio No./Client ID.....

DP ID.....

I/We being a member(s) of shares of above named company, hereby appoint

Name	
Address	
E Mail ID	
Signature	

Or failing him

Name	
Address	
E Mail ID	
Signature	

As my/ our proxy to attend and vote (on poll) for me/ us on my/our behalf at the 52nd Annual General Meeting of the company to be held on the 26.09.2025, at 10:30 a.m. at ALIMCO WTC Office and at adjournment thereof in respect of such resolution as are indicated below:

S. No.	Resolutions	For	Against
1.	1.To receive, consider and adopt the audited Financial Statement of the Company for the financial year ended March 31, 2025, the reports of the Board of Directors' and Auditors' Report thereon		
2.	To fix the remuneration of auditors for financial year 2025-26		

Signed this day of2025

Signature of Member

Signature of Proxy holder(s)

Note: This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the registered office of the company not less than 48 hour before the commencement of the meeting.



JABALPUR



BHUBANESHWAR



BENGALURU




MOHALI



UJJAIN



FARIDABAD



ALIMCO

Head Quarter, Kanpur

Major implementing agency of the Govt. of India's scheme - ADIP (Assistance to Disabled Persons) since 1981

Sole Implementing agency of the Govt. of India Scheme ADIP - SSA (Samagra Siksha Abhiyan) since 2004

Sole Implementing agency of the Govt. of India Scheme RVY (Rashtriya Vyoshri Yojna) Since 2017

Preferred Implementing Agency among CPSEs for their CSR Projects





ALIMCO's VISION

ALIMCO's VISION: To be the leading global organization for the empowerment of persons with disabilities through provision of appropriate technology and rehabilitation services

MISSION

Provide appropriate state-of-the-art assistive devices & rehabilitation services that meet the needs of PWDs across the world

Focus on continuous technology up-gradation and develop in-house capabilities for cutting edge R&D through collaboration with research institutions and entrepreneurs within India and abroad

Manufacture high quality devices with optimized workflows, highly skilled workforce and manufacturing facilities equipped with state-of-the-art infrastructure which is at par with international standards

Develop talent pool through skill enhancement and training in order to aspire for excellence in product delivery and associated rehab services

Maintain industrial harmony, conducive work culture and inculcate feeling of ownership and pride among all stakeholders

Expand presence within India and develop exports as an opportunity for sustainable growth

MISSION:ALIMCO's OBJECTIVES:

To promote, encourage and develop the availability, use, supply and distribution at reasonable cost in the country of Artificial Limbs and accessories and constituents thereof to needy persons particularly disabled Defence personnel, hospitals and such other welfare institutions.

To establish facilities for the manufacture of Artificial Limbs and accessories and constituents thereof and all other things which can be or may conveniently be used for the manufacture of or in connection with such articles, things as aforesaid.

To carry on the business of manufacturers, buyers, sellers, importers, exporters, dealers in and of Artificial Limbs and accessories and constituents thereof and all other things which can be or may conveniently be used for the manufacture of or in connection with such articles, things as aforesaid.